त्रयोदश माला, खंड 4, अंक 9

सोमवार, 6 मार्च, 2000
16 फाल्गुन, 1921 (शक)

NOT TO BE ISSUED
FOR REFERENCE ONLY.

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 3 60
Date 12/4/2001

(खण्ड 4 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

प्रकाश चन्द भट्ट
प्रधान मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

जे॰ एस॰ वत्स
सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

पीयूष चन्द्र वत्स
सहायक सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

त्रयोदश माला, खंड–4 तीसरा सत्र, 2000/1921 (शक)

अंक 9, सोमवार, 6 मार्च, 2000/16 फाल्गुन, 1921 (शक)

विषय		*कॉलम*
निधन सम्बधी उल्लेख		1-11
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	141 से 160	11-61
अतारांकित प्रश्न संख्या	1525 से 1754	61-402

लोक सभा

सोमवार, 6 मार्च, 2000/16 फाल्गुन, 1921 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे दुख के साथ सभा को हमारी सम्मानित सहयोगी श्रीमती गीता मुखर्जी जो प्यार से गीता दीदी के नाम से जानी जाती थीं, के निधन की सूचना देनी है।

श्रीमती गीता मुखर्जी वर्तमान लोक सभा की सदस्य थीं जिन्होंने 1980 से मृत्यु तक, सातवीं से तेहरवीं लोक सभा तक लगातार पश्चिम बंगाल के पंसकुरा संसदीय चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्रीमती मुखर्जी 1967 से 1977 तक पश्चिम बंगाल विधान सभा की भी सदस्य रहीं। श्रीमती मुखर्जी एक समर्पित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थीं, उन्होंने पश्चिम बंगाल छात्र संघ के महासचिव के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। लोकसभा में अपनी सदस्यता के दौरान वह सभापति भी रहीं और उन्होंने विभिन्न संसदीय समितियों जैसे सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 1990 संबंधी संयुक्त समिति, आवास समिति, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की सदस्य के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने संविधान संशोधन (81वां संशोधन) विधेयक, 1996 संबंधी संयुक्त समिति की सभापति के रूप में भी कार्य किया जिसमें महिलाओं के लिए लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है और लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति की भी सभापति रहीं।

वह लोक सभा की सक्रिय सदस्य थीं। उन्होंने सदैव गरीबों, दलितों और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण संबंधी कार्य किए। वह महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में हमेशा अग्रणी रहीं। उनके जुझारू प्रयासों से लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के मामले में व्यापक सहमति बनी।

एक अनुभवी संसदविद के रूप में उन्होंने सदैव राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित कार्यवाहियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

उनकी साहित्य में गहरी रुचि थी और बंगला में 'भारत उपकथा' 'छोटा देर रवीन्द्रनाथ' 'हे अतीत कथा कहो' जैसी किताबें लिखी। उन्होंने विभिन्न समाचार–पत्रों और साप्ताहिक पत्रिकाओं के लिए नियमित रूप से लेख लिखे। उन्होंने 'प्रेस कौंसिल' और 'विश्व भारती न्यायालय', ग्रामीण श्रमिक संबंधी राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल बोर्ड की सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

उन्होंने विभिन्न देशों की यात्राएं कीं, वह बर्लिन स्थित वीमेंस इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक फेडरेशन के सचिवालय की वर्ष 1958 में सदस्य रहीं।

श्रीमती मुखर्जी का 4 मार्च, 2000 को नई दिल्ली में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

हम इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे आशा है कि सभा भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरा साथ देगी।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा विश्वास नहीं होता कि अब श्रीमती गीता मुखर्जी से मुलाकात नहीं होगी। मृत्यु एक कठोर सत्य है, लेकिन इस तरह से आंख बचा कर अचानक आकस्मिक रूप से मृत्यु गीता जी को उठा जे जाएगी, इसकी आशंका नहीं थी। उनका सारा जीवन संघर्ष में बीता। उनका एक जुझारू व्यक्तित्व था। लेकिन जुझारूपन के साथ उनके व्यक्तित्व में वात्सल्य भी था, ममता भी थी, स्नेह भी था, लेकिन अपनी मान्यताओं के प्रति दृढ़ रहने का भाव भी था। हम लोगों ने उन्हें 1980 से लगातार सदन में देखा। सदन के बाहर आम आदमी के लिए उनका सतत् संघर्ष उन्हें गौरव का स्थान प्रदान करता था। उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाये जो हमारे राष्ट्रीय जीवन के आधारभूत मुद्दे हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत का रूप कैसा हो, यह उनका चिंतन था, उनकी पार्टी का चिंतन था और उतार–चढ़ाव से गुजरते हुए लगातार वे इस ध्येय के प्रति समर्पित और निष्ठ रहीं और उसकी पूर्ति के लिए अहोरात्र काम करती रहीं। शोषण की समाप्ति, भेदभाव का अंत, सब के कल्याण की कामना, उनके कार्य–क्षेत्र में इन सब बातों का समावेश होता था। विशेषकर महिलाओं को शक्ति–सम्पन्न करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब से महिलाओं के रिजर्वेशन का सवाल उठा, वे उसमें अग्रणीय थी, संसदीय समिति की अध्यक्षा थीं, सर्वसम्मत रिपोर्ट लाने में कारणीभूत थीं।

उनके निधन के बाद जब उन्हें प्रणाम करके, श्रद्धा के सुमन समर्पित करके उनके छोटे कमरे से निकल रहा था, और वह कमरा

भी उनके व्यक्तित्व का प्रतीक था, छोटे से कमरे में गुजारा करना और बड़े–बड़े कार्य करना, विट्ठलभाई पटेल हाउस का छोटा सा कमरा लोगों के लिए एक आकर्षण का केन्द्र हो गया था, तो एक महिला ने कहा कि जो महिला रिजर्वेशन का बिल पड़ा हुआ है, उसे आप मंजूर कर लें। वह बिल सदन की थाती है। उनकी स्मृति हमारे साथ है। इस सदन में उनका खाली स्थान भर जायेगा। लेकिन लोगों के दिलों में उनका जो स्थान खाली हुआ है वह तो आसानी से नहीं भरेगा। मैं अपनी ओर से, अपने गठबंधन की ओर से पूरे सदन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप हमारी शोक–संवेदना उनके परिवार तक पहुंचा दें।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं माननीय प्रधान मंत्री के साथ हमारी सम्माननीय सहयोगी श्रीमती गीता मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी के निधन से हम राष्ट्रीय राजनीति की एक सुप्रतिष्ठित विभूति और संसद के सक्रिय और श्रद्धेय सदस्यों में से एक सदस्य से वंचित हो गए हैं।

उनकी सादगी, उनका समर्पण, उनकी प्रतिबद्धता गत 20 वर्षों से हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। श्रीमती गीता मुखर्जी के साधारण व्यक्तित्व में, एक अदम्य भावना और साहस की प्रतिमा थी जो बहुत कम उम्र से ही स्पष्ट थी, जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, उन्हें कई बार गिरफ्तार भी किया गया और उन्हें कई बार जेल भी हुई। धर्मनिरपेक्षता में उनकी गहरी निष्ठा, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष, गरीबी निवारण के लिए कार्य महिला हितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दोनों स्थानों पश्चिम बंगाल जहां उन्होंने राज्य विधानसभा में दस साल कार्य किया, और संसद में जहां वे बाद में आईं, स्पष्ट झलकती है। उनके कार्य उल्लेखनीय रहे यही कारण है कि वे कभी भी चुनाव नहीं हारीं उनकी वाकपटुता और जिस प्रकार उन्होंने अपनी पार्टी और अपने चुनाव क्षेत्र की सेवा की, अनुकरणीय है।

परन्तु श्रीमती गीता मुखर्जी की संसद सदस्य के रूप में उपलब्धि उनकी पार्टी और उनके चुनाव क्षेत्र तक सीमित नहीं है। उनका राजनीति और समाज में बहुत बड़ा योगदान है जिनके लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। अस्सी के दशकों में दहेज विरोधी और बलात्कार विरोधी कानून को संसद में पास करवाने में उनकी प्रमुख भूमिका थी और हाल ही में उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता के कारण उनकी अध्यक्षता में बहुत ही कम समय में महिला आरक्षण विधेयक को तैयार किया गया, निःसन्देह पिछले दो दशकों से गीता जी ने संसद की संवेदना महिलाओं की समस्याओं के प्रति जगाने में अहम भूमिका निभाई थी। हम गीता मुखर्जी की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करते हैं। उनकी कमी हमें सदैव खलेगी। पिछले 20 सालों से उनकी इस सभा में उपस्थिति उनके आदर्श विचार और उनकी निःस्वार्थ सेवा जिसकी राजनीति में आवश्यकता है, की हमें सदैव याद दिलाती रहेगी। इस सम्माननीय सभा में उनकी कमी सदैव खलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं अपने और अपनी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके परिवार और विदेशों में उनके मित्रों और और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। श्रीमती गीता मुखर्जी मेरी बहन समान थी, अनेक वर्षों तक साथ कार्य करने के पश्चात् मुझे उन्हें केवल राजनीतिक या राजनेता या राजनैतिक कार्यकर्त्ता मानना कठिन हो रहा है। वह मेरी बहन थीं। सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान और उनकी उपलब्धियों को बताने के लिए यदि वे चाहे, तो इसे मैं अन्य सदस्यों के लिए छोड़ता हूं। मैं उन्हें केवल एक व्यक्ति के रूप में याद करना चाहता हूं। वे दिल की मरीज थी। उन्हें कुछ साल पहले हृदय की शल्यक्रिया करवानी पड़ी थी और हाल ही में हमें पता चला कि डॉक्टर उन्हें उनकी अस्वस्थता के कारण उन्हें पुनः अस्पताल में जाकर संपूर्ण जाँच के लिए जोर दे रहे थे।

लेकिन, उन्होंने डाक्टरों की नहीं सुनी। वे उनकी कमी नहीं सुनती थी और हम भी उनको मना नहीं सके। इस कारण, यह जानलेवा बीमारी समय आने पर उन्हें लील गई।

महोदय, मैं आपको और इस सदन को श्रीमती गीता मुखर्जी को आज दी जाने वाली श्रद्धांजलि के लिए धन्यवाद देता हूं। सभी जानते हैं उनका व्यक्तित्व असाधारण था। निःसंदेह मेरी पार्टी को गहरा आघात पहुँचा है। इस सदन को भी गहरा आघात पहुँचा है। परन्तु मृत्यु अटल है, कोई भी इससे नहीं बच सकता, मुझे लगता है, हमें उनके द्वारा इस सभा में स्थापित मानक को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। कई सदस्यों को उनके सदन से बाहर के क्रियाकलापों का पता नहीं है। परन्तु, हम जो हमारी पार्टी में सहयोगी कार्यकर्ता हैं, जानते हैं कि किस प्रकार आम जनता और विशेषकर गाँवों, और ग्रामीण क्षेत्रों, में रहने वाले लोग उनसे गहरा स्नेह करते थे और किस प्रकार वे उनके करीब थीं। उन्हें जब भी आवश्यकता पड़ी, या जब भी लोग तकलीफ में थे, जब भी उन्हें श्रीमती गीता मुखर्जी की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने लोगों की सदैव मदद की।

महोदय, हमें उनके द्वारा स्थापित मूल्यों पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मुझे विश्वास है, सभा के सदस्य उनकी स्मृतियों को सदैव सम्मान व प्रेम देते रहेंगे।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विश्वास करना लगभग असंभव है कि गीतादी अब हमारे बीच नहीं है और यहां पर हमारे बीच नहीं बैठेंगी।

महोदय, मुझे विश्वास है कि वे हम सभी के लिए, पार्टी का भेदभाव किए बिना गीतादी ही थीं, इस स्नेह को प्राप्त करने का कारण यह था कि वे सभी के साथ स्नेह से पेश आती थीं। सभी जानते हैं कि वे आम आदमी के लिए मसीहा थीं जो कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध हमेशा लड़ती रहीं। उन्होंने सभा में और सभा के बाहर इस देश के आम आदमी, हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों को उनके अधिकार दिलाने के लिए सक्रिय रुचि ली।

महोदय, जैसा कि सभी जानते हैं, वह इस सदन की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। पिछले शुक्रवार को भी, हम अपराह्न 3.40 बजे तक साथ रहे। और वे हमारे देश के एक राज्य की स्थिति के बारे में बताना चाहती थीं। हमें उनके साथ संसद के अंदर और संसद के बाहर दोंनो स्थानों पर कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आम आदमी के हृदय में उनके लिए सदैव ही एक विशेष स्थान था। उनकी यह महानता थी कि न केवल उनके चुनाव–क्षेत्र या वामपंथी आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए वे उपलब्ध थीं बल्कि प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े लोग–विभिन्न राज्यों और जिलों के लोग–उनके पास आते थे क्योंकि वे किसी को भी मना नहीं करती थीं। जब भी उन्हें यह महसूस होता था कि कुछ मामलों को लिया जाना चाहिए, वे निर्भीकता से उन्हें उठाती थीं। यही कारण है कि वे लोगों के हृदयों को जीत सकीं।

हमने एक ऐसे साथी को खो दिया है जो श्रमजीवी वर्ग के हितों के लिए पूर्णतः समर्पित थी। उन्होंने देश के साम्यवादी आंदोलन का अच्छा दृष्टान्त प्रस्तुत किया। वे कम से कम 60 वर्षों तक राजनीति में सक्रिय रहीं, इस बात का प्रभावशाली सबूत यह है कि वे अपने उदेश्यों–जो उन्हें प्रिय थे–के प्रति पूर्णतः समर्पित थीं। हमारे लिए उनके जैसी महान नेता जो हमारे इतने करीब थी, को श्रद्धाजंलि देते हुए कुछ कहना बहुत कठिन हो रहा है। हम सभी के लिए उनके हृदय में विशेष ममता थी हम सदैव उन्हें अपने मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। उन्होंने हमें असीम स्नेह और मार्गदर्शन दिया।

उनके द्वारा महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए किए गए कार्य स्वर्ण अक्षरों में लिखें जा सकते हैं। उन्होंने इस देश को महिलाओं की आवश्यकताओं का अहसास कराया। इस सदन अथवा भारत की संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास मात्र राजनीतिक निर्णय नहीं थे। उनका वास्तव में यह मत था, जैसा कि हममें से बहुतों का भी मानना है, कि अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो हमारे देश की महिलाओं को आगे बढ़ने और हमारे सम्जनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेन का अवसर मिलेगा। इसके फलस्वरूप एक बेहतर भारत और हमारे लिए बेहतर भविष्य का निर्माण हो सकेगा।

हम महसूस करते हैं और मैं अपील करता हूं कि हम सभी उनकी स्मृतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और अन्य सभी का साथ दें। यदि हम सभी उनके उद्देश्यों को जो उनको अति प्रिय थे और देश को यह विश्वास दिलाएं कि हम इस विधेयक को अति शीघ्र पारित करेंगे तो यही उनकी स्मृतियों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

उनके द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना अब असंभव है। मुझे नहीं पता कब हमें दूसरी 'गीतादी' मिलेगी–कभी यह संभव होगा भी या नहीं। कल जब मैं कलकत्ता में था, मैंने देखा कि कैसे लोग उनके पार्टी कार्यालय के आगे लम्बी कतारों में खड़े थे। सभी को जो गहरा सदमा पहुंचा है उसे हम सभी ने महसूस किया है। मेरी पार्टी की ओर से और मेरी ओर से, अगर मैं ऐसा कह सकता हूं तो, देश के संपूर्ण कामकाजी वर्ग तथा आम जनता की ओर से, हम उन्हें उनकी स्मृतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस महान कामरेड और कम्यूनिष्ट नेता को सलाम करते हैं जिसने अपना सारा जीवन आम लोगों के लिए समर्पित कर दिया।

महोदय, कृपया हमारी हार्दिक संवेदनाएं उनके परिवार और उनके पार्टी के सहयोगियों तक पहुंचा दे।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैंने श्रीमती गीतामुखर्जी के निधन का समाचार सुना मैं विशाखापत्तनम में था। तेलुगु देशम पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों के 1983 से 1998 तक काफी घनिष्ठ संबंध रहे। उन्होंने अनेक बार आंध्र प्रदेश की यात्रा की थी। मेरी पार्टी का उनके प्रति सदैव अत्याधिक सम्मान रहा है।

आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री एन. टी. रामाराव ने इस क्षेत्र में संवैधानिक संशोधन से पहले ही स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की शुरूआत कर दी थी। उस समय श्रीमती गीता मुखर्जी ने मुख्य मंत्री को लिखा था कि आजादी के बाद इस महान देश में पहली बार स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की शुरूआत की गई जबकि इस कार्य हेतु संविधान में कोई संशोधन भी नहीं हुआ।

कल, मैं दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देने कलकत्ता गया था। महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री रामसागर रावत (बाराबंकी) : स्पीकर सर, श्रीमती गीता मुखर्जी के निधन पर जो गहरा शोक नेता सदन, नेता विरोधी दल और नेता कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य सम्मानित नेताओं ने व्यक्त किया है, मैं समाजवादी पार्टी और अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं। श्रीमती गीता मुखर्जी जिंदगी भर सदन के बाहर और सदन के अंदर गरीब मजदूरों का पक्ष रखती रहीं। महिलाओं के उत्थान की उन्हें बराबर चिंता रही और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गरीब लोगों

के लिए उन्होंने संघर्ष किया तथा कार्य भी किया। उनके न रहने से खास तौर से मजदूरों, गरीबों और महिलाओं का पक्ष कमजोर हुआ है और क्षति पहुंची है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समाजवादी पार्टी की ओर से श्रीमती गीता मुखर्जी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और महोदय आपसे अनुरोध करता हूं कि समाजवादी पार्टी की भावनाएं उनके परिवार और उनसे जुड़े हुए लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें।

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, श्रीमती गीता मुखर्जी के निधन पर मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से दुख प्रकट करती हूं और उनके निधन पर माननीय प्रधान मंत्री जी तथा अन्य पार्टियों के सम्मानित नेताओं ने दुख प्रकट करते हुए उनके जीवन और कार्यों के बारे में जो प्रकाश डाला है, मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती गीता मुखर्जी के बारे में यह महसूस करती हूं कि उनके अचानक निधन के बाद सदन में उनकी कमी आज महसूस हो रही है। जब उनके निधन के बारे में मुझे मालूम हुआ, तो मुझे बहुत दुख हुआ। आज उनकी पार्टी के नेताओं ने उनके निधन के बारे में सदन में बताया है कि उनका निधन किस प्रकार हुआ जिससे विदित हुआ कि उनका स्वास्थ्य लम्बे अरसे से खराब था, लेकिन जिस दिन उनका निधन हुआ, उस दिन भी वे एक्टिव थीं और उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के दौरे पर जाने वाली थीं। वहां जाने के लिए जब वे तैयार हो रही थीं, तो अचानक हार्ट अटैक हुआ जिसके कारण उनका निधन हुआ।

अध्यक्ष महोदय, उनके जीवन के बारे में जो मुझे मालूम हुआ उससे पता लगा कि वे विद्यार्थी जीवन से ही काफी जुझारू रही हैं और जब से उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है तब से उनकी सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि उन्होंने कभी भी दल बदल करके पार्टियां नहीं बदलीं और एक ही पार्टी में शुरू से रहीं। उनमें अपनी पार्टी के प्रति काफी श्रद्धा मैंने महसूस की और जब से वे राजनीति में आई हैं तब से कभी भी चुनाव नहीं हारीं बल्कि लगातर जीतती रहीं हैं। इससे उनकी लोकप्रियता का भी अहसास होता है कि वे लगातार एक ही क्षेत्र से बराबर जीतती रहीं। यह उस क्षेत्र की जनता की उनमें अटूट श्रद्धा का परिचायक है।

अध्यक्ष महोदय, सदन में जब भी कोई वीकर सैक्शंस का मसला आया, तो उन्होंने हमेशा जोरदार शब्दों में उस मसले को सुलझाने के लिए कमजोर वर्ग के पक्ष में आवाज उठाई। श्रीमती गीता मुखर्जी महिलाओं के हितों का हमेशा ध्यान रखती थीं। मैंने यह भी देखा है कि महिलाओं के आरक्षण के मामले पर सदन में वे सदैव विभिन्न पार्टियों के नेताओं को समझाती रहीं कि जो भी आपको कहना है, वह महिला आरक्षण के विधेयक के सदन में इंट्रोडयूस होने के बाद कहें, लेकिन पहले उसे सदन में विचार के लिए प्रस्तुत होने दें। चाहे वे विपक्ष के सदस्य या नेता हों चाहे पक्ष में शामिल एन. डी. ए. के सदस्य हों।

अध्यक्ष महोदय, उनके स्वभाव के बारे में सभी माननीय सदस्यों को यह मालूम है कि वे सबके साथ मिलकर चलती थीं, उनका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था। उनके निधन से मैं समझती हूं कि पूरे हाउस ने आज एक कमी महसूस की है। उनके निधन पर मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से दुख प्रकट करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे तथा आप हमारी भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचा दें।

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष जी, श्रीमती गीता मुखर्जी के निधन से पूरे देश में एक समर्पित व्यक्तित्व का अस्त हुआ है। पिछले 60 सालों से ज्यादा तक देश के सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उनमें से 20 साल लोक सभा के सदस्य और 10 साल विधान सभा के सदस्य के नाते एक बहुत अच्छा पार्लियामेन्टेरियन कैरियर उन्होंने देशवासियों के सामने रखा था। मुझे याद है कि 1967 में शायद पहली बार यह वैस्ट बंगाल से चुनकर आई थीं। मैं भी महाराष्ट्र से तब चुनकर आया था। तब नये लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कामन वेल्थ पार्लियामेंट एसोसियेशन के मुताबिक मैसूर में एक कैम्प आयोजित किया गया था जिसमें मुझे भी जाने का मौका मिला था। गीता जी भी वहां थी। हम सब लोग नौजवान थे और बड़े सीरियस पार्लियामेंटेरियन नहीं थे। मगर हमने देखा कि गीता जी वहां समय पर आती हैं, डिसकशन के नोट्स बराबर लेती हैं, डिसकशन में हिस्सा लेती हैं और एक आदर्श पार्लियामेंन्टेरियन किस तरह से बन सकते हैं, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देती हैं। उस दिन से आखिरी तक उन्होंने वह रास्ता कभी नहीं छोड़ा। सार्वजनिक जीवन में एक ईमानदार और सुसंस्कृत व्यक्तित्व गीता जी के रूप में पूरे देशवासियों ने और इस सदन ने पिछले कई सालों से देखा है।

महिलाओं के आरक्षण के बारे में उनकी कमिटमैंट क्या थी, यह सदन के सब सदस्यों को और सदन के बाहर के लोगों को वह मालूम है। ज्वाइंट सैलेक्ट कमैटी में उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला। सैलेक्ट कमेटी में सब पार्टियों के सदस्यों को साथ लेकर इसमें यूनेनीमिटी कैसे बन सकती है, इस बारे में उन्होंने बहुत बार ध्यान दिया। उनकी विचारधारा थी कि हिन्दुस्तान की 50 प्रतिशत आबादी जब तक निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागी नहीं होती तब तक देश आगे नहीं जा सकता, देश का जीवन बदल नहीं सकता और इस काम के लिए 50 प्रतिशत आबादी को आरक्षण देने की आवश्यकता है, यह बात उन्होंने सदन में और सदन के बाहर हमेशा रखी। जो विचारधारा उन्हें सहयोग नहीं देती थी, उनको भी साथ लेने के लिए उन्होंने हमेशा कोशिश की।

मैं प्रधान मंत्री जी की बात से सहमत हूं कि अगर हमें उनको सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करनी हो तो इसी सदन में जिस बारे में उन्होंने संघर्ष किया, महिलाओं के आरक्षण का जो संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव यहां आया है, उसे हम सर्वसम्मति से

पारित करें। समाज के 50 प्रतिशत वर्गों को अधिकार देकर गीता जी को अच्छी तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं व्यक्तिगत रूप से और अपनी पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री के. मलयसामी (रामनाथपुरम) : माननीय अध्यक्ष महोदय तथा इस सम्माननीय सभा के सदस्यों, शुरू से ही, मैं अपनी ओर से और अपने दल ए आई ए डी एम के की ओर से, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी, तत्पश्चात सभी राजनैतिक पार्टियां जिन्होंने आज अपनी संवेदनाएं व्यक्त की दिवंगत आत्मा को हार्दिक श्रद्धांजलि देने और उसके प्रति सम्मान व्यक्त करने में उनके साथ हैं।

वास्तव में, श्रीमती गीता मुखर्जी की दुःखद मृत्यु का समाचार हमने चेन्नई में सुना, यह हमारे लिए गहरा धक्का था।

सभा के नये सदस्य के नाते मैं उन्हें दूर से देखता था। डिवीजन नंबर आबंटित होने के बाद से, वे मेरे सामने पंक्ति में बैठती थीं। इस कारण यह मेरे लिए विशेषकर सभा में मेरे समक्ष बैठने वाली एक मित्र के रूप में व्यक्तिगत क्षति है।

जैसा कि सभी नेताओं ने उन्हें समझा है उनकी दूरदृष्टि थी जिसके पीछे उनका एक उत्कृष्ट लक्ष्य था जिसे पाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। किसी भी उददेश्य के लिए वह पूर्णतः समर्पित रहती थीं। ठीक ही कहा गया है, मेरा यह निष्कर्ष है कि उन्होंने दलितों, शोषितों और असहाय लोगों के लिए जीवन भर कार्य किया। जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने ठीक ही कहा, सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में, समाज–सुधारक के रूप में, विधायक के रूप में, संसद सदस्य के रूप में, कई समितियों के सदस्य के रूप में और कुछ समितियों के सभापति के रूप में उनका योगदान निश्चित ही, ठोस, महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय था। जब भी मैं बुजुर्ग, सभी द्वारा सम्मानित, अनुभवी श्रीमती गीता मुखर्जी के विषय में सोचता हूं, तो मुझे शेक्सपीयर की पंक्तियां याद आ जाती हैं। "ऐज़ कैननॉट विदर हर, नॉर कस्टम स्टेल हर इनफिनिट वेरायटी"। वे बहुमुखी व्यक्तित्व की स्वामिनी थीं, उनके व्यक्तित्व के कई पहलू थे। यह निश्चय ही न केवल सभा के लिए बल्कि पश्चिम बंगाल और उनके निकटसंबंधियों के लिए अपूर्णिय क्षति है। मैं पुनः अपनी ओर से और अपने दल ए आई ए डी एम के की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदनाएं उनके परिवारजनों तक पहुंचा दें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में श्रीमती गीता मुखर्जी नहीं हैं। हम सब उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्रीमती गीता मुखर्जी को हम पिछले दस वर्षों से जानते हैं क्योंकि उनके क्षेत्र से हमारा लगाव रहा है। वे जनता में कितनी लोकप्रिय थीं, इसका व्यक्तिगत अहसास मुझको है। हमने बारहवीं लोक सभा से उन्हें सदन के सदस्य के रूप में करीब से देखा है। हमारे जैसे नए लोगों को उनसे बहुत कुछ सीखने का भी अवसर मिला। उनकी मृदु भाषा और सादगी इस सदन में अपने आप में एक उदाहरण था खासकर शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग और महिलाओं के उत्थान के लिए वे बराबर चिंतित रहती थीं और संघर्ष भी करती थीं। उनका राजनैतिक जीवन एक उदाहरण के रूप में है। हम अपनी तरफ से और समता पार्टी की तरफ से दिल से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने माध्यम से समता पार्टी की भावनाओं को उनके परिवार और शुभचिंतकों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री सुखदेव पासवान (अररिया) : अध्यक्ष महोदय, जब हमें यह जानकारी मिली कि श्रीमती गीता मुखर्जी का निधन हो गया तो सही मायने में विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे अब हमारे साथ नहीं हैं। हमें नौवीं लोक सभा से श्रीमती गीता मुखर्जी के साथ रहने का मौका मिला। उनमें सही मायने में इतनी सरलता और सादगी थी कि वह प्रेरणा का स्रोत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी एवं सभी नेतागणों ने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करते हुए अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विश्वास करना बहुत कठिन हो रहा है कि श्रीमती गीता मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहीं। उनकी अचानक मृत्यु ने हम सभी को स्तब्ध कर दिया है। उन्हें अत्याधिक सम्मान प्राप्त था और आने वाले समय में भी उनका सम्मान अक्षुण्ण रहेगा।

महोदय, जिन मुददों के लिए उन्होंने संघर्ष किया और जिन गहन निष्ठा के साथ उन्होंने कार्य किया, वह सब हमें बताता है कि ऐसे व्यक्तित्व, किसी कवि के शब्दों में, जाने के बाद, वक्त की रेत पर अपने पद चिन्ह छोड़ जाते हैं।

सभा श्रीमती गीता मुखर्जी के जाने से उनका अभाव महसूस करेगी। महोदय, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी हार्दिक संवेदना उनके परिवारजनों तक पहुंचा दें।

[हिन्दी]

श्री जोआकिम बख्ला (अलीपुरद्वारस) : अध्यक्ष महोदय, हमें यह विश्वास नहीं हो रहा है कि आज हमारे साथ इस सदन में गीता दी नहीं हैं।

गीता दी ने अपना राजनैतिक जीवन छात्र जीवन से शुरू किया। उनका जीवन इस सदन तक व अन्तिम सांस लेने तक संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने सदन में सान्यवर सदस्यों का हृदय ही नहीं जीता, बल्कि समस्त वर्किंग फोर्स, किसान, पंसकुरा की जनता एवं

पूरे भारतवर्ष के लोगों के हृदय को जीतने में उन्हें कामयाबी हासिल हुई।

वामपंथी आन्दोलन और कम्युनिस्ट आन्दोलन को आगे बढ़ाने में जिस तरह से उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, उसे हम कैसे भूल सकते हैं। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका जीवन हमारे लिए एक उदाहरण रहेगा। उनकी जीने की शैली, उन्होंने जिस तरह अपना महत्वपूर्ण कर्तव्य इस सदन में निभाया और साथ ही साथ महिलाओं की मुक्ति आंदोलन का जिस तरह से मार्गदर्शन करने का काम किया, विशेष करके महिला आरक्षण विधेयक के सम्बन्ध में उन्होंने जिस तरह से अग्रणी भूमिका निभाई, उसे हम भूल नहीं सकते।

मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी आर. एस. पी. की ओर से उनके निधन पर दुख प्रकट करता हूं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार तथा उनके शुभचिन्तकों, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा पंसकुरा की जितनी हमारी साथी जनता है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदना आप उन तक पहुंचा दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.48 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

अपर्याप्त दूरसंचार और डाक व्यवस्था

***141. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) :**

श्री आर. एस. पाटिल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बहुत से गांवों में अभी भी दूरसंचार और डाक व्यवस्था उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार ऐसे गांवों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान सभी गांवों में दूरसंचार और डाक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई और वर्ष 1999–2000 तथा अगले वित्तीय वर्ष के दौरान इसके लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) **दूरसंचार नेटवर्क** देश के 6.07 लाख राजस्व गांवों में से 3.58 लाख से भी अधिक गांवों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। 248,953 गांव अब भी दूरसंचार सुविधाओं से वंचित हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान दूरसंचार सेवा विभाग नें 79,913 गांवों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। गांवों में टेलीफोनों का प्रावधान एक सतत् प्रक्रिया है तथा नौवीं योजना के अंत तक अर्थात वर्ष 2002 तक धीरे–धीरे सभी गांवों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। भविष्य में, गांवों में दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का पता लगाया गया है। वायरलैस इन लोकल लूप, सी–डाट टी डी एम ऐ/पीएमपी तथा दूरस्थ क्षेत्रों के लिए उपग्रह प्रणालियों के वास्ते परीक्षण चल रहा है। इन प्रौद्योगिकियों को शुरू करने के लिए उपस्कर मंगाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, एक्सचेजों से लगभग 5 किमी. की दूरी तक गांवों में लैण्ड लाइनों पर ग्रामीण टेलीफोन तथा ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नये ग्रामीण एक्सचेंज स्थापित किए जा रहे हैं। नौवीं योजना के आगामी दो वर्षों के दौरान और अधिक एक्सचेंज भी खोले जाएंगे। दूरसंचार सेवा विभाग तथा निजी फिकस्ड सेवा प्रदाताओं के संयुक्त प्रयासों से नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शेष 248,953 गांवों को यह सुविधा देने का प्रस्ताव है। वर्षवार कार्यक्रम इस प्रकार है :–

वर्ष	दूरसंचार सेवा प्रभाग का लक्ष्य
1999–2000	45,000
2000–2001	70,000
2001–2002	95,100

निजी फिक्स्ड सेवा प्रदाताओं (एफएसपी) की 56,615 गांवों में सुविधा मुहैया करानी है।

दिनांक 1.3.2000 की स्थिति के अनुसार, दूरसंचार सुविधा रहित गांवों के बारे में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण–I में दी गई है।

डाक नेटवर्क : दूरी, आय तथा जनसंख्या के निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले गांवों में डाकघर खोलना एक सतत प्रक्रिया है तथा मानदंड पूरा करने तथा संसाधनों की उपलब्धता होने पर डाक विभाग के योजना कार्यक्रम के अनुसार डाकघर खोले जाते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 2500 शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तथापि, निर्धारित मानदंड पूरा न करने के कारण जहां शाखा डाकघर खोलना संभव नहीं होता, वहां योजना कार्यकलाप के अनुसार क्रमिक रूप से पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोले जा रहे हैं, जो बुनियादी डाक सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं।

(ग) दिनांक 31.3.89 की स्थिति के अनुसार 474,748 गांवों में कोई डाकघर नहीं है, इसका तात्पर्य यह है कि इन गांवों में निर्धारित घंटों की डाक कांउटर सुविधा नहीं है। तथापि देश में कोई भी गांव "डाक रहित" गांव नहीं है अर्थात् डाक के दैनिक वितरण और निकासी तथा डाक टिकटों एवं लेखन सामग्री की बिक्री की सुविधा अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंटों के माध्यम से देश में सभी गांवों में दी जा रही है। देश में 114,338 ग्राम पंचायत गांवों में डाकघर हैं, जबकि 111,517 ग्राम पंचायत गांवों में डाक घर नहीं हैं। तथापि, इनमें से केवल 4330 ग्राम पंचायत गांव डाक घर खोलने के लिए जनसंख्या और दूरी के दो मानदंड पूरा करते हैं। डाकघर रहित गांवों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण–II में दी गई है। डाकघर खोलने के लिए दूरी तथा जनसंख्या के दो मानदंडों को पूरा करने वाले ग्राम पंचायत गांवों के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण–III में दिए गए हैं।

(घ) डाक विभाग ने पिछले दो वर्षों के दौरान देश में 1000 शाखा डाकघर खोले हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 500 शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य है, विभाग ने 264 डाकघर खोलने की मंजूरी दे दी है। शेष शाखा डाकघर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त, विभागीय पदों की मंजूरी मिलने पर खोलें जायेंगे। इसके अतिरिक्त, योजना कार्यकलाप के हिस्से के रूप में पंचायत संचार सेवा योजना भी चलाई जा रही है। चालू योजना वर्ष के लिए 500 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का लक्ष्य है और विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 201 केन्द्र खोल दिए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में डाकघर तथा पंचायत संचार सेवा केन्द्रों के संदर्भ में सर्किलवार लक्ष्य क्रमशः संलग्न विवरण–IV तथा V में दिए गए हैं।

विवरण-I

1.3.2000 तक की स्थिति के अनुसार दूरसंचार सुविधा रहित ग्रामों की राज्यवार स्थिति

राज्य	दूरसंचार सुविधारहित ग्रामों की संख्या
1	2
अंडमान निकोबार	28
आंध्र प्रदेश	6096
असम	8371
बिहार	56674
गुजरात	4202
हरियाणा	43
हिमाचल प्रदेश	7399
जम्मू एवं कश्मीर	3146
कर्नाटक	1963
केरल	–
मध्य प्रदेश	27470
महाराष्ट्र	11055
गोवा	36
अरुणाचल प्रदेश	3011
मणिपुर	1710
मेघालय	4443
मिजोरम	152
नागालैण्ड	632
त्रिपुरा	232
उड़ीसा	25447
पंजाब	603
राजस्थान	15153
तमिलनाडु	151
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	32011
उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	17549
प. बंगाल	21212
सिक्किम	164
दिल्ली	–
कुल	248953

विवरण-II

31.3.1999 की स्थिति के अनुसार देश में उन गांवों के ब्यौरे जहां एक भी डाकघर नहीं है

क्र.सं.	राज्य	ऐसे गांवों की संख्या जहां एक भी डाकघर नहीं है
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	12278
2.	असम	22641
3.	बिहार	66528
4.	दिल्ली	79

1	2	3
5.	गुजरात	10386
	दादरा एवं नगर हवेली	38
	दमन एवं दीव	16
6.	हरियाणा	4453
7.	हिमाचल प्रदेश	14353
8.	जम्मू एवं कश्मीर	4972
9.	कर्नाटक	19725
10.	केरल	–
	लक्षद्वीप	–
11.	मध्य प्रदेश	61325
12.	महाराष्ट्र	30009
	गोवा	160
13.	उत्तर पूर्व	
	अरुणाचल प्रदेश	3379
	मणिपुर	1398
	मेघालय	5038
	मिजोरम	312
	नागालैंड	896
	त्रिपुरा	4057
14.	उड़ीसा	39470
15.	पंजाब	9039
	चंडीगढ़	17
16.	राजस्थान	28332
17.	तमिलनाडु	6999
	पांडिचेरी	233
18.	उत्तर प्रदेश	94668
19.	पश्चिम बंगाल	33596
	सिक्किम	113
	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	236
	कुल	474746

विवरण-III

31.3.99 की स्थिति के अनुसार

सर्किल	डाकघर रहित ऐसे गांवों की ग्राम पंचायतों की संख्या जहां दूरी तथा जनसंख्या दो नॉर्म के अनुसार डाक घर खोलना न्यायोचित है
1	2
आंध्र प्रदेश	19
असम	शून्य
बिहार	1329
दिल्ली	शून्य
गुजरात	139
दादरा एवं नगर हवेली	शून्य
दमन एवं दीव	1
हरियाणा	13
हिमाचल प्रदेश	35
जम्मू एवं कश्मीर	85
कर्नाटक	381
केरल	शून्य
लक्षद्वीप	शून्य
मध्य प्रदेश	395
महाराष्ट्र	455
गोवा	शून्य
उत्तर पूर्व	
अरुणाचल प्रदेश	शून्य
मणिपुर	17
मेघालय	129
मिजोरम	शून्य
नागालैंड	146
त्रिपुरा	64
उड़ीसा	43
पंजाब	10
चंडीगढ़	शून्य

1	2
राजस्थान	93
तमिलनाडु	28
पांडिचेरी	शून्य
उत्तर प्रदेश	922
पश्चिम बंगाल	शून्य
अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	1
सिक्किम	25
कुल	4330

विवरण-IV

वार्षिक योजना 1999-2000 के दौरान डाकघर खोलने तथा इडीबीओ को अवसंरचनात्मक उपस्कर प्रदान करने के लिए सर्किल वार लक्ष्य का आबंटन।

क्र.सं.	सर्किल का नाम	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (इडीबीओ)			विभागीय डाकघर (डीएसओ)			इबीबीओ को अवसंरचनात्मक उपस्कर प्रदान करना
		अन्य क्षेत्र	जनजातीय क्षेत्र	जोड़	अन्य क्षेत्र	जनजातीय क्षेत्र	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	10	5	15	2	शून्य	2	40
2.	असम	40	10	50	3	2	5	30
3.	बिहार	42	8	50	2	1	3	40
4.	दिल्ली	4	शून्य	4	2	शून्य	2	5
5.	गुजरात	26	4	30	3	शून्य	3	20
6.	हरियाणा	15	शून्य	15	2	शून्य	2	15
7.	हिमाचल प्रदेश	7	3	10	शून्य	1	1	15
8.	जम्मू एवं कश्मीर	8	7	15	1	शून्य	1	10
9.	कर्नाटक	16	5	21	3	शून्य	3	30
10.	केरल	4	शून्य	4	2	शून्य	2	20
11.	मध्य प्रदेश	28	12	40	3	1	4	35
12.	महाराष्ट्र	43	7	50	2	1	3	40
13.	उत्तर पूर्व	28	12	40	1	2	3	20
14.	उड़ीसा	12	2	14	1	1	2	20
15.	पंजाब	10	शून्य	10	1	शून्य	1	20
16.	राजस्थान	23	4	27	1	1	2	35
17.	तमिलनाडु	12	3	15	2	शून्य	2	35
18.	उत्तर प्रदेश	40	10	50	3	शून्य	3	45
19.	पश्चिम बंगाल	32	8	40	6	शून्य	6	25
	कुल	400	100	500	40	10	50	500

विवरण-V

वार्षिक योजना 1999-2000 के दौरान पंचायत संचार, सेवा केन्द्र (पीएसएस के) स्थापना के लिए लक्ष्यों का आबंटन

क्र.सं.	सर्किल का नाम	लक्ष्य
1.	आंध्र प्रदेश	30
2.	असम	5
3.	बिहार	40
4.	गुजरात	35
5.	हरियाणा	10
6.	हिमाचल प्रदेश	10
7.	कर्नाटक	30
8.	मध्य प्रदेश	80
9.	महाराष्ट्र	60
10.	उत्तर पूर्व	5
11.	उड़ीसा	30
12.	पंजाब	20
13.	राजस्थान	40
14.	तमिलनाडु	30
15.	उत्तर प्रदेश	65
16.	पश्चिम बंगाल	10
	कुल	500

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

***142. श्री कमलनाथ :**

श्री नरेश पुगलिया :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के संबंध में उनके मंत्रालय के अधिकार में कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और राज्य बिजली बोर्डों से संबंधित कोष के प्रबंधन के लिए योजना आयोग द्वारा क्या योजना बनाई गई है?

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, नहीं। राज्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के लिए मांग संख्या–69 में 460 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इसे वर्ष 2000–01 के लिए रखा गया है परन्तु मांग संख्या–30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को हस्तांतरण के अंतर्गत कर दिया गया है क्योंकि यह राज्य की योजना का एक हिस्सा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु ऋण वित्त मंत्रालय द्वारा विद्युत मंत्रालय के परामर्श से सीधे ही राज्यों को प्रदान कर दिए जायेंगे।

सेलुलर आपरेटरों से संबंधित नीतियों का पुनरीक्षण

***143. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में निजी सेलुलर आपरेटरों से संबंधित समस्याओं और नीतियों की हाल में पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सेलुलर आपरेटरों की क्या प्रतिक्रिया है तथा किराया शुल्क और संबंधित मुददों के बारे में किस तरह के संशोधन की मांग की गई है/क्या निदेश दिए गए हैं; और

(घ) सेलुलर आपरेटरों द्वारा नए किराया शुल्क और अन्य नीति संबंधी निर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) जी हां, नई दूरसंचार नीति–1999 (एनटीपी–99) के कार्यान्वयन के परिप्रेक्ष्य में मौजूदा लाईसेंसधारकों की राजस्व हिस्सेदारी की एनटीपी–99 व्यवस्था में अंतरित करने संबंधी एक नीति 6.7.1999 को अनुमोदित की गई। परिणामस्वरूप, बुनियादी और सेल्यूलर सेवाओं के मौजूदा लाइसेंसधारकों को 22.7.1999 की एक माइग्रेशन पैकेज की पेशकश की गई थी। माइग्रेशन पैकेज को बिना किसी शर्त के स्वीकार करने पर 34 लाइसेंस प्राप्त सेल्यूलर सेवा कंपनियां तथा 6 लाइसेंस प्राप्त 6 बुनियादी सेवा कंपनियां राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था के अंतर्गत आ गई है तथा वर्तमान में इनकी माइग्रेशन प्रक्रिया चल रही है।

हाल ही में, माइग्रेशन पैकेज के संदर्भ में पूर्ण बकाया लाइसेंस शुल्क की शेष राशि के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तारीख 31.1.2000 को बढ़ाकर 15.3.2000 कर दिया गया है, ताकि जो आपरेटर पूर्व निर्धारित समय–सीमा के भीतर यह भुगतान नहीं कर पाए थे, उन्हें अंतिम अवसर दिया जा सके, लेकिन अतिरिक्त अर्थ–दंड के साथ।

सेल्यूलर आपरेटरों ने कुल मिलाकर इन उपायों का स्वागत किया है।

2. इसके साथ–साथ चलने वाली कुछ अन्य समस्याएं भी हैं, जैसे इक्विटी के लिए "लाक इन" अवधि, सेल्यूलर प्रचालकों के समाप्त हो चुके लाइसेंसों की पुनः प्रभावी करना इत्यादि। दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी समामिरूपता संबंधी दल द्वारा इनकी जांच की जा रही है। इस दल की नियुक्ति वित्त मंत्री की अध्यक्षता में 13.12.1999 को की गई थी। उक्त दल की सिफारिशें प्राप्त होने पर सरकार आगे कार्रवाई करेगी।

3. सेल्यूलर टैरिफ के संबंध में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी दूरसंचार टैरिफ, आदेश 1999 में रेंटल सहित नए सेल्यूलर टैरिफ निर्धारित किए गए हैं। मई, 1999 से प्रभावी हुआ। बाद में, "दूरसंचार टैरिफ (5वां संशोधन) आदेश 1999" के तहत रेन्टल सहित सेल्यूलर टैरिफ में कटौती की गई तथा साथ ही, "दूरसंचार अंतःसंपर्कता (प्रभार तथा राजस्व हिस्सेदारी प्रथम संशोधन) विनियम, 1999" के तहत "कॉलिंग पार्टी पेज" (सीपीपी) व्यवस्था अधिसूचित की गई। संशोधन आदेश तथा संशोधन विनियम दोनों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तथा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 17 जनवरी, 2000 की विनियम को रद्द कर दिया गया। वर्तमान में सेल्यूलर आपरेटर, महानगरों में 475/– रुपये के मासिक रेंटल तथा 4/– रुपये प्रति मिनट के एयर टाइम प्रभार तथा दूरसंचार सर्किलों में 500/- रुपये प्रतिमाह के रेंटल और 4.50 रुपये प्रति मिनट एयर टाइम प्रभार का मानक टैरिफ पैकेज दे रहे हैं।

तेल चयन बोर्ड

*144. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी क्षेत्रीय तेल चयन बोर्डों के अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गयी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार तेल चयन बोर्डों के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को नियुक्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) डीलर चयन बोर्ड हाल ही में भंग कर दिए गए हैं। डीलर चयन बोर्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया जारी है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु संदर्शी योजना

*145. **श्री हरिभाई चौधरी :**

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए संदर्शी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) नौवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इसकी प्राप्ति में यदि कोई कमी आने की संभावना है तो वह क्या है;

(ग) क्या 'बी ओ टी (निर्माण, संचालन और हस्तांतरण) आपरेशन्स' द्वारा संग्रहीत कुल प्राप्तियों पर लिए जा रहे 10 प्रतिशत प्रभार के कारण इन परियोजनाओं के साथ अन्य आधार–भूत अवसंरचनाओं संबंधी परियोजनाओं की तुलना में भेदभाव किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज की तिथि के अनुसार निर्माण कार्य शुरू करने के लिए किन–किन निजी पार्टियों को अनुमति प्रदान की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : (क) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित संदर्शी नौवीं पंचवर्षीय योजना में सड़क परिवहन प्रणाली पर आवाजाही की गति बढ़ाने पर जोर दिया है। इस प्रयोजनार्थ दिल्ली, मुंबई, चैन्नई और कलकत्ता, इन चार महानगरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर–दक्षिण कारिडोर (कश्मीर से कन्याकुमारी) पूर्व पश्चिम कारिडोर (सिलचर से पोरबन्दर) और सलेम को कोचीन से जोड़ने वाले रा. रा.–47 को चार लेन/छह लेन का बनाने पर जोर दिया गया है। शेष राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर क्षमता और संरचनात्मक कमियों को दूर करने पर बल दिया गया है। इसे निम्न कार्यक्रम के जरिए हासिल किया जाता है:

(1) चुनिंदा इकहरी लेन खंडों को चौड़ा करके दो लेन बनाना।

(2) चुनिंदा दो लेन खंड़ों को चौड़ा करके 4 लेन बनाना।

(3) चुनिंदा खंडों में कमजोर पेवमंट को मजबूत बनाना और ज्यामितीय कमियां दूर करना।

(4) नए बाइपासों का निर्माण।

(5) बड़े पुलों का निर्माण।

(6) छोटे पुलों तथा रेल उपरि पुलों का निर्माण।

(7) सीमित आधार पर एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण

(ख) इस दिशा में वास्तविक लक्ष्य तथा उपलब्धियां संलग्न विवरण–I में दी गई हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर–दक्षिण और पूर्व पश्चिम कारिडोर एन एच ए आई द्वारा पूरा करने के लिए नियत लक्ष्य संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं। हम कोई प्रभार वसूल नहीं करते।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अपेक्षित अनुभव और कौशल प्राप्त कोई भी व्यक्ति/पार्टी राष्ट्रीय राजमार्गों पर ठेका कार्य कर सकती है। तथापि, उन निजी पार्टियों की सूची जिन्हें बी ओ टी आधार पर परियोजनाएं सौंपी गई हैं, संलग्न विवरण–III में दी गई है।

विवरण-I

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की पंचवर्षीय योजना के लिए भौतिक लक्ष्य/उपलब्धि

क्रम सं.	स्कीम	इकाई	9वीं योजना लक्ष्य (1997-2000) किमी./सं.	9वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों (1997-2000) में दिसंबर 99 तक कार्य निष्पादन			लक्ष्य प्राप्ति में कमी (%वार)	9वीं योजना के शेष 2 वर्षों के लिए शेष लक्ष्य
	सामान्य रा.रा. कार्य			लक्ष्य (किमी./सं.)	उपलब्धि (किमी./स.)	प्रतिशत उपलब्धि		
1.	दो लेन बनाना	किमी.	1194	644	810	126	0	384
2.	चार लेन बनाना	किमी.	202	130	224	172	0	0
3.	कमजोर दो लेन को मजबूत बनाना	किमी.	2908	1651	1269	77	23	1639
4.	बाइपास	संख्या	20	15	5	33	67	15
5.	बड़े पुल	संख्या	40	35	31	89	11	9
6.	छोटे पुल	संख्या	226	183	119	65	35	107
7.	एक्सप्रैस मार्ग	चुनिंदा आधार पर जहां यातायात की मात्रा बहुत ज्यादा है।						

बाईपासों और पुलों के निर्माण में अत्यधिक कमी हुई है। इसका मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण और सेवाओं के स्थानांतरण की प्रक्रिया में लगने वाला समय है। दो लेन/चार लेन में चौड़ा करने के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है क्योंकि बाईपासों और पुलों के लिए निर्धारित निधियों को इसी बीच चौड़ा करने के कार्यों के लिए उपयोग में लाया गया।

विवरण-II

भा. रा. रा. प्रा. के कार्य

	यूनिट	परियोजना में शामिल कुल लम्बाई (कि.मी.)	वह लम्बाई जिसमें चार लेन बनाई जा चुकी हैं (कि.मी.)	चल रहे/ कार्यान्वयन के अधीन कार्य (कि.मी.)	सौंपी जाने वाली लम्बाई (फर./मार्च) 2000 (कि.मी.)	सौंपी जाने वाली लम्बाई (कि.मी.)	सौंपी जाने वाली लम्बाई (कि.मी.)	सौंपे जाने के लिए कुल लम्बाई (कि.मी.)	पूर्ति की निर्धारित तारीख
				1999-2000	1999-2000	2000-2001	2000-2002	2002 तक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना									
(क) स्वर्णिम चतुर्भुज 4/6 लेन में चौड़ा करना	किमी.	5952	504	716	264	2733	1735	4732	वर्ष 2003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(ख) उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कारिडोर 4/6 लेन में चौड़ा करना	किमी.	7300	628	264	16	370	0	386	वर्ष 2009
जोड़	किमी.	13252	1132	980	280	3103	1735	5118	
2. भा.रा.रा.प्रा. द्वारा अन्य कार्य	किमी.	1000	0	214	6	161	617	784	वर्ष 2009

विवरण-III

क्रम सं.	परियोजना का नाम	रा.रा. संख्या	राज्य	रियायतग्राही
1.	थाणे–भिंवडी बाइपास	3 और 4	महाराष्ट्र	आइडियल रोड बिल्डर्स, मुम्बई
2.	चलतान रोड ओवर ब्रिज	8	गुजरात	मै. अश्विका कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि. वदोदरा
3.	उदयपुर बाइपास	8	राजस्थान	मै अटलांटा कंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि. मुम्बई
4.	6 पुलों का निर्माण	5	आंध्र प्रदेश	पी.वी.आर. इंडस्ट्री, हैदराबाद
5.	कोयम्बटूर बाइपास	47	तमिलनाडु	एल एंड टी लि., चैन्नई
6.	दुर्ग बाइपास	6	मध्य प्रदेश	मै. संचेती लि., नागपुर
7.	नर्मदा पुल	8	गुजरात	एल एंड टी लि., चैन्नई
8.	नरधाना आर ओ बी	3	महाराष्ट्र	मै. आयुषजय कंस्ट्रक्शन प्रा. लि., इन्दौर
9.	पटेलगंगा पुल और आर ओ बी	17	महाराष्ट्र	आइडियल रोड बिल्डर्स, मुंबई
10.	हुगली–धारवाड़ बाइपास	4	कर्नाटक	नन्दी हाइवेज डेवलपर्स लि., पुणे
11.	नल्लौर बाइपास	5	आंध्र प्रदेश	यूनाइटिड इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स प्रा. लि., चेन्नई
12.	कोरातलियार पुल	5	तमिलनाडु	मै. जूम डेवलपर्स प्रा. लि., मुंबई
13.	खम्बात की घाट सुरंग और सड़क	4	महाराष्ट्र	आइडियल रोड बिल्डर्स मुंबई
14.	नसीराबाद आर ओ बी	6	महाराष्ट्र	अशोक बिल्डकान प्रा. लि., नासिक
15.	वेणगंगा पुल	6	महाराष्ट्र	अशोक बिल्डकान प्रा. लि., नासिक
16.	माही पुल	8	गुजरात	मै. विजय एम. मिस्त्री एंड राजकमल बिल्डर्स, अहमदबाद
17.	किशनगढ़ बाइपास पर आर ओ बी	8	राजस्थान	एम एस के प्रोजक्टस (इंडिया) लि., वदोदरा
18.	वतरक नदी पर पुल	8	गुजरात	एल एंड टी लि., चेन्नई
19.	मुरादाबाद बाइपास	24	उत्तर प्रदेश	एनएचएआई, एसपीवी
20.	डेराबासी पर आर ओ बी	22	पंजाब	मै. आर. एस. बिल्डर्स, लुधियाना

डाकघरों का खोला जाना

*146. **श्री सुनील खां :**

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभागेतर डाकघर खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेषकर बिहार से संबंधित कितने आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ग) इन डाकघरों को विशेषकर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार में कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(घ) वर्तमान विभागेतर डाकघरों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : *डाक विभाग* (क) डाक विभाग का योजना कार्यकलाप के एक भाग के रूप में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें तथा मानदण्ड पूरे होते हों।

(ख) विभाग के पास देश में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए कुल 842 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सर्किलवार ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बिहार में प्राप्त कुल 598 आवेदनों में से 167 मामलों में जांच पूरी कर ली गई है। शेष 431 आवेदन जांच के विभिन्न चरणों में है। 167 प्रस्तावों, जिनकी पहले ही जांच की जा चुकी है, में से केवल 75 प्रस्ताव ही निर्धारित मानदण्डों के अनुसार औचित्यपूर्ण पाए गए हैं। तथापि, वर्ष 1999–2000 में बिहार के लिए 50 डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक, 45 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं तथा 5 डाकघर शीघ्र ही मंजूर किए जाएंगे।

(ग) पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा बिहार में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने के लिए वर्ष 1999–2000 में अब तक लक्ष्य तथा उनकी प्राप्ति नीचे दर्शाई गई है:

राज्य का नाम	लक्ष्य	पहले ही मंजूर किए गए
पश्चिम बंगाल	43	41
महाराष्ट्र	50	49
बिहार	50	45

शेष लक्ष्य, इस वर्ष 31 मार्च तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान, 500 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों को उनकी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चरल उपस्कर उपलब्ध कराए गए हैं।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोलने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या

1.	आंध्र प्रदेश	–	5
2.	असम	–	6
3.	बिहार	–	598
4.	दिल्ली	–	1
5.	गुजरात	–	1
6.	हरियाणा	–	6
7.	हिमाचल प्रदेश	–	6
8.	जम्मू व कश्मीर	–	3
9.	कर्नाटक	–	12
10.	केरल	–	5
11.	मध्य प्रदेश	–	1
12.	महाराष्ट्र	–	6
13.	उत्तर पूर्व	–	3
14.	उड़ीसा	–	8
15.	पंजाब	–	5
16.	राजस्थान	–	8
17.	तमिलनाडु	–	5
18.	उत्तर प्रदेश	–	109
19.	पश्चिम बंगाल	–	54
	कुल	–	842

लोक अदालतों को शक्तियां प्रदान करना

*147. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लोक अदालतों को और अधिक शक्तियां प्रदान करने का है ताकि वे विभिन्न प्रकार के मुद्दों से निपट सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1999 के दौरान लोक अदालतों द्वारा कितने मामले निपटाए गए;

(घ) क्या सरकार का विचार लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुम्बई और महाराष्ट्र में 1–10–1990 से लेकर आज तक कितनी लोक अदालतें आयोजित की गयीं और इनका तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त अवधि के दौरान इन अदालतों के समक्ष कितने मामले लाए गए और कितने मामले निपटाए गए?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय लोक अदालतों को अधिक शक्तियां देने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। लोक अदालतों को पहले ही विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 द्वारा कानूनी प्रास्थिति प्रदान कर दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) द्वारा की गई जानकारी के अनुसार, संपूर्ण देश 10,30,828 मामले निपटाए गए हैं।

(घ) और (ङ) लोक अदालतों को, जो इससे पूर्ण आग्रही और सुलहकारी पद्धतियों के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए स्वैच्छिक प्रयास थी, 9 नवंबर, 1995 से संपूर्ण देश में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के प्रवर्तन से कानूनी आधार दे दिया गया है।

(च) और (छ) संबद्ध राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

चूककर्ता पब्लिक लिमिटेड कंपनियां

*148. **श्री अनंत गंगाराम गीते** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने उन पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की एक सूची तैयार की है जिन्हें गत पांच वर्षों के दौरान इक्विटी पूंजी/परिसम्पत्तियों की भारी कटौती का सामना करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेष रूप से इस्पात, कृत्रिम रेशा, कागज और वस्त्र उद्योग के संबंध में, ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी कम्पनियों द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों को भुगतान की जाने वाली निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री :(श्री राम जेठमलानी) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अनुसार, कम्पनियों को कम्पनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में सांविधिक दायित्व के रूप में वार्षिक लेखा और तुलन पत्र दायर करना अपेक्षित है। प्रमुख मंत्रालय (मंत्रालयों) के अनुरोध पर या भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) आदि जैसे सांविधिक निकायों से शिकायतें प्राप्त होने पर कम्पनियों के वित्तीय हालात का विशेष अध्ययन/विश्लेषण किया जाता है।

(ख) से (घ) कागज बिना लाईसेन्स प्राप्त औद्योगिक वस्तु है।

कपड़ा मंत्रालय ने सूचित किया है कि वर्ष 1999–2000 के दौरान 29 सूती/मानव निर्मित फाइबर मिलें बन्द हो गई थीं। 7 इकाइयां औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) के पास पंजीकृत की गई हैं तथा 31.12.1999 को 331 सूती/मानव निर्मित फाइबर मिलों को बन्द किए जाने की रिपोर्ट मिली है। प्रौद्योगिकी अप्रचलन इक्विटी पूंजी आदि की कटौती के लिए मुख्य कारणों में से एक है। कपड़ा नीति पर कपड़ा मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने 1998 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

इस्पात के मामले में, निवेश लागत में वृद्धि, पर्याप्त मांग की कमी, पड़ोसी देशों द्वार डम्पिंग ने इक्विटी पूंजी की कटौती में मुख्य भूमिका निभाई है। निर्यात के मामले में अधिकाधिक बाधाओं का दूर करने, ड्यूटी एन्टाइटलमेंट पास बुक के सुव्यवस्थीकरण, इस्पात निर्यात के लिए दरों के निर्धारण के लिए इस्पात निर्यातकों को सहायता पहुंचाने के लिए इस्पात विभाग द्वारा एक इस्पात निर्यातक फोरम गठित किया गया है। इस्पात विभाग द्वारा विशेष अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की जांच करने और सहायता देने के लिए तथा भारतीय इस्पात की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।

बैंकिग विभाग द्वारा ऐसी सूचना एकत्र करने के लिए कोई सुव्यवस्थित पद्धति नहीं है।

पंचायत संचार सेवा योजना

*149. **श्री चन्द्रभूषण सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचायत संचार सेवा योजना 1995 में शुरू की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार कितने पंचायत संचार सेवा योजना केन्द्र चल रहे हैं और उनके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन क्या है;

(ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान देश में राज्य–वार कितनी ग्राम पंचायतों ने उक्त योजना अपने सम्बद्ध क्षेत्रों में शुरू करने की इच्छा जाहिर की है; और

(घ) वर्ष 1999–2000 के दौरान देश में ग्राम पंचायतों में स्थापित किये जाने वाले पंचायत संचार सेवा योजना केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) पंचायत संचार सेवा योजना 1995 में शुरू की गई थी।

(ख) पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की संख्या जो सभी, देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज की तारीख तक संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं, उनका राज्यवार ब्योरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	सर्किल का नाम	देश में पिछले तीन वर्षों से कार्य कर रहे पंचायत संचार सेवा योजना केन्द्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	38
2.	असम	6
3.	बिहार	69
4.	दिल्ली	–
5.	गुजरात	163
6.	हरियाणा	28
7.	हिमाचल प्रदेश	253
8.	जम्मू व कश्मीर	–
9.	कर्नाटक	34
10.	केरल	–
11.	मध्य प्रदेश	150
12.	महाराष्ट्र	97
13.	उत्तर पूर्व	5
14.	उड़ीसा	130
15.	पंजाब	6
16.	राजस्थान	18
17.	तमिलनाडु	26
18.	उत्तर प्रदेश	1036
19.	पश्चिम बंगाल	8
	कुल	2068

(ग) उन ग्राम पंचायतों की सूची जिन्होंने वर्ष 1999–2000 के दौरान उक्त स्कीम को शुरू करने की अपनी इच्छा जाहिर की है, उनकी राज्यवार सूची नीचे दी गई है :

क्रम सं.	सर्किल का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या जो पंचायत संचार सेवा केन्द्र की इच्छुक हैं।
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य
2.	असम	इस समय, इस राज्य में कोई निर्वाचित ग्राम पंचायत नहीं है और ग्राम पंचायत का कार्य वरिष्ठ ब्लॉक विकास अधिकारी और ब्लॉक विकास अधिकारी देख रहे हैं। पंचायत संचार सेवा केन्द्र ब्लॉक विकास अधिकारियों के सहयोग से खोले जा रहे हैं।
3.	बिहार	बिहार में पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं। इसलिए, इच्छा जाहिर करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, ब्लॉक विकास अधिकारी के सहयोग से पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोले जा रहे है।
4.	दिल्ली	शून्य
5.	गुजरात	40
6.	हरियाणा	7
7.	हिमाचल प्रदेश	8
8.	जम्मू–कश्मीर	आतंकवाद के कारण ग्राम पंचायतें कार्य नहीं कर रही हैं।
9.	कर्नाटक	शून्य
10.	केरल	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	वर्ष 1999–2000 के लिए 2, फिर भी, 4416 ग्राम पंचायतों ने वर्ष 1998–99 में अपनी इच्छा जाहिर की थी।
12.	महाराष्ट्र	666
13.	उत्तर– पूर्व	
	मणिपुर	6
	त्रिपुरा	3

1	2	3
14.	उड़ीसा	23
15.	पंजाब	राज्य सरकार ने 74 ग्राम पंचायतें अभिचिन्हित की हैं तथा हमसे पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का अनुरोध किया है।
16.	राजस्थान	शून्य
17.	तमिलनाडु	320
18.	उत्तर प्रदेश	48
19.	पश्चिम बंगाल	5
	सिक्किम	
	अंडमान और	
	निकोबार द्वीप समूह	शून्य

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में राज्यवार स्थापित करने के लिए प्रस्तावित संचार सेवा केन्द्रों की संख्या नीचे दी गई है:–

आंध्र प्रदेश	30
असम	5
बिहार	40
गुजरात	35
हरियाणा	10
हिमाचल प्रदेश	10
कर्नाटक	30
मध्य प्रदेश	8
महाराष्ट्र	60
उत्तर–पूर्व	5
उड़ीसा	30
पंजाब	20
राजस्थान	40
तमिलनाडु	30
उत्तर प्रदेश	65
पश्चिम बंगाल	10
कुल	500

रसोई गैस एजेंसियां

*160. **श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल :**

श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले तीन वर्षों के दौरान देश में रसोई गैस एजेंसियां खोलने के लिए राज्यवार किन–किन स्थानों की शिनाख्त की गयी है;

(ख) क्या चालू योजना अवधि के दौरान देश में रसोई गैस एजेंसियां खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) आठवीं योजना अवधि के दौरान रसोई गैस एजेंसियां स्थापित करने के लिए निर्धारित लक्ष्यों को किस सीमा तक हासिल किया जा सका;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान किन–किन स्थानों पर आबंटित रसोई गैस एजेंसियां हैं अभी भी कार्य नहीं कर रही हैं;

(च) क्या सरकार का विचार ऐसे आबंटनों को रद्द करने का है ताकि इन स्थानों पर नई एजेंसियां आबंटित की जा सकें; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (घ) तेल उद्योग देश के विभिन्न भागों में एल पी जी डिस्ट्रिब्यूटरशिपों की स्थापना करने के लिए व्यवहार्य स्थानों की पहचान करने के हेतु आवधिक रूप से व्यवहार्यता सर्वेक्षण करता है। आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाए गए स्थान विपणन योजना में सम्मिलित किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन स्थानों के विज्ञापन तथा डीलर चयन बोर्डों द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है और डिस्ट्रीब्यूटरशिप की स्थापना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते।

1996–98 की विपणन योजना तक 3430 स्थान एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए लम्बित थे जिनमें से तेल कंपनियों ने 2822 स्थानों के संबंध में पहले ही विज्ञापन दे दिए हैं तथा इनमें से 582 स्थानों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जा चुके हैं। शेष 2848 स्थानों हेतु डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन अभी किया जाना है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कथित रूप से आबंटित 184 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू नहीं की गई हैं।

(च) और (छ) वर्तमान नीति के अनुसार तेल कंपनियों द्वारा योग्यता पैनल में संख्सा 1 के उम्मीदवारों को आशय पत्र (एल ओ

आई) जारी किए जाते हैं। आशय पत्र धारक को आशय पत्र की तारीख से 6 महीने के भीतर डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू करनी होती है वरना तेल कम्पनी को आशय पत्र वापस लेने तथा योग्यता पैनल में अगले व्यक्ति को इसे जारी करने का अधिकार होता है। तथापि, संतुष्ट होने पर तेल कम्पनी द्वारा समय विस्तार की अनुमति दी जा सकती है। अगर वह भी निर्धारित समय में डिस्ट्रीब्यूटरशिप चालू नहीं कर पाता, तो तेल कंपनियां आशय पत्र रद्द कर सकती हैं तथा स्थान के संबंध में दोबारा विज्ञापन दे सकती हैं या स्थान को परिवर्तित कर सकती हैं।

वन्य जीवों का अवैध शिकार

*151. **श्री के. येरननायडू :**

श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाघ, तेंदुआ एवं अन्य संरक्षित वन्य जीवों की करोड़ों रुपये मूल्य की खालों एवं अन्य अंगों की प्रतिवर्ष तस्करी होती है;

(ख) यदि हां, तो देश से बाघ, तेंदुआ और अन्य जानवरों की अनुमानतः कितने मूल्य की खालों एवं उनके अंगों की तस्करी की गई;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में ऐसे जानवरों की इतनी ही अनुमानतः कितने मूल्य की खालें और अंग पकड़े गए;

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये जाने के बावजूद सरकार द्वारा पहचान किए गये किन–किन क्षेत्रों में वन्य जीवों का अवैध शिकार लगातार जारी है;

(ङ) उनके क्या कारण हैं;

(च) वन्य जीवों से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए सरकर कौन–कौन से कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(छ) क्या सरकार ने वन्य जीवों से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए एक विशिष्ट जांच एजेंन्सी की स्थापना के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों में पिछले एक वर्ष के दौरान जब्त की गई वन्य जीवों की खालों और अंगों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इनमें से 11 जब्तियां सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा की गईं। इन जब्तियों से प्राप्त वस्तुओं, जिनका अवैध रूप से निर्यात किया जाना था, की कीमत लगभग 15 लाख रुपये बनती है।

(घ) सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर तथा भीतर दोनों ही अवैध रूप से शिकार संबंधी मामलों का पता लगाया गया है। तथापि, अपर्याप्त ढांचागत सुविधाओं की वजह से सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर अवैध रूप से शिकार संबंधी घटनाएं ज्यादा घटी हैं।

(ङ) भारत के बाहर वन्यजीव उत्पादों के ऊंचे मूल्य मिलना अवैध शिकार तथा वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार का मुख्य कारण है।

(छ) भारत सरकार द्वारा वन्यजीवों से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए विचार किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सचिव (पर्यावरण और वन) भारत सरकार की अध्यक्षता में एक विशेष समन्वय एवं प्रवर्तन समिति का गठन किया जाना। विभिन्न राज्यों में भी राज्य स्तर और जिला स्तर पर इस तरह की समितियां गठित की गई हैं।
- राज्य सरकारों को, अर्ध–सैनिक बलों में से लिए गए सशस्त्र दस्तों और प्रहार बलों तथा राज्य सशस्त्र रक्षीदल को सम्मिलित करके ढांचागत सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सहायता प्रदान करना।
- केन्द्र सरकार के तहत ढ़ाचागत सुविधा को सुदृढ़ बनाना और सभी संवेदनशील क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को वन्य जीवों से संबंधित अपराधों के दोषियों को पकड़ने और उनके विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए अधिकृत करना।
- सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की प्रभारी मानीटरिंग के लिए राज्य सरकारों के साथ नियतकालिक बैठकें।

(छ) और (ज) मंत्रालय में, वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा वन्यजीवों और इसके उत्पादों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए वन्यजीव व्यापार निवारण एवं नियंत्रण हेतु एक विशेष कार्यतन्त्र का गठन किये जाने संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

क्र.सं.	वन्यजीवों के जब्त किए गए अंग और उत्पाद	राज्य	मात्रा
1	2	3	4
1.	कोबरा खाल	महाराष्ट्र	45

1	2	3	4
2.	छिपकली की खाल	महाराष्ट्र	11000
3.	ग्रे जंगल मुरगा पंख	पश्चिम बंगाल	0.89 कि.ग्रा.
4.	मोर पंख	पश्चिम बंगाल	4.75 कि.ग्रा.
5.	मोंगूज के बाल	पश्चिम बंगाल	4.5 कि.ग्रा.
6.	हिरण के सींग	पश्चिम बंगाल	3
7.	साही पंख पिच्छ	पश्चिम बंगाल	100
8.	वर्डस ऑफ प्रे–टांगें	पश्चिम बंगाल	3
9.	मगरमच्छ की खाल	पश्चिम बंगाल	1
10.	हिरण की खाल	पश्चिम बंगाल	6
11.	मॉनीटर छिपकली की खाल	पश्चिम बंगाल	1
12.	पैंगोलिन की खाल	असम	3
13.	अजगर की खाल	असम	2
14.	तितलियां	पश्चिम बंगाल	1.97 कि.ग्रा.
15.	जीवित पक्षी	पश्चिम बंगाल	13
16.	जीवित पक्षी	दिल्ली	159
17.	साम्बर एवं चीतल बटन	दिल्ली	650
18.	शहतूश शॉल	दिल्ली	132
19.	ब्लैक बक खाल	उत्तर प्रदेश	121
20.	बाघ की खाल	आन्ध्र प्रदेश	2
21.	बाघ की खाल	दिल्ली	1
22.	बाघ की खाल	मध्य प्रदेश	10
23.	बाघ की खाल	महाराष्ट्र	4
24.	बाघ की खाल	तमिलनाडु	1
25.	बाघ की खाल	उत्तर प्रदेश	18
26.	बाघ की खाल	पश्चिम बंगाल	7
27.	बाघ की हड्डी	असम	15 कि.ग्रा.
28.	बाघ की हड्डी	मध्य प्रदेश	83 कि.ग्रा.
29.	बाघ की हड्डी	महाराष्ट्र	2.5 कि.ग्रा.
30.	बाघ की हड्डी	उत्तर प्रदेश	1.52 कि.ग्रा.
31.	बाघ के नाखून	तमिलनाडु	5
32.	बाघ के नाखून	उत्तर प्रदेश	132
33.	तेंदुए की खाल	मध्य प्रदेश	15
34.	तेंदुए की खाल	महाराष्ट्र	2
35.	तेंदुए की खाल	राजस्थान	4
36.	तेंदुए की खाल	तमिलनाडु	1
37.	तेंदुए की खाल	उत्तर प्रदेश	126
38.	तेंदुए के नाखून	उत्तर प्रदेश	18000

स्पीड पोस्ट सेवायें

***162. श्रीमती श्यामा सिंह :**

श्री अधीर चौधरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवाएं अनुचित व्यापारिक व्यवहार में लिप्त हैं निर्धारित समय में वस्तुओं को नहीं पहुंचा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा कराई गई आंतरिक जांच से यह पता चला है कि स्पीड पोस्ट द्वारा दी जा रही सेवाएं असंतोषजनक हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार द्वारा देशभर में स्पीड पोस्ट के कार्यकरण को सुचारु बनाने के लिये क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट मदें एक राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्र और अन्य स्पीड पोस्ट केन्द्रों के बीच वितरण मानदंडों का पालन करते हुए वितरित की जाती हैं जो उनकी भौगोलिक स्थितियों तथा उनके बीच उपलब्ध परिवहन माध्यम पर निर्भर करता है। ऐसे अवसर हो सकते हैं, जब परिवहन सेवाओ में गड़बड़ी की वजह से स्पीड पोस्ट मदें निर्धारित अवधि के भीतर वितरित न हो सकी हों। ऐसे मामलों में, स्पीड पोस्ट मद भेजने वाले को डाक विभाग पूरा स्पीड पोस्ट शुल्क वापस करता है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने स्पीड पोस्ट मदों के विलंब से वितरण करने की आंतरिक जांच में पाया कि डाक विभाग ने दो स्पीड पोस्ट मदों को निर्धारित समय में वितरित करने के अपने दायित्व को पूरा नहीं किया और इसलिए सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं।

इस मामले में तथ्य यह है कि हौज खास डाकघर से 8.10. 1994 को दो स्पीड पोस्ट मदें बुक की गई थीं जिनका नम्बर 3882 और 3883 था। सिलीगुड़ी और गंगतोक के लिए भेजी गई ये मदें वितरण मानदंडों के भीतर वितरित नहीं हुईं। विलंब से वितरण के लिए प्रेषक को इन दो स्पीड पोस्ट मदों का शुल्क 31 रुपये और 56 रुपये वापस लौटा दिया गया। प्रेषक ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को सूचित भी किया कि स्पीड पोस्ट शुल्क वापस मिल जाने पर वे इस मामले में कार्रवाई नहीं चाहती हैं। तथापि, आयोग ने इस मामले की जांच की और निदेश दिया कि डाक विभाग को पत्रों/मदों को स्वीकार करने की शर्तों से उपभोक्ता को अनभिज्ञ रखकर तथा उन्हें निर्धारित समय के भीतर वितरित न करके अनुचित व्यापारिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट सेवाओं की कार्य प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए पहले से ही निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(क) समर्पित स्टाफ द्वारा वितरण।

(ख) वितरण का मशीनीकरण।

(ग) उपभोक्ता के परिसर से निशुल्क "पिक–अप" सेवा।

(घ) बुकिंग और वितरण का कम्प्यूटरीकरण।

(ङ) ट्रैक और ट्रैस प्रणाली की शुरुआत।

(च) गुण्वत्ता की मॉनीटरिंग।

नमभूमि स्थलों का संरक्षण

*153. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**

श्री वैको :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1998 में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश में 26 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्रफल के 30 नमभूमि स्थलों की शिनाख्त करने और उनका संरक्षण करने का वचन दिया था;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा वित्तीय सहायता की पेशकश की गई है;

(ग) नए नमभूमि स्थलों के सार्थक और महत्वपूर्ण संरक्षण के लिए सरकार को कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) प्रस्तावित नमभूमि स्थलों का संरक्षण करने के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) भारत सरकार ने सेन जोस, कोस्टा रिका में 10–18 मई, 1999 को आयोजित रामसर कन्वेंशन के संविदाकार पक्षकारों की 7वीं बैठक में देश में रामसर स्थल के रूप में 20 नई नमभूमियों की घोषणा की है। नामोदिष्ट नमभूमियों के नाम और उनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के बारे में कोई वचनबद्धता नहीं की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) 10 नई नमभूमियों को पहले ही नामोदिष्ट किया गया है और अतिरिक्त नमभूमियों को शीघ्र ही नामोदिष्ट किया जाएगा। नई नमभूमि स्थलों के लिए अपेक्षित निधि और संरक्षण योजनाएं सभी स्थलों के नामोदिष्ट होने पर निर्भर करती है।

वन्य प्राणियों को व्यक्तिगत अधीनता में रखना

*154. **श्री वी. वेत्रिसेलवन :**

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन्य प्राणियों को निजी–अधीनता में रखने के लिए इस समय कौन से मार्ग निर्देश लागू होते हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अभी तक ऐसे कितने मामले प्रकाश में लाए गए जिनमें अभी तक इन निदेशों का उल्लघंन किया गया है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसे कितने मामले दर्ज किए गए;

(घ) उक्त अवधि के दौरान वन्य–प्राणियों को अपनी अधीनता में रखने के लिए जिम्मेवार पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध राज्यवार क्या कार्यवाही की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त मार्ग–निदेशों की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम वन्य प्राणियों को निजी अधीनता में रखने की अनुमति नहीं देता। तथापि, वन्यजीव अधिकारियों को, इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों से जब्त किए गए जानवरों को सुरक्षित निगरानी हेतु शर्त संबंधी बांड भरने पर किसी व्यक्ति विशेष को सौंपा जाता है कि वह, जब कभी भी अपेक्षित हो इन जानवरों को, इन्हें जब्त किए जाने संबंधी अपराध की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश के सामने पेश करेगा। प्राधिकृत अधिकारियों को सार्वजनिक संग्रहालयों/मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों को वन्यजीवों को शैक्षिक उद्देश्यों से उनके प्रदर्शन हेतु रखने के लिए अनुमति देने संबंधी शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।

(ख) से (घ) चूंकि वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के क्रियान्वयन की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इस मामले में विभिन्न राज्यों में मण्डल वन अधिकारी/वन्यजीव संरक्षक के स्तर पर कार्रवाई की जाती है इसलिए सूचना का संकलन और परिकलन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं किया जाता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण संबंधी परियोजनाएं

***165. डॉ. लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण में सुधार करने के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में अब तक राज्यवार कितनी सफलता हासिल की गई है; और

(ग) निकट भविष्य में शुरू की जाने वाली ऐसी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण के सुधार के लिए शुरू की गई परियोजनाओं तथा हासिल की गई सफलता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन स्कीमों को निकट भविष्य में मंजूरी दिए जाने की संभावना है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण के सुधार के लिए शुरू की गई परियोजनाओं का राज्य वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राज्य	वित्तीय उपलब्धि		
			1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5	6
1.	औषधीय पौधों सहित गैर इमारती लकड़ी वनोपज	आंध्र प्रदेश	59.00	46.39	36.86
		अरुणाचल प्रदेश	25.84	0.00	5.00
		असम	15.00	13.50	14.00
		बिहार	0.00	14.00	14.00
		गोवा	8.45	8.22	10.87
		गुजरात	111.13	57.68	58.66
		हरियाणा	39.95	36.30	38.25
		हिमाचल प्रदेश	43.08	28.63	4.00
		जम्मू एवं कश्मीर	149.86	97.05	151.35
		कर्नाटक	30.00	43.00	53.87
		केरल	20.16	10.35	4.00
		मध्य प्रदेश	54.25	71.00	69.80
		महाराष्ट्र	20.00	38.51	48.66
		मणिपुर	71.36	18.00	47.24
		मेघालय	0.00	0.00	12.00
		मिजोरम	8.50	17.90	25.00
		नागालैंड	10.00	0.00	5.00
		उड़ीसा	78.60	48.00	102.88

1	2	3	4	5	6
		पंजाब	80.00	29.50	4.00
		राजस्थान	47.30	58.61	130.40
		सिक्किम	113.00	32.50	61.31
		तमिलनाडु	15.00	0.00	33.00
		त्रिपुरा	8.00	6.35	10.15
		उत्तर प्रदेश	0.00	53.00	0.00
		पश्चिम बंगाल	61.65	21.47	59.70
2.	प्रभाव मूल्यांकन तथा पारि–स्थितिक, विकास परियोजना	आंध्र प्रदेश	263.49	0.00	174.17
		अरुणाचल प्रदेश	117.13	65.21	59.57
		असम	20.00	65.35	121.65
		बिहार	73.45	69.35	65.89
		गोवा	0.00	0.00	0.00
		गुजरात	0.00	36.63	65.05
		हरियाणा	154.00	82.21	89.72
		हिमाचल प्रदेश	129.18	0.00	65.35
		जम्मू एवं कश्मीर	238.34	179.64	344.58
		कर्नाटक	232.73	143.72	187.01
		केरल	35.89	135.15	345.77
		मध्य प्रदेश	151.76	319.66	441.53
		महाराष्ट्र	16.55	174.29	257.83
		मणिपुर	286.50	98.30	354.89
		मेघालय	27.41	0.00	0.00
		मिजोरम	81.50	77.11	132.43
		नागालैंड	0.00	0.00	0.00
		उड़ीसा	16.00	0.00	224.92
		पंजाब	97.50	77.54	89.17
		राजस्थान	267.78	242.25	343.81
		सिक्किम	181.35	112.73	192.96
		तमिलनाडु	1.29	0.00	22.53
		त्रिपुरा	76.00	79.57	70.32
		उत्तर प्रदेश	729.59	223.73	405.64
		पश्चिम बंगाल	151.35	21.70	168.22
3.	क्षेत्रोन्मुख जलाऊ लकड़ी एवं चारा परियोजना	आंध्र प्रदेश	122.74	144.88	89.79
		अरुणाचल प्रदेश	12.23	6.00	0.00

1	2	3	4	5	6
		असम	120.66	70.00	83.95
		बिहार	75.00	17.40	37.18
		गोवा	6.61	5.00	3.00
		गुजरात	122.73	135.98	157.10
		हरियाणा	255.73	194.38	261.00
		हिमाचल प्रदेश	190.00	142.08	58.20
		जम्मू एवं कश्मीर	72.01	120.33	42.31
		कर्नाटक	245.39	195.31	74.45
		केरल	103.30	87.17	106.96
		मध्य प्रदेश	482.82	210.18	500.50
		महाराष्ट्र	78.67	75.00	27.91
		मणिपुर	146.82	100.00	128.75
		मेघालय	74.46	0.00	0.00
		मिजोरम	275.00	244.12	211.91
		नागालैंड	10.00	0.00	4.23
		उड़ीसा	138.20	91.14	69.21
		पंजाब	50.00	169.14	20.98
		राजस्थान	256.62	304.61	263.35
		सिक्किम	74.00	69.99	67.18
		तमिलनाडु	132.95	133.45	84.24
		त्रिपुरा	55.19	94.30	33.19
		उत्तर प्रदेश	360.47	212.44	205.62
		पश्चिम बंगाल	151.64	134.68	168.99
4.	सहायतानुदान स्कीम	आंध्र प्रदेश	22.71	37.43	24.69
		बिहार	11.00	3.75	8.70
		गुजरात		1.43	6.77
		हिमाचल प्रदेश	2.67	0.51	
		जम्मू एवं कश्मीर	0.00	2.93	1.75
		कर्नाटक	10.32	35.76	14.78
		मध्य प्रदेश	1.93		3.93
		मेघालय	4.44		1.09
		मणिपुर			3.84
		नागालैंड			15.40
		उड़ीसा	6.98	6.85	0.85

1	2	3	4	5	6
		सिक्किम			1.00
		तमिलनाडु	9.56	19.73	13.43
		त्रिपुरा			
		उत्तर प्रदेश	46.17	18.99	21.46
		पश्चिम बंगाल	34.21	13.41	12.77
5.	बाघ परियोजना	आंध्र प्रदेश	10.70	18.01	18.50
		अरुणाचल प्रदेश	20.00	47.68	30.60
		असम	45.08	35.00	87.29
		बिहार	36.75	153.99	109.90
		कर्नाटक	25.00	69.34	128.17
		केरल	34.95	39.19	42.67
		मध्य प्रदेश	133.78	225.13	278.79
		महाराष्ट्र	60.53	110.74	114.44
		मिजोरम	12.45	9.65	21.43
		उड़ीसा	49.30	67.65	72.45
		राजस्थान	149.89	472.27	211.10
		तमिलनाडु	45.60	32.50	58.78
		उत्तर प्रदेश	125.01	199.75	212.95
		पश्चिम बंगाल	58.95	179.99	137.14
6.	पारिस्थितिकीय विकास स्कीम	आंध्र प्रदेश	8.09	12.07	14.00
		अरुणाचल प्रदेश	5.00	10.76	11.82
		असम	10.25	24.50	20.00
		बिहार	–	15.00	25.00
		कर्नाटक	24.19	–	29.80
		मध्य प्रदेश	8.00	62.69	38.80
		महाराष्ट्र	7.44	33.60	34.86
		मिजोरम	10.50	–	10.00
		उड़ीसा	25.63	–	–
		राजस्थान	25.00	51.94	15.28
		उत्तर प्रदेश	27.26	48.69	9.78
		पश्चिम बंगाल	47.40	21.90	27.85
7.	सुरक्षित क्षेत्रों में तथा उनके आसपास पारिविकास	आंध्र प्रदेश	17.31	28.00	30.53
		अरुणाचल प्रदेश	–	4.47	2.00
		असम	–	17.84	–

1	2	3	4	5	6
		बिहार	–	–	13.39
		गुजरात	–	–	9.64
		हिमाचल प्रदेश	58.40	–	86.84
		जम्मू एवं कश्मीर	22.19	–	13.70
		कर्नाटक	10.46	20.35	32.45
		केरल	–	70.55	36.45
		मध्य प्रदेश	43.33	3.20	15.40
		महाराष्ट्र	–	8.28	51.82
		मणिपुर	4.75	10.40	10.11
		मिजोरम	–	2.00	35.50
		नागालैंड	–	10.00	8.00
		उड़ीसा	20.15	22.60	12.00
		पंजाब	9.14	10.20	–
		राजस्थान	11.93	1.50	1.46
		सिक्किम	–	5.85	26.00
		तमिलनाडु	4.12	18.10	31.96
		त्रिपुरा	–	44.40	–
		उत्तर प्रदेश	14.19	53.17	41.73
		पश्चिम बंगाल	19.13	22.49	21.04
8.	लाभोन्मुखी आदिवासी विकास	कर्नाटक	22.08	25.00	–
	स्कीम	मध्य प्रदेश	77.92	45.00	350.00
		उड़ीसा	–	40.00	–
9.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना	आंध्र प्रदेश	210.00	200.00	–
		बिहार	142.23	–	–
		गुजरात	300.00	650.00	220.00
		कर्नाटक	115.00	–	90.00
		महाराष्ट्र	12.79	100.00	–
		मध्य प्रदेश	71.56	124.00	500.00
		उड़ीसा	12.43	–	–
		पंजाब	450.00	–	500.00
		राजस्थान	0.17	–	–
		तमिलनाडु	85.62	–	90.00
10.	गंगा कार्य योजना चरण-II	बिहार	158.03	–	–
		दिल्ली	462.50	82.59	200.00

1	2	3	4	5	6
		हरियाणा	6337.60	2585.00	2650.00
		उत्तर प्रदेश	2035.27	5413.50	5350.00
		पश्चिम बंगाल	429.62	–	400.00
11.	गंगा कार्य योजना चरण-I	बिहार	4.46	–	–
		उत्तर प्रदेश	565.50	274.00	250.00
		पश्चिम बंगाल	363.45	55.60	–
12.	कच्छ वनस्पतियों का सरंक्षण	आंध्र प्रदेश	13.00	–	28.02
	एवं प्रबंधन	कर्नाटक	7.00	–	–
		केरल	8.50	–	–
		तमिलनाडु	5.00	10.62	19.00
		पश्चिम बंगाल	8.99	66.82	63.60
13.	नमभूमि का संरक्षण एवं	आंध्र प्रदेश	–	–	8.89
	प्रबंधन	हिमाचल प्रदेश	12.00	34.80	12.76
		जम्मू एवं कश्मीर	41.00	–	45.87
		मणिपुर	110.00	97.65	67.48
		पंजाब	5.40	–	–
		त्रिपुरा	–	–	5.00

दूरसंचार विभाग द्वारा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा

*156. **डॉ. वी. सरोजा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग मोबाइल टेलीफोन सेवा क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग ने स्वयं को निजी आपरेटरों से प्रतिस्पर्धा करने योग्य बना लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (घ) दूरसंचार सेवा विभाग ने प्रारम्भ में एक पायलट परियोजना के रूप में देश के चार राज्यों में सेल्यूलर टेलीफोन सेवा शुरू करने का प्रस्ताव किया है। पायलट परियोजना के लिए प्रस्तावित नगरों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पायलट परियोजना के सफल कार्यान्वयन के पश्चात् सेल्यूलर सेवा व्यापक रूप से शुरू किये जाने पर विचार किया जाएगा।

नयी दूरसंचार नीति, 1999 में की गयी व्यवस्था के अनुसार दूरसंचार सेवा विभाग तीसरे आपरेटर के रूप में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रारंभ कर रहा है। इससे दूरसंचार सेवा विभाग की प्राइवेट आपरेटरों से प्रतिस्पर्धा होगी और इस चुनौती का सामना करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

आंध्र प्रदेश		
1.	हैदराबाद	4000 लाइनें
2.	विजयवाड़ा	1000 लाइनें
3.	तिरूपति	1000 लाइनें
4.	गुंटूर	1000 लाइनें
5.	विशाखापट्टनम	1000 लाइनें
6.	अमलापुरम	1000 लाइनें
7.	काकीनाडा	1000 लाइनें
तमिलनाडु		
8.	चेन्नई	4000 लाइनें
9.	मदुरई	1000 लाइनें
10.	कोयम्बटूर	1000 लाइनें

बिहार	
11. पटना	4000 लाइनें
12. बिहार शरीफ	1000 लाइनें
13. हाजीपुर	1000 लाइनें
14. बाघ	1000 लाइनें
15. आरा	1000 लाइनें
16. राजगीर	1000 लाइनें
पश्चिम बंगाल	
17. कलकत्ता	5000 लाइनें
18. हल्दिया	1000 लाइनें
कुल	31000 लाइनें

विद्युत क्षेत्र की नीतियों का विश्व बैंक द्वारा अध्ययन

*157. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक भारतीय विद्युत क्षेत्र की नीतियों का अध्ययन करने में रुचि रखता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विश्व बैंक के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय क्षेत्र की नीतियों के संबंध में विश्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने उन्हें अभी तक किस सीमा तक क्रियान्वित कर दिया है?

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) भारतीय विद्युत क्षेत्र की नीतियों का अध्ययन करने के बारे में विश्व बैंक से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) और (ङ) विश्व बैंक भारतीय विद्युत क्षेत्र की नीतियों के संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं करता है। वह आमतौर पर किसी विशेष विद्युत परियोजना/स्कीम के लिए ऋण प्रदान करने हेतु उधार लेने वाली/परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों के साथ ऋण करारों पर हस्ताक्षर करने के समय प्रसंविदाओं का निर्धारण करता है। बैंक की स्वयं की आंतरिक प्रचलनात्मक प्रक्रियाएं, नीतियां एवं मार्गदर्शी सिद्धांत हैं।

शाहतूश के शाल

*168. **मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 दिसम्बर, 1999 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "द शाहतूश वार्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में अनुच्छेद 36क जम्मू और कश्मीर राज्य पर भी लागू होता है;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का देश के एक भाग में चीरू (तिब्बती हिरण) को संरक्षण नहीं दिए जाने की विसंगति को किस प्रकार दूर करने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार ने शाहतूश की शालों के स्वामियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने के बारे में विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों को दंडित किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) सरकार को दिनांक 26.12.1999 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "दी शाहतूश वार्स" शीर्षक से छपे लेख की जानकारी है।

(ख) तिब्बती हिरण को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है और सरकार उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत आने वाली अन्य प्रजातियों की तरह तिब्बती हिरण के संबंध में वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।

(ग) जी, नहीं। वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता।

(घ) जम्मू एवं कश्मीर से तिब्बती हिरण को सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है जैसा कि देश के अन्य भागों में सुरक्षा प्रदान की जाती है।

(ङ) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्रवाई की जानी है।

(च) विभिन्न एजेंसियों द्वारा पिछले तीन वर्षों में पता लगाए गए शाहतूश शालों/ऊन के अवैध रूप से रखे जाने संबंधी मामलों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है। दोषियों के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमें दर्ज किए गए हैं।

विवरण

1997, 1998 और 1999 के दौरान जब्तियां

क्र.सं.	तारीख	स्थान	संख्या	किसके द्वारा पता लगाया गया
1.	9.1.97	कलकत्ता	3 शालें	वन्यजीव
2.	11.2.98	बंगलौर	9 शालें	पुलिस/वन्यजीव
3.	27.4.98	दिल्ली	7 शालें	वन्यजीव/सीमा शुल्क
4.	26.2.99	दिल्ली	9 शालें	सीमा शुल्क/वन्यजीव
5.	3.3.99	दिल्ली	10 शालें	वन्यजीव
6.	13.3.99	दिल्ली	96 शालें	वन्यजीव
7.	14.3.99	दिल्ली	13 शालें	सीमा शुल्क/वन्यजीव
8.	15.3.99	दिल्ली	13 शालें	सीमा शुल्क/वन्यजीव

[हिन्दी]

राज्य विद्युत बोर्डों की बकाया राशि

*159. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्र सरकार की बकाया धनराशि देय है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार सहित कुछ राज्यों को धनराशि केन्द्र सरकार के विद्युत विभाग पर भी बकाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस बकाया राशि को राज्यों, विशेषकर बिहार की ओर बकाया राशि के साथ समायोजित करने का है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस पर बिहार सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) जी, हां।

(ख) 31.3.2000 की स्थितिनुसार विद्युत क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देय बकाया राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण –I में दिया गया है। 31.3.1999 की स्थितिनुसार विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों पर रेल मंत्रालय की बकाया देय राशियां संलग्न विवरण–II में दी गई हैं।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश पारेषण निगम ने बताया है कि पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया पर 3.26 लाख रुपये बकाया हैं। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने बताया है कि केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर कोई भी बकाया राशि नहीं है।

(ङ) से (छ) उपरोक्त भाग (ग) और (घ) में स्पष्ट की गई स्थिति को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विवरण-I

विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को देय रा. वि. बोर्डों–वार बकाया राशियों का विवरण

31 जनवरी, 2000 की स्थितिनुसार (अधिभार सहित)

क्रम सं.	रा.वि.बोर्ड/राज्य	नीपको	एनटीपीसी	पीएफसी	डीवीसी	एनपीसी	आरईसी	पीजीसीआईएल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	266.78	52.00 ***	0.00	1.62	0.00	16.17
2.	अरुणाचल प्रदेश	11.49	0.00	0.00	0.00	1.62	0.17	3.63
3.	असम	547.37	34.07	0.00	1.70	0.89	110.94	93.10
4.	बिहार	0.00	2174.17	0.00	1490.42	29.14	375.51	173.71
5.	गुजरात	0.00	401.27	0.00	0.00	0.00	0.57	35.88
6.	गोवा	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
7.	एचवीपीएन (एचएसईबी)	0.00	428.73	0.00	0.00	814.96	0.00	21.95
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	25.55	0.00	0.00	64.15	0.00	2.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	477.66	0.00	0.00	609.18	0.49	117.95
10.	कर्नाटक	0.00	187.84	0.00	0.00	0.00	0.51	32.65
11.	केरल	0.00	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.74
12.	मध्य प्रदेश	0.00	648.19	36.00	0.00	0.00	877.20	20.56
13.	महाराष्ट्र	0.00	437.07	0.00	0.00	0.00	0.04	14.88
14.	मणिपुर	98.18	0.00	0.00	0.00	11.60	13.98	24.80
15.	मेघालय	6.78	0.00	0.00	0.00	3.06	25.04	3.37
16.	मिजोरम	26.85	0.00	2.00	0.00	2.05	13.03	5.34
17.	नागालैंड	50.20	0.00	2.00	0.00	6.14	0.04	12.27
18.	उड़ीसा (ग्रिडको)	0.00	612.20	33.00	0.00	12.46	69.07	8.52
19.	पंजाब	0.00	11.07	0.00	0.00	265.76	0.41	4.39
20.	राजस्थान	0.00	247.51	0.00	0.00	177.60	23.04	85.85
21.	सिक्किम	0.00	24.52	0.00	0.00	0.17	0.00	9.37
22.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	27.41
23.	त्रिपुरा	34.23	270.91	0.00	0.00	5.18	0.32	6.79
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	1759.11	8.00	0.00	1059.50	90.68	476.29
25.	डब्ल्यूबपीएसईबी	0.00	1175.76	4.00	589.38	11.64	403.98	58.59
26.	डीवीबी (डेसू)	0.00	2386.63	0.00	0.00	422.71	0.00	148.68
27.	डीवीसी	0.00	459.44	0.00	0.00	21.31	0.00	11.69
28.	डीएनएच	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
29.	यूटीसी	0.00	–0.03	0.00	0.00	7.66	0.00	0.09
30.	दमन और दिउ	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
31.	पांडिचेरी	0.00	28.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
32.	कोआपरेटिव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.96	0.00
33.	राज्य सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
	जोड़	775.10	12190.11	137.00	2081.50	3525.00	2020.32	1429.57

31 जनवरी, 2000 की स्थिति संचयी : 22158.60 करोड़ रुपये

* डीपीएल के 4 करोड़ रुपये सहित

** महेश्वर के 2 करोड़ रुपये सहित

*** एपीजेनवी के 38 करोड़ रुपये और एपीट्रांस्को के 14 करोड़ रुपये सहित।

विवरण-II

राज्य विद्युत बोर्डों से रेलवे को देय राशियों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम.सं.	राज्यों से देय राशियों को दर्शाने वाला विवरण	3/99 की स्थितिनुसार कुल बकाया राशियां
1.	ए. पी. राज्य बिजली बोर्ड	9.69
2.	असम राज्य बिजली बोर्ड	0.00
3.	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	2.36
4.	दिल्ली विद्युत बोर्ड	25.41
5.	गुजरात राज्य बिजली बोर्ड	12.30
6.	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	90.86
7.	कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड	0.22
8.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	10.01
9.	मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	2.25
10.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	0.00
11.	राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	3.85
12.	तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड	4.65
13.	यू. पी. राज्य बिजली बोर्ड	–0.12
14.	पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	2.85
	जोड़	164.33

[अनुवाद]

अधिक राशि के बिलों के विरुद्ध शिकायत

*160. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के विभिन्न एक्सचेजों/जोनों में स्थित विभिन्न जनसंपर्क अधिकारियों के कार्यालयों की अधिक राशि के टेलीफोन बिलों के संबंध में उपभोक्ताओं से बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या टेलीफोन उपभोक्ताओं की शिकायतों की पावती तक नहीं दी जाती है और उन्हें उनकी शिकायत पर की गई कार्यवाही/की गई जांच/जांच के परिणाम के बारे में उत्तर नहीं दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1999 के नवम्बर और दिसम्बर माह के दौरान माहवार प्रत्येक जनसंपर्क अधिकारी के कार्यालय की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उनमें से कितनी शिकायतों की न तो पावती दी गई और न ही 31 जनवरी, 2000 तक कोई उत्तर ही दिया गया; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) अधिक राशि के बिल बनाये जाने की शिकायतें बहुत अधिक नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड दिल्ली द्वारा दिनांक 1.4.99 से 31.12.99 तक 73.19 लाख बिल जारी किये गये जबकि विभिन्न एक्सचेंजों के उपभोक्ताओं से अधिक राशि के बिल बनाये जाने संबंधी प्राप्त हुई शिकायतें 12437 हैं अर्थात् यह संख्या जारी किये गये बिलों की कुल संख्या का 0.17 प्रतिशत है।

(ख) प्राप्त हुई शिकायतों की जांच की जाती है और जांच के परिणामों की सूचना उपभोक्ताओं को दी जाती है।

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली द्वारा नवम्बर 99 में 893267 बिल जारी किये गये जबकि 2036 शिकायतें प्राप्त हुईं और दिसम्बर 99 में 908905 बिल जारी किये गये जबकि 2199 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। प्राप्त की गयी शिकायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(I) नवम्बर, 99 तथा दिसम्बर, 99 के दौरान प्राप्त की गयी शिकायतों का क्षेत्रवार ब्यौरा

	नवंबर, 99	दिसम्बर, 99
मध्य	107	126
उत्तरी	409	360
दक्षिणी-I	51	192
दक्षिणी-II	283	282
पश्चिमी-I	185	314
पश्चिमी-II	256	275
पूर्वी	339	277
यमुनापार	406	373
कुल	2036	2199

(II) जारी किए गए कुल बिलों के मुकाबले में प्राप्त शिकायतों का प्रतिशत	0.16	0.17

31 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार केवल चार मामले लंबित हैं जिनका अनजाने में पावती/उत्तर नहीं दिया गया।

(घ) उपुर्यक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह लागू नहीं होता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत क्षमता का दोहन करना

1525. श्री ए. नरेन्द्र : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापक जल विद्युत क्षमता का दोहन करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार उत्तर–पूर्वी क्षेत्र एवं सिक्किम में विद्युत शक्यता के दोहन पर पर्याप्त जोर दे रही है। उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों एवं सिक्किम राज्य से बातचीत के जरिए केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं में क्षमता अभिवृद्धि के लिए 9वीं, 10वीं तथा 11वीं योजनावधि में और इसके बाद क्रियान्वयन हेतु एक कार्य योजना तैयार की गई है। ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

केन्द्रीय क्षेत्र

वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता	= 730	मे.वा.
1. कोपिली एचईपी, असम	250	मे.वा.
2. असम गैस आधारित सीसीपीपी	291	मे.वा.
3. अगरतला गैस आधारित पीपी	84	मे.वा.
4. लोकतक एचईपी	105	मे.वा.

केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं में क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

9वीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम

दोयांग एचईपी (नागालैंड)	75	मे.वा.
रंगानदी चरण–I (एचईपी) (अरुणाचल प्रदेश)	405	मे.वा.
रंगित एचईपी (सिक्किम)	60	मे.वा.
कुल	540	मे.वा.

10वीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम

तुरियल एचईपी (मिजोरम)	= 60	मे.वा.
कामेंग एचईपी (अरुणाचल प्रदेश)	= 600	मे.वा.
तुईवई एचईपी (मिजोरम)	= 210	मे.वा.
लोकतक डी/एस परियोजना (मणिपुर)	= 90	मे.वा.
कोपिली चरण–II एचईपी (असम)	= 25	मे.वा.
तीस्ता–5 (सिक्किम)	= 510	मे.वा.
कुल	1495	मे.वा.

11वीं योजनावधि और उससे आगे क्षमता अभिवृद्धि के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को अभिज्ञात किया गया है :

रंगानदी चरण–II एचईपी (अरुणाचल प्रदेश)	= 100	मे.वा.
दिकरोंग एचईपी (अरुणाचल प्रदेश)	= 100	मे.वा.
लोअर कोपिली एचईपी (असम)	= 150	मे.वा.
तिपाईमुख एचईपी (मणिपुर)	= 1500	मे.वा.
सुबनसिरी एवं दिहांग बेसिन, अरुणाचल प्रदेश	20700	मे.वा.
कुल	= 22550	मे.वा.

मुम्बई हाई के गैस कुएं में आग

1526. श्री मोहन रावले : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1999 के मार्च महीने में पश्चिमी तट पर गैस कुएं में भीषण आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो इस घटना के कारण उत्पादन में अनुमानतः कितना नुकसान हुआ है;

(ग) क्या आग के कारणों का पता लगाने के लिए किसी जांच समिति का गठन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 12 मार्च, 1999 को पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत बी–121 संरचन के गैस कूप में आग की एक घटना हुई थी। इस घटना से पहले इस प्लेटफार्म से 4 प्रवाहरत कूपों से औसत गैस उत्पादन लगभग 1.6 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम एम एस सी एम डी) था। 86 दिन तक इस आग/अनियंत्रित गैस प्रवाह के कारण हुई अनुमानित सीधी हानि, गैस उत्पादन के आधार पर, उस समय 1600 रुपये प्रति हजार मानक घन मीटर प्रतिदिन के प्रचलित गैस मूल्यों पर लगभग 22 करोड़ रुपये आकलित होती है। उपर्युक्त के अलावा चूंकि इस संरचना के वैकल्पिक स्थान से उत्पादन पुनः आरम्भ होना अभी शेष है, इसलिए आस्थागित राजस्व पर ब्याज के कारण परोक्ष हानि हुई है।

(ग) और (घ) इस आग की घटना के कारणों का पता लगाने के लिए आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ एन जी सी) के द्वारा 16 मार्च, 1999 को श्री एन एन गोगोई, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आयल इंडिया लिमिटेड की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की थी और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

महाराष्ट्र में पंपसेटो का विद्युतीकरण

1527. श्री अनंत गुढ़े : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजनावधि के दौरान सामान्य रूप से महाराष्ट्र में और विशेषतः विदर्भ क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई वाले पंपसेटों को विद्युत देने के किसी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्षवार क्या लक्ष्य निर्धारित थे और इन्हें कितना पूरा किया गया और इस प्रयोजन हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त होने के बावजूद इस अवधि में योजना के अंतर्गत धनराशि का प्रावधान तथा निर्धारित लक्ष्य अपरिवर्तित ही रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा वर्ष 2000–2001 तथा नौवीं योजनावधि के दौरान महाराष्ट्र के लिए पंपों को विद्युत देने हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) द्वारा महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड को विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों, जिसमें आठवीं योजना के दौरान पंपसेटों को लगाना भी शामिल है, के अंतर्गत स्वीकृत निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:–

	जारी निधियां	पंपसेटों का लक्ष्य	ऊर्जित उपलब्धियां
1992-93	33.01	35,000	46284
1993-94	56.47	44,000	54281
1994-95	92.99	43,000	87954
1995-96	97.30	47,000	92395
1996-97	85.99	53,500	62655
		2,22,500	3,43,549

पंपसेट लगाने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा किया गया है। आठवीं योजना के दौरान एमएसईबी द्वारा विदर्भ क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
1992-93	6614	10868
1993-94	6960	11659
1994-95	7540	15348
1995-96	25195	20139
1996-97	9855	14567
कुल	56164	72581

(ग) और (घ) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत स्कीमों को मंजूरी प्रदान करता है। बशर्ते कि वे तकनीकी तथा वित्तीय दृष्टि से स्वीकार्य हों। आरईसी को वर्ष 2000–2001 अथवा नौवीं योजना के लिए एमएसईबी/राज्य सरकार का पम्पसेट ऊर्जीकरण कार्यक्रम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि एमएसईबी ने वर्ष 2000–2001 के दौरान 200.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से 50,000 पम्पसेट और नौवीं योजना अवधि के दौरान 574.74 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय से 1,50,000 पम्पसेट लगाने का कार्यक्रम बनाया है।

मूल्य वर्द्धित सेवाएं

1528. श्री टी. गोविन्दन : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी. ओ. टी. तथा एम टी एन एल द्वारा प्रदान की जा रही मूल्य वर्द्धित सेवाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) दूरसंचार सेवा विभाग (डीटीएस), तत्कालीन दूरसंचार विभाग और महानगर टेलीफोन निगम लि. निम्नलिखित मूल्य वर्द्धित सेवाएं पेश करते हैं :–

– इन्टरनेट

– इंटेलिजेन्ट नेटवर्क सर्विस

(ख) **ब्यौरे** :

इंटरनेट : यह सेवा जम्मू और कश्मीर के पुंछ और कारगिल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर समूचे देश में उपलब्ध है। इंटरनेट सुविधाएं दूरसंचार सेवा विभाग/महानगर टेलीफोन निगम लि. द्वारा प्रचालित 85 इंटरनेट नोडों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। इन नोडों से लगभग 1.2 लाख उपभोक्ता जुड़े हैं।

इंटेलिजेंट नेटवर्क : विभाग के दूरसंचार नेटवर्क में छः सेवाएं नामतः फ्रीफोन (एफ पी एच), प्रीमियम रेट सर्विस (पी आर एम) वर्चुअल कार्ड कालिंग (वीसीसी) जिसे अब इंडिया टेलीफोन कार्ड कहा जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वी पी एन), यूनिवर्सल

नम्बर (यू एन), और टेलीपिटिंग कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत हैं। इस समय एफ पी एच, पी आर एम तथा इंडिया टेलीफोन कार्ड (तत्कालीन वीसीसी) सेवाएं डीटीएस/एमटीएन एनएल द्वारा आईएन के उपभोक्ताओं को पेश की गई हैं जिनका 39 शहरों में प्रचालन हो रहा है और अन्य 47 स्थानों की भी आई एन सेवाएं क्रमिक रूप से प्रदान की गई तीन सेवाओं के अतिरिक्त एमटीएनएल द्वारा वीपीएन तथा टेलीपोटिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

नागार्जुन विद्युत परियोजना

1529. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 फरवरी, 2000 "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "विल टायज गो विद नागार्जुन प्रोजेक्ट" शीर्षक से प्रकाशित सरकार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में रिपोर्ट किए गए तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक मैसर्स नागार्जुन पावर कारपोरेशन लिमिटेड की मंगलौर के समीप नंदीकुर में 1015 मे.वा. विद्युत परियोजना में टाटा इक्विटी भागीदारी के लिए इस तरह के किसी प्रस्ताव के बारे में कर्नाटक सरकार अथवा किसी अन्य एजेंसी से कोई सूचना प्राप्त नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

कान्हा बाघ परियोजना

1530. श्री अशोक अर्गल : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बाघ अभ्यारण्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कान्हा बाघ परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कितने किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया और कितने ग्रामीणों को उनकी जमीन से बेदखल किया गया;

(ग) क्या किसानों को पर्याप्त मुआवजे का भुगतान किया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मंराडी) : (क) मध्य प्रदेश राज्य में बाघ अभ्यारणयों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कान्हा राष्ट्रीय पार्क से 27 वन गांवों को पार्क के बाहर समान वन भूमि का स्वैच्छिक पुनः आबंटन किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्कों का विवरण जहां बाघ रहते हैं :–

क्र.सं.	राष्ट्रीय पार्क/ अभ्यारणय का नाम	बाघों की संख्या (1997 का अनुमान)	क्षेत्र वर्ग किलोमीटर
1.	बांधवगढ़	46	105.40
2.	इन्द्रावती	15	1258.00
3.	कांगर वैली	8	200.00
4.	कान्हा	114	940.00
5.	माधव	15 (कैप्टिव)	337.00
6.	पन्ना	22	543.00
7.	पेन्च	28	293.00
8.	संजय	18	1938.00
9.	बोरी–सतपुरा–पंचमढ़ी	31	1503.85
10.	वन विहार	17 (कैप्टिव)	4.45
11.	अछंकमार	21	551.55
12.	बगदरा	3	478.90
13.	बारनपाड़ा	12	244.66
14.	भैरमगढ़	2	139.00
15.	नियोरदेही	11	1034.52
16.	पामेड	4	262.00
17.	पनपठा	6	245.84
19.	पालपुर–कुनो	6	345.00
20.	पेन्च	12	449.39
21.	फेना	2	110.74
22.	रातापनी	17	686.79
23.	संजय	61	364.59
24.	सेमरसोट	1	430.36
25.	सिंगोरी	2	287.91
26.	सितांडी	3	553.36
27.	तमोर पिंगला	11	608.52
28.	उदन्ती वाइल्ड बुफैलो	16	247.59

पत्तनों की वित्तीय स्थिति

1631. श्री रामशकल : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बड़े पत्तन वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए पत्तनवार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पारादीप पत्तन द्वारा अपनी विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मांगी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पारादीप पत्तन न्यास में "यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग सुविधाओं का सृजन" नामक एक विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना है, जो एशियाई विकास बैंक (ए डी बी) द्वारा वित्त पोषित है। सरकार ने इस परियोजना के ए डी बी घटक के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता जारी की है। गत तीन वर्षों के दौरान पारादीप पत्तन न्यास को दिए गए ऋण के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

	(करोड़ रुपये)
1996–97	16.39
1997–98	44.68
1998–99	82.00

बिहार में विद्युत केन्द्र की विद्युतोत्पादन क्षमता

1632. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के प्रत्येक विद्युत केन्द्र की विद्युतोत्पादन क्षमता में वर्षवार कितनी वृद्धि हुई;

(ख) क्या सरकार का, राज्य में इन केन्द्रों की विद्युतोत्पादन क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) विद्यमान विद्युत संयंत्रों में से पूर्वी गण्डक जल विद्युत परियोजना में वर्ष 1997–98 के दौरान 5 मे.वा. की उत्पादन क्षमता बढ़ी है। 1998–99 और 1999–2000 के दौरान इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) और (ग) विद्यमान विद्युत केन्द्रों की क्षमता अभिवृद्धि की कोई योजना नहीं है। तथापि, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के निम्नलिखित विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन एवं उपलब्धता की स्थिति में सुधार हेतु नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीमों का प्रस्ताव किया गया है:–

क्र.सं.	टीपीएस का नाम	आर एंड एम चरण–II के अंतर्गत शामिल यूनिटें	प्रत्याशित अतिरिक्त विद्युत उत्पादन/वर्ष (मि.यू.)
1.	पतरातू	770 मे.वा. (कम दर पर)	1045
2.	बरौनी	310 मे.वा. (कम दर पर)	550
3.	मुजफ्फरनगर	220 मे.वा.	385
जल विद्युत केन्द्र			
1.	सुबर्णरेखा	130 मे.वा.	11.3

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में रसोई गैस के कनैक्शन

1633. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2000 तक रसोई गैस उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में कौन–कौन से क्षेत्रों को इस योजना के तहत लाया जाएगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) एल पी जी कनेक्शन एल पी जी की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, वितरकों के पास उपलब्ध बकाया एवं उनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए देश भर में चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं। तथापि, सरकार की 1 दिसम्बर, 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कम्पनियों के वितरकों के पास पंजीकृत समस्त प्रतीक्षा सूची को निपटा देने के लिए वर्ष, 2000 के दौरान एक करोड़ एल पी जी कनैक्शन जारी करने की योजना है।

सरकार ने मिट्टी तेल के कोटे को वापस लौटाने की एवज में आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को 15 लाख अतिरिक्त एल पी जी कनैक्शन भी आबंटित किए हैं।

[हिन्दी]

जम्मू में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना, विस्तृत करना और मरम्मत करना

1534. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर स्थित उन राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं जिन्हें चौड़ा करने, विस्तृत करने और मरम्मत करने का कार्य फरवरी, 1997 से आज की तारीख तक शुरू किया है;

(ख) राज्य से होकर गुजरने वाले बाकी अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे कार्य कब तक शुरू कर दिए जाएंगे; और

(ग) उन पर आने वाले अनुमानित व्यय और वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव एक सतत् प्रक्रिया है और उपलब्ध धनराशि के अंतर्गत चरणबद्ध रूप में ये कार्य किए जाते हैं। रा. रा. 1क, 1ख और 1ग पर विकास/रख–रखाव कार्य चल रहे हैं।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव हेतु हुए व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

वर्ष	आबंटन (लाख रुपये)	व्यय (लाख रुपये)
1997–98	2487.40	2283.00
1998–99	3658.65	3439.66
1999–2000 (12/99 तक)	4485.00	4068.17

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस संसाधन

1535. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक पता लगाये गए प्राकृतिक गैस संसाधनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संसाधनों की क्षमता का ब्यौरा क्या है और इस क्षमता का किस सीमा तक दोहन किया गया है;

(ग) देश में प्राकृतिक गैस का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है;

(घ) क्या गैस संसाधनों के लिए योजनाएं बनाने के लिए कोई एजेन्सी स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) : 1 अप्रैल, 1999 की स्थिति के अनुसार देश में प्राकृतिक गैस का शेष निकासी योग्य भण्डार लगभग 1020.61 बिलियन घन मीटर (बी सी एम) है।

देश में प्राकृतिक गैस संचयी उत्पादन 1 अप्रैल, 1999 को लगभग 306.974 बिलियन घन मीटर है।

(ग) प्राकृतिक गैस की देश के विभिन्न राज्यों स्थित विद्युत, उर्वरक, पेट्रो–रसायन संयंत्रों तथा औद्यो को भी आपूर्ति की जाती है।

(घ) और (ङ) देश में प्राकृतिक गैस संसाधनों का आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओ एन जी इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल) तथा गैस अथारिटी आ लि. (गेल) जैसी राष्ट्रीय तेल कंपनियों एवं कुछ एक निजी संयुक्त उद्यम कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में डाक और तार क्षेत्र में विकास कार्य

1536. श्री राजो सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वर्ष 1999–2000 के दौरान डाक और तार क्षेत्र में किए जाने वाले विकास कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में आरम्भ किए गए कुछ कार्य अधूरे पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त कार्यों को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : *डाक क्षेत्र* (क) 1999–2000 के दौरान, बिहार में डाक के क्षेत्र में किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्य का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

तार क्षेत्र (क) तीन इलेक्ट्रानिक की–बोर्ड कन्सट्रेटर्स प्रस्तावित थे, जिनमें से एक बिहार में 1999–2000 के दौरान चालू किया गया है।

डाक क्षेत्र (ख) 1999–2000 के दौरान, बिहार में किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्य का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) इसका कारणो सहित ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

तार क्षेत्र (ख) और (ग) दो और इलेक्ट्रानिक की–बोर्ड कन्सट्रेटर्स संस्थापित किए जा रहे हैं।

डाक क्षेत्र (घ) यह संभावना है कि उक्त कार्य चालू योजनावधि के दौरान पूरे हो जायेंगे बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध रहे।

तार क्षेत्र (घ) वर्ष 2000–2001 के दौरान उपस्कर चालू होने की संभावना है।

विवरण-I

1999–2000 के दौरान किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्य का ब्यौरा।

[illegible] पाटलीपुत्र में डाकघर भवन और गया, मुजफ्फरनगर और [illegible]ज में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण।

(ख) पचास अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलना और चालीस अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों में आधारभूत उपस्कर की व्यवस्था करना।

विवरण-II

निर्माणाधीन कार्यों का ब्यौरा जो अभी अपूर्ण हैं तथा उनके कारण

	निर्माण कार्य का नाम	कारण
1	पाटलीपुत्र में डाकघर भवन	नव निर्माण
2.	गया में स्टाफ क्वार्टर	नव निर्माण
3	[illegible] में स्टाफ क्वार्टर	नव निर्माण
4.	[illegible]	नव निर्माण

[अनुवाद]

बोंगाईगांव तेल शोधक कारखाने का भारतीय तेल निगम में विलय

1537. श्री एम. के. सुब्बा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम और पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यरत सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के कर्मचारियों ने बोंगाईगांव तेल शोधक कारखाने और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बी आर पी एल) के भारतीय तेल निगम में विलय की अपनी मांग पर दबाव डालने के लिए एक आवेदन सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान बी. आर. पी. एल. को कितना लाभ या कितनी हानि हुई तथा आज की तिथि के अनुसार इसका कुल संचित लाभ/हानि क्या है;

(ग) की गयी मांग का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान कर पश्चात् निवल लाभ का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये)

	1996–97	1997–98	1998–99
कर पश्चात निवल लाभ	29.07	20.69	34.26

31 मार्च, 1999 की तारीख के अनुसार कंपनी का जमा भण्डार 397.25 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) बी आर पी एल के इंडियन आयल कारपोरेशन के साथ विलय से संबंधित मांग पर कोई दृष्टिकोण तेल उद्योग के समग्र हित में लिया जाएगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में एल. पी. जी. एजेंसियां

1538. श्री रामानन्द सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सतना जिले में कुल कितनी एल. पी. जी. एजेंसियां काम कर रही हैं;

(ख) क्या ये बिक्री केन्द्र सतना जिले की बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का सतना जिले के अन्य बड़े नगरों जैसे बिरहापुर, मथगांव, नागौद और चित्रकूट में और अधिक एल. पी. जी. केन्द्र खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के सतना जिले में 7 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालनरत हैं। एल पी जी की बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिए सतना जिले में 11 और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोली जानी हैं।

(ग) और (घ) सतना जिले के बीरसिंहपुर, नागौद और चित्रकूट जैसे नगरों के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप विपणन योजना में शामिल की गई हैं। मथगांव स्थान को व्यवहार्य नही बताया गया है।

प्रत्येक 15 कि.मी. की दूरी पर रसोई गैस एजेन्सी/पेट्रोल पम्पों की स्थापना

1539. श्री सुरेश चन्देल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1998 के दौरान प्रत्येक 15 कि. मी. की दूरी पर रसोई गैस एजेन्सियों और पेट्रोल पम्पों की स्थापना करने की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) पूरे देश में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों तथा खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की स्थापना के लिए समय समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं। ऐसे अनुरोध व्यवहार्य स्थानों की पहचान करने के लिए साध्यता सर्वेक्षण करने हेतु तेल उद्योग को भेज दिए जाते हैं। वर्तमान नीति के अनुसार देश के विभिन्न भागों में आर्थिक रूप से व्यवहार्य एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाते हैं :

(1) 15 कि.मी. के दायरे के भीतर आने वाले समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता शामिल करके 10,000 तथा इससे अधिक की जनसंख्या वाले सारे शहरी स्थान।

(2) 15 कि.मी. के दायरे के भीतर आने वाले समीपवर्ती गांवों की सम्भाव्यता सम्मिलित करके 5000 व इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरी स्थान।

(3) 10000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले केन्द्रीय गांवों के 15 कि.मी. के दायरे के भीतर गांवों का समूह।

(4) 1 लाख तथा इससे अधिक की जनसंख्या वाले कस्बों के आसपास 15 कि.मी. के दायरे के भीतर के गांव।

खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें ऐसे विभिन्न स्थानों पर स्थापित की जाती हैं तो तेल उद्योग के मात्रा दूरी मानकों को पूरा करते हैं।

तदनुसार देश के लिए 1996–98 की विपणन योजना में 2078 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और 927 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें सम्मिलित कर ली गई हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में लंबित विद्युत परियोजनाएं

1540. श्री अनन्त नायक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुछ विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किस स्तर पर लंबित पड़ा है; और

(ग) विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव में तेजी लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) (क) से (ग) 29.2.2000 तक उड़ीसा में केवल एक परियोजना, नामश बालीमेला जल विद्युत परियोजना एक्सटेंशन (2 x 75 मेगावाट) जिसकी अनुमानित लागत 277.57 करोड़ रुपये है, तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विचाराधीन है। यह परियोजना जून, 1996 में प्राप्त की गई तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस पर तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के लिए 25.10.1999 को विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया है इसे तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति सुरलीकोंडा बांध के लिए एमओईएफ स्वीकृत होने तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अन्तर्राज्यीय स्वीकृति देने के बाद ही दी जाये।

[हिन्दी]

दिल्ली की महिला अदालतों में लंबित मामले

1541. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के निपटारे हेतु दिल्ली में दो वर्ष पहले महिला अदालतों की स्थापना की गई थी;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी अदालतों की स्थापना की गई थी और ये कहां–कहां स्थापित की गई थी;

(ग) क्या इन अदालतों में बड़ी संख्या में मामले लंबित पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो कितने?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री रामजेठमलानी) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तीस हजारी में चार

महिला न्यायालय, एक अपर सेशन न्यायाधीश का न्यायालय और मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों के तीन न्यायालय, जिनमें से एक तीस हजारी, नई दिल्ली और कड़कड़डुमा (शाहदरा) में 1.9.1994 से कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने सूचित किया गया है कि 31 दिसंबर, 1999 को इन न्यायालयों में 2687 मामले लंबित थे।

वीएसएनएल की खराब इंटरनेट सेवा

1542. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम लि. द्वारा खराब इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इंटरनेट सेवा में सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, नहीं। वी एस एन एल द्वारा प्रदान की जा रही इंटरनेट सेवाओं की खराब अभिगम्यता के संबंध में इस समय कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हो रही है।

(ग) तथापि, इंटरनेट सेवा में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं –

- अद्यतन प्रौद्योगिकी के रिमोट एक्सस सर्वर्स के प्रवेश से सभी शहरों में इंटरनेट अभिगम्यता बिल्कुल आसान हो गई है।
- डी टी एस/एम टी एन एल के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों से 2 एम बी पी एस स्ट्रीम्स को इंटरनेट नोड्स तक विस्तृत किया गया है और इससे इंटरनेट ट्रैफिक के कारण डी टी एस/एम टीएनएल पर संकुलन को कम किया गया है।
- विदेश संचार निगम लि. ने पर्याप्त बैंडविड्थ प्राप्त करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं ताकि उच्च गुणवत्ता की सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।

हरियाणा में टेलीकॉम सर्किल

1543. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 1999 तक हरियाणा में टेलीकॉम सर्किलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन सर्किलों में कर्मचारियों की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन रिक्त पदों को भरने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) 31 दिसम्बर, 1999 की स्थिति के अनुसार हरियाणा में केवल एक दूरसंचार सर्किल मौजूद है।

(ख) जी, हां।

(ग) कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों (जेटीओ) को छोड़कर समूह 'ग' और 'घ' संवर्गों में भर्ती पर प्रतिबंध होने के कारण तकनीकी संवर्गों में स्टाफ की कमी होना आम बात है। जहां तक जेटीओ का संबंध है पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशों की वजह से भर्ती नियमों का पुनरीक्षण अनिवार्य होने के कारण वर्ष 1996 के बाद जेटीओ की कोई सीधी भर्ती नहीं की गई है।

(घ) हरियाणा दूरसंचार सर्किल को दूरसंचार तकनीकी सहायकों (टीटीए) और ड्राइवरों के संवर्ग में सीधी भर्ती की अनुमति दे दी है। वेतनमान में परिवर्धन और प्रवेश अर्हता को बढ़ाकर पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर जेटीओ के भर्ती नियम संशोधित किए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) जेटीओ की भर्ती के लिए कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि अब यह संवर्ग राजपत्रित ग्रुप 'ख' संवर्ग हो गया है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाएं

1544. श्रीमती रीना चौधरी :

श्री अधीर चौधरी :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन माह के दौरान देश के विभिन्न राज्यों और स्थानों पर स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दिये जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये प्रस्ताव किन चरणों में लंबित पड़े हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) गत तीन मास अर्थात् दिसम्बर, 1999 से फरवरी, 2000 के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति हेतु निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में 6 परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं। परियोजना का नाम, कार्यकारी एजेंसी, अधिष्ठापित क्षमता, स्थान, सीईए में प्राप्ति की तारीख तथा इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति आदि नीचे दी गई है :–

क्र.सं.	स्कीम/राज्य/कार्यकारी एजेंसी का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	सीईए में प्राप्ति की तारीख	मौजूदा स्थिति
1.	कार्बी लांग्पी (लोवर बोरपानी एचईपी, असम द्वारा असम राज्य विद्युत बोर्ड) कार्बी आंगलोंग जनपद	2 x 50	7.12.99	परियोजना की आरंभिक जांच की जा रही है और सभी आवश्यक स्वीकृतियां यथा एमओईएफ स्वीकृति सीडब्ल्यूसी की स्वीकृति अभी प्राप्त की जानी है।
2.	शंख एचईपी चरण–II बिहार द्वारा बिहार जल विद्युत निगम लिमिटेड (जिला–गुमला)	186	28.12.99	13.10.2000 को वापस की गई क्योंकि बीएचपी सीएल द्वारा भेजी गई नई डीपीआर वही थी, जो पहले सीईए/सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना 12/97 को भेजी गई थी। बीएचपीसीएल ने नवीनतम कीमत तथा सीईए/ सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियों के आधार पर नई डीपीआर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।
3.	कट्टुपल्ली सीसीपीपी (एलएनजी) तमिलनाडु द्वारा चेन्नई विद्युत उत्पादन लिमिटेड पूर्वी तट पर चेन्नई से 45 किमी.	1000	30.12.99	परियोजना की सीईए में आरंभिक जांच की जा रही है। आईपीपी द्वारा टीईसी के लिए अपेक्षित कमी आवश्यक इनपुट्स/स्वीकृतियां अभी प्राप्त की जानी है।
4	मांड्या सीसीपीपी, कर्नाटक द्वारा मांड्या पावर पार्टनर्स लिमिटेड (जिला–मांड्या)	164.4	3.2.2000	2/2000 को प्राप्त संशोधित डीपीआर की जांच की जा रही है। आवश्यक इनपुटों जैसे धारा 29(2) का अनुसरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी, जल उपलब्धता (केन्द्र), फ्यूल लिंकेज तथा परिवहन, एमओईएफ स्वीकृति और अनंतिम वित्तीय पैकेज आदि को अभी टाई किया जाना है।
5.	कृष्णापट्टनम (ए) टीपीएस, आंध्र प्रदेश द्वारा मैसर्स जीवीके पावर (कृष्णापट्टनम) प्राईवेट लिमिटेड (जनपद–नेल्लोर)	2 x 260	3.2.2000	परियोजना की सीईए में आरंभिक जांच की जा रही है। परियोजना के टीईसी के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक इनपुटों को अभी टाई किया जाना है।
6.	हजीरा सीसीजीटी, गुजरात द्वारा मैसर्स गुजरात राज्य ऊर्जा उत्पादन लिमिटेड (सूरत)	156	14.2.2000	परियोजना की सीईए में आरंभिक जांच की जा रही हैं परियोजना के टीईसी के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक इनपुटों को अभी टाई किया जाना है।

पानीपत तेल शोधक कारखाने के विस्तार का कार्यक्रम

1545. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानीपत तेल शोधक कारखाने के विस्तार का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना अनुमानित खर्च आयेगा; और

(घ) इसको पूरा करने के लिये क्या समय–सीमा तय की गयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन लि. (आई ओ सी एल) का पानीपत रिफाइनरी की क्षमता को 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 12 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है।

इस परियोजना की अनुमानित लागत 3365 करोड़ रुपये है परियोजना सांविधिक स्वीकृतियों की प्राप्ति की तारीख से 30 माह के अंतर्गत यांत्रिक रूप से पूरी की जानी है।

कोचीन-मदुरै राष्ट्रीय राजमार्ग

1546. **श्री जार्ज ईडन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन मदुरै राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि का अधिग्रहण संबंधी कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस राजमार्ग को पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी नहीं। केरल राज्य सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग--49 (कोचीन--मदुरै) के लिए भूमि अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास कार्य धनराशि की उपलब्धता और कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध रूप में किया जाता है। अभी यह नहीं बताया जा सकता कि राष्ट्रीय राजमार्ग स्तर के अनुरूप इस राजमार्ग का विकास कार्य कब तक पूरा हो जायेगा।

(ङ) इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यय केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास संबंधी कार्यों के लिए राज्य को प्रदात्त समग्र आबंटन से पूरा किया जाता है।

असम में रसोई गैस उत्पादन

1547. **श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान असम के विभिन्न क्षेत्रों से कुल कितनी मात्रा में रसोई गैस उत्पादन हुआ;

(ख) प्रत्येक रसोई गैस सिलेण्डर की औसत उत्पादन लागत कितनी है;

(ग) उपभोक्ताओं को इस समय रसोई गैस सिलेण्डर की आपूर्ति किस कीमत पर की जा रही है;

(घ) क्या इसमें कोई राजसहायता शामिल है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) एल पी जी का उत्पादन रिफाइनरियों/फ्रेक्शनेटरों के माध्यम से किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान असम राज्य में उत्पादित एल पी जी की कुल मात्रा निम्नानुसार हैं :

आंकड़े हजार मीट्रिक टन (टीएमटी में)

वर्ष	एलपीजी उत्पादन (टीएमटी)
1996–97	83
1997–98	89
1998–99	92

(ख) प्रति सिलेण्डर एलपीजी उत्पादन लागत कच्चे तेल तथा उत्पादन की लागत, मरम्मत व अनुरक्षण पर व्यय, नियुक्त जनशक्ति, सम्पतियों पर मूल्य ह्रास आदि के आधार पर प्रत्येक कम्पनी तथा रिफाइनरी के अनुसार अलग–अलग होती है।

(ग) 1.2.2000 की तारीख के अनुसार चार महानगरों में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल विपणन कम्पनियों द्वारा बेची गई एलपीजी (पैक्ड घरेलू) का खुदरा बिक्री मूल्य निम्नानुसार था :

	रुपए/सिलेण्डर
दिल्ली	151.60
कलकत्ता	170.20
मुंबई	153.20
चेन्नई	155.35

(घ) जी हां।

(ङ) 1999–2000 के लिए एल पी जी (घरेलू) पर अनुमानित राजसहायता, अप्रैल 1999 से फरवरी, 2000 (तथा फरवरी, 2000 मूल्य पर मार्च, 2000 तक) के लिए प्रशुल्क समायोजित आयात समता रिफाइनरी द्वारा मूल्यों के आधार पर लगभग 4730 करोड़ रुपए बैठती है।

लोक सभा की सीटों को स्थिर रखना

1548. श्री कृष्णम राजू :

श्री अजय सिंह चौटाला :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सन् 2026 तक लोक सभा की सीटों की यथापूर्व स्थिति बनाए रखने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस निर्णय का स्वागत किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों से भी यह आशा की जाती है कि वे जनसंख्या पर नियंत्रण करके इस दिशा में अपना योगदान दें;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या आधार है; और

(ज) इसे कब तक निर्धारित किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क), (ख) और (घ) से (छ) संविधान बयालीसवां संशोधन अधिनियम, 1976 ने, निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि वर्ष 2000 के पश्चात् की गई प्रथम जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो जाते हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) के परन्तुक में हैं। परिवार नियोजन प्रतिमानों को सुचारु रूप से लागू करने के लिए यह उपाय किया गया था। सरकार को, रोक का विस्तार करने के लिए इस अभिवाक् पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं कि कुछ राज्य विशेष रूप से, दक्षिण के राज्यों ने परिवार नियोजन के क्षेत्र मे काफी सफलता प्राप्त की है जबकि अन्य राज्य इस दिशा में अपने प्रयासों में बुरी तरह से असफल रहे हैं और इसलिए, यदि नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नया परिसीमन किया जाता है तो वे राज्य, जिन्होंने परिवार नियोजन में सफलता प्राप्त की है, विधान-मंडलों में स्थानों की संख्या के संबंध में घाटे में रहेंगे। अतः, सरकार ने, अपनी जनसंख्या नीति संबंधी रणनीति के भाग के रूप में नया परिसीमन करने पर वर्तमान रोक को वर्ष 2026 ई. तक विस्तारित करने के लिए कदम उठाने का विनिश्चय किया है।

तथापि, सरकार ने, इस विषय पर और किसी राज्य को आबंटित स्थानों की संख्या को प्रभावित किए बिना, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, जैसे कुछ संबंधित विषयों पर राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ एक बैठक करना चाहती है जिससे कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या की असमान वृद्धि आरक्षित स्थानों के चक्रानुक्रम आदि के कारण हुए असंतुलन को समाप्त किया जा सके और इस विषय में सर्वसम्मति के आधार पर कार्य किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो राज्य सरकारों के सुझाव भी आमंत्रित किए जा सकते हैं। तथापि, विषय पर कोई अंतिम विनिश्चय लेने के लिए इस बाबत किसी समय-सीमा का सुझाव नहीं दिया जा सकता है।

(ग) भारत के निर्वाचन आयोग ने, सूचित किया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, व्यक्तिगत रूप से, लोक सभा में स्थानों की संख्या पर रोक लगाने के प्रस्ताव से सहमत हैं।

अपतटीय पेट्रोलियम निष्कर्षण क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए बनाया गया विधि तंत्र

1549. डॉ. रगेश चन्द तोमर : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अपतटीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम के पिछले तीन दशकों से निष्कर्षण होने के बावजूद अपतटीय पेट्रोलियम निष्कर्षण क्षेत्र में सुरक्षा के हेतु कोई विधि तंत्र नहीं बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इतने लम्बे समय में ऐसे विधि तंत्र को स्थापित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार अपतटीय पेट्रोलियम के निष्कर्षण क्षेत्र में सुरक्षा हेतु विधि तंत्र स्थापित करने के लिये कब तक कदम उठायेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) पेट्रोलियम प्रचालनों की सुरक्षा खान अधिनियम, 1952 के तहत तैयार किए गए तेल खान विनियम, 1984 के तहत विनियमित होती है। यह विनियम देश के तटवर्ती क्षेत्रों तथा सीमावर्ती जल क्षेत्रों के लिए लागू होते हैं। आगे, आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के द्वारा सभी तटवर्ती क्षेत्रों में प्रचालनों की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवहारों एवं मानकों के अनुसार विनियमित की जाती है। ऐसी व्यवस्थाओं की श्रम मंत्रालय के अधीन खान सुरक्षा महानिदेशक (डी जी एम एस) तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) के द्वारा भी निगरानी की जाती है। अंतरराष्ट्रीय विकासों तथा अन्य प्रयासों के आधार पर इन नियामक प्रणालियों और प्रक्रियाओं का उन्नयन एक अनवरत प्रयास है; तथा इस जारी प्रक्रिया के विषय में कोई विशिष्ट समयावधि निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

जोधपुर उप-मार्ग

1550. श्री जसवन्त सिंह बिश्नोई : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहले से ही स्वीकृत जोधपुर उप–मार्ग पर कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा; और

(ख) राजस्थान में उन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है जिन पर अगले दो वर्षों में निर्माण कार्य शुरू होने की अनुमान है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जोधपुर बाइपास के लिए भूमि अधिग्रहण इस समय प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण के पश्चात् धनराशि की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर जोधपुर बाइपास के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है तथा आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्य शुरू किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

तमिलनाडु और पंजाब में टेलीफोन एक्सचेंज

1551. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :

श्री भान सिंह भौंरा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु और पंजाब में अलग–अलग कितने टेलीफोन एक्सचेंज जिलावार कार्यरत थे;

(ख) क्या वर्ष 2000–2001 के दौरान उपरोक्त राज्यों में नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु कितनी निधियां आबंटित की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) तमिलनाडु और पंजाब में कार्यरत जिलावार टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे संलग्न विवरण–I पर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां, तमिलनाडु राज्य संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं। पंजाब राज्य के संबंध में, 75 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित एक्सचेंज प्रत्येक जिले में उस मुख्य स्थान पर उपलब्ध कराए जाएंगे जहां मांग 10 से अधिक है और क्षेत्र की सेवा के लिए कोई निकट एक्सचेंज नहीं है।

(घ) दूरसंचार सेवा विभाग के संबंध में वर्ष 2000–2001 के लिए अनुदानों के लिए मांग, अभी तक संसद द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है। राज्यवार निधियों का आबंटन मांगों के अनुमोदन के पश्चात् ही किया जाएगा। तथापि, वर्ष 2000–2001 के लिए स्थानीय टेलीफोन सिस्टम के संबंध में प्रस्तावित पूंजीगत परिव्यय 12180 करोड़ रुपये हैं।

विवरण-I

तमिलनाडु और पंजाब में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 31.1.2000 की स्थिति के अनुसार (जिलावार)

क्र.सं.	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
क. तमिलनाडु		
1.	कोएम्बतूर	114
2.	कुड्डालोर	53
3.	धर्मपुरी	82
4.	डिंगीगुल	51
5.	इरोड	94
6.	कांचीपुरम	44
7.	कन्याकुमारी	91
8.	करूर	39
9.	मदुरै	51
10.	नागपट्टीनम	45
11.	नमक्कल	68
12.	द नीलगिरिज	34
13.	पेरम्बलूर	31
14.	पुडुकोट्टई	41
15.	रामनाथपुरम	45
16.	सालेम	102
17.	शिवगंगा	40
18.	थंजावूर	58
19.	थैनी	22
20.	थीरूवरूर	32

1	2	3
21.	थीरूनेलवेली	76
22.	थीरूवन्नमैलाई	47
23.	थीरूवेल्लोर	45
24.	तिरची	62
25.	टूटीकोरिन	60
26.	वेल्लौर	76
27.	विल्लापुरम	50
28.	विरुधूनगर	43
29.	चेन्नई	113
ख. पंजाब		
1.	अमृतसर	105
2.	भटिंडा	81
3.	मन्सा	32
4.	फिरोजपुर	109
5.	फरीदकोट	33
6.	मोगा	37
7.	मुक्तसर	56
8.	होशियारपुर	88
9.	जालन्धर	77
10.	कपूरथला	25
11.	नवनशेर	17
12.	लुधियाना	111
13.	पटियाला	79
14.	फतेहगढ़ साहिब	21
15.	गुरदासपुर	88
16.	रोपड़	36
17.	संगरूर	125

विवरण-II

वर्ष 2000-2001 के दौरान तमिलनाडु राज्य में नए एक्सचेंज प्रस्तावों के जिलावार ब्यौरे

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रस्तावित एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	कुड्डालोर	2
2.	विल्लूपुरम	4
3.	धर्मपुरी	2
4.	मदुरै	2
5.	डिंडीगुल	1
6.	इरोड	2
7.	नागापट्टीनम	3
8.	थंजावुर	2
9.	तीरूवरूर	1
10.	पुरुकोट्टई	3
11.	रामनाथपुरम	2
12.	शिवगंगा	3
13.	टूटीकोरिन	2
14.	तीरूवन्नमलाई	2
15.	वल्लौर	1
16.	वीरूधनगर	3
17.	चेन्नई	39

कच्चे तेल पर रायल्टी

1552. श्री ए. कृष्णास्वामी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तमिलनाडु से निकाले गए कच्चे तेल पर रायल्टी दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रायल्टी के रूप में कुल कितनी राशि दी गई और इस दौरान वर्षवार कुल कितने टन/बैरल तेल निकाला गया;

(ग) तमिलनाडु को रायल्टी न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान अन्य राज्यों को किए गए रायल्टी भुगतान का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) तेल उत्पादकों द्वारा तमिलनाडु राज्य में विभिन्न तटवर्ती क्षेत्रों से उत्पादित कच्चे तेल की निवल मात्रा पर रायल्टी का भुगतान तमिलनाडु राज्य को किया जाता है। तमिलनाडु राज्य को कच्चे तेल पर भुगतान की गई रायल्टी की धनराशि वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान क्रमशः 18.81 करोड़ रुपए, 18.54 करोड़ रुपए तथा 20.99 करोड़ रुपए थी। इसी अवधि के दौरान तमिलनाडु में कच्चे तेल का उत्पादन क्रमशः

0.330 एम एम टी, 0.324 एम एम टी तथा 0.365 एम एम टी था।

(घ) इसी अवधि के दौरान अन्य राज्यों को भुगतान की गई रायल्टी के ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(करोड़ रुपए)

	1996–97	1997–98	1998–99
1. ओ.एन.जी.सी/ओ. आई.एल. के द्वारा			
गुजरात	347.85	340.83	331.16
असम	263.30	280.22	280.65
आन्ध्र प्रदेश	2.91	3.69	4.92
अरुणाचल प्रदेश	1.41	1.26	1.16
2. संयुक्त उद्यम/निजी कंपनियों के द्वारा			
गुजरात	1.76	3.31	5.92
अरुणाचल प्रदेश	.62	.70	2.33

ओजोन निःशेषक पदार्थों हेतु धनराशि

1553. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ओजोन निःशेषक पदार्थों का उत्पादन समाप्त करने हेतु बहुपक्षीय निधि की कार्यकारिणी समिति का नेतृत्व कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और मांट्रियल प्रोटोकोल की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है और भारत को इस संबंध में कितनी धनराशि उपलब्ध है;

(घ) क्या सरकार ने ओजोन निःशेषक पदार्थों और सी. एफ. सी. (क्लोरो फ्लूरो कार्बन्स) के उत्पादन हेतु इस धनराशि का उपयोग करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं कार्यान्वित करके क्या संभावित परिणाम निकलेंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) बहुपक्षीय कोष की कार्यकारी समिति मान्ट्रियल प्रोटोकोल का एक शिखर निकाय है जो विकासशील देशों के लिए उत्पादन और उपयोग के क्षेत्र में परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए धनराशि अनुमोदित करता है ताकि प्रोटोकोल में निर्दिष्ट नियंत्रण उपायों का अनुपालन हो सके। इस कार्यकारी समिति में विकासशील देशों की सात पार्टियां और विकसित देशों की सात पार्टियां शामिल हैं। दिसम्बर 1999 में बीजिंग में हुई पार्टियों की ग्यारहवीं बैठक में भारत को वर्ष 2000 के लिए कार्यकारी समिति के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में चुना गया।

(ग) मान्ट्रियल प्रोटोकोल की पार्टियों की बैठक ने वर्ष 1997–99 के दौरान बहुपक्षीय कोष को 540 मिलियन अमरीकी डालर आबंटित किए। कार्यकारी समिति ने पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवर्तित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 47 मिलियन अमरीकी डालर अनुमोदित किए हैं।

(घ) और (ङ) क्लोरो फ्लूरो कार्बन्स के उत्पादन के लिए एक क्रमिक चरणबद्ध तरीके से बंद करने की परियोजना तैयार कर ली गई है और कार्यकारी समिति को प्रस्तुत कर दी गई है। नवम्बर 1999 में हुई 29वीं बैठक में कार्यकारी समिति ने भारत में क्लोरो फ्लूरो कार्बन के उत्पादन में चरणबद्ध तरीके से कमी और उसे समाप्त करने के लिए 49 मिलियन अमरीकी डालर अनुमोदित

मैनग्रोव-वनों में पर्यावणीय स्थिति

1554. श्री प्रभात सामन्तराय :

श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैनग्रोव वनों विशेषकर पूर्वी तट के मैनग्रोव वनों की पर्यावरणीय स्थिति के लिए तेजी से खतरा उत्पन्न हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन्हें अनाच्छादन से संरक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार कच्छ वनस्पति वनों के लिए विशेषतः पूर्वी घाट में खतरे की सूचना मिली है जिसका कारण मानवजनित गतिविधियों के साथ–साथ पशुओं को चराने और ईंधन लकड़ी के उपभोग हेतु कच्छ वनस्पति को काटने से दबाव का बढ़ना है। कच्छ वनस्पति के पारिस्थितिकीय और आर्थिक महत्व को समझते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 1986 में कच्छ वनस्पति और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और प्रबंधन पर एक स्कीम शुरू की थी। राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों

पर देश में 15 कच्छ वनस्पति क्षेत्रों को गहन संरक्षण के लिए निर्धारित किया गया है। संबंधित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सारे पुनर्जीवन, वृक्षारोपण और कच्छ वनस्पति की सुरक्षा के साथ साथ उनके संरक्षण के लिए समुदायों के बीच शिक्षा और जागरूकता लाने के लिए प्रबंध कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुदान दिए जाते हैं। देश में अतिरिक्त कच्छ वनस्पति क्षेत्रों का पता लगाने के लिए संबंधित राज्यों से परामर्श किया गया है।

कोजेन्ट्रिक्स विद्युत परियोजना

1555. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री माधव राव सिंधिया :

श्री मोइनुल हसन :

श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

श्री ई. एम सुदर्शन नाच्चीयप्पन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में कोजेन्ट्रिक्स विद्युत परियोजना के विरुद्ध जनहित में नेवाजी को छोड़ते हुए परियोजना के संबंध में प्रति–गांरटी करने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो 1000 मेगावाट की मंगलौर विद्युत परियोजना को स्थापित करने के लिए कोजेन्ट्रिक्स इनर्जी इंकार्पोरेशन और चाइना लाइट एण्ड पावर कम्पनी द्वारा प्रवर्तित मंगलौर विद्युत परियोजना (एम. पी.पी.) के प्रवर्तकों का जवाब और प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या मंगलौर विद्युत कम्पनी ने परियोजना से हटने का निर्णय ले लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कम्पनियों के इस कदम से भारत में निवेश करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को गलत संकेत मिला है;

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा विदेशी निवेशकों के भारत के विद्युत क्षेत्र में निवेश करने हेतु अच्छा वातावरण तैयार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(छ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को उक्त परियोजना को स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स कोजेन्ट्रिक्स इंक, जो मंगलौर पावर कंपनी के एक मुख्य प्रवर्तक थे, ने बताया है कि दिनांक 11 फरवरी, 2000 से कंपनी ने 1000 मेगावाट वाले मंगलौर विद्युत परियोजना एवं मंगलौर पावर कंपनी चाइना लाईट (मारीशस) लिमिटेड को सौंप दिया गया है जो मंगलौर पावर कंपनी में इक्विटी साझेदार है। मैसर्स कोजेन्ट्रिक्स ने कहा है कि इस परियोजना या कंपनी में अब उनकी रुचि नहीं है। दिनांक 2.2.2000 को मैसर्स सीएलपी इंटरनेशनल ने कर्नाटक सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया था कि वे संबंधित परियोजना को एक भारतीय साझेदार के साथ मिलकर परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें भारतीय पार्टनर मंगलौर पावर कंपनी में 30 प्रतिशत इक्विटी देगा तथा किसी भी हालत में सीएलपी इंटरनेशनल लिमिटेड 50 प्रतिशत शेयर होल्डिंग अपने पास रखेगा।

(ग) जी, नहीं। मेसर्स कोजेन्ट्रिक्स इनर्जी इंक, न कि मंगलौर पावर कंपनी, ने इस परियोजना को छोड़ने का फैसला किया है।

(घ) परियोजना छोड़ने के बारे में मैसर्स कोजेन्ट्रिक्स इनर्जी ने कोई कारण नहीं बताया है।

(ङ) मैसर्स कोजेन्ट्रिक्स इनर्जी इंक के परियोजना छोड़ने से सरकार को ऐसा नहीं महसूस हुआ है कि विदेशी निवेशक भारत में इस कारण से निवेश नहीं करेंगे।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

शीशम के पेड़

1556. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में बिहार में शीशम के पेड़ सूख रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार राज्य सरकार ने शीशम के पेड़ों को बचाने के लिए केन्द्र सरकार से कोई सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा शीशम के पेड़ों की संख्या को कम होने से रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मंराडी) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तरी बिहार के अधिक पुराने बागानों और अधिकांशतः कृषि भूमियों पर लगे शीशम के वृक्षों (दलवेर्जिया सिस्सू) के बड़े पैमाने पर सूखने के बारे मे सूचनाएं मिली हैं।

(ग) से (ङ) शीशम के वृक्ष सूखने के बारे में सूचना प्राप्त होने तथा इस संबंध में कुछ किए जाने के लिए बिहार सरकार की ओर से अनुरोध प्राप्त होने के बाद भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् (आई सी एफ आर ई) से इस समस्या का गहराई से अध्ययन करने का अनुरोध किया गया था। तदनुसार आई सी एफ आर ई को वैज्ञानिकों का एक दल उत्तरी बिहार के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने हेतु भेजा गया था। उक्त दल द्वारा जांच करने पर यह पाया गया कि सूख रहे शीशम के छोटे–बड़े सभी वृक्षों की जड़ों में फ्यूजेरियम फफूंद लगने के कारण उनकी मूसला एवं पार्श्विक भरण जड़ें सड़ रही थीं। ऐसा वर्षा के दौरान पानी की ठीक से निकासी न हो पाने और जड़ों में लगातार पानी इकट्ठा होते रहने के कारण हो रहा था। नमी की हालत में सख्त और चिकनी मिट्टी में जड़ों पर फ्यूजेरियम पैथोजीन्स के हमले की संभावना रहती है, जिसके कारण अन्ततः वृक्ष सूख जाते हैं।

शीशम के वृक्षों को सूखने के बचाने के लिए किए गए/किए जाने वाले उपचारात्मक उपाय निम्नलिखित हैं :–

(1) सूखे हुए वृक्षों को अविलम्ब काट दिया जाना चाहिए ताकि पैथोजीन्स और कीट और आगे न पनप सकें।

(2) सड़कों व नहर के किनारों पर लगे बागान के वृक्षों की कटाई बंद की जानी चाहिए।

(3) शीशम की मोनोकल्चर खेती को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे वृक्ष जो उत्तरी बिहार में शीशम के साथ–साथ मिलीजुली फसल में उगाने के लिए उपयुक्त हैं, उनकी पहचान अर्जुन, गूरेल, जामुन, पोपलर और यूकेलिप्टस वृक्ष के रूप में की गई है।

(4) शीशम के वृक्ष केवल उपयुक्त स्थलों पर लगाए जाने चाहिए विशेषकर ऐसे स्थलों पर जहां पानी की ठीक से निकासी हो सके।

(5) आई सी एफ आर ई वृक्षों के सूखने के कारणों की जांच करने के लिए एक समन्वित अनुसंधान परियोजना शुरू करेगी और इस संबंध में उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेगी।

बागमती नदी पर पुल का निर्माण

1557. श्री मोहम्मद अनवारूल हक : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागमती नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है जिससे बिहार राज्य के पटना सिवहर और सीतामढ़ी जिलों का समूचा क्षेत्र प्रभावित होता है;

(ख) क्या पटना–सिवहर–सीतामढ़ी सड़क उससे बुरी तरह प्रभावित होती है;

(ग) क्या मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 भारी यातायात के कारण प्रयोग के लायक नहीं रह जाती है और लोगों को नाव द्वारा करने पर विवश होना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो क्या मुजफ्फरपुर–सीतामढ़ी के बीच कोच्छा–रूमी सैदपुर गांवों में कोई पुल बनाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) पटना –मुजफ्फरपुर झपहा खंड ही राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा है जब कि बागमती बेल्ट में पड़ने वाला झपहा–सिवहर–सीतामढ़ी खंड एक राज्यीय सड़क है। सिवहर और सीतामढ़ी जिलों में इस सड़क का कुछ हिस्सा बागमती नदी की बाढ़ से प्रभावित होने की सूचना है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 पर मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बीच विद्यमान जलगत नदीपथ के स्थान पर रूमी सैदपुर और मकसूदपुर के समीप कटुंझा में दो उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

[हिन्दी]

उपकर में संग्रहित धनराशि का उपयोग

1558. श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री सुकदेव पासवान :

श्री नवल किशोर राय :

श्री अकबर अली खांदोकर :

श्री अरुण कुमार :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल और डीजल पर लगे उपकर से एकत्रित की गई राशि को देश की सड़कों के निर्माण और रख–रखाव पर राज्यवार खर्च करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे एकत्रित की गई राशि उक्त उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त नहीं हो रही है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के पहले नौ महीनों के दौरान उपकर के जरिये कुल कितनी राशि एकत्रित की गई; और

(घ) अभी तक इस राशि को खर्च करने हेतु क्या प्रावधान किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : जी हां, वर्ष 1999–2000 के बजट प्रस्तावों के अनुरूप।

(ख) से (घ) प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। अतः इस स्थिति में कोई ब्यौरे नहीं दिए जा सकते।

[अनुवाद]

अरुणाचल प्रदेश में देहांग और सुबानसीरी पन विद्युत परियोजना

1559. श्री बी. वी. एन. रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास करने की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में देहांग और सुबानसीरी पन विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं में निवेशित राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी हां। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि अरुणाचल प्रदेश में देहांग तथा सूबनसीरी हाइडल परियोजनाओं के विकास कार्य को ब्रह्मपुत्र बोर्ड से केन्द्रीय क्षेत्र में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी) को स्थानांतरित कर दिया जाए।

(ख) और (ग) देहांग (13,400 मेगावाट) तथा सूबनसीरी (7300 मेगावाट) हाइड्रो इलेक्ट्रिक (एचई) परियोजनाओं को तीन चरणों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ब्रह्मपुत्र बोर्ड सूबनसीरी एचई प्रोजेक्ट के निचले बांध स्थल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार की जा रही है और जून 2000 तक इसके पूरा होने की संभावना है और एनएचपीसी ने डीपीआर की तैयारी के साथ स्वयं को जोड़ रखा है देहांग परियोजना के निचले स्थल का डी पी आर ब्रहमपुत्र बोर्ड द्वारा मार्च, 2002 तक पूरा हो जाने की संभावना है तथा आगे के कार्यकलापों को एनएचपीसी द्वारा विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करके पूरा किया जाएगा। देहांग तथा सूबनसीरी दोनों परियोजनाओं के ऊपरी तथा मध्यम स्थलों के सर्वेक्षण तथा जांच कार्यों को एनएचपीसी को सौंप दिया गया है तथा इसके लिए सर्वेक्षण एवं जांच और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को एनएचपीसी द्वारा 2003 तक पूरा किये जाने की संभावना है इन परियोजनाओं को चरणबद्ध ढंग से 11वीं योजना के अन्त तक तथा 12वीं योजना के दौरान चरणबद्ध ढंग से पूरा किया जाना है। सर्वेक्षण तथा जांच कार्यों एवं डी पी आर तैयारी की लागत अनुमानतः 300 करोड़ होगी।

वनों के संरक्षण और विकास हेतु प्रस्ताव

1560. चौधरी तेजवीर सिंह :

श्री होलखोमांग हौकिप :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारो से पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके अपने राज्यों में वन के संरक्षण और पर्यावरण के विकास हेतु प्रस्ताव/योजनाएं मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) इस प्रयोजन हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वनों के सतत विकास और उनकी सुरक्षा करते हुए देश के एक तिहाई भू–भाग को वनावरण के अंतर्गत लाने के लिए एक 20 वर्षीय योजना अर्थात् राष्ट्रीय वानिकी कार्य योजना (एन एफ ए पी) तैयार की है। इस योजना के वास्तविक लक्ष्यों और इसे कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है। एन एफ ए पी को वित्तपोषित करने के क्रम में इसे 27 सितम्बर,1999 को विभिन्न बहुपक्षीय/द्विपक्षीय आदाता एजेंसियों के समक्ष रखा गया था।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की प्रमुख वनीकरण स्कीमों के तहत राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय वानिकी योजना के तहत राज्यों के वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों (20 वर्ष के लिए) को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	वित्तीय लक्ष्य (मिलियन रुपए)	वास्तविक लक्ष्य (मिलियन हैक्टेयर)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	51334.12	4.93
अरुणाचल प्रदेश	14113.59	0.15

1	2	3
असम	20720.35	1.10
बिहार	62067.66	4.21
गोवा	1383.97	0.03
गुजरात	23246.66	2.62
हरियाणा	15767.29	0.87
हिमाचल प्रदेश	108514.70	0.90
जम्मू और कश्मीर	57177.19	6.27
कर्नाटक	113377.00	3.21
केरल	26082.89	0.26
मध्य प्रदेश	230289.44	7.39
महाराष्ट्र	84914.21	3.36
मणिपुर	19436.16	1.08
मेघालय	1762.65	
मिजोरम	19220.90	0.62
नागालैंड	4623.50	
उड़ीसा	27152.33	0.44
पंजाब	22612.68	0.66
राजस्थान	191144.88	5.14
सिक्किम	8493.07	0.28
तमिलनाडु	27188.00	0.71
त्रिपुरा	4623.50	0.08
उत्तर प्रदेश	32206.18	3.24
पश्चिम बंगाल	57278.85	0.61
अंडमान और निकोबार	7587.83	0.07
कुल	1232321.60	48.23

विवरण-II

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की प्रमुख वनीकरण स्कीमों के तहत 1996-97 से 1998-99 तक राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी राशियां (1996-97, 1997-98 और 1998-99) लाख रुपए			
	आईएई पीएस	एओएफ एफपीएस	एनटीएफपी	एएसटी आरपी
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	381.61	357.41	142.25	16.56
अरुणाचल प्रदेश	158.12	18.23	30.84	
असम	164.94	274.61	42.50	
बिहार	179.41	129.58	28.00	96.38
गोवा	0.36	14.61	27.54	
गुजरात	67.66	415.81	227.47	21.85
हरियाणा	328.09	711.11	114.50	
हिमाचल प्रदेश	149.70	390.28	75.71	
जम्मू और कश्मीर	759.35	234.65	398.26	12.16
कर्नाटक	438.19	515.15	126.87	35.83
केरल	367.45	297.43	34.51	
मध्य प्रदेश	793.02	1193.5	195.05	170.92
महाराष्ट्र	202.77	181.58	107.17	50.32
मणिपुर	645.70	375.57	136.60	9.36
मेघालय	21.79	74.46	12.00	
मिजोरम	255.57	731.03	51.40	6.35
नागालैंड	1.22	14.23	15.00	6.00
उड़ीसा	229.99	298.55	229.48	
पंजाब	205.30	240.12	113.50	
राजस्थान	796.62	824.58	236.31	17.31
सिक्किम	485.79	211.17	206.81	
तमिलनाडु	34.34	350.64	48.00	
त्रिपुरा	154.78	182.68	24.50	4.55
उत्तर प्रदेश	1777.41	778.53	53.00	
पश्चिम बंगाल	297.35	455.31	142.82	
कुल	8896.53	9270.82	2820.09	447.59

स्कीमें

आईएईपीएस– एकीकृत वनीकरण एवं पारि–विकास परियोजना स्कीम।

एओएफएफपीएस – क्षेत्रोन्मुख ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम।

एनटीएफपी – औषधीय वनस्पतियों सहित गैर–इमारती लकड़ी वनोत्पाद स्कीम।

एएसटीआरपी – लाभ में समान हिस्सेदारी आधार पर अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार में अनुसूचित जातियों और ग्रामीण निर्धनों की सहभागिता।

सरकारी क्षेत्र की तेल इकाइयों द्वारा हड़ताल

1561. श्री ब्रह्मानन्द मंडल :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के कर्मचारी हाल ही में हड़ताल पर चले गए थे जिससे उपक्रमों को भारी घाटा हुआ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों को अनुमानतः कितना घाटा हुआ;

(ग) किस प्रकार और किस सीमा तक मुद्दों का समाधान किया गया है; और

(घ) भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ख) तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कुछ कार्यकारियों तथा संघ से अलग कर्मचारियों ने वेतन संशोधन से संबंधित विभिन्न मांगों पर जोर डालने के लिए हड़ताल कर दी। चूंकि हड़ताल उसी दिन कुछ घंटों के भीतर समाप्त कर दी गई, इसलिए क्षति सैद्धान्तिक तथा नाममात्र की (अधिकांशतः क्षति पूर्ति कर ली गई) हुई।

(ग) और (घ) ओ एस ओ ए (तेल क्षेत्र अधिकारी संघ) के विभिन्न पदधारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर वार्ताओं के अनेक दौर आयोजित किए गए। संबंधित तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डों को अपनी सक्षमता में आने वाले मुद्दे सुलझाने के लिए अब शक्तिप्रदत्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

आने वाली सेलुलर टेलीफोन कालें

1562. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलुलर टेलीफोनों पर आने वाली कालें 1 नवंबर 1999 से ही मुफ्त करने का विचार था परन्तु एमटीएनएल और डीओटी के विरोध के कारण ऐसा नहीं हो सका;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) दिनांक 17 सितम्बर, 1999 को जारी किए गए 'कालिंग पार्टी पेज' (सीपीपी) व्यवस्था को लागू करने से संबंधित टीआरएआई द्वारा जारी विनियम के तहत सेल्यूलर टेलीफोनों पर आने वाले इनकमिंग कालों की, 1 नवंबर 1999 से निःशुल्क किया जाना था। इस व्यवस्था के अनुसार एक पीएसटीएन उपभोक्ता द्वारा किसी मोबाइल उपभोक्ता को काल करने पर काफी अधिक भुगतान करना पड़ता। 'टेलीकाम वाच–डावा' नामक एक उपभोक्ता संगठन ने अन्य बातों के साथ–साथ दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी की गई 'सीपीपी' व्यवस्था को खारिज करवाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में दिनांक 13.10.99 को एक जनहित याचिका दायर की थी, क्योंकि इससे बुनियादी सेवा के उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। दूरसंचार सेवा विभाग तथा एमटीएनएल ने इस व्यवस्था को विरोध नहीं किया। तथापि, बुनियादी सेवा प्रदाताओं तथा सेल्यूलर आपरेटरों के मध्य राजस्व बंटवारे की प्रस्तावित व्यवस्था दूरसंचार सेवा विभाग/एमटीएनएल तथा अन्य बुनियादी सेवा प्रदाताओं के हितों के काफी विरुद्ध थी। राजस्व बंटवारे के इस विवादित विनियम से क्षुब्ध होकर एमटीएनएल ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका नं. 1999 को 6543 दायर की जिसमें दूरसंचार विभाग की ओर से भी बहस की गई।

(ग) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 17 जनवरी, 2000 को विवादित विनियम तथा सीपीपी व्यवस्था को वर्तमान स्वरूप में लागू करने की बात को खारिज करने का निर्णय दिया। जैसा कि माननीय न्यायमूर्तियों ने उपर्युक्त निर्णय में कहा है, टीआरएआई को "सीपीपी" व्यवस्था को लागू करने के लिए इसके स्वरूप को बदलना होगा।

[अनुवाद]

डाकघरों और एसटीडी/पीसीओं बूथों का खोला जाना

1563. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

योगी आदित्यनाथ :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों, विशेषतः चमोली, पौड़ी और टेहरी गढ़वाल की कितनी ग्राम पंचायतों ने डाकघर, एसटीडी/पीसीओ और फैक्स बूथ लगाए जाने के लिए आवेदन किया है;

(ख) उक्त बूथों और डाकघरों में से कितने स्वीकृत हुए हैं;

(ग) वर्ष 1999 के अंत में कितने बूथों और डाकघरों ने काम करना शुरू कर दिया है;

(घ) हासन क्षेत्र में कितने डाकघर कार्यरत हैं; और

(ङ) वर्ष 1999–2000 के दौरान इस क्षेत्र में स्थान–वार कितने डाकघर स्थापित करने का विचार है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) उत्तर प्रदेश में, 105 ग्राम पंचायतों ने डाकघर खोलने के लिए आवेदन किया है। ऐसी 6 ग्राम पंचायतें चमोली में, 9 पौड़ी में और 15 टिहरी गढ़वाल जिले में है।

(ख) उपर्युक्त आवेदनों में से, उत्तर प्रदेश में, 19 ग्राम पंचायतों में डाकघर खोले गए हैं। ऐसी 1 ग्राम पंचायत चमोली जिले में 1 पौड़ी जिले में और 9 टिहरी गढ़वाल जिले में हैं।

(ग) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में, वर्ष 1999 के अंत तक 2568 डाकघर कार्य कर रहे हैं। इनमें से, चमोली जिले में 233, पौड़ी जिले में 433 और टिहरी गढ़वाल जिले में 275 डाकघर कार्य कर रहे हैं।

(घ) हसन क्षेत्र में 418 डाकघर कार्य कर रहे हैं।

(ङ) अब तक, हसन जिले में नल्लूर गांव में एक शाखा डाकघर खोलने का अनुमोदन किया गया है।

दूरसंचार सेवा विभाग का उत्तर : उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क), (ख), और (ग) से संबंधित सूचना शून्य समझी जाए।

राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग

1564. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री भीम दाहाल :

श्रीमती रीना चौधरी :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग ने सरकार को किस तिथि को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी;

(ख) आयोग द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विचार मांगे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) केन्द्र सरकार को किन–किन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अब तब अपने विचार भेज दिए हैं;

(च) रिपोर्ट के क्रियान्वयन के फलस्वरूप केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों पर कितना अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है; और

(छ) सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) (क) प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (प्र.रा.न्या.वे.आ.) ने ग्यारह नवम्बर, 1999 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

(ख) प्र.रा.न्या.वे.आ. की मुख्य सिफारिशें, अन्य बातों के साथ–साथ, तीन समान संवर्गों में न्यायिक सेवा के अनेक संवर्गों के आमेलन, संवर्गवार स्वतंत्र वेतनमान, केन्द्र द्वारा राज्यों में न्याय के प्रशासन पर व्यय में भागीदारी, सेवानिवृति की आयु में वृद्धि, अन्य सीमांत फायदे, आदि से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत के उच्चतम न्यायालय के अंतिम निदेश के अनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से 3.2.2000 से छह सप्ताह के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपने अभिमत भेजने की अपेक्षा की गई है।

(ङ) अभी तक 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने अभिमत भेज दिए हैं।

(च) प्र.रा.न्या.वे.आ. की रिपोर्ट के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक वर्ष के लिए प्रभावी किए जा रहे पुनरीक्षित वेतनमानों पर अतिरिक्त वित्तीय भार 95.71 करोड़ रुपए तक का होगा। तथापि, प्र.रा.न्या.वे.आ. ने अतिरिक्त व्यय का प्राक्कलन नहीं दिया है जो विभिन्न भत्तों पर होगा।

(छ) प्र.रा.न्या.वे.आ. की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई की जा रही है। यह प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी हो जाएगी।

[हिन्दी]

बाजार में गैर-सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की हिस्सेदारी

1565. श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाजार में सरकारी क्षेत्र तेल कंपनियों की तुलना में गैर–सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक तेल कंपनी की कुल व्यापार में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है;

(ख) क्या बाजार में गैर–सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की हिस्सेदारी सरकारी क्षेत्र की सभी चारों कंपनियों की तुलना में अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) बाजार में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की हिस्सेदारी में कमी होने के कारण उनके मुनाफे पर प्रभाव पड़ा; और

(ङ) इस गिरावट के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को कितना घाटा हुआ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) निजी क्षेत्र अनुज्ञप्त नियंत्रणमुक्त और ऐसे उत्पादों का विपणन करता है जिनकी समानान्तर विपणन योजना (पीएमएस) के अंतर्गत अनुमति है। तथापि, पी एम एस के अंतर्गत केवल एस के ओ/एलपीजी के आयातों की औपचारिक रूप से रिपोर्ट दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों की तुलना में प्रतिशत हिस्सा नीचे दिया गया है :

	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	निजी/पी एमएस
1996–97	97.5	2.5
1997–98	94.7	5.3
1998–99	93.6	6.4

(ख) से (ङ) जी नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों का बाजार हिस्सा, निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों से बहुत अधिक होता है।

दो से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोकना

1566. श्री रामपाल सिंह :

श्री अशोक पटेल :

क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को लोक सभा के चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ग) 22.12.92 को तत्कालीन सरकार द्वारा एक विधेयक, अर्थात् संविधान (उनासीवां संशोधन) विधेयक, 1992 राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था जिसमें ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसकी दो से अधिक संतान हैं, संसद के सदन का या राज्य विधान मंडल का सदस्य चुने जाने या होने के लिए निरर्हित करने के उपबंध किए थे जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण और छोटे कुटुम्ब मापमान को बढ़ावा दिया जा सके। विधेयक, अभी तक उस सदन में विचार किए जाने और पारित किए जाने के लिए लंबित है।

पुराने विद्युत संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि

1567. श्री बृजलाल खाबरी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए नई विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के बजाए पुरानी विद्युत परियोजनाओं की क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्य हेतु कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) नवीन क्षमता अभिवृद्धि के लगभग 25 प्रतिशत लागत पर अतिरिक्त विद्युत उत्पादन शक्यता के दोहन के लिए पुराने विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के महत्व को समझते हुए एवं 78 ताप विद्युत केन्द्रों एवं 55 जल विद्युत स्कीमों के लिए नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू करने के बाद भारत सरकार ने वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए पुराने एवं निष्क्रिय संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण में निवेश हेतु एक स्कीम का प्रस्ताव किया है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2000–01 के दौरान राज्य सरकार एवं संघ शासित क्षेत्रों को 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय योजना सहायता दी जाएगी। हालांकि, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन नई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के साथ–साथ ही किया जाएगा।

[अनुवाद]

बिहार में तेल/गैस की खोज

1568. श्रीमती कान्ति सिंह :

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में तेल और गैस की खोज हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) उप सतही भूगर्भ की बेहतर समझ के लिए हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा बिहार में संभावनात्मक भूकम्पीय सर्वेक्षणों की योजना बनाई गई है। आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने अनुसंधान तथा विकास (आर एण्ड डी) कार्यक्रम के भाग के रूप में अब तक कोल बेड मिथेन के अन्वेषण के लिए चार अनुसंधान और विकास कूपों का वेधन किया है तथा इसका बिहार में चार अतिरिक्त स्थानों पर वेधन करने का भी प्रस्ताव है।

डच सहयोग से अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास

1569. श्रीमती निवेदिता माने : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए हालैंड का सहयोग मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ग) रेल और सड़क–परिवहन पर दबाव को कम करने के लिए सस्ता परिवहन उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से अंतर्देशीय जलमार्गों को उच्च प्राथमिकता देने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) भारत–डच सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 1 गंगा नदी पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं :–

(1) पटना इलाहाबाद खंड में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास से संबंधित पायलट परियोजना जो 1987 और 1989 के बीच कार्यान्वित की गई थी।

(2) प्राथमिकता–आर्थिक अध्ययन।

(3) पटना और हल्दिया के बीच तकनीकी सहायता पायलट परियोजना।

(ग) सरकार ने देश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। 9वीं योजना में अंतरर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए 408 करोड़ रुपये का अनुमोदित परिव्यय है जो पिछली योजनाओं की तुलना में काफी अधिक है। अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र के विकास के लिए गैर सरकारी क्षेत्र से निवेश प्राप्त करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन और नीतिगत दिशा–निर्देश शामिल करते हुए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धन का आबंटन

1570. श्री जी. एम. बनातवाला : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की टूट–फूट को ठीक करने पर आने वाली अनुमानित लागत क्या है;

(ख) राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव मूल कार्य और विशेष मरम्मत कार्यों के लिए नौवीं योजना में राज्यवार कितना धन आबंटित किया गया है;

(ग) नौवीं योजनावधि के दौरान योजना आबंटन के लिए किन विशिष्ट कार्यों की पहचान की गई है;

(घ) उक्त योजना के तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कितना वास्तविक व्यय किया गया और धनराशि जारी की गयी; और

(ङ) राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की खस्ता हालत को ठीक करने के लिए उठाए जाने वाले अन्य विशेष कदमों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) लगभग 5500 करोड़ रुपये।

(ख) निधियों का आबंटन वित्तीय वर्षवार किया जाता है न कि पंचवर्षीय योजनावार। 9वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए आबंटित निधियां इस प्रकार हैं :

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल कार्य) लाख रुपये	अनुरक्षण एवं मरम्मत लाख रुपये	विशेष मरम्मत लाख रुपये
1997–98	3882.48	2268.11	–
1998–99	6744.46	2090.63	–
1999–2000	10737.00	2384.00	1610.00

(ग) 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में विस्तृत इंजीनियरी, भूमि अधिग्रहण, बाइपासों का निर्माण, रोड ओवर ब्रिज/अंडर ब्रिज, मिसिंग लिंक, सुदृढ़ीकरण तथा पुलों और पुलियों को चौड़ा करना, पुनः निर्माण और मरम्मत के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 613 करोड़ रुपये के कार्य शुरू किए जाने की संभावना है।

(घ) आंबटन और व्यय के आंकड़े इस प्रकार हैं :

वर्ष	आबंटन लाख रुपये	व्यय लाख रुपये
1997–98	3882.48	3900.00
1998–99	6744.46	6744.46
1999–2000 जनवरी, 2000 तक	10737.00	4790.00

(ङ) इसके अतिरिक्त यदि व्यावहारिक पाया गया तो निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाइपासों के निर्माण, सड़क उपरि पुल और उन्हें चौड़ा करने के लिए कुछ परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

1571. श्री माधव राव सिंधिया :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री एम. के. सुब्बा :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 दिसम्बर, 1999 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "व्हेअर 21 सेन्चुरी मीन्स ए लाइट बल्ब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में देश के कितने गांवों में विद्युतीकरण किया गया और योजना के अंतर्गत राज्यवार किन लक्ष्यों पर विचार किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य ने 31.3.1989 की स्थिति के अनुसार 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया है। महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने रिपोर्ट की है कि इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख में उल्लिखित गांव "डांड" को 1987 में विद्युतीकरण कर दिया गया था, परंतु चक्रवातों के कारण एचटी और एलटी तारें टूट गई। इस समस्या को एमएसईबी द्वारा ठीक कर दिया गया और गांव को आपूर्ति पुनः प्रदान कर दी गई।

(ग) निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में विद्युतीकृत गांवों का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में विद्युतीकृत किए गए गांवों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	उपलब्धियां (दिसम्बर 99 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश		@		@	@
2.	अरुणाचल प्रदेश	योजना आयोग	38	योजना आयोग	48	शून्य
3.	असम	द्वारा अभी	20	द्वारा अभी	शून्य	उपलब्ध नहीं
4.	बिहार	अंतिम रूप	5	अंतिम रूप	8	6 (डी)
5.	गोवा	नहीं दिया		नहीं दिया	$	$
6.	गुजरात	गया है।	9	गया है।	4	@
7.	हरियाणा		@		@	@
8.	हिमाचल प्रदेश		139		45	4
9.	जम्मू और कश्मीर		14		उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
10.	कर्नाटक		शून्य		13	2(बी)
11.	केरल		@		@	@
12.	मध्य प्रदेश		483		300	37
13.	महाराष्ट्र		$		$	$
14.	मणिपुर		52		50	2

1	2	3	4	5	6	7
15.	मेघालय		43		शून्य	शून्य (ए)
16.	मिजोरम		12		3	1
17.	नागालैंड		शून्य		10	शून्य (सी)
18.	उड़ीसा		800		817	636
19.	पंजाब		@		@	@
20.	राजस्थान		698		685	132 (ए)
21.	सिक्किम		$		$	$
22.	तमिलनाडु		@		@	@
23.	त्रिपुरा		15		3	2
24.	उत्तर प्रदेश		851		711	357 (ए)
25.	पश्चिम बंगाल		48		83	142 (ए)
	कुल (राज्य)		3207		2780	1321
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)					
	कुल (अखिल भारत)		3207		2780	1321

@ शत–प्रतिशत विद्युतीकृत गांव
$ 1981 की जनगणना अनुसार शत–प्रतिशत विद्युतीकृत गांव।
एन.ए. - उपलब्ध नहीं
(ए) 1.4.99 से 30.11.99 तक उपलब्धियां
(बी) 1.4.99 से 31.10.99 तक उपलब्धियां
(सी) 1.4.99 से 30.9.99 तक उपलब्धियां
(डी) 1.4.99 से 31.8.99 तक उपलब्धियां

[हिन्दी]

न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग

1572. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के लिए हिन्दी का प्रयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) से (ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (1) में यह उपबंध है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। इस बात के होते हुए भी अनुच्छेद 348 (2) राज्य के राज्यपाल को, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के प्रयोग या प्रयोग की गई किसी अन्य भाषा को प्राधिकृत करने के लिए सशक्त करता है। तथापि, यह उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होता है।

उच्चतम न्यायालय में, कार्यवाहियों में हिन्दी के प्रयोग की बाबत संसद द्वारा कोई विधि पारित नहीं की गई है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या पारित आदेश के प्रयोजनों के लिए, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा के प्रयोग को प्राधिकृत करेगा। चार राज्यों, अर्थात् बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्यपालों ने, इन राज्यों के उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, हिन्दी के प्रयोग को प्राधिकृत कर दिया है।

[अनुवाद]

तेल शोधक कारखानों का विस्तार

1573. श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तेल–शोधक कारखानों से अच्छे परिणाम नहीं मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन चुनौतियों से मुकाबला करने हेतु प्रौद्योगिकीय उन्नयन और तेल–शोधक कारखानों के विस्तार हेतु कुछ प्रभावी उपाय उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तेल–शोधक कारखानों के इस प्रौद्योगिकीय उन्नयन में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र रिफाइनरियां और सरकार रिफाइनरियों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन और विस्तार पर बहुत जोर देती रही है। इस संबंध में अनेक उपाय किए गए हैं और निरन्तर रूप से किए जा रहे हैं। इनमें द्वितीयक संसाधन इकाइयों की स्थापना, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण उपाय, ईंधन गुणवत्ता में सुधार आदि शामिल हैं। अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र रिफाइनरियों का विस्तार कर दिया गया है अथवा उनके विस्तार की योजनाएं बनाई गई हैं।

(ङ) निजी क्षेत्र डिजाइन और परामर्श सेवाएं प्रदान करने, सामग्री, उपस्कर आपूर्तियों, निर्माण एवं उत्थापन सेवाएं प्रदान करने आदि के द्वारा प्रौद्योगिकीय उन्नयन और रिफाइनरी विस्तार परियोजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों की सहायता कर रहा है।

पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेन्सियों की संख्या में वृद्धि

1574. श्री तूफानी सरोज :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री ए. कृष्णास्वामी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के पेट्रोल पंपों और रसोई गैस की एजेंसियों की संख्या में वृद्धि करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है,

(ग) इस समय देश में पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों की संख्या कितनी है तथा उन्हें प्रतिमाह आपूर्ति की जा रही रसोई गैस की कुल मात्रा कितनी है;

(घ) हाल की रसोई गैस विपणन योजना में कितनी रसोई गैस एजेंसियां शामिल की गई;

(ङ) रसोई गैस विपणन योजना के अंतर्गत रसोई गैस डीलरों की नियुक्ति के लिए लम्बित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(च) दो वर्षों से भी पहले जिन आवेदकों ने रसोई गैस एजेंसी के लिए आवेदन किया था उन्हें अभी तक साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (च) एल पी जी और एम एस/एच एस डी की बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिए विभिन्न विपणन योजनाओं से लम्बित 2848 और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप तथा 2101 और खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप खोली जानी हैं।

1.10.1999 की स्थिति के अनुसार देश में 5838 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और 17299 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप प्रचालनरत हैं। वर्ष 1999–2000 के दौरान देश में एल पी जी की अनुमानित खपत 5856 टी एम टी है।

तेल कंपनियों द्वारा पहले से विज्ञापित स्थानों के लिए साक्षात्कारों का आयोजन मुख्यतः इस अवधि के दौरान डीलर चयन बोर्डों के कार्यरत न रहने के कारण नहीं किया जा सका। डीलर चयन बोर्डों को हाल ही में भंग कर दिया गया है।

हल्दिया गोदी परिसर में तलकर्षण कार्य

1575. श्री अनिल बसु :

श्री लक्ष्मण सेठ :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों में तलकर्षण कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हल्दिया गोदी परिसर में नौवहन चैनल का अतिरिक्त तलकर्षण करने हेतु धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस धनराशि का व्यय किस प्रकार किया गया है;

(च) क्या इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो अतिरिक्त तलकर्षण शुरू किए जाने के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) प्राकृतिक कारणों से पट्टियों में गहराई में कमी के अलावा अपेक्षित संख्या में निकर्षक उपलब्ध न होने के फलस्वरूप निकर्षण कार्य की प्रगति धीमी है।

(ग) जी हां।

(घ) कलकत्ता पत्तन न्यास जो पिछले कुछ समय से गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा है, को नदी निकर्षण और अनुरक्षण के लिए सन् 1968–69 से सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा कलकत्ता पत्तन न्याय को प्रदान की जा रही राहत को जारी रखने के मामले की जनवरी, 94 में पिछली बार जांच की गई थी और अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्णय लिया गया था कि :

(i) नदी निकर्षण और अनुरक्षण से प्रत्यक्षतः संबंधित मदों की लागत और वर्ष 1992–93 और उसके बाद हल्दिया जाने वाली नौवहन चैनल के अनुरक्षण निकर्षण से प्रत्यक्षतः संबंधित मदों की लागत की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, परंतु हल्दिया चैनल के निकर्षण पर पूंजीगत व्यय संबंधी मूल्यह्रास होने से सब्सिडी के लिए हकदारी नहीं होगी।

(ii) 'आन एकाउंट भुगतान' के संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु कलकत्ता पत्तन न्यास की सहायता करने के लिए पिछले वर्ष के दौरान सब्सिडी के लिए देय राशि के 90 प्रतिशत तक का भुगतान अगले वर्ष के प्रारंभ में पत्तन को कर दिया जाए।

वर्ष 1992–93 से कलकत्ता पत्तन न्यास को जारी की गई निकर्षण सब्सिडी की राशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

वर्ष	करोड़ रुपये
1992–93	33.65
1993–94	63.71
1994–95	112.72
1995–96	110.71
1996–97	51.60
1997–98	117.58
1998–99	238.97

(iii) चालू वित्त वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन 1999–2000 में 247.54 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसमें से कलकत्ता पत्तन न्यास को निकर्षण कार्यों पर हुए व्यय के लिए 233.42 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी कर दी गई है।

(ङ) सरकार ने कलकत्ता पत्तन न्यास को अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करा दी है और पत्तन न्यास ने यह राशि नदी निकर्षण और अनुरक्षण पर खर्च कर दी है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों पर पावर ग्रिड कारपोरेशन की बकाया धनराशि

1576. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

श्री तरुण गोगोई :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ने पूर्वोत्तर राज्यों की विद्युत आपूर्ति उन पर बकाया धनराशि का भुगतान न किए जाने की स्थिति में रोक देने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार वित्तीय संकट का सामना कर रहे राज्यों को बकाया धनराशि के भार से उबरने हेतु इन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के घटक राज्यों की पारेषण शुल्क संबंधी बकाया देय राशि दिनों–दिन बढ़ती जा रही है। पावरग्रिड उत्तर पूर्वी राज्यों से समय–समय पर अनुरोध कर रहा है कि वे अपनी बकाया राशि का भुगतान करें। साथ ही पावरग्रिड ने इस क्षेत्र के लाभभोगी घटक राज्यों को यह सूचना भी भेजी है कि यदि वे बकाया राशि का भुगतान तत्काल नहीं करते तो पावरग्रिड के समक्ष विद्युत आपूर्ति को विनियमित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचेगा। हालांकि पावरग्रिड ने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की अपरिहार्य जरूरत के मद्देनजर वास्तव में विद्युत आपूर्ति विनियमन जैसा कोई कदम नहीं उठाया है।

(ग) से (ङ) उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में स्थित घटक राज्यों की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण इन राज्यों के लिए पारेषण शुल्क 35 पैसे प्रति कि.वा.घं. निर्धारित किया गया है। जो पावरग्रिड द्वारा अन्य क्षेत्रों में लागू टैरिफ शुल्क के लिए स्थापित मानदंडों की तुलना में काफी कम है। यहां तक की उत्तर–पूर्वी राज्य 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से आंकलित पारेषण शुल्क भी भुगतान नहीं कर रहे हैं। इससे पावरग्रिड को राजस्व की काफी हानि हुई है।

पर्यावरण और वन संबंधी सलाहकार समिति

1577. डॉ. बलिराम : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र और राज्य स्तर पर नियमित रूप से पर्यावरण और वन पर सलाहकार समिति गठित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समितियों के सदस्य सांसदों की सिफारिशों पर मनोनीत किये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तिथि के अनुसार विभिन्न राज्यों में कार्य कर रही सलाहकार समितियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नई सलाहकार समितियों को कब तक गठित कर दिया जायेगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा केवल केन्द्रीय स्तर पर ही सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है।

(ख) केन्द्रीय स्तर पर गठित समितियों में संसद सदस्यों की सिफारिशों पर सदस्यों को मनोनीत किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) केन्द्रीय स्तर पर गठित सलाहकार समितियों का पुनर्गठन समिति की वर्तमान अवधि समाप्त होने अथवा आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है।

[अनुवाद]

बिहार में पेट्रोल पम्प/एलपीजी एजेंसियां

1578. श्री सुकदेव पासवान :

श्री मोहम्मद अनवारूल हक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में बिहार में कितने एल पी जी और पेट्रोल पम्प कार्यरत हैं;

(ख) क्या राज्य में विशेषकर उत्तरी बिहार में एल पी जी और पेट्रोल की बहुत कमी है जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में प्रत्येक प्रखंड (ब्लाक) में एक एल पी जी एजेंसी और पेट्रोल पंप उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाये जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) 1.4.1999 की स्थिति के अनुसार बिहार में 214 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा 1131 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें प्रचालनरत थीं। बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए बिहार हेतु 1996–98 की वर्तमान विपणन योजना में 105 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा 102 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें सम्मिलित कर ली गई हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम और आयल इंडिया लि. का कार्यनिष्पादन

1579. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम और आयल इंडिया लिमिटेड के कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में संभाव्य कच्चे तेल के कुओं और प्राकृतिक गैस का ब्यौरा क्या है और इनकी अर्थक्षमता, उत्पादन और अब तक की उत्पादन लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का क्या कार्य निष्पादन रहा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) अन्वेषण प्रयासों के फलस्वरूप आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओएनजीसी) और आयल इंडिया लिमिटेड ने 1996–99 के दौरान लगभग 175 एम एम टी स्थानिक हाइड्रोकार्बन की अभिवृद्धि की है।

(ख) हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन क्रियाकलापों की अनिश्चितता के होते तेल और गैस की संभाव्यता वाले किसी भी स्थल के लिए आर्थिक व्यवहार्यता, उत्पादन और उत्पादन–लागत जैसे घटकों के लिए अनुमान तब तक नहीं लगाए जा सकते जब तक कि कूप का वास्तविक वेधन और परीक्षण नहीं कर लिया जाता।

(ग) ओएनजीसी द्वारा 1996–99 के दौरान खोजे गए राज्यवार सफल स्थल नीचे दिए गए हैं :

राज्य	सफल स्थलों की संख्या
असम	2
आन्ध्र प्रदेश	6
गुजरात	7
राजस्थान	1
तमिलनाडु	6
पश्चिमी अपतट	3
योग	25

असम में गैस क्रैकर परियोजना

1580. श्रीमती रानी नरह :

श्री पवन सिंह घाटोवार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में गैस–क्रैकर परियोजना के निर्माण की आधारशिला किस वर्ष रखी गयी थी;

(ख) लम्बित मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पिछली बैठक किस तारीख को आयोजित की गई थी;

(ग) परियोजना के निर्माण कार्य की प्रगति क्या है;

(घ) क्या किसी गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए;

(ङ) यदि हां, तो इस समझौते पर बातचीत की क्या प्रगति है; और

(च) परियोजना के कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) मैसर्स रिलायंस असम पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड द्वारा गैस क्रैकर परियोजना के निर्माण के लिए शिलान्यास 24.11.1995 को किया गया।

(ख) 4 जनवरी, 2000।

(ग) मैसर्स रिलायंस असम पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड ने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, संक्रिया अनुज्ञप्तिदाताओं और प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं के साथ विचार विमर्श आदि जैसे आरंभिक उपाय किए हैं। असम सरकार और मैसर्स रिलायंस असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड उक्त परियोजना की अवस्थापना के स्थल को अंतिम रूप देने में संलग्न है।

(घ) और (ङ) आयल इंडिया लिमिटेड और रिलायंस असम पेट्रोकेमिकल्स लि. के बीच फीडस्टाक आपूर्ति करार को परिसमाप्त क्षतियों से संबंधित मामलों के अलावा सभी मामलों में अंतिम रूप दे दिया गया है। परियोजना के क्रियान्वयन में प्रगति का सरकार द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

(च) फीडस्टाक आपूर्ति करार को अंतिम रूप दिए जाने और जमीन के अधिग्रहण पर परियोजना के 44 महीनों में चालू हो जाने की आशा है।

डीजल पर लगाए गए उपकर को वापिस लेना

1581. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1999–2000 के दौरान डीजल पर लगाए गए उपकर को वापिस लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इससे उसकी घरेलू कीमत में और अधिक वृद्धि को रोकने के लिए कहां तक मदद मिलेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) केन्द्रीय बजट 1999–2000 में डीजल पर 1 रुपया उपकर लगाया गया था। 29 फरवरी, 2000 को प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2000–01 में इसे वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कोचीन तेल शोधक कारखाने और मद्रास तेल शोधक कारखाने का तेल कंपनियों के साथ विलय

1582. श्री दिन्शा पटेल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने और मद्रास तेल शोधक कारखाने का तेल कम्पनियों के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कोचीन तेल शोधक कारखाने और मद्रास तेल शोधक कारखाने का तेल कम्पनियों के साथ विलय करने से तेल कम्पनियों को कितना लाभ पहुंचेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) सरकार को इस विषय में अभी अपना मत बनाना है।

पारिस्थितिकीय अनुकूल नौगम्य परिवहन का विकास

1583. डॉ. एस. वेणुगोपाल : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारिस्थितिकीय अनुकूल नौगम्य परिवहन को विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कौन से जलमार्गों का चयन किए जाने का विचार है; और

(ग) इस प्रकार के परिवहन को बड़े पैमाने पर शुरू करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने निम्नलिखित 10 जलमार्ग अभिनिर्धारित किए हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा सकता है :–

1. गंगा–भागीरथी–हुगली नदी प्रणाली
2. सुन्दरवन
3. ब्रह्मपुत्र
4. नर्मदा
5. महानदी
6. तापी
7. गोदावरी
8. कृष्णा
9. गोवा में मांडोवी और जुआरी नदियां तथा कंबरजुआ नहर
10. केरल में पश्चिमी तटीय नहर प्रणाली

(ग) फिलहाल 1–15 बिलियन टन कि.मी. अंतर्देशीय जल परिवहन द्वारा कार्गो की ढुलाई होती है। 9वीं योजना में इसे बढ़ाकर 20 बिलियन टन कि.मी. करने का लक्ष्य है जो अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए निधियों और जनशक्ति की उपलब्धता तथा अं.ज.प. (आई डब्ल्यू टी) बेड़े के सृजन और प्रचालन में गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी पर निर्भर करता है।

एल. पी. जी. एजेंसियां/पेट्रोल पम्प

1584. श्री एन. एन. कृष्णदास :

श्री रमेश चेन्नितला :

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन :

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कितने एल पी जी एजेंसियां और पेट्रोल पम्प आबंटित की गयी;

(ख) सरकार के पास एल पी जी एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों के आबंटन के लिए कुल कितने आवेदन लम्बित हैं;

(ग) क्या वर्तमान में एल पी जी एजेंसियों और पेट्रोल पंपों की संख्या, संबंधित राज्यों के लोगों की मांग की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1996–97, 1997–98, 1998–99 के दौरान पूरे देश में 174 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और 236 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित की गई थीं।

(ख) से (ङ) बढ़ी हुई मांग पूरी करने के लिए पूरे देश में 2101 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और 2848 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोली जाएंगी।

सिक्किम में नए टेलीफोन एक्सचेंज

1585. श्री भीम दाहाल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1999–2000 के दौरान सिक्किम में कुछ नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई; और

(घ) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) सूमिक, लाचुंग, लाचेन, यांग, येंग, हीगान, योक्सुम तथा ताशीडिंग में वर्ष 1999–2000 के दौरान 256 पी सी–डॉट टेलीफोन एक्सचेंजों की योजना है।

(ग) इस प्रयोजन के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित है।

(घ) सूमिक तथा यांग येंग में टेलीफोन एक्सचेंज चालू कर दिए गए हैं। शेष टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए उपस्कर संस्थापित किए जा रहे हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर विधान

1586. श्री आर. एल. भाटिया : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से कोई नया कानून बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अपहरण करने के अपराध को भी इसमें शामिल किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 1995, 1995 में राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य आतंकवादी और विध्वसंक क्रियाकलापों और उससे संबंधित मामलों का सामना करना था। राजनीतिक सर्वसम्मति के अभाव के कारण, विधेयक पारित नहीं हो सका और आज तक लंबित है।

(ग) और (घ) गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि प्रस्तावित विधेयक में सभी प्रकार के आतंकवादी अपराध, आतंकवादी/विध्वसंक कार्यों की परिभाषा की परिधि में आएंगे। अपहरण के अपराधों के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यान–हरण निवारण के संबंध में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय कंवेंशनों और "यान–हरण निवारण अधिनियम 1982" शीर्षक वाले भारतीय अधिनियम में ऐसे अपराधों के लिए आजीवन कारावास और जुर्माने के दंड के सामर्थ्यकारी उपबंध पहले से ही हैं।

नए स्टाक यार्ड के लिए प्रस्ताव

1587. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड ने एक नए स्टाक–यार्ड के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

न्यायपालिका को वित्तीय स्वायत्तता

1588. श्री पी. कुमारासामी : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेहतर न्याय प्रदान करने हेतु न्यायपालिका को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने का है, जिसकी मांग भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) सितंबर 1992 और नवंबर 1997 में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में हुए मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्पों में से एक संकल्प यह था कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्च न्यायालय और इसके नियंत्रणाधीन न्यायालयों की बाबत, सरकार को सूचित किए जाने के पश्चात् बजट आबंटन के भीतर धन का खर्च, उसके विनियोग और पुनर्विनयोग करने की शक्ति प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त, दिसंबर 1999 के मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में यह संकल्प किया गया था कि उच्च न्यायालय को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए पूर्ण स्वायत्तता दी जानी चाहिए।

भारत सरकार ने, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से, मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन द्वारा तथा इस विषय पर विचार करने के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा गठित तीन न्यायाधीशों वाली समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

किराया और माल भाड़ा निर्धारित करने हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन

1589. श्री नवल किशोर राय :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के संबंध में तथा किराया और माल भाड़ा निर्धारित करने के संबंध में सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त कठिनाइयों के कारण ट्रक उद्योग के समग्र विकास में बाधा आ रही है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 67 के तहत माल वाहनों के लिए किराया तथा माल भाड़ा दरें निर्धारित करने की शक्तियां राज्य सरकारों को प्राप्त हैं। जहां तक सड़क सुरक्षा का संबंध है, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 215 के तहत राष्ट्रीय, राज्यीय तथा जिला स्तर पर सड़क सुरक्षा परिषद् गठित करने का पहले ही प्रावधान है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लघु इस्पात मिलों को लाइसेंस

1590. श्री एम. ओ. एच. फारूक : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांडिचेरी सरकार द्वारा करैकल के टी. आर. पाटिनाम में लघु इस्पात मिलें लगाने के लिए कितने लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) किस आधार पर एक बहुत ही छोटे गांव में ये लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ग) इन मिलों द्वारा क्या प्रदूषण मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन मिलों से हुए प्रदूषण को रोकने का है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) पांडिचेरी सरकार ने करैकल के टी. आर. पाटिनाम गांव में एक लघु इस्पात मिल को लाइसेंस दिया है।

(ख) उक्त लाइसेंस पांडिचेरी सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार और पांडिचेरी प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुमोदन से निर्धारित किए गए औद्योगिक क्षेत्र में जारी किया गया है।

(ग) यह मिल सरकार द्वारा विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के तहत इस प्रकार की इकाइयों के लिए निर्धारित प्रदूषण मानकों का पालन करेगी।

(घ) और (ङ) इकाई ने निर्धारित मानकों के अनुपालन में आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण उपाय किए हैं और इसके कार्य–निष्पादन को नियमित रूप से मानिटर किया जाएगा। इन मानकों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में इकाई के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा स्वीकृति का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

आदिवासियों को स्वामित्व के अधिकार

1591. श्री भेरू लाल मीणा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आदिवासियों को भूमि पर स्वामित्व के अधिकार देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जो पिछले 25 से 30 वर्षों से भूमि पर काबिज हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे जंगली इलाकों में पिछले लगभग बीस वर्षो की अवधि से रह रहे आदिवासियों को स्वामित्व अधिकार देने के लिए कोई कार्य–नीति बनाई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस नीति को लागू किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 जो 25.10.80 से लागू हुआ, के उपबंधों के अनुसार कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना वन भूमि के आरक्षण को समाप्त करने तथा या वनेतर प्रयोजन के लिए इसके उपयोग करने की आदेश नहीं दे सकते हैं।

जिन मामलों में कृषि सहित किसी अन्य परियोजना के संबंध में वन क्षेत्रों के आरक्षण को समाप्त करने या वन भूमि के वनेतर उपयोग से संबंधित विशेष आदेश राज्य सरकार द्वारा 25.10.1980 से पूर्व जारी किए गए थे उनके संबंध में केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी जरूरी नहीं होगी। तथापि, कोई भी वन भूमि जो 25.10.1980 से राज्य सरकार की मंजूरी या 25.10.1980 के बाद से केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना कृषि सहित किसी अन्य वनेतर प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई गई अथवा लाई जा रही है, गैर–कानूनी है और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों का उल्लंघन है।

तथापि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत तैयार विभिन्न दिशानिर्देशों और नियमों के अनुसार, 1980 से पहले के

अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए एक उपबंध मौजूद है जिसके अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के राज्य सरकार द्वारा तैयार कतिपय मानदंडों के अनुसार मान्य श्रेणी के अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पहले निर्णय लिया गया था लेकिन अधिनियम के लागू होने से पूर्व अपने निर्णय को कार्यान्वित नहीं कर सकी।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रसोई गैस कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची

1592. श्रीमती मिनाती सेन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलपाईगुड़ी में बड़ी संख्या में लोग पिछले कई वर्षों से रसोई गैस कनेक्शन के लिये प्रतीक्षा सूची में है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और किस वर्ष से प्रतीक्षा सूची में है;

(ग) उक्त जिलों के लिये प्रतीक्षा सूची के निपटान के मार्ग में बाधायें क्यों आ रही हैं; और

(घ) प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और जिले में रसोई गैस से समूचे बकाये कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) फिलहाल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कम्पनियों के पास पंजीकृत प्रतीक्षा सूची में कुल संख्या 30535 है।

(ग) और (घ) नए कनैक्शन देशभर में एक चरणबद्ध ढंग से एल पी जी की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लैक और उनकी व्यवहार्यता के आधार पर जारी किए जाते हैं। तथापि 1.12.1999 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कम्पनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत समग्र प्रतीक्षा सूची को निपटा देने के लिए सरकार की योजना वर्ष 2000 के दौरान एक करोड़ एल पी जी कनेक्शन जारी करने की है।

उड़ीसा में डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण

1593. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय जिलेवार कितने डाकघर किराए के भवनों में चल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में विशेषकर प्रधान डाक घरों के भवनों के निर्माण का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इस समय उड़ीसा में किराये के भवनों में 970 डाकघर कार्य कर रहे हैं। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) जी हां। सरकार का राज्य में डाकघर भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपयुक्त भूमि और वित्तीय संसाधन उपलब्ध रहें। उड़ीसा में सभी प्रधान डाकघर विभागीय भवनों में कार्य कर रहे हैं।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, उड़ीसा में विभागीय डाकघर भवनों के निर्माण के लिए लगभग एक करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। चल रहे निर्माण कार्यों का स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) ऐसी संभावना है कि संलग्न विवरण–II में दिए गए समस्त निर्माण कार्य चालू योजनावधि में पूरे हो जाएंगे बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध रहे।

विवरण-I

उड़ीसा में किराये के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की जिलावार संख्या।

क्र.सं.	जिले का नाम	किराये के भवनों की संख्या
1	2	3
1.	अनुगुल	24
2.	बालासोर	60
3.	बारगढ़	22
4.	बौड	12
5.	भद्रक	46
6.	बोलनगिरि	37
7.	कटक	73
8.	दयोगढ़	4
9.	धेनकनाल	19
10.	गजपति	21
11.	गंजम	96
12.	जगतसिंहपुर	22
13.	जाजपुर	27

1	2	3
14.	झारसुगुडा	22
15.	कालाहांडी	25
16.	केन्द्रपाडा	27
17.	क्योंझर	39
18.	खुरदा	57
19.	कोरापुट	25
20.	मलकानगिरि	6
21.	मयूरभंज	76
22.	नवरंगपुर	14
23.	नयागढ़	18
24.	नौपाडा	7
25.	फूलबनी	25
26.	पुरी	33
27.	रायगढ़ा	22
28.	संभलपुर	25
29.	सुवरनपुर	9
30.	सुन्दरगढ़	77
	कुल	970

विवरण-II

निर्माणाधीन डाकघर भवनों का ब्यौरा (स्थानवार)

1. पाराद्वीप (मधुबन)
2. बीरमित्रपुर
3. राजनीलगिरि
4. कातकपुर
5. राजगंगपुर
6. बाराम्बगढ़
7. शाहिद नगर
8. कोणार्क

मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण

1594. श्री होलखोमांग हीकिप : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मणिपुर राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर बनाए गए पुलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान निर्माण हेतु कितने पुल प्रस्तावित है;

(ग) इस प्रयोजन हेतु आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/ किए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) मणिपुर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी पुल का निर्माण (पूरा) नहीं किया गया है।

(ख) वार्षिक योजना 1999–2000 में एक छोटे पुल के निर्माण के लिए प्रावधान है। वार्षिक योजना 2000–2001 को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) वर्ष 1999–2000 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण के लिए 90.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के विकास के लिए अपेक्षित धनराशि आबंटित की जा रही है।

[हिन्दी]

महेशखूट से वीरपुर तक की सड़क का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में निर्माण

1595. श्री विनेश चन्द्र यादव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में महेशखूट से वीरपुर तक की सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–32 और 57 के बीच लिंक के रूप में है जो नेपाल के साथ जुड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जुड़े खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिलों के बीच एक लिंक सड़क है;

(ख) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लिंक सड़क से जोड़ने वाली सड़क का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में निर्माण करने संबंधी कार्य को प्राथमिकता देने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार महेशखूट से वीरपुर तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं। रा. रा. 31 पर महेशखूट से लिंक रोड रा. रा. 57 पर शहरसा माधेपुरा और प्रतापगंज होते हुए भारत–नेपाल सीमा पर बीरपुर से मिलता है।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस पर राजसहायता का दुरुपयोग

1596. श्री रामदास आठवले : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा रसोई गैस पर दी जा रही राजसहायता का व्यापारिक प्रयोजनार्थ बेरोकटोक दुरुपयोग हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) राजसहायता प्राप्त गैस के दुरुपयोग से बचने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल विपणन कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के औचक/नेमी निरीक्षण के जरिए नियमित जांचे करती रही हैं। घरेलू सिलेण्डरों को जब्त करने के लिए वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर छापे भी मारे जाते हैं। इसके अलावा ऐसे विपथन को रोकने के लिए उद्योग आधार पर आवधिक रूप से सतर्कता अभियान भी चलाए जाते हैं। क्षेत्राधिकारियों के द्वारा नियमित रीफिल जांचें भी की जाती हैं।

[अनुवाद]

जैसलमेर में रामगढ़ परियोजना हेतु गैस की आपूर्ति

1597. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान जिले के जैसलमेर में रामगढ़ विस्तार परियोजना हेतु गैस की अतिरिक्त आपूर्ति हेतु करार को अंतिम रूप देने के बारे में राजस्थान सरकार से कोई अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने रामगढ़ में अतिरिक्त 1 x 35.5 मेगावाट गैस टर्बाइन और 1 x 35.5 मेगावाट भाप टर्बाइन की स्थापना हेतु चालू वित्तीय वर्ष के लिए 45.00 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने रामगढ़ जी पी टी टी की ईंधन आवश्यकता पूरी करने के लिए पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए गैस और एच एस डी की न्यूनतम अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति करने के लिए आयल इंडिया लि. और भारतीय गैस प्राधिकरण लि. को निर्देश दिया है; कि

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) वर्तमान में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को रामगढ़ में गैस आधारित विद्युत परियोजना के लिए उनकी जरूरत के अनुसार आयल इंडिया लि. तथा आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. के क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस की प्रतिदिन लगभग 0.50 मिलियन मानक घन मीटर (एम एम एस सी एम डी) मात्रा की आपूर्ति की जा रही है। विद्युत उत्पादन के लिए डीजल का आबंटन विद्युत मंत्रालय की सिफारिश पर किया जाता है। रामगढ़ विस्तार परियोजना के संबंध में ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

अनियमितताओं संबंधी की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पण

1598. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके मंत्रालय और इसके अधीनस्थ विभाग ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा पाई गई विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पण प्रस्तुत नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणों को कब तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) संचार मंत्रालय तथा इसके अधीन विभाग समय-समय पर प्राप्त की गई नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट (एटीएन) तैयार तथा प्रस्तुत करते हैं। तथापि, कतिपय मामलों में निर्धारित समय के भीतर एटीएन प्रस्तुत नहीं किए जा सके, क्योंकि तथ्यों के सत्यापन, संबंधित फील्ड यूनिटों से टिप्पणियां प्राप्त करने तथा उन पर उपयुक्त उपचारी/सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी।

(ग) संचार मंत्रालय तथा इसके अधीन विभाग लंबित सभी ए टी एन यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्तनों का विकास

1599. श्री रतनलाल कटारिया : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई, मद्रास और कांडला पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) चूंकि कुछ महापत्तनों की उत्पादकता कतिपय विदेशी पत्तनों की उत्पादकता की अपेक्षा कम है अतः महापत्तनों के प्रशासन और सरकार द्वारा मुम्बई, चैन्नई और कांडला पत्तनों सहित अन्य पत्तनों के आधुनिकीकरण और बेहतर प्रबंधन तथा श्रमिकों के उपयोग से उनकी उत्पादकता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पत्तनों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए गैर–सरकारी क्षेत्र की भागीदारी भी प्राप्त की जा रही है। चेन्नई पत्तन के मामले में तेजी से अपेक्षाकृत बड़े जलयान हैंडल करने के लिए विश्व में श्रेष्ठतम टर्मिनलों के अनुरूप कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं से युक्त एक आधुनिक कंटेनर टर्मिनल के विकास का निर्णय लिया गया है ताकि कोलम्बो, सिंगापुर, दुबई और सलाला जैसे पड़ौसी विदेशी पत्तनों से भारतीय कंटेनरों की ढुलाई न करनी पड़े।

विभागेत्तर कर्मचारियों को नियमित किया जाना

1600. श्री रामशकल :

श्री लक्ष्मण सेठ :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के डाक घरों में सेवारत विभागेत्तर कर्मचारी महत्वपूर्ण सेवा प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कितने विभागेत्तर कर्मचारी थे;

(घ) क्या डाक कर्मचारियों ने नियमितीकरण की अपनी मांग के समर्थन में एक सप्ताह से अधिक तक हड़ताल की थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान देश में आज तक राज्य वार कितने विभागेत्तर कर्मचारियों को नियमित किया गया?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) 31.3.99 की स्थिति के अनुसार 3,09,915 अतिरिक्त विभागीय एजेंट समूचे ग्रामीण क्षेत्र में 1,28,193 अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का संचालन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, जहां अपर्याप्त कार्यभार के कारण हर–दृष्टि से पूर्ण विभागीय डाकघर का औचित्य नहीं बनता है, वहां बुनियादी डाक सुविधाएं प्रदान करने लिए अतिरिक्त विभागीय प्रणाली एक व्यवहार्य पद्धति है। ईडी एजेंट ऐसी शर्तों पर नियुक्त किए जाते हैं जो नियमित सरकारी कर्मचारियों से बहुत हद तक भिन्न होती है। उन्हें प्रतिदिन दो से पांच घंटों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है तथा अपनी स्वतंत्र आजीविका चलाने के लिए उनके वैकल्पिक स्रोत होते हैं। डाक ग्राम का निवासी होने अथवा शाखा डाकघर के वितरण क्षेत्र में रहने की वजह से वे स्थानीय लोगों के बीच, जिनकी वे सेवा करते हैं, आदर करते हैं। वे एजेंसी कार्य करने के साथ–साथ सभी बुनियादी डाक सुविधाएं प्रदान करते हैं। जिससे ग्रामीण जनता को लाभ होता है और वे सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देते हैं।

(ग) क्षेत्रीय यूनिटों से जानकारी मंगाई जा रही है जिन पर ईडी एजेंटों की नियुक्त करने, नियंत्रित करने आदि का दायित्व है। यह जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) और (ङ) डाक कर्मचारियों के दो महासंघों ने एक 10 सूत्री मांगों को लेकर 9.5.98 को 8.7.98 से हड़ताल करने का नोटिस दिया था। इनमें से एक मांग अतिरिक्त विभागीय डाक एजेंटों पर न्यायमूर्ति तलवार समिति की सकारात्मक सिफारिशों को लागू करने के लिए थी। डाक कर्मचारियों ने 8–9 जुलाई, 1998 से 16 जुलाई, 1998 तक हड़ताल की। अंततोगत्वा यह हड़ताल तत्कालीन संचार मंत्री द्वारा मामलों पर सहानुभूति से तथा उनका शीघ्र निपटान करने का आश्वासन देने पर वापस ले ली गई। इसके बाद सरकार ने न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी लंबित मांगों के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में दिनांक 17.12.98 के आदेशों के तहत ईडी एजेंटों को एक लाभ–पैकेज दिया। दिए गए लाभ इस प्रकार हैं :–

(i) उनके मूल मासिक भत्ते को 1.1.96 से 28.2.98 की अवधि के लिए 3.25 के गुणांक तक बढाना।

(ii) इसके बाद, ईडी एजेंटों की विभिन्न श्रेणियों के मामले में न्यायमूर्ति तलवार समिति द्वारा संस्तुत पहले दो वेतनमानों और ईडी सब पोस्टमास्टरों के संबंध में पहले वेतनमान के तदनुरूप उन्हें 1.3.98 से टाइम रिलेटिड कन्टीन्यूटी एलाउंस (टीआरसीए) में रखना।

(iii) अनुग्रह उपदान की अधिकतम अनुमेय राशि 6000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये करना।

(iv) कार्यालय रखरखाव भत्ता 25 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति महीने करना।

(v) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को हरेक आधे वर्ष (छमाही) पर 10 दिनों के संवेदन अवकाश की एक पूर्णतया नई सुविधा। इसमें अवकाश को अगले अवकाश में जोड़ने या भुनाने का प्रावधान नहीं है।

(vi) इसके अलावा, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के लिए नौकरी के उपरांत के लाभ के रूप में एकमुश्त सेवा विच्छेद राशि का प्रावधान।

इन सुविधाओं में 301.35 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वार्षिक व्यय सहित 459.09 करोड़ रुपये का कुल अतिरिक्त व्यय निहित है।

(च) जानकारी फील्ड यूनिटों से एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

तेल शोधक कारखानों द्वारा सामना की जा रही माल भण्डार की समस्या

1601. डॉ. संजय पासवान : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ तेल शोधक कारखानों को अपने उत्पाद बाजार में बिक न पाने के कारण माल भंडारण की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर–सरकारी तेल शोधक कम्पनियों के पास फरनेस आयल और डीजल का फालतू भंडार है जिसे वे निर्यात करना चाहती हैं लेकिन वे पत्तन पर भीड़भाड़ होने की समस्या से इनका निर्यात नहीं कर सकती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र की पेट्रोलियम कम्पनियां इन उत्पादों को विदेशों से सस्ता होने की वजह से आयात कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो एक ओर इन मदों का निर्यात न कर पाने और दूसरी ओर सरकारी क्षेत्र की पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा इन मदों का आयात करने की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने विशेष रूप से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) कुछ रिफाइनरियां नाफ्था और एल एस एच एस आदि जैसे नियंत्रणमुक्त उत्पादों के लिए माल भंडारण की समस्या का सामना कर रही हैं जिसका प्रमुख कारण समय समय पर कुछ "उपभोक्ता संयंत्रों" का पूर्णतः–आंशिक रूप से बंद होना है। ऐसी स्थिति के परिणामस्वरूप कभी–कभार माल सूची बढ़ जाती है।

(ख) निजी क्षेत्र की रिफाइनरियां भट्ठी तेल जो कि एक नियंत्रणमुक्त उत्पाद है, का निर्यात करने के लिए स्वतंत्र है। वे तेल समन्वय समिति के पास पंजीकृत किए जा रहे निर्यात ठेकों के अध्यधीन डीजल का निर्यात भी कर सकती हैं।

(ग) नियंत्रित उत्पादों का आयात मांग और आपूर्ति की स्थिति एवं आयात अर्थतंत्र को ध्यान में रखते हुए नियंत्रक एजेंसी होने के नाते इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा किया जाता है। नियंत्रणमुक्त उत्पादों का आयात और निर्यात सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कंपनियों द्वारा बाजार परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है।

(घ) और (ङ) मांग और आपूर्ति की स्थिति की पुनरीक्षा और निगरानी एक सतत् प्रक्रिया है। यह कार्य तेल समन्वय समिति और सरकार द्वारा संबंधित संगठनों के साथ परामर्श से किया जाता है। यह कवायद मूल्यवान विदेशी मुद्रा बचाने और अपनी अर्थव्यवस्था को किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए की जाती है।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल की मांग और आपूर्ति

1602. श्री राम टहल चौधरी :

श्री आर. एल. जालप्पा :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार मिट्टी के तेल की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान मांग को पूरा करने के लिए मिट्टी के तेल का कितना आयात किया गया;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों न केन्द्र सरकार से मिट्टी के तेल के कोटे का आबंटन बढ़ाने का आग्रह किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मांग पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ङ) मिट्टी तेल एक आबंटित उत्पाद है और केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक/मासिक आबंटन राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए किया जाता है। मिट्टी तेल का आबंटन पूर्व–आधार पर अर्थात् प्रतिव्यक्ति अपेक्षाकृत कम उपलब्धता वाले राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि प्रदान करने के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदान की गई वृद्धि में से अतिरिक्त आबंटन सहित पिछले वर्ष के आबंटन के आधार पर किया जाता है ताकि अंतरराज्यीय विषमता को कम किया जा सके पिछले तीन वर्षों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को वार्षिक आबंटन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। पिछले तीन वर्षों

के दौरान सरकार द्वारा आयातित मिट्टी तेल की मात्रा निम्नानुसार है :

वर्ष	मात्रा (एम एम टी)
1996–97	3.787
1997–98	3.204
1998–99	5.421

विभिन्न राज्यों से मिट्टी तेल के अतिरिक्त आबंटन के लिए समय समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। मिट्टी तेल देश में कमी वाला उत्पाद है तथा उत्पाद उपलब्धता, विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों और भारी राजसहायता के कारण वितरण विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना है।

1996–97 से 1999–2000 की अवधि के लिए मिट्टी तेल का राज्यवार आबंटन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000
	(एम टी)	(एम टी)	(एम टी)	(एम टी)
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार	4676	4743	7155	6736
आन्ध्र प्रदेश	628138	650785	675056	679848
अरुणाचल प्रदेश	9675	9948	10240	10295
असम	256772	263760	271235	272623
बिहार	647512	679329	863745	870036
चंडीगढ़	21348	21562	21778	15408
दादरा और नागर हवेली	3170	3202	3237	3238
दिल्ली	243334	245768	248325	204672
दीव और दमन	3003	3033	3064	2438
गोवा	27677	27954	28257	28075
गुजरात	814341	822339	831600	832432
हरियाणा	159099	164653	170563	171731
हिमाचल प्रदेश	57345	58984	60737	61067
जम्मू और कश्मीर	86392	88828	91433	91921
कर्नाटक	498797	513054	528301	531167
केरल	279701	289540	300006	302078
लक्षद्वीप	894	906	919	921
मध्य प्रदेश	508539	532741	661812	666632
महाराष्ट्र	1542924	1558397	1576298	1577953
मणिपुर	21498	22064	22670	22781
मेघालय	19682	20245	20847	20960
मिजोरम	7649	7868	8102	8146
नागालैंड	13414	13797	14207	14284

1	2	3	4	5
उड़ीसा	227701	239501	316597	318903
पांडिचेरी	15162	15329	15342	15363
पंजाब	332224	337118	342376	343127
राजस्थान	345753	361736	440060	443265
सिक्किम	7711	7794	7885	7895
तमिलनाडु	682026	698837	716830	720076
त्रिपुरा	30577	31451	32386	32562
उत्तर प्रदेश	1128847	1178862	1391123	1401255
पश्चिम बंगाल	763609	785065	808013	812309
योग	9389194	9659193	10490199	10490199

आई. एस. डी./एस. टी. डी./पी.सी.ओ बूथ

1603. श्री मान सिंह पटेल :

श्री अशोक ना. मोहोल :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों और बेरोजगार लोगों को आबंटित एस टी डी/पीसीओ बूथ अवैध रूप से अन्य लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार देश में इस संबंध में कितने मामले ध्यान में आए हैं;

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मुंबई और महाराष्ट्र दूरसंचार निगम के जिलावार कितने पीसीओ/एसटीडी/आईएसडी बूथ स्थापित किए गए हैं;

(ङ) राज्य में ऐसे बूथों की स्थापना के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए और इनमें से कितने लम्बित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सपन सिकदर) : (क) से (च) संबंधित फील्ड यूनिटों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पारादीप, उड़ीसा में तेल शोधक कारखाना

1604. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पारादीप तेल शोधक कारखाने के लिए कुल कितनी भूमि की आवश्यकता है;

(ख) क्या भूमि का अधिग्रहण करने और किसानों को मुआवजा देने में असाधारण विलम्ब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भूमि का अधिग्रहण करने और मुआवजे का शीघ्र भुगतान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (घ) उड़ीसा में पारादीप में रिफाइनरी तथा सहबद्ध सुविधाओं के लिए कुल 3,350 एकड़ भूमि अधिग्रहीत/हस्तांतरित की जा रही है। इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) द्वारा भूमि के अधिग्रहण के लिए आवेदन 14.7.98 को किया गया था। निजी भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहीत की जा रही है। आई ओ सी एल द्वारा निजी भूमि के लिए मुआवजा 23.3.1999 तक उड़ीसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डवेलपमेंट कारपोरेशन (आई डी सी ओ) को प्रगामी रूप से दिया गया है। फिर भी, मई, 1999 में उड़ीसा सरकार ने बढ़े हुए मुआवजे की मांग की और अन्तिम धनराशि को स्वीकृति एवार्ड के तहत अक्तूबर, 1999 में अन्तिम रूप दिया गया। अतिरिक्त राशि आई ओ सी एल द्वारा नवम्बर, 1999 में जारी की गई। तथापि, राज्य

प्रशासन के तूफान सहायता कार्य में व्यस्त रहने के कारण भूमि खोने वाले व्यक्तियों को संवितरण 14.1.2000 को ही आरम्भ किया जा सका।

वन क्षेत्र को बढ़ाने हेतु वन नीति

1605. श्री सुबोध मोहिते : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुनः वन लगाए जाने तथा वनविहीन परती भूमि पर वन लगाने हेतु निगमित सहकारी क्षेत्रों तथा गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने तथा देश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वन नीति में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मंराडी) : (क) से (ग) सरकार के पास राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में कोई परिवर्तन करने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस मंत्रालय ने 7.6.1999 को सभी राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए हैं कि वे वन भूमि अथवा उसके वन उत्पाद पर बिना किसी दावे के अपने स्वयं के संसाधनों के अवक्रमित वनों के वनीकरण/पुनर्वास कार्य में गैर–सराकरी संगठनों और वन विभाग को शामिल कर के निजी क्षेत्र की भागीदारी प्राप्त करें। गैर–वन परती भूमियों के संबंध में राष्ट्रीय वन नीति में जन समर्थन प्राप्त करके देश में सभी अवक्रमित और अनावृत भूमियों पर ईंधन की लकड़ी और चारा विकास पर विशेष बल देते हुए वनीकरण और वृक्ष रोपण हेतु आवश्यकता आधारित व्यापक समयबद्ध कार्यक्रम पर विचार किया गया है।

तेल के रिसाव से समुद्र तटों पर होने वाला प्रदूषण

1606. श्री रघुनाथ झा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री तटों पर चल रहे पोतों और टैंकरों से तेल का रिसना आम घटनाएं है और इससे बहुत तबाही हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण को तबाही से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मंराडी) : (क) जी, नहीं। परन्तु मल द्वारका में एम वी पैसिफिक अकाडियन नामक जहाज से हुए तेल रिसाव के संबंध में तेल रिसाव की उत्तरपूर्वी कार्रवाई तट रक्षक ने की है।

(ख) तेल रिसाव से होने वाले खतरे को कम करने के लिए तटरक्षक द्वारा राष्ट्रीय तेल रिसाव विपदा आपात योजना तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय ने किसी भी प्रकार के समुद्री तेल रिसाव से निपटने तथा जवाबी कार्यवाइयां बढ़ाने के लिए हल्दिया, काकीनाडा, चैन्नई, बाड़ीनार मुम्बई व बंगलौर में तेल रिसाव कार्रवाई केन्द्र खोले हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी तटीय जल गुणत्ता पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं।

वृहत पत्तनों का विकास

1607. श्री टी. एम. सेल्वागनपति :

श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ पत्तनों को वृहत पत्तनों के रूप में विकसित करने का है ताकि वे भविष्य में अत्यंत उन्नत कंटेनर पोतों के अनुकूल हो सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पत्तन–वार ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) पश्चिमी तट पर जवाहर लाल नेहरू पत्तन और पूर्वी तट पर चैन्नई पत्तन को बड़े/मेन लाइन जलयानों के अनुकूल बनाने हेतु हब पत्तन के रूप में विकसित करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

कोयला खानों के निकट कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्र

1608. श्री पवन सिंह घाटोवार : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्वोत्तर कोल फील्ड्स के कोयला क्षेत्रों के निकट कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्र शुरू करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या ह?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड की उत्तर–पूर्वी कोयला खानों के पास विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने संबंधी लंबित प्रस्ताव

1609. श्री पी. सी. थामस : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राजमार्गों को जोड़ने संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग–47 और राष्ट्रीय राजमार्ग–49 भी इनमें शामिल है;

(ग) यदि हां, तो इन्हें स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त राजमार्गों के लिए उपमार्गों को जोड़ने का भी प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इनके निर्माण हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : संभवतः माननीय सदस्य केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के संरेक्षण संबंधी प्रस्ताव के बारे में जानना चाहते हैं। मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) जी हां। रा. रा.–17, 47 और 49 पर कुल 8 बाइपास बनाने का प्रस्ताव है और इन बाइपासों के लिए संरेखण संबंधी प्रस्ताव पहले ही अनुमोदित हो चुके हैं।

(च) चार बाइपासों, अर्थात् रा. रा.–47 पर अलपुझा, कोलाम और तिरूवनन्तपुरम–नेयटिंकारा बाइपास और रा. रा.–17 पर कालीकट बाइपास का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष बाइपासों का निर्माण कार्य भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा होने पर शुरू किया जाएगा, जो कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्लास्टिक थैलियों के कारण होने वाला प्रदूषण

1610. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निचले स्तर पर प्रवर्तनकारी एजेंसियों की कमी के कारण प्लास्टिक की थैलियों और पैकेजिंग सामग्रियों पर प्रतिबन्ध लगाने वाली विधि का अधिनियमन केवल कागजों पर सीमित रह गया है;

(ख) यदि हां, तो प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने वाली विधि के क्रियान्वयन की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) हाल के वर्षों में महानगरों/प्रमुख शहरों और विभिन्न राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में 2000–2001 के लिए राज्यों हेतु तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक विनिर्माण तथा उपयोग नियम, 1999 प्रकाशित किए हैं। इन नियमों में प्रवर्तन एजेंसियों के लिए व्यवस्था निम्नवत है:

(i) प्लास्टिक विनिर्माण एवं पुनः प्रयोज्य से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को लागू करने के लिए राज्यों के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समितियां निर्धारित प्राधिकरण हैं।

(ii) उपयोग, संग्रह, वियोजन, परिवहन तथा निपटान से संबंधित इन नियमों के उपबंधों को लागू करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी संबंधित जिले का जिला कलेक्टर/उपायुक्त हैं जहां राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गैर–जैव अवक्रमणीय कूड़ा–कचरे के बारे में किसी भी कानून के तहत इस प्रकार के किसी प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है।

(ग) पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक के विनिर्माण तथा उपयोग नियम, 1999 संबंधी अंतिम अधिसूचना 2 सितम्बर, 1999 को प्रकाशित की गई थी। इन नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को लिखा है। अनेक राज्यों ने प्लास्टिक थैलियां बिखेरने के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाए हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र तथा पंजाब के राज्यों ने प्लास्टिक तथा अन्य गैर–जैव अवक्रमणीय सामग्री को बिखरेने से रोकने के लिए अपने कानूनों को या तो अधिसूचित कर दिया है या अधिसूचित करने की कार्रवाई कर रहे हैं।

(घ) पुनः प्रयोज्य प्लास्टिक विनिर्माण तथा नियम, 1999 के प्रवर्तन का समन्वय जिला स्तर पर किया जाना है। जरूरी कार्य योजनाएं तैयार करना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संरक्षा विकास कार्य

1611. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपने विकास कार्य में संरक्षा उपायों की अनदेखी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का विचार राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करने का है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने यात्री सुविधाओं में सुधार और संरक्षा की विभिन्न मार्गों की अनदेखी की है; और

(घ) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) भा. रा. रा. प्रा. राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में सुरक्षा पहलुओं पर उचित ध्यान दे रहा है। कार्यान्वयन के लिए तैयार की जा रही परियोजना में जक्शंन सुधार, यात्रीपरक मार्गस्थ सुविधाओं, ट्रक पार्किंग लेबाई, विश्राम स्थलों, बस वे इत्यादि के लिए समुचित प्रावधान किए जाते हैं।

फ्यूल-लिंकेज का हस्तांतरण

1612. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से वर्तमान में कर्नाटक विद्युत निगम को आबंटित फ्यूल लिंकेज संयुक्त क्षेत्र की किसी अन्य विद्युत परियोजना को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले को कब तक निपटा दिया जायेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) सरकार ने कर्नाटक में बिडाडी में 400 मे.वा. संयुक्त चक्र विद्युत परियोजना के संबंध में कर्नाटक सरकार से नापथा लिंकेज को मैसर्स कर्नाटक पावर कारपोरेशन लिमिटेड से नई गठित संयुक्त उद्यम कम्पनी यथा मैसर्स केपीसी बिडाडी पावर कारपोरेशन लिमिटेड को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

महाराष्ट्र में रसोई गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की विपणन योजना

1613. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के उपभोक्ताओं को वर्षवार कितने एल पी जी सिलिंडर उपलब्ध कराए गए हैं और उनमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में रसोई गैस के कितने डीलर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) वर्ष 2000–2001 हेतु महाराष्ट्र के वीरभद्र क्षेत्र के लिए जिलेवार एल पी जी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों हेतु विपणन योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कंपनियों द्वारा पैक्ड एल पी जी की बिक्री वृद्धि के प्रतिशत सहित नीचे दी गई हैं :–

वर्ष	पैक्ड एल पी जी बिक्री (टीएमटी में)	वृद्धि प्रतिशत
1997–98	665	7.95
1997–98	727	9.3
1998–99	785	8.0

(ख) महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले में प्रचालनरत एल पी जी डीलरों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की विपणन योजना वार्षिक आधार पर तैयार नहीं की जाती।

विवरण

1.2.2000 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में मौजूदा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों की जिलावार संख्या

जिले का नाम	योग
1	2
अहमदनगर	19
अकोला	14
अमरावती	18
औरंगाबाद	23
बीड़	6
भण्डारा	6
मुंबई	148
बुलढाना	9
चन्द्रपुर	18
धुले	11
गाडचिरोली	3
हिंगोली	2

1	2
जलगांव	34
जालना	6
कोल्हापुर	23
लातूर	6
नागपुर	55
नांदेड़	8
नंदुरबाड़	5
नासिक	42
उस्मानाबाद	4
परभणी	7
पुणे	87
रायगढ़	23
रत्नागिरी	7
सांगली	13
सतारा	19
सिंधुदुर्ग	5
सोलापुर	19
थाणे	77
वर्धा	9
वाशीम	1
यवतमाल	12

[हिन्दी]

असम में दूरसंचार नेटवर्क का विकास

1614. श्री तरुण गोगोई : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान असम में दूरसंचार नेटवर्क के विकास के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ख) क्या राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार विकास कार्य को पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक राज्य में विकास कार्य पर अलग-अलग खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक राज्य में विशेषकर जोरहाट में कितने नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गये?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) असम में दूरसंचार नेटवर्क के विकास के लिए आबंटित राशियां नीचे दर्शाई गई हैं :

वर्ष	करोड़ रुपये
1996-97	89.67
1997-98	130.52
1998-99	130.69
1999-2000	161.51

(ख) असम में अब तक निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार विकास कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में (31.1.2000 तक) खर्च की गई राशियों के ब्यौरे :

1996-97	90.69	करोड़ रुपये
1997-98	122.45	करोड़ रुपये
1998-99	112.85	करोड़ रुपये
1999-2000 (31.1.2000 तक)	79.98	करोड़ रुपये

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में (31.1.2000 तक) असम में विशेषतः जोरहाट जिले में दिए गए नए टेलीफोन कनैक्शनों की संख्या निम्न प्रकार है :-

वर्ष	असम	जोरहाट जिला
1996-97	18003	2725
1997-98	36477	7254
1998-99	50375	6700
1999-2000 (31.1.2000 तक)	34416	4029

बिहार में मोतीहारी में रसोई गैस एजेंसियां

1615. श्री राधा मोहन सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में मोतिहारी जिले में रसोई गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों की संख्या कितनी है;

(ख) इन रसोई गैस एजेंसियों में कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं और इन्हें कब तक एल पी जी कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है;

(ग) उपभोक्ताओं को एक वर्ष में औसतन कितनी बार गैस सिलिंडर दिया जाता है; और

(घ) प्रतिवर्ष कितने उपभोक्ताओं को नए गैस कनैक्शन दिए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) वर्तमान में बिहार के पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत मोतिहारी नगर में 3 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें एवं 4 खुदरा बिक्री केन्द्र हैं।

(ख) से (घ) वर्तमान में संबंधित वितरकों के पास प्रतीक्षा सूची 2823 की है। सामान्यतया, वितरक एक ग्राहक के लिए दो क्रमागत एल पी जी कनैक्शनों की आपूर्ति के बीच 21 दिन का न्यूनतम अंतराल रखते हैं। नए एल पी जी कनैक्शन एल पी जी की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, वितरकों के पास उपलब्ध बकाया एवं उनकी व्यवहार्यता पर निर्भर करते हुए देश भर में चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाते हैं। तथापि, सरकार की 1 दिसम्बर, 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत समस्त प्रतीक्षा सूची को निपटा देने के लिए वर्ष 2000 के दौरान एक करोड़ एल पी जी कनेक्शन जारी करने की योजना है।

[अनुवाद]

वानिकी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध

1616. श्री राजकुमार धंग्धा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों में वानिकी गतिविधियों पर जारी प्रतिबन्ध के मद्देनजर वहां की आदिवासी जनसंख्या की भारी आर्थिक तंगी को दूर कर उसकी प्रतिपूर्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो वानिकी गतिविधियों को दोबारा आरम्भ करने हेतु क्या विशेष कदम उठाए गए या उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार उक्त राज्य सरकारों द्वारा निर्देशों के क्रियान्वयन के निष्पादन की निगरानी कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या टिप्पणियां की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मंराडी) : (क) और (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल रिट याचिका सं. 202/95 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों पर जोर देते हुए दिनांक 12.12.1996 के अपने आदेश द्वारा यह निर्देश दिया कि वनों में वृक्षों की कटाई भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजनाओं के अनुसार ही की जा सकती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इमारती लकड़ी और उससे निर्मित उत्पादों को पूर्वोत्तर राज्यों से देश के शेष अन्य हिस्सों में ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कमजोर ढांचागत स्थिति और स्थानीय लोगों की वनों पर अधिक निर्भरता के बारे में मंत्रालय की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 15.1.1998 के आदेश द्वारा उपर्युक्त आदेश में संशोधन करते हुए कटी हुई इमारती लकड़ी के परिवहन की अनुमति प्रदान कर दी है। साथ ही यह निर्देश भी दिया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में कार्य योजनाएं 2 वर्षों में तैयार कर ली जाएं और शासन व्यवस्था परिवर्तित होने पर वनों का लेखा–जोखा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वार्षिक वृक्ष कटाई कार्यक्रम के अनुसार रखा जाएगा।

(ग) और (घ) जी, हां। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों के सन्दर्भ में दिए गए विभिन्न निर्देशों के कार्यान्वयन में प्रगति धीमी रही है।

मुंबई उपनगरीय क्षेत्र को प्राकृतिक गैस

1617. श्री चिंतामन वनगा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुंबई उपनगरीय और थाना जिले के आसपास के क्षेत्रों को बांबे हाई प्राकृतिक गैस देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) महानगर गैस लिमिटेड (एम जी एल), जो गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड तथा मैसर्स ब्रिटिश गैस पी एल सी, यू.के. की संयुक्त उद्यम कंपनी है, मुंबई हाई से गैस लेने के बाद ग्रेटर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू, वाणिज्यिक/औद्योगिक तथा आटोमोटिव क्षेत्रों को पाइप से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रही है। फिलहाल थाने जिले को गैस आपूर्ति करने की कोई योजना नहीं है।

जनजातीय लोगों के लिए वन भूमि

1618. श्री के मुरलीधरन : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय लोगों को कृषि कार्य हेतु वन भूमि को पट्टे पर दिए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) जनजातीय लोगों विशेषकर केरल के वयानाड जिले के जनजातीय लोगों को कुल कितनी भूमि आबंटित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 जो 25/10/80 से लागू हुआ, के उपबंधों के अनुसार कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना वन भूमि के आरक्षण को समाप्त करने तथा या वनेतर प्रयोजन के लिए इसके उपयोग करने के आदेश नहीं दे सकते हैं।

जिन मामलों में कृषि सहित किसी अन्य परियोजना के संबंध में वन क्षेत्रों के आरक्षण को समाप्त करने या वन भूमि के वनेतर उपयोग से संबंधित विशेष आदेश राज्य सरकार द्वारा 25/10/1980 से पूर्व जारी किए गए थे उनके संबंध में केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी लेनी जरूरी नहीं होगी। तथापि, कोई भी वन भूमि जो 25/10/1980 से राज्य सरकार की मंजूरी या 25/10/1980 के बाद से केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना कृषि सहित किसी अन्य वनेतर प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई गई अथवा लाई जा रही है, गैर–कानूनी है और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों का उल्लंघन है।

तथापि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत तैयार विभिन्न दिशानिर्देशों और नियमों के अनुसार, 1980 से पहले के अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए एक उपबंध मौजूद है जिसके अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के राज्य सरकार द्वारा तैयार कतिपय मानदण्डों के अनुसार मान्य श्रेणी के अवैध कब्जों को नियमित करने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने से पहले निर्णय लिया गया था लेकिन अधिनियम के लागू होने से पूर्व अपने निर्णय को कार्यान्वित नहीं कर सकी।

(ग) केरल सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार 1.1.1977 से पूर्व पांच जिलों (इदुक्की, इर्नाकुलम, त्रिसूर, पथनमथिकटा तथा कोलाम) में 28588.159 हेक्टेयर अवैध कब्जेवाली भूमि को मंत्रालय द्वारा 31.1.1995 को नियमित कर दिया गया था। वायनाड जिले के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कोचीन में एल एन जी टर्मिनल

1619. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में एल एन जी टर्मिनल संबंधी कार्य को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी राशि व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) यह कब से कार्य करने लगेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) पेट्रोनेट एल एन जी ने 1 जनवरी, 2005 से 2.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एम एम टी पी ए) एल एन जी की आपूर्ति के लिए कतर की मैसर्स रास गैस के साथ एक दीर्घावधिक एल एन जी बिक्री–खरीद करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों हेतु पेंशन योजना

1620. श्री विकास चौधरी : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पत्तन संघ और पत्तन और गोदी संघों की संयुक्त समिति ने पत्तन और गोदी कर्मचारियों की पेंशन योजना में सुधार करने की सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समिति के कतिपय प्रस्तावों को मजूरी नहीं दी गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) से (च) समिति की सिफारिशें सरकारी कर्मचारियों हेतु पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। सरकार ने केवल उन्हीं सिफारिशों को अनुमोदन प्रदान किया है जो सिफारिशें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकृत की गई हैं।

बंगलौर से देवल हल्ली तक सड़क को चार लेन वाली बनाना

1621. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर से देवनहल्ली (30 कि.मी.) तक की सड़क को चार लेन वाली बनाने हेतु प्रारम्भिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्य की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इस पथ निर्माण के अनुमोदन हेतु अनुमति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 102 करोड़ रुपये।

(ग) और (घ) सड़क के इस खंड पर येलहंका बाइपास के संरेखण को पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा

1622. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 फरवरी, 2000 के इकनोमिक टाइम्स में "इंडियन टेलीकाम सीनेरीयो : एन ओवरव्यू" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समाचार में किन तथ्यों के बारे में बताया गया है; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समाचार पत्र की रिपोर्ट में, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में निर्धारित लक्ष्यों की बात करते समय, नई दूरसंचार नीति, 1999 के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में उठाए गए कदमों, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का पुर्नगठन तथा सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की बात पर टिप्पणी की गई है। यह सत्य है कि राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 में परिकल्पित मांग पर टेलीफोन देने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। नई दूरसचांर नीति, 1994 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है जहां एक ओर आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार विभाग ने अपने लक्ष्यों से अधिक टेलीफोन प्रदान किए हैं वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र ने इस दिशा में कतिपय कारणों वश पर्याप्त विकास नहीं किया है। यही कारण है कि उक्त समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से नई दूरसंचार नीति, 1999 बनाई गई थी तथा यह आशा है कि इस नीति के पूरी तरह से लागू होने के बाद, परिकल्पित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे। सरकार का प्रमुख ध्यान इस ओर है कि इंटरनेट सेवाओं सहित, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं को बढ़ावा दिया जाए। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक नेशनल इंटरनेट बैकबोन (एनआईबी) की संस्थापना की जा रही है जिसके शीघ्र ही चालू हो जाने की आशा है। इंटरनेट के विकास को बढ़ावा देने के लिए निर्बाध रूप से आई एस पी लाइसेंस जारी किए जा रहें हैं। इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगभग 60 से अधिक आईएसपी लाइसेंस–धारकों ने सेवा प्रदान करना शुरू कर दिया है।

नान-टिम्बर वन उत्पादों को प्रोत्साहन

1623. श्री विजय हान्दिक : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौंवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्यों के लिए "प्रमोशन आफ नान–टिम्बर फॉरेस्ट प्लान" जैसी एक योजना स्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु स्वीकृत राज्यवार धनराशि कितनी है; और

(ग) अब तक विभिन्न राज्यों द्वारा स्वीकृत धनराशि में से उपयोग की गई धनराशि कितनी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मंराडी) : (क) जी, हां। नौंवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्यों के लिए औषधीय पादपों सहित गैर इमारती वन उत्पाद हेतु 69.85 करोड़ रुपये की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्वीकृत की गई है।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों को स्वीकृत और उनके द्वारा उपयोग की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

नौवीं योजना की स्वीकृत राशि, फरवरी 2000 तक जारी राशि ओर सितम्बर/दिसम्बर 1999 तक उपयोग न की गई राशि का विवरण

लाख रुपये में

राज्य	1997–98 से 2001–2002 तक नौवीं योजना की स्वीकृत राशि	फरवरी 2000 तक जारी की गई राशि	सितम्बर/दिसम्बर 1999 तक प्रयोग न की गई राशि
आन्ध्र प्रदेश	448.38	207.15 *	152.09
अरुणाचल प्रदेश	317.75	36.25 *	एन आर
असम	205.65	61.20 *	28.70
बिहार	134.20	28.00	एन आर
गोवा	57.42	31.22	27.00
गुजरात	451.96	195.39 *	204.60
हरियाणा	164.50	103.99	89.69
हिमाचल प्रदेश	167.80	55.63	43.39
जम्मू और कश्मीर	782.55	443.81 *	343.92
कर्नाटक	244.20	148.21	123.46
केरल	66.85	27.45	17.72
मध्य प्रदेश	615.82	218.30	133.03
महाराष्ट्र	436.69	87.17	30.70
मणिपुर	194.36	119.18	76.24
मेघालय	104.63	12.00	एन आर
मिजोरम	177.20	83.90	59.06
नागालैंड	36.90	5.00	एन आर
उड़ीसा	492.00	266.97 *	245.65
पंजाब	158.75	33.50	58.84
राजस्थान	545.35	310.41 *	242.38
सिक्किम	409.18	180.81	131.42
तमिलनाडु	118.88	34.04 *	19.36
त्रिपुरा	64.70	28.17 *	21.69
उत्तर प्रदेश	262.75	62.00 *	एन आर
पश्चिम बंगाल	326.85	134.77	102.38
कुल	6985.32	2914.52	2151.32

* आठवीं योजना की खर्च न की गई राशि भी शामिल है।

एन आर राज्यों द्वारा सूचित नहीं की गई है।

मिदनापुर में दीघा समुद्री मछलीघर

1624. श्री नीतिश सेनगुप्ता : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के दीघा में समुद्री मछलीघर द्वारा कब तक कार्य आरम्भ कर दिये जाने की संभावना है; और

(ख) इस परियोजना को चालू करने में 4 से 5 वर्ष के असामान्य विलंब के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) मैरीन एक्वेरियम व अनुसंधान केन्द्र डीगा मिदनापुर में एक अनुसंधान विंग व एक एक्वेरियम शामिल है। केन्द्र का अनुसंधान विंग पहले से ही काम कर रहा है। मैरीन एक्वेरियम के मौजूदा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सन् 2001 के अंत से पहले कार्य शुरू कर देने की संभावना है।

(ख) ठेकेदार द्वारा जिसे एक्वेरियम को सुसज्जित करने का कार्य सौंपा गया था, मुकदमा दायर कर दिए जाने के कारण एक्वेरियम को जनता के लिए खोलने में असामान्य देरी हो गई।

टेलीफोन शुल्क में कमी

1625. श्री लक्ष्मण सेठ : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का विचार टेलीफोन शुल्क में कमी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) "टेलीकम्यूनिकेशन टैरिफ आर्डर, 1999" में राजस्व/परियात को पुनः संतुलित करने के कार्य से पड़ने वाले प्रारंभिक प्रभाव की सामान्य समीक्षा की गई है। तदनुसार, टीआरएआई सचिवालय ने समीक्षा करने के लिए ऑपरेटरों से आंकड़े एकत्र करना प्रारम्भ कर दिया है। पुनर्गठित प्राधिकरण इस मुद्दे पर सम्यक् समय में विचार करेगा।

मिट्टी के तेल का आयात

1626. श्री वी. एस. शिव कुमार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परम्परागत मछुआरों के लिए मिट्टी के तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा सीएनजी की गतिविधियां

1627. श्री राजेन गोहेन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के पहाड़ी क्षेत्रों में जोरहाट, शिबसागर, डिब्रुगढ, तिनसुकिया शहरों के निकट निर्जन स्थानों पर सी एन जी गैस जलायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गैल का विचार इस जलायी जाने वाली गैस का उपयोग करके अपनी सीएनजी गतिविधियां बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) का कोई दहन नहीं किया जाता है। तथापि, ऊपरी असम क्षेत्र में आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ एन जी सी) तथा आयल इंडिया लि. (ओ आई एल) के द्वारा उत्पादन की जा रही कुल 5.526 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन मात्रा में से 0.546 एम एम सी सी एम डी मात्रा का दहन किया जाता है। संसाधन गड़बड़ियां तथा मांग में अचानक उतार–चढ़ाव, गैस उपयोगार्थ उत्पादन एवं अनुकूल सुविधाएं जुटाने के बीच समय विलंब, वातावरण में बगैर जली हुई गैस की निकासी को रोकने हेतु प्रायोगिक दहन के रखरखाव के लिए अपरिहार्य तकनीकी दहन तथा मुख्य गैस ग्रिड के साथ छोटे पृथक क्षेत्रों से गैस का अमितव्ययी एकत्रीकरण इस क्षेत्र में गैस के दहन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में एल पी जी कनैक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

1628. डॉ. गिरिजा व्यास : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में एल पी जी कनेक्शन के लिए जिलावार कितने लोग प्रतीक्षा सूची में है;

(ख) इन प्रतीक्षा सूचियों का निपटान कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) वर्ष 2000 के दौरान राज्य में जिला–वार कितने एल पी जी कनेक्शन जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) राजस्थान में एल पी जी कनैक्शनों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के पास दर्ज राज्यवार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण के रूप में दी गई है।

(ख) और (ग) एल पी जी उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटर के यहां उपलब्ध स्लेक तथा उनकी व्यवहार्यता के आधार पर नए कनैक्शन पूरे देश में चरणबद्ध ढंग से जारी किए जाते हैं। तथापि, सरकार की 1.12.1999 की तारीख के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास दर्ज सारी प्रतीक्षा सूची निपटा देने के लिए वर्ष 2000 के दौरान एक करोड़ एल पी जी कनेक्शन जारी करने की योजना है।

विवरण

राजस्थान राज्य में जिलावार प्रतीक्षा सूची

जिला	योग
1	2
अजमेर	19488
अलवर	8883
बांसवाड़ा	8200
बारमेर	6358
भरतपुर	1
भीलवाड़ा	11471
बूंदी	3682
बीकानेर	39487
चित्तौड़गढ़	11848
चुरू	18033
डौसा	5689
धौलपुर	5548
डूंगरपुर	764
हरन	2560
हनुमानगढ़	10615
झालावाड़	6599
जालौर	4037
जयपुर	172603
जैसलमेर	1340
झुंझुनू	8169
जोधपुर	79084
करौली	10808
कोटा	63877
नागौर	14113
पाली	13928
राजसमंद	9839
सवाईमाधोपुर	11552
सीकर	20928
सिरोही	3366
श्रीगंगानगर	19632
टोंक	9859
उदयपुर	8033
नागरिक आपूर्तियां	1800

[हिन्दी]

बिजली की चोरी रोकने हेतु नई योजना

1629. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी :

डॉ. संजय पासवान :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य बिजली बोर्डों को प्रति वर्ष करोड़ों रुपये हो रहे घाटे से बचाने के लिए बिजली चोरी रोकने हेतु एक नई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना दक्षिण अफ्रीका और यूरोपीय देशों में प्रचलित योजनाओं जैसी है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक लागू हो जायेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) जी, नहीं। विद्युत की चोरी को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 39 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध माना गया है जिसके लिए सजा के रूप में 3 वर्ष तक कारावास या 1000 रुपये से ज्यादा तक का अर्थदंड या दोनों का ही प्रावधान रखा गया है। हालांकि, सरकार एक ऐसी स्कीम शुरू करने का विचार कर रही है जिसके अंतर्गत विद्युत यूटिलिटियों को उप–पारेषण एवं वितरण

परियोजनाओं में, जिसमें पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने एवं राज्य विद्युत यूटिलिटियों की प्रचालन कार्यक्षमता में सुधार के उद्देश्य से सभी स्तर पर मीटरीकरण का भी प्रावधान है, निवेश करने के लिए निधि उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि निधियों का आबंटन सुधार एवं पुनर्गठन राज्य सरकार द्वारा स्थापित शर्तों को स्वीकार कर लिए जाने पर निर्भर करेगा।

टेलीफोन केबलों की कमी

1630. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में टेलीफोन केबलों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को कब तक पूरा करने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी नहीं। आवश्यकता का अधिकांश भाग पहले से ही प्राप्त हो चुका है और शेष कुछ मात्रा के मार्च 2000 तक प्राप्त हो जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में पेट्रोल पंप और रसोई गैस एजेंसियां

1631. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में काम कर रहे पेट्रोल पंपों और रसोई गैस एजेंसियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या राज्य के पिछड़ा, अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नए पेट्रोल पंप और रसोई गैस एजेंसियों की स्थापना की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो इन आबंटनों में पिछड़ों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) मध्य प्रदेश में 1024 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और 358 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रचालनरत हैं।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप दूरदराज के और ग्रामीण क्षेत्रों सहित व्यवहार्य स्थानों पर खोली जाती है। 25 प्रतिशत डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप अनु–जाति/अनु.ज.जाति श्रेणी के लिए आरक्षित की गई है। पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस की खोज के लिए भारत-बांग्लादेश समझौता

1632. डा. अशोक पटेल :

श्री रामपाल सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बांग्लादेश ने प्राकृतिक गैस की खोज के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समझौते को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिमी घाटों को खतरा

1633. श्री एस. बंगरप्पा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल और कर्नाटक के इर्द–गिर्द फैले पश्चिमी घाट पर्यावरणीय दृष्टि से विश्व के सबसे ह्रास वाले क्षेत्रों में एक हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) पश्चिम घाट श्रृंखला की भौतिकी, स्थालाकृति, जलवायु, पारिस्थितिकी, वनस्पति जैव–विविधता और स्थानिकता अपने आप में अद्वितीय और विशिष्ट प्रकार की है और इसे पारिस्थितिकी भंगुर एवं संवेदी समझा गया है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में भारत सरकार द्वारा अलग से पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पारि–संरक्षण, परि–पुनःस्थापन ओर पारि–विकास करना था। नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के लिए पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता का आबंटन इस प्रकार है।

(लाख रूपए)

राज्य	आबंटन		
वर्ष	1997–98	1998–99	1999–2000
महाराष्ट्र	1517.00	1911.00	2097
कर्नाटक	1122.00	1413.00	1551.00
केरल	946.00	1191.00	1308.00
तमिलनाडु	791.00	997.00	1094.00
गोवा	232.00	295.00	320.00
जोड़	4608.00	5807.00	6370.00

जल विद्युत परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता

1634. श्री अकबर अली खांदोकर : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनविद्युत परियोजनाओं के बारे में निजी क्षेत्र का रवैया क्या है;

(ख) आठवीं योजना के दौरान जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को आकृष्ट करने के लिए सरकार द्वारा दिये गये प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नौवीं योजना के दौरान निजी क्षेत्र को बेहतर प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) निजी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए निम्नांकित स्कीमों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

क्रम सं.	परियोजना/प्रर्वतक/राज्य का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1.	बास्पा चरण–II एचईपी, मैसर्स जयप्रकाश हाइड्रो पावर लि. हिमाचल प्रदेश	300
2.	मालाना एचईपी, मैसर्स मालाना पावर कंपनी लि. हिमाचल प्रदेश	86
3.	विष्णु प्रयाग एचईपी, मैसर्स जयप्रकाश पावर वेंचरस लि. उत्तर प्रदेश	400
4.	श्रीनगर एचईपीएम, मैसर्स डंकन नार्थ हाइड्रो पावर कंपनी लि. उत्तर प्रदेश	330
5.	महेश्वर एचईपी, मैसर्स श्री महेश्वर हाईडल पावर कारपोरेशन लि. मध्य प्रदेश	400

निजी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए निम्नांकित स्कीमों को सिद्धांततः सीईए की स्वीकृति प्राप्त हो गई है और इन परियोजनाओं के प्रर्वतकों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के वि.प्रा. को प्रस्तुत करने की अपेक्षा है ताकि तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जा सके।

क्रम सं.	परियोजना/प्रर्वतक/राज्य का नाम	क्षमता (मे.वा.)
1.	अल्लाईन दुहानगन एचईपी, मैसर्स राजस्थान स्पीनिंग एंड वेईविंग मिल, हिमाचल प्रदेश	192
2.	कर्चम वांगूट एचईपी, मैसर्स जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लि. हिमाचल प्रदेश	1000
3.	धामवारी सुंडा एचईपी, मैसर्स धामवारी पावर कंपनी, हिमाचल प्रदेश	70
4.	अपर कृष्णा एचईपी, मैसर्स चामुंडी पावर कारपोरेशन लि. कर्नाटक	1107

(ख) से (घ) सरकार ने जल विद्युत विकास को तेज करने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक कारपोरेशन लि. (एनएचपीसी), नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) तथा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन (टीएचडीसी) जैसे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए अपेक्षाकृत अधिक बजटीय सहायता और निजी क्षेत्र भागीदारी को बढ़ाने के लिए उदारीकृत नीति तथा नई हाईडल परियोजनाओं के लिए अग्रिम कार्रवाई तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जल विद्युत विकास के लिए कार्रवाई योजना शामिल है।

भारत सरकार ने जल विद्युत विकास की गति में तेजी लाने के लिए अगस्त, 1998 में जल विद्युत विकास संबंधी नीति घोषित की है। नीति में इस प्रयोजनार्थ अन्य बातों के साथ निम्नांकित उपायों की घोषणा की गई है।

(i) जल विद्युत परियोजनाओं, जो किफायती ढंग से व्यस्ततमकालीन विद्युत आपूर्ति में सक्षम हैं, में और अधिक निवेश को सरल बनाने के निमित्त व्यस्ततम–कालीन विद्युत की मूल्यों में भिन्नता लाना।

(ii) भौगोलिक जोखिमों के लिए संस्थागत यांत्रिकी विकसित करना।

(iii) जल विद्युत परियोजनाओं के प्रोत्साहन के लिए सयुंक्त उपक्रम ढांचे का उपयोग करना।

(iv) राज्य सरकार से केन्द्रीय क्षेत्र उपक्रमों तथा राज्य सरकार से निजी क्षेत्र को स्वीकृति अंतरण के प्रक्रिया का सरलीकरण।

(v) समझौता ज्ञापन आधार पर प्रोत्साहित परियोजनाओं के बारे में सीईए द्वारा तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति के लिए सीलिंग सीमा को बढ़ाना।

(vi) 25 मे.वा. तक की क्षमता वाली लघु हाईडल परियोजनाओं के विकास से संबंधित कार्य विद्युत मंत्रालय से गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को हस्तांतरित करना और उपयुक्त प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध कराना।

वायु, जल और पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम

1635. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु, जल और पर्यावरण प्रदूषण संबंधी केन्द्रीय अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा इन अधिनियमों का उल्लंघन किए जाने के मामले केन्द्र सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) केन्द्रीय अधिनियमों यथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981; जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर लागू होते हैं। तथापि, वर्ष 1978 और वर्ष 1988 में जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में किए गए संशोधनों को जम्मू एवं कश्मीर विधान मंडल ने नहीं अपनाया है। जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 को जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एन. एन. 3 पर पुल का निर्माण

1636. श्री अशोक अर्गल : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग–3 पर मुरैना और ग्वालियर के बीच कोई पुल का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसको पूरा करने हेतु निर्धारित अवधि क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होगा;

(घ) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान आसन नदी पर पुल के निर्माण के संबंध में कोई अनुमान लगाया गया था, यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ङ) उक्त पुल के निर्माण के संबंध में अनुमानित लागत और वास्तविक व्यय की गई राशि के बीच अन्तर कितना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) आसन नदी पर पुल के निर्माण हेतु मंत्रालय ने अक्तूबर, 1998 में 825 लाख रुपये का एक अनुमान स्वीकृत किया था। पुल जून 2001 तक पूरा होने का अनुमान है। इस पर जनवरी, 2000 तक 162.59 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने का प्रस्ताव

1637. श्री सुनील खां : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मिदनापुर से उत्तरी बंगाल बरास्ता बेलियातोर दुर्गापुर जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) मिदनापुर से बंकुरा सड़क पहले से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 60 का हिस्सा है। बंकुरा, बेलियातोर और दुर्गापुर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रायोगिक परियोजना

1638. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने "वायस ट्रैफिक" को इंटरनेट पर लाने हेतु एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रौद्योगिकी के प्रयोगों का क्या परिणाम निकला; और

(घ) सरकार ने इस परियोजना के तहत अच्छी "वायस" क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी हां।

(ख) छः शहरों के बीच वायस ट्रैफिक पारेषण के लिए प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है जिसमें आई पी प्रौद्योगिकी का प्रयोग शामिल है।

(ग) प्रायोगिक परियोजना को अभी कार्यान्वित किया जाना है।

(घ) वायस की उत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, विभाग अन्तर्राष्ट्रीय मानक संस्थान द्वारा अनुशंसित मानकों का अनुपालन कर रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में तार-सेवाओं का आधुनिकीकरण

1639. डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में तार–सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए कोई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू वित्त वर्ष में इस प्रयोजनार्थ कोई बजट आबंटन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य में आधुनिकीकरण कार्य के कब तक पूरा हो जाने का अनुमान है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) बिहार के विभिन्न जिलों में माइक्रो–प्रोसेसर आधारित स्टोर और फारवर्ड मैसेज स्विचन प्रणालियां (एसएफएस एसएस), फारमैटिक टर्मिनल कन्सेन्ट्रेटर्स (एफटीसी), इलैक्ट्रानिक की बोर्ड कन्सेंट्रटर्स (ईकेबीसी), इन प्रणालियों के टर्मिनल और फैक्स मशीनें प्रदान की गई हैं। जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस उद्देश्य के लिए अलग से कोई बजट नहीं है।

(घ) आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और आवश्यकता के आधार पर इस पर कार्यवाही की जाती है।

विवरण

बिहार में आधुनिकीकरण की जिलावार स्थिति

क्र.सं.	जिले का नाम	एसएफएमएसएस/ एसएफटी–पोर्ट	फैक्स
1	2	3	4
1.	पटना	उपलब्ध	उपलब्ध
2.	आरा	"	"
3.	धनबाद	"	"
4.	गया	"	"
5.	बोकारो	"	"
6.	रांची	"	"
7.	जमशेदपुर	"	"
8.	मुजफ्फरपुर	"	"
9.	सीतामढ़ी	"	"
10.	छपरा	"	"
11.	कटिहार	"	"
12.	भागलपुर	"	"
13.	बी देवघर	"	"
14.	पूर्णियां	"	"
15.	बिहार शरीफ	"	"
16.	बक्सर	"	"
17.	गिरीडीह	"	"
18.	सासाराम	"	"
19.	औरंगाबाद	"	"
20.	जहानाबाद	"	"
21.	नवादा	"	"
22.	हजारीबाग	"	"
23.	डालटनगंज	"	"
24.	लोहारदागा	"	"
25.	समस्तीपुर	"	"
26.	दरभंगा	"	"
27.	मधुबनी	"	"

1	2	3	4
28.	मोतीहारी	"	"
29.	गोपालगंज	"	"
30.	सिवान	"	"
31.	हाजीपुर	"	"
32.	सहरसा	"	"
33.	मुंगेर	"	"
34.	बेगुसराय	"	"
35.	खगरिया	"	"
36.	किशनगंज	"	"
37.	बंका	"	"
38.	बेतिया	उपलब्ध नहीं	"
39.	अररिया	"	"
40.	जमुई	"	"
41.	भभुआ	"	"
42.	चैबासा	"	"
43.	मधेपुरा	"	"
44.	गोड्डा	"	"
45.	दुमका	"	"
46.	साहेबगंज	"	"
47.	सुपौल	"	"
48.	गुमला	"	"
49.	लखीसराय	"	"
50.	शेखपुरा	"	"
51.	कोर्डमा	"	"
52.	छतरा	"	उपलब्ध नहीं
53.	पाकुश्र	"	"
54.	शिहोर	"	"
55.	गढ़वा	"	"

एसएफएमएसएस – स्टोर एंड फारवर्ड मैसेज स्विचन प्रणाली

एस एसटी – स्टोर एंड फारवर्ड टेलीग्राफ प्रणाली

जम्मू और कश्मीर में स्पीड पोस्ट सेवायें

1640. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर के किन जिला मुख्यालयों में स्पीड पोस्ट सेवायें उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में स्पीड पोस्ट सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जम्मू और कश्मीर के उन जिला मुख्यालयों के नाम, जिनमें स्पीड पोस्ट सेवाएं नहीं हैं, लेह, कारगिल, कुपवाडा, बडगाम, पुलवामा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, डोडा और अनंतनाग हैं।

(ख) और (ग) स्पीड पोस्ट एक प्रीमियम उत्पाद है जो व्यावसायिक आधार पर चलाया जाता है और इसमें परिवहन के विश्वसनीय और त्वरित माध्यम की जरूरत होती है। स्पीड पोस्ट सेवा का विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है, जो बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

रसोई गैस डीलरों द्वारा कदाचार

1641. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने रसोई गैस डीलरों द्वारा किए जा रहे उन कदाचारों को रोकने हेतु कार्रवाई करने का निर्णय लिया है जो अनेक राज्य सरकारों के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा कदाचार को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान इससे संबंधित सही पाई जाने वाली कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) तेल कंपनियों के अधिकारियों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर एल पी जी वितरकों की नियमित जांच की जाती है। यदि कोई भी वितरक किसी कदाचार/अनियमितताओं में संलिप्त पाया जाता है तो प्रमाणित कदाचार/अनियमितताओं के लिए इसकी प्रकृति पर निर्भर करते हुए ऐसे वितरक के विरुद्ध प्रचलित विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल विपणन कंपनियों ने वर्ष 1998–99 के दौरान 19326 निरीक्षण किए तथा 613 मामलों में अनियमितताओं /कदाचारों का पता लगाया और ऐसे गलती करने वाले वितरकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

आंध्र प्रदेश में स्वीकृति हेतु लंबित प्रस्ताव

1642. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999 की शुरू में सरकार के पास आंध्र प्रदेश के जल–भूतल परिवहन, पेय, जल, विद्युत और उद्योग के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) वर्ष 1999 के दौरान सरकार द्वारा कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए; और

(ग) इस समय कुल कितने प्रस्ताव लंबित हैं और इनके कब तक स्वीकृत हो जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) वर्ष 1999 के आरंभ में आंध्र प्रदेश के लम्बित प्रस्तावों की संख्या इस प्रकार है :–

भूतल परिवहन	–	1
पेयजल	–	शून्य
वैद्युत	–	02
उद्योग	–	25

(ख) वर्ष 1999 के दौरान आंध्र प्रदेश के दस प्रस्तावों को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी।

(ग) 29.2.2000 तक पांच प्रस्ताव लम्बित हैं। इस मंत्रालय में पूरी सूचना प्रस्तुत करने की तारीख से तीन माह के अंदर पर्यावरणीय स्वीकृति के बारे में प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में निवेश

1643. प्रो. उम्माशेट्टी वेंकटेश्वरलु : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेल और बीपीसीएल द्वारा इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में कुल कितना निवेश किया गया है;

(ख) क्या इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड मोटरगाड़ियों और वाहनों को सीएनजी की आपूर्ति के मामले में अपने विज्ञापन के अनुरूप खरी नहीं उतरी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा मोटरवाहनों को सीएनजी की आपूर्ति में उनके द्वारा किए जा रहे योगदान की जांच के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) अब तक गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में क्रमशः 17.8 करोड़ रुपये और 22.5 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

(ख) इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की पहल तथा प्रयासों से दिल्ली में संपीड़ित प्राकृतिक गैस की खपत जनवरी, 1999 में 65000 किलोग्राम प्रतिमाह से बढ़कर जनवरी, 2000 में 337000 किलोग्राम प्रतिमाह हो गई है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाले वाहनों की संख्या भी उपर्युक्त अवधि के दौरान 1367 से बढ़कर 3990 हो गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रवर्तक कंपनियों द्वारा इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के कार्य निष्पादन की नियमित बोर्ड बैठकों के माध्यम से निगरानी की जाती है।

भारतीय तेल निगम का कारोबार और लाभ

1644. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम ने वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान कारोबार और लाभ के संबंध में क्या अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) इस लक्ष्य के किस सीमा तक प्राप्त किये जाने की संभावना है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये भारतीय तेल निगम की निवेश योजना क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) कारोबार एवं लाभ के रूप में इंडियन आयल कार्पोरेशन के द्वारा निर्धारित संशोधित अनुमान 1999–2000 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान अनुमानित लक्ष्य निम्नवत है :–

कारोबार	85310	करोड रुपए
करोपरांत लाभ	2500	करोड़ रुपए

उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है।

(ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन के संबंध में 9वीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 25488 करोड़ रुपए है।

राजमार्ग को चार लेन बनाने हेतु वित्तीय स्वीकृति

1645. श्री जार्ज ईडन : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलुरू से त्रिचूर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 47 को चार लेन में परिवर्तित करने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु वित्तीय स्वीकृति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) वित्तीय स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस कार्य के लिए कुल स्वीकृत राशि कितनी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) अलुवा (अलुरू) से अंगामली के बीच चार लेन बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण प्राक्कलन को वर्ष 1999 में 4.19 करोड़ रुपये के लिए संस्वीकृत किया गया था और चार लेन बनाने हेतु अंगामली से त्रिचूर तक भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव राज्य लो.नि.वि. से प्राप्त नहीं हुआ है।

आई. टी. आई का कार्य निष्पादन

1646. श्री अनन्त नायक : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आई टी आई के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्ष के दौरान आई टी आई द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000–2001 में आई टी आई की नई शाखाएं खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो स्थान वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) आई टी आई का पिछले तीन वर्षों का कार्य–निष्पादन निम्नानुसार है :–

वर्ष	पश्यावर्त (रु. करोड़ में)	कर के बाद लाभ (रु. करोड़ में)	नेटवर्क (रु. करोड़ में)
1996–97	1021	(–)50.90	102
1997–98	1263	15.26	108
1998–99	1539	27.10	126

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त "ग" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

असम में तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र

1647. श्री ए. एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कुल कितने तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कुओं द्वारा वर्षवार कितनी मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया गया;

(ग) असम के बराक घाटी जिलों में गैस निष्कर्षण की क्या संभावनाएं हैं; और

(घ) असम में विगत तीन वर्षों के दौरान क्या गैस का निष्कर्षण किया गया यदि हां, तो कितनी मात्रा में?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) असम में आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओएनजीसी) के द्वारा प्रमाणित विभिन्न आकार के तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्रों/संरचनाओं/खोजों की कुल संख्या 1 अप्रैल 1999 की स्थिति के अनुसार 58 हैं।

(ख) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान असम में तेल एवं गैस का उत्पादन निम्नवत है :–

वर्ष	तेल (एमएमटी)*	गैस (बीसीएम)*
1996–97	4.796	1.942
1997–98	5.114	2.018
1998–99	5.077	2.055

* एमएमटी: मिलियन मीट्रिक टन

* बीसीएम: बिलियन घन मीटर

असम की बराक घाटी में तीन गैस क्षेत्रों का अंतिम भंडार आधार 1.169 बिलियन घन मीटर है।

विद्युत नीति

1648. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विद्युत परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत विद्युत नीति बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उसमें विद्युत परियोजनाओं को एकल पटल मंजूरी देने पर भी विचार किया जायेगा; और

(घ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) अगले 15–20 वर्षों के लिए ऊर्जा नीति संबंधी रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए योजना आयोग में 25 अगस्त, 1995 को सदस्य सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक ऊर्जा नीति समिति गठित की गई थी। बाद में समिति की अध्यक्षता सदस्य (ऊर्जा), योजना आयोग द्वारा की गई। समिति के अन्य सदस्यों में भारत सरकार के सचिव, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, अपारपम्परिक ऊर्जा स्रोत, पर्यावरण एवं वन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अध्यक्ष, पावर फाईनेंस कारपोरेशन, निदेशक, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, निदेशक, इंदिरा गांधी इंस्टीटयूट आफ डेवलपमेंट रिसर्च, महासचिव, भारतीय उद्योग परिसंघ एवं सलाहकार (ऊर्जा) योजना आयोग, सदस्य सचिव शामिल हैं।

अब तक समिति नौ बैठकें आयोजित कर चुकी है और इन बैठकों में वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य, भविष्य में ऊर्जा की मांग एवं नीतिगत मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

(ग) और (घ) ऊर्जा नीति समिति सिंगल विंडो क्लीयरेंस मामलों पर नहीं विचार करता है यह केवल उन्हीं नीतिगत मुद्दों पर विचार करता है जो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।

विद्युत अधिनियम में परिवर्तन

1649. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 फरवरी, 2000 के 'द स्टेटसमेन'' में काम्प्रीहेन्सिव पावर एक्ट आन द कार्डस'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान विद्युत अधिनियमों में केन्द्र सरकार के ध्यान में आई विसंगतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मुद्दे पर इसके कार्यान्वयन से पहले विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सुधार प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक विधायी परिवर्तन पर सलाह देने एवं सुधार प्रक्रिया को तेज करने के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा विचारणीय नीतिगत निर्णयों पर विचार करने हेतु परामर्शदाता के रूप में नेशनल काउंसिल आफ एप्लाईड इकनामिक रिसर्च को नियुक्त किया गया। विद्यमान तीन विद्युत कानूनों (भारतीय बिजली अधिनियम, 1910) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998) को बदलने के लिए एनसीएईआर ने विद्युत विधेयक का एक प्रारूप प्रस्तुत किया है।

विधेयक के प्रारूप में सभी राज्य विद्युत बोर्डों के निगमीकरण और उसकी पृथक–पृथक संस्थाओं, जो कि लाभ केन्द्रों, चाहे सार्वजनिक हो या निजी, पर आधारित जिम्मेवारियों के लिए प्रावधान करेगी, में पुनर्संरचना करने तथा विद्युत विनियामक आयोग, अधिनियम, 1998 के अनुरूप विनियामक आयोग की स्थापना करने अथवा उन्हें सशक्त बनाने का सुझाव प्रदान किया गया है। इसमें सभी उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से कुशलता और प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसमें भूमिकाओं और जिम्मेवारियों की स्पष्ट रूपरेखा का भी प्रावधान किया गया है।

इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस छेड़ने और एनसीएईआर द्वारा सुझाए गए प्रारूप विधेयक पर सहमति प्राप्त करने के लिए इसकी प्रतियां सभी संबंधितों को उनकी टिप्पणियां, सुझाव और सलाह प्राप्त करने के लिए परिचालित कर दी गई हैं। दिनांक 26.2.2000 को विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों के विद्युत मंत्रियों/प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया था कि वे विधायी प्रारूप पर अपने विचार/टिप्पणियां यथाशीघ्र भेजें।

विद्युत केन्द्रों का उन्नयन

1650. श्री अधीर चौधरी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान देश में विद्युत केन्द्रों के आधुनिकीकरण और उन्नयन का कार्य किया गया;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार नौवीं योजना अवधि के दौरान देश में विद्युत केन्द्रों के आधुनिकीकरण और उन्नयन की प्रक्रिया शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) जी, हां। उपलब्ध तथा पुराने ताप विद्युत यूनिटों के निष्पादन में सुधार के लिए देश में औसतन 20869.43 मेवा. क्षमता वाली 198 यूनिटों सहित 44 ताप विद्युत स्टेशनों को सम्मिलित करके वर्ष 1990–91 में एक नवीकरण तथा आधुनिकीकरण (आर एंड एम) कार्यक्रम आरंभ किया गया था

ताकि आठवीं योजनावधि के दौरान उस कार्यान्वित किया जा सके। उसी प्रकार राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों के आधार पर जल विद्युत स्कीमों को सम्मिलित करने जल विद्युत केन्द्रों के नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के लिए एक स्कीम आरंभ की गई थी। 8वीं योजना के अंत तक 8 स्कीमों को पूरा कर लिया गया है। ताप विद्युत केन्द्रों तथा जल विद्युत केन्द्रों के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) आर एंड एम ताप विद्युत स्कीमों तथा आर एंड एमयू जल विद्युत स्कीमों के बारे में आठवी योजना के शेष कार्यों को नौंवी योजना के दौरान पूरा करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राज्य यूटिलिटियों को सहायता देने के लिए सरकार ने एक नई स्कीम घोषित की है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2000–01 में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ताकि पुराने तथा अक्षम संयंत्रों के आर एंड एम तथा वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर निवेश किया जा सके।

विवरण–I

आर एंड एम कार्यक्रम (चरण–II) के अंतर्गत शामिल की ताप विद्युत यूनिटों का ब्यौरा

क्र.सं.	बोर्ड/यूटिलिटी	केन्द्र	यूनिटें	क्षमता (मे.वा.)
1	2	3	4	5
1.	एनटीपीसी	बदरपुर	1-5 (3 x 95 + 2 x 210)	705.00
2.	डीवीबी	इन्द्रप्रस्थ	1-5 (1 x 30 + 3 x 62.5 + 1 x 60)	277.50
3.	एचपीजीसीएल	फरीदाबाद	1-3 (3 x 55)	165.00
4.	एचपीजीसीएल	पानीपत	1-2 (2 x 110)	220.00
5.	पीएसईबी	रोपड़	1-2 (2 x 210)	420.00
6.	पीएसईबी	भंटिडा	1-4 (4 x 110)	440.00
7.	आरएसईबी	कोटा	1-2 (2 x 110)	220.00
8.	यूपीएसईबी	ओबरा	1-13 (5 x 50 + 3 x 100 + 5 x 200)	1550.00
9.	यूपीएसईबी	पनकी	1-4 (2 x 32 + 2 x 110)	284.00
10.	यूपीएसईबी	हरदुआगंज	1-8 (1x 30 + 2 x 40 + 4 x 60 + 1 x 105)	455.00
11.	यूपीएसईबी	परीचा	1-2 (2 x 110)	220.00
12.	एमपीईबी	अमरकंटक	1-4 (1 x 30 + 1 x 20 + 2 x 120)	290.00
13.	एमपीईबी	कोरबा (पू)	1-6 (4 x 50 + 2 x 120)	440.00
14.	एमपीईबी	कोरबा (प.)	1-2 (2 x 210)	420.00
15.	एमपीईबी	सतपुड़ा	1-9 (5 x 62.5 + 1 x 200 + 3 x 210)	1142.50
16.	जीईबी	उकई	1-5 (2 x 120 + 2 x 200 + 1 x 210)	850.00
17.	जीईबी	गांधीनगर	1-2 (2 x 120)	240.00
18.	जीईबी	धुव्रण	1-6 (4 x 63.5 + 2 x 140)	534.00
19.	जीईबी	वनाकबोरी	1-3 (3 x 210)	630.00
20.	एमएसईबी	कोराडी	1-7 (4 + 115 + 1 x 200 + 2 x 210)	1080.00
21.	एमएसईबी	नासिक	1-5 (2 x 140 + 3 x 210)	910.00
22.	एमएसईबी	भुसावल	1-3 (1 x 58 + 2 x 210)	478.00

1	2	3	4	5
23.	एमएसईबी	चन्द्रपुर	1-4 (4 x 210)	840.00
24.	एमएसईबी	परली	1-5 (2 x 30 + 3 x 210)	690.00
25.	एमएसईबी	पारस	2 (1 x 58)	58.00
26.	टीएनईबी	एन्नौर	1-5 (2 x 60 + 3 x 110)	450.00
27.	टीएनईबी	तूतीकोरिन	1-3 (3 x 210)	630.00
28.	टीएनईबी	मेत्तूर	1-4 (4 x 210)	840.00
29.	एपीजेनको	कोठागुडम 'क' (ओईसीएफ)	1-4 (4 x 60)	240.00
	एपीजेनको	कोठागुडम (बी एंड सी)	1-4 (2 x 105 + 2 x 110)	430.00
30.	एपीजेनको	नैल्लोर	1 (1 x 30)	30.00
31.	एनएलसी	नैवेली	1-9 (6 x 50 + 3 x 110)	600.00
32.	डब्लयूबीपीडीसी	कोलाघाट	2-3 (2 x 210)	420.00
33.	डब्लयूबीपीडीसी	संथालडीह	1-4 (4 x 120)	480.00
34.	डीवीसी	चन्द्रपुर	1-6 (3 x 120 + 3x 140)	780.00
35.	डीवीसी	दुर्गापुर	1-4 (2 x 75 + 1 x 140 + 1 x 210)	500.00
36.	डीवीसी	बोकारो	1-3 (3 x 50)	150.00
37.	बीएसईबी	पतरातू	1-10 (4 x 40 + 2 x 90 + 2 x 105 + 2 x 110)	770.00
38.	बीएसईबी	बरौनी	1-4 (2 x 50 + 2 x 105)	310.00
39.	बीएसईबी	मुज्जफरपुर	1-2 (2 x 210)	420.00
40.	एएसईबी	बॉगईगांव	1-4 (4 x 60)	240.00
41.	एएसईबी	चन्द्रपुरा	1 (1 x 30)	30.00
42.	एएसईबी	कैथालगुड़ी एवं गोलकी	1-7 (3 x 2.705 + 4 x 2.705)	18.93
43.	एएसईबी	लकवा	1-4 (4 x 15)	60.00
44.	एएसईबी	नामरूप	1-5 (3 x 23 + 1 x 12.5 + 1 x 30)	111.50
		कुल		20869.43

विवरण–II

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)
1	2	3
आंध्र प्रदेश		
1.	मच्छकुंड चरण-I	3 x 17 + 3 x 21. 25
2.	निजाम सागर	2 x 5
3.	लोअर सिलेस	4 x 115
4.	श्रीसेलम	7 x 110
बिहार		
5.	सुबर्णरेखा	2 x 65
गुजरात		
6.	उकई (यू 1 एवं 3)	4 x 75
हिमाचल प्रदेश		
7.	बस्सी	4 x 15

1	2	3
8.	गिरि	2 x 30
जम्मू और कश्मीर		
9.	चेनानी	5 x 4.66
10.	लोअर झेलम	3 x 35
11.	सम्बलासिंध	2 x 11.3
कर्नाटक		
12.	महात्मा गांधी	4 x 12 + 4 x 18
13.	नांगझरी (यू 2)	6 x 135
14.	शरावती (यू 1-8)	8 x 89.1
15.	शरावती 2	2 x 89.1
16.	शिवसमुद्रम	6 x 3 + 4 x 6
केरल		
17.	नेरिमामंगलम	3 x 15
18.	पोरिंगलकुथू	4 x 8
19.	सबरीगिरि	6 x 50
20.	शोलायार	3 x 18
महाराष्ट्र		
21.	कोयना I एवं II चरण I	4 x 65 + 4 x 75
22.	कोयना-III (यू 10, 11एवं 12)	4 x 80
मेघालय		
23.	किरदमकुलई	2 x 30
24.	उमियम चरण I एवं II	4 x 9 + 2 x 9
उड़ीसा		
25.	हीराकुंड-I (यू 1 एवं 2)	2 x 37.5
26.	हीराकुंड-I (यू 3 एवं 4)	2 x 24
27.	हीराकुंड-I (यू 5 एवं 6)	2 x 37.5
28.	हीराकुंड-I	–
29.	हीराकुंड-II	3 x 24
पंजाब		
30.	यूबीडीसी-I	3 x 15
तमिलनाडु		
31.	कदमपराई	4 x 100
32.	कुडा -III (यू 1 एवं 2)	3 x 60
33.	मेन्टूर डम	4 x 10
34.	मोयार	3 x12
35.	पपनासम	(4 x 7 एट यूनिटी पी.एफ.)
36.	पाइकारा	3x 6.65 + 2 x 11+2 x 14
37.	सोलियार-II	2 x 35
त्रिपुरा		
38.	गुमटी	3 x 5
उत्तर प्रदेश		
39.	चिल्ला (यू 1, 3 एवं 4)	4 x 36
40.	खटीमा	3 x 13.8
41.	ओबरा	3 x 33
42.	पथरी (यू 3)	3 x 6.8
43.	रामगंगा	3 x 66
44.	रिहंद	6 x 50
45.	तिलोथ	3 x 30
पश्चिम बंगाल		
46.	जलढका चरण-I	3 x 9
केन्द्रीय क्षेत्र		
47.	भाखड़ा आरबी	5 x 135 (5 x 120 मेवा नाम पाल्ट रेटिंग)
48.	देहर (यूएस, 3 एवं 4)	6 x 165
49.	गंगूवाल	2 x 24.2 + 1 x 29.25
50.	कोटला (यू 3)	-वही-
दामोदर घाटी निगम (डीवीसी)		
51.	नेथ्थान	3 x 20
52.	पंचेट	1 x 40
नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रीक पावर कारपोरेशन (एनएचपीसी)		
53.	बेरास्यूल	3 x 60
54.	लोकतक	3 x 35
नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको)		
55.	खाडोंग (यू 1)	2 x 25
	कुल	9652.0

[हिन्दी]

दाहोद, गुजरात में एल पी जी कनैक्शन

1651. श्री बाबूभाई के. कटारा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 फरवरी, 2000 की स्थिति के अनुसार गुजरात के दाहोद जिले और दाहोद शहर में कितने एल पी जी कनैक्शन प्रतीक्षा सूची में है;

(ख) इन प्रतीक्षा सूचियों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है;

(ग) उक्त जिले में वर्ष 1998 और 1999 के दौरान कितने एलपीजी कनैक्शन जारी किए गए; और

(घ) वर्ष 2000 और 2001 के दौरान कितने एल पी जी जारी किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 1.2.2000 की स्थिति के अनुसार गुजरात के जिला दाहोद में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत प्रतीक्षा सूची की संख्या 94 है जिनमें से 54 दाहोद शहर में हैं।

(ख) से (घ) उक्त जिले में वर्ष 1998 और 1999 के दौरान जारी किए गए एल पी जी कनैक्शनों की कुल संख्या क्रमशः 1051 और 8067 है। देशभर में नए कनैक्शन एल पी जी की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची, डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध स्लैक और उनकी व्यवहार्यता के आधार पर चरणबद्ध ढंग से जारी किए जाते हैं। तथापि, 1.12.1999 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत समग्र प्रतीक्षा सूची को निपटा देने के लिए सरकार की योजना वर्ष 2000 के दौरान एक करोड़ एल पी जी कनैक्शन जारी करने की है।

मध्य प्रदेश में राजमार्गों के लिए धनराशि

1652. श्री रामानन्द सिंह : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 और 1999–2000 के दौरान मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रखरखाव हेतु कितनी राशि आबंटित की गई;

(ख) उक्त वित्त वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 और 27 पर अलग–अलग कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) इन वित्त वर्षों के दौरान इस राशि में से इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने संकरे पुलों और पुलियों को चौड़ा किया गया?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) रखरखाव और मरम्मत कार्य हेतु महाराष्ट्र राज्य को आबंटित निधियां इस प्रकार हैं :

1998–99	1999–2000
रखरखाव और मरम्मत	रखरखाव मरम्मत (लाख रुपये) (1/2000 तक)
3945.04	5254.493

(ख)	1998–99	1999–2000 (लाख रुपये)
रा. रा.–7	563.97	445.30
रा.रा.–27	33.74	30.51

(ग) इस अवधि के दौरान 21 पुलियों/पुलों को चौड़ा बनाया गया और 2 पुलों पर कार्य चल रहा है।

[अनुवाद]

सड़क परियोजनाओं के लिए समिति का गठन

1653. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न सडक परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजमार्ग क्षेत्र में एक समान संगठनात्मक ढांचा तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सड़क परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन हेतु उपाय सुझाने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या–क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) और (ख) उन राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कार्य, जिनके लिए मुख्य तौर पर यह मंत्रालय जिम्मेदार हैं, एजेंसी प्रणाली के तहत राज्य लो.नि.वि. द्वारा किए जाते हैं। अतः संगठनात्मक ढांचा पहले ही एक समान है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना और जीर्णोद्धार

1654. श्री बसनगौड़ा रामनगौड़ पाटिल (यत्नाल) :

श्री आर. एस. पाटिल :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री शिवाजी माने :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, क्षेत्रवार विद्युत की वर्तमान कितनी आवश्यकता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में, राज्यवार उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के कार्य सौंपें गये और उनकी क्षमता क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) वर्ष 2000–2001 के दौरान स्थापित की जाने वाली और नवीकरण की जानेवाली नयी विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जनवरी, 2000 माह के दौरान देश में व्यस्ततमकालीन मांग/व्यस्ततमकालीन समय में बिजली आपूर्ति की स्थिति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय क्षेत्र/निजी कंपनियों, ताप एवं विद्युत परियोजनाओं जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृति/तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान की गई है, का विवरण संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) वर्ष 2000–2001 के दौरान 2125.2 मेगावाट ताप विद्युत एवं 1219.5 मेवा. जल विद्युत क्षमता को स्थापित किए जाने की प्रत्याशा है। ताप विद्युत और जल विद्युत यूनिटों का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

वर्ष 2000–01 के दौरान नवीकरण हेतु प्रस्तावित ताप एवं जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण–IV में दिया गया है।

विवरण-I

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली		जनवरी, 2000	
		अधिकतम मांग	अधिकतम पूर्ति
1		2	3
उत्तरी क्षेत्र			
1.	चंडीगढ़	157	157
2.	दिल्ली	2850	2498
3.	हरियाणा	2270	2070
4.	हिमाचल प्रदेश	604	604
5.	जम्मू और कश्मीर	1125	950
6.	पंजाब	3250	3160
7.	राजस्थान	3463	3463
8.	उत्तर प्रदेश	6580	5058
पश्चिमी क्षेत्र			
1.	गुजरात	7393	5953
2.	मध्य प्रदेश	6836	4808
3.	महाराष्ट्र	11523	9540
4.	गोवा	260	231
दक्षिणी क्षेत्र			
1.	आंध्र प्रदेश	6665	6179
2.	कर्नाटक	4432	3944
3.	केरल	2290	2092
4.	तमिलनाडु	5743	5405
पूर्वी क्षेत्र			
1.	बिहार	1273	1124
2.	डीवीसी	1276	1276
3.	उड़ीसा	1793	1781
4.	पश्चिमी बंगाल	2718	2693
उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
1.	अरुणाचल प्रदेश	46	47
2.	असम	565	556
3.	मणिपुर	99	95
4.	मेघालय	124	126
5.	मिजोरम	64	64
6.	नागालैंड	49	47
7.	त्रिपुरा	115	92

विवरण-II

क्र.सं.	परियोजना का नाम	दिनांक	टीईसी क्षमता (मे.वा.)	स्थिति
1	2	3	4	
मध्य प्रदेश				
1.	सीपत टीपीसी/एनटीपीसी	17.1.2000	3 x 660	निवेश संबंधी निर्णय
2.	पेंच टीपीपी/मैसर्स पेंच पावर	19.9.97	2 x 250	नहीं लिया गया है। प्राप्त नहीं हुई।
3.	कोरबा पश्चिम विस्तार/मैसर्स आईटीपी लि.	15.9.97	2 x 210	-वही-
4.	कोरबा पूर्वी टीपीपी/मैसर्स डावो पावर	30.12.96	2 x 535	-वही-
5.	बीना टीपीपी चरण। मैसर्स बीना पीएस	17.6.97	2 x 289	-वही-
6.	नरसिंहपुर सीसीजीटी/मैसर्स जीबीएल	27.6.97	1666.55	-वही-
7.	गुना सीसीपीपी/मैसर्स एसटीपी पावर	19.9.97	330	-वही-
8.	भिलाई टीपीपी/मैसर्स भिलाई पावर	3.10.97	2 x 287	-वही-
9.	रायगढ़ टीपीपी (चरण–I) मैसर्स जिंदल	17.11.97	2 x 275	-वही-
10.	रतलाम डीजीपीपी/मैसर्स जीवीके पावार	10.2.98	8 x 14,829	-वही-
11.	पीतपमुर खाडा डीजीपीपी मैसर्स शपूरजी	1.2.98	8 x 14.96	-वही-
12.	भांडेर सीसीजीटी	5.3.98	342	-वही-
13.	खंडवा सीसीपीपी/मैसर्स माडीया भारती	29.5.98	171.17	-वही-
गुजरात				
14.	कवास सीसीपीपी चरण-II/एनटीपीसी	19.8.98	650	समीक्षाधीन
15.	झनौर गन्धार सीसीपीपी /एनटीपीसी	12.11.98	650	-वही-
16.	सूरत लिंगनाइट टीपीएस/मैसर्स जीआईपीसीएल	26.8.96	250	-वही-
17.	जामनगर पेटकोक टीपीपी मैसर्स रिलायंस पावर	24.5.99	500	प्राप्त नहीं हुई
18.	अकरीमोटा लिंगनाइट टीपीपी मैसर्स जीएमडीसीएल	6.9.99	250	-वही-
19.	साबरमती स्टेशन मैसर्स एईसीओ	20.11.96	125	-वही-
महाराष्ट्र				
20.	डिबोल सीसीटीजी–1 मैसर्स डीबोल पीसी	4/96	447	फेज–I प्राप्त हुआ फेज–II 3/2000 से
21.	पातालगंगा सीसीजीटी मैसर्स रिलाइन्स पातालगंगा गोवा	22.1.98	447	अनुमान है।
22.	सलगांवकर सीसीजीटी मैसर्स रिलाइंस सलगांवकर तमिलनाडु	–	48	चालू हो गई है
23.	तूतीकोरिन टीपीपी–II /मैसर्स एसपीएसपीआईसी	31.7.97	525	प्राप्त नहीं हुई
24.	समयानल्लूर डीजीपीपी/मैसर्स बालाजी	10.2.98	106	-वही-
25.	समालपट्टी डीजीपीपी/मैसर्स समालपट्टी	10.2.98	105.6	प्राप्त हुई
26.	नार्थ मद्रास चरण–III मैसर्स त्रिशक्ति	31.7.98	525	प्राप्त नही/हुई

1	2	3	4	
27.	नार्थ मद्रास चरण–II मैसर्स वीडियोकान	3.4.96	1050	-वही-
28.	कुड्डालोर टीपीपी/मैसर्स कुड्डालोर	13.8.99	1320	-वही-
29.	विनबार सीसीपीपी/मैसर्स इंडिया पावर आन्ध्र प्रदेश	24.9.99	1873	प्राप्त नहीं हुआ
आंध्र प्रदेश				
30.	विशाखापट्टनम टीपीपी/मैसर्स हिन्दुजा	25.7.96	1040	-वही-
31.	रामागुण्डम टीपीपी/मैसर्स बीपीएल	26.6.97	520	कार्य प्रारम्भ हुआ
32.	वीमागिरी सीसीपीपी/विमागिरि पीजीएल	14.1.99	492	ईपीसी अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए कार्य प्रगति पर है।
33.	कोंडापल्ली सीसीजीटी मैसर्स लिंको कोंडापल्ली	22.1.98	350	फ्यूल आयल पाइप का कार्य प्रगति पर है जीटीजी-2 को स्थापित किया गया कंट्रोल स्विचगेयर बिल्डिंग का कार्य प्रगति पर है।
34.	पिट्टापुरम सीसीजीटी/मैसर्स बीएसईएस	–	200	एफ ओ प्रणाली आदि के लिए आदेश
35.	गौतमी सीसीजीटी/मैसर्स गौतमी पावर	–	358.9	कार्य प्रगति पर है।
36.	कृष्णापट्टनम बीटीपीपी/मैसर्स बीबीआई	16.6.98	520	पीपीए पर हस्ताक्षर हुए ईपीसी अनुबंध को अंतिम रूप दिया गया।
37	सिम्हाद्री टीपीएस/एनटीपीसी	8.7.97	1000	एलओआई कार्य प्रगति पर स्थिति की
38	रामागुण्डम टीपीपी चरण–3/एनटीपीसी कर्नाटक	29.4.99	500	प्रतीक्षा है।
कर्नाटक				
39.	कानीमिनके सीसीजीटी/मैसर्स पीनवा	20.9.99	107.6	-वही-
40.	तनीरबावी सीसीजीटी/मैसर्स तनीरबावी	–	220	पीपीए पर हस्ताक्षर हुए ईपीसी को अंतिम रूप दिया
41.	नागार्जुन टीपीपी/मैसर्स नागार्जुन	29.4.99	2 x 507.5	अंतिम वित्तीय पैकेज प्रस्तुत किया गया।
42.	टुमकुर डीजीपीपी/मैसर्स डीएलएफ	–	32.5	पीपीए एवं एफएसए पर हस्ताक्षर हुए।
43.	मंगलौर टीपीपी/मैसर्स मंगलौर	10.7.98	4 x 253.3	मुकदमा चल रहा है।
44.	बह ईधन संयंत्र/मैसर्स ओपीट पीएल	–	50.8	पीपीए एवं एफएसए पर हस्ताक्षर हुए।
45.	बिहाडी सीसीपीपी/मैसर्स केपीसी बिडाडी	–	200	भूमि अर्जित की गई ईपीसी बोली का मूल्यांकन प्रगति पर
46.	बेल्लारी डीजीपीपी/मैसर्स रिलान्ससिमा	–	27.8	पीपीए पर हस्ताक्षर हुए/जीओके गारन्टी पर हस्ताक्षर हुए।
केरल				
47.	विप्पीन सीसीजीटी/मैसर्स सिलाइन्स एनर्जी	25.9.98	678.7	ईपीसी को अंतिम रूप दिया गया। एफसी प्राप्त नहीं हुआ।

1	2	3	4	
48.	कन्नौर सीसीपीपी/मैसर्स कन्नौर पावर	16.2.2000	लागू नहीं	स्थिति की प्रतीक्षा
49.	कोचीन सीसीजीटी/मैसर्स बीएसईएस	–	173	परियोजना प्रगति पर है।
अंडमान और निकोबार द्वीप				
50.	बम्मूफ्लेट/मैसर्स सूर्याचक्र हरियाणा	20.11.97	20	एफ सी प्राप्त नहीं हुआ।
हरियाणा				
51.	फरीदाबाद सीसीजीटी/एनटीपीसी	8.7.97	429	इरेक्शन कार्य प्रगति पर है।
52.	मगनूम डीजी	11/96	4 x 6.3	पहले ही चालू हो गया है।
बिहार				
53.	जोजोबीरा टीपीपी/मैसर्स जमशेदपुर पीसी	12/97	240	कार्य प्रगति पर है।
पश्चिम बंगाल				
54.	बक्रेश्वर टीपीपी/बीकेपीजी कंपनी	23.6.98	420	एफसी अभी प्राप्त किया जाना है
55.	गोरीपोर टीपीएस/मैसर्स गोरीफार	19.4.99	150	स्थिगित।
उड़ीसा				
56.	तालचेर एसटीपीपी चरण–II/एनटीपीसी	23.10.97	4 x 500	कार्य प्रगति पर है।
57.	ईब वैली टीपीपी चरण–II/मैसर्स एईएस	26.2.99	2 x 250	एफ सी प्राप्त नहीं हुआ।
58.	दुबरी टीपीएस मैसर्स कलिंगा	29.4.99	2 x 250	एफ सी प्राप्त नहीं हुआ।
राजस्थान				
59.	अन्ता चरण–II/एनटीपीसी	19.8.98	650	समीक्षाधीन
60.	डाबोल सीसीजीटी/मैसर्स आरपीजी	12.3.98	जीटी+एसटी 2 x 231.75 + 239.2	एफसी प्राप्त नहीं हुआ।
61.	बरसिंगसर लिंगनाइट/मैसर्स एचवीसीएल	20.4.98	2 x 250	ईपीसी पर हस्ताक्षर हुए। एफ एस ए हस्ताक्षर हुए।
62.	चम्बल नापथा आधारित पावर प्रोजेक्ट मै. चम्बल पीएल	29.10.96	166	-वही-
63.	मथानिया आईएससीसी मै. आरएसपीसीएल	27.8.99	140	एफ सी प्राप्त नहीं हुआ।
उत्तर प्रदेश				
64.	ओरेय्या चरण–II/एनटीपीसी	30.11.98	630	समीक्षाधीन
65.	रिहिन्द/एनटीपीसी	1.10.99	1000	6/00 तक विस्तार अपेक्षित
66.	रोसा टीपीपी/मैसर्स इंडो गल्फ फर्टिलाइजर	19.9.97	2 x 283.5	6/00 तक विस्तार अपेक्षित
जल विद्युत				
हिमाचल प्रदेश				
67.	बासपा चरण–II/मैसर्स जेपीआईएल	12/93	3 x 100	कार्य प्रगति पर है मै. जेपीएचपीसी द्वारा निष्पादित परियोजना पर पीपीए द्वारा हस्ताक्षर

1	2	3	4	
68.	मलाना/आरएसडब्ल्यूएमएल	27.7.98	86	एफ सी प्राप्त किया जाना है। मै. मलाना पीसीएल को टीईसी हस्तांतरित कर दी गई है कार्य प्रगति पर है।
69.	चेमेरा चरण–II/एनएचपीसी	18.5.99	300	एनएचपीसी तथा मैसर्स जयप्रकाश इण्ड लि. संघ के बीच करार पर हस्ताक्षर हुए/कार्य प्रगति पर है।
	उत्तर प्रदेश			
70.	विष्णु प्रयाग/जेपीआईएल	30.6.97	400	अन्वेषण तथा सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
	असम			
71.	कोपली चरण–II/नीपको	6.7.99	25	टीजीसेट आर पैकेज 1 के लिए एलओ आई प्रदान कर दी है कार्य प्रगति पर है
	सिक्किम			
72.	तिस्ता चरण–I/एनएचपीसी	11.2.2000	510	विकास कार्य प्रगति पर है।
	मणिपुर			
73.	लोकतक डीएस/एनएचपीसी	30.12.99	90	कार्य प्रगति पर है।
	मिजोरम			
74.	तुरियल/नीपको	7.7.98	60	कार्य प्रगति पर है।
	मध्य प्रदेश			
75.	महेश्वर/मैसर्स एसएमएचपीसीएल	30.12.96	400	कार्य आबंटन के से भूमि अधिग्रहण तथा आर एंड आर कार्य प्रगति पर है।

विवरण-III

वर्ष 2000–2001 (अनंतिम) के लिए क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मे.वा.)	चालू होने का कार्यक्रम
1	2	3	4	5
	ताप विद्युत			
	केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	फरीदाबाद सीसीजीटी/एनटीपीसी	हरियाणा	144.0	10/2000
	राज्य क्षेत्र			
1.	पानीपत टीपीएस चरण. II, यू-6	हरियाणा	210.0	2/2001
2.	सूरतगढ़ टीपीएस, यू-2	राजस्थान	250.0	4/2000
3.	कापरखेड़ा टीपीएस, यू-3 यू-4	महाराष्ट्र	210.0	5/2000
	यू-4	महाराष्ट्र	210.0	11/2000
4.	बक्रेश्वर टीपीपी	पश्चिम बंगाल	210.0	9/2000

1	2	3	4	5
5.	लिमखांग डीजी	मणिपुर	36.0	11/2000
				1999-2000 से पिछड़ रही है।
6.	कोपिलकलपल जीटी	टीएनईबी	107.0	9/2000
				10/2000
प्राइवेट क्षेत्र				
1.	कोडापल्ली सीसीजीटी	आंध्र प्रदेश	112.0	5/2000
	(मै. एलकेपीएल) एसटी	आंध्र प्रदेश	126.0	8/2000
2.	पिलईप्रेरू मलनल्लूर जी टी	तमिलनाडु	225.0	12/2000
	सीसीजीटी (पीपीएम पावर एसटी)		105.5	
3.	समलपट्टी डी जी-1 एवं 2	तमिलनाडु	30.0	2/2001
	समलपट्टी डी जी- 3 एवं 4		30.0	3/2001
4.	जोजोबेरा टीपीएस (यू-1)	बिहार	120.0	1/2001
	(मैसर्स जमशेदपुर पावर कम्पनी)			

नोट : वर्ष 1999-2000 के कार्यक्रम में पिछड़े हुये यदि कोई हो, को भी वर्ष 2000-2001 के क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम में जोड़ा जायेगा।

जल विद्युत

क्रम सं.	परियोजना	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	वर्ष के दौरान अतिरिक्त क्षमता (मे.वा.)
1.	धनवी	2x 11.25	22.5
2.	अपर सिन्ध-II	2 x 35	35.0 (यूनिट-II)
3.	अपर सिन्ध विस्तार	1 x 35	35.0
4.	सीवा-III	3 x 3	9.0
5.	चेन्नई-III	3 x 2.5	5.0 (यूनिट II और III)
6.	रनजीत सागर	4 x 150	600.0
7.	पहलगाम	2 x 1.5	3.0 (एमएनईएस के अधीन)
8.	अपर इन्द्रावती	4 x 150	300.0 (यूनिट-III एवं IV)
9.	श्रीशैलम लैफ्ट बैंक पावर हाउस	6 x 150	150.0 (यूनिट-I)
10.	शरावती टेल रेस	4 x 60	60.0 (यूनिट-I)

विवरण-IV

आर एंड एम कार्यक्रम (चरण–II) के अंतर्गत शामिल की गई ताप विद्युत यूनिटों का ब्यौरा :

क्र.सं.	बोर्ड/यूटिलिटी स्टेशन	क्षमता (मे.वा.)	स्वीकृत अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1	2	3	4
1.	एनटीपीसी - बदरपुर (यू 1-5)	705	14018.00
2.	डीवीसी - इन्द्रप्रस्थ (यू 1-5)	277.50	1744.00
3.	एचपीजीसीएल - फरीदाबाद (यू 1-3)	165	1050.00
4.	एचपीजीसीएल - पानीपत (यू 1-2)	220	1658.00
5.	पीएसईबी - रोपड़ (यू 1-2)	420	2494.65
6.	पीएसईबी - भटिंडा (यू 1-4)	440	2340.84
7.	आरएसईबी - कोटा (यू 1-2)	220	3904.00
8.	यूपीएसईबी - ओरवा (यू 1-13)	1550	14367.00
9.	यूपीएसईबी - पनकी (यू 1-4)	284	2670.00
10.	यूपीएसईबी - हरदुआगंज (यू 1-8)	455	3320.00
11.	यूपीएसईबी - परीचा (यू 1-4)	220	1734.00
12.	एमपीईबी - अमरकंटक (यू 1-4)	290	3674.00
13.	एमपीईबी - कोरबा (प) (यू 1-6)	440	7710.00
14.	एमपीईबी - कोरबा (डब्लयू) (यू 1-2)	420	940.00
15.	एमपीईबी - सतपुड़ा (यू 1-9)	1142.50	17707.17
16.	जीईबी - उकई (यू 1-5)	850	3090.00
17.	जीईबी - गांधीनगर (यू 1-2)	240	346.00
18.	जीईबी - धुवरन (यू 1-6)	534	2724.00
19.	जीईबी - बनाकबोरी (यू 1-3)	630	1544.00
20.	एमएसईबी - कोराड़ी (यू 1-7)	1080	6765.00
21.	एमएसईबी - नासिक (यू 1-5)	910	12122.00
22.	एमएसईबी - भुसावल (यू 1-3)	478	4179.00
23.	एमएसईबी - चन्द्रपुर (यू 1-4)	840	4179.00
24.	एमएसईबी - पारली (यू 105)	690	5416.00
25.	एमएसईबी - पारस (यू-2)	58	996.00
26.	टीएनईबी - एन्नौर (यू 1-5)	450	6486.00
27.	टीएनईबी - तूतीकोरिन (यू 1-3)	630	1043.00
28.	मेत्तूर (यू 1-4)	840	312.00

1	2	3	4
29.	एपीजेनको - कोठागुण्डम 'ए' (यू 1-4)	240	14171.00
	एपीजेनको - कोठागुण्डम 'बी' और 'सी' (यू 1-4)	430	2903.00
30.	एपीजेनको - नेल्लौर (यू -1)	30	1385.00
31.	एनएलसी - नेवेली (यू 1-9)	600	25000.00
32.	डब्ल्यूबीपीडीसी - कोलाघाट (यू 2 & 3)	420	2000.00
33.	डब्ल्यूबीएसईबी - संथालडीह (यू 1-4)	480	8490.00
34.	डीवीसी - चन्द्रपुर (यू 1-6)	780	2722.00
35.	डीवीसी - दुर्गापुर (यू 1-4)	500	36481.00
36.	डीवीसी - बोकारो (यू 1-3)	150	284.00
37.	बीएसईबी - पतरातू (यू 1-10)	770	7583.00
38.	बीएसईबी - बरौनी (यू 1-4)	310	1577.00
39.	बीएसईबी - मुज्जफरपुर (यू 1-2)	220	292.00
40.	एएसईबी - बोंगाईगांव (यू 1-4)	240	880.00
41.	एएसईबी - चन्द्रपुरा (यू -1)	30	252.00
42.	एएसईबी - कैथलगुडी और गोलकी (यू 1-7)	18.93	633.00
43.	एएसईबी - लकवा (यू 1-4)	60	1777.00
44.	एएसईबी - नामरूप (यू 1-5)	111.50	3268.00

क्रम सं.	परियोजना का नाम/क्षमता	प्रत्याशित लाभ (मे.वा.)	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
जल स्कीम			
I-आरएम एवं यू स्कीमें			
1.	लोअर सिलेरू/आंध्र प्रदेश 4 x 115 मे.वा.	24	1335.00
2.	श्रीसेलम/आंध्र प्रदेश 7 x 110 मे.वा.	–	1632.00
3.	महात्मा गांधी/कर्नाटक 4 x12 + 4 x 18 मे.वा.	120	3390.00
4.	हीराकुड/उड़ीसा, 3 x 24 मे.वा.	72	8205.00
5.	पाईकारा/तमिलनाडु 3 x 6.65 + 2 x11 + 2 x 14 मे.वा.	69.95	2606.00
6.	भाखड़ा आरबी/बीबीएमबी, 5 x 120 मे.वा.	185	7750.00
II–अन्य स्कीम			
1.	गंगूवाल (यू 3) बीबीएमबी 24.2. मे.वा.	27.63	2500.00
2.	कोटला/(यू 2) बीबीएमबी 24.2 मे.वा.	28.12	2500.00
3.	शरावती/कर्नाटक 2 x 103.5 मे.वा.	–	499.00
4.	लिमगानामक्की/कर्नाटक 2 x 27.5 मे.वा.	–	80.00
5.	शलाल चरण–I/एनएचपीसी 3 x 115 मे.वा.	–	6147.00
6.	भीरा टेल रेस/महाराष्ट्र 2 x 40 मे.वा.	–	180.0

जम्मू कश्मीर में उड़ाए गए पुल

1655. **श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में उग्रवादी ग्रुपों अथवा अन्य ग्रुपों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुल उड़ाए गए हैं;

(ख) क्या इन पुलों का पुर्ननिर्माण किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) गत तीन वर्षों में जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दो पुल उड़ा दिए गए।

(ख) और (ग) क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत की जा चुकी है। ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :–

क्र. सं.	स्थान	कब उड़ा दिया गया	मरम्मत की अनुमानित लागत (लाख रुपये)
(क)	रा.रा.–1 क के श्रीनगर वारामुला उरी खंड पर 20 कि.मी.	5.11.98	2.17
(ख)	रा.रा.–1 ख के किस्तवार–सिंथन दर्रा खंड	23.10.99	2.15

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शिवडी-नवाशेवा लिंक सड़क और पश्चिमी एक्सप्रेस राजमार्ग योजना

1656. **श्री अनंत गंगाराम गीते** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवडी–नवाशेवा लिंक सड़क और पश्चिमी एक्सप्रेस राजमार्ग (वरली से नारीमन प्वाइंट) योजना सरकार की स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) प्रस्तावित मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (शिवडी–न्हावा लिंक) का संरेखण मुंबई पत्तन न्यास के विभिन्न प्रतिष्ठानों से गुजरता है। मुंबई पत्तन न्यास ने महाराष्ट्र सरकार के परियोजना प्राधिकारियों को संरेखण में परिवर्तन करने का सुझाव दिया था। मुंबई पत्तन न्यास को महाराष्ट्र सरकार से कोई और प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिमी एक्सप्रैस राजमार्ग का प्रस्ताव जल भूतल परिवहन मंत्रालय को नहीं भेजा है।

[अनुवाद]

धानसिंह टोली सिंचाई परियोजना को मंजूरी

1657. **श्री राम प्रसाद सिंह** :

श्रीमती कान्ति सिंह :

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गुमला जिले की धानसिंह टोली सिंचाई परियोजना संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु काफी लम्बे समय से सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसे सरकार के पास स्वीकृति हेतु किस तिथि को भेजा गया था;

(ग) अभी तक प्रस्ताव को स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) किस तिथि तक इसे स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की आशा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) जिला गुमला में धानसिंह टोली सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत 40.85 हैक्टेयर वन भूमि के वनेत्तर प्रयोजन का प्रस्ताव बिहार राज्य सरकार से मई 1991 में प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की जांच करने के उपरांत जुलाई 1991 में राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि वह प्रतिपूरक वनीकरण के लिए क्षेत्र तथा अपनी विस्तृत स्कीम के बारे में कुछ विवरण प्रस्तुत करें।

इसके बाद राज्य सरकार ने जुलाई 1997 में इसी परियोजना के लिए 36.71 हैक्टयेर वन भूमि के वनेत्तर प्रयोजन का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया। राज्य सरकार को सितम्बर, 1997 में कुछ आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। पूरी सूचना

अक्तूबर 1999 में ही प्रस्तुत की गई जिसमें वनेत्तर प्रयोजन के लिए वन भूमि के क्षेत्र को संशोधित करके 53.62 हैक्टेयर कर दिया गया।

अक्तूबर, 1999 में वन सलाहकार समिति से प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के उपरांत मंत्रालय ने 53.62 हैक्टेयर वन भूमि के वनेत्तर प्रयोजन के लिए कतिपय शर्तों को पूरा करने की शर्त के साथ सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया। ये शर्तें हैं, राज्य वन विभाग के पक्ष में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए समान वनेतर भूमि का अन्तरण और नामांतरण, समान वनेतर भूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि का अन्तरण और दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अवक्रमित वन भूमि के मुकाबले में उल्लंघन के रूप में उपयोग किए गए क्षेत्र से दुगुना क्षेत्र के लिए धनराशि का अन्तरण।

अब यह राज्य सरकार के ऊपर है कि वह इन शर्तों को पूरा करें और वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा 2 के अंतर्गत अंतिम अनुमति जारी करने के लिए अनुपालन रिपोर्ट भेजें।

बरौनी में तेलशोधक कारखाने का विस्तार

1658. श्री के. येरननायडू :

श्री राजैया मल्याला :

श्री एन. आर. के. रेड्डी :

श्री वी. वेंकटेस्वरलु :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बरौनी तेल शोधक कारखाने की क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितना निवेश किये जाने की संभावना है;

(ग) इस संबंध में दिये गये ठेकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त तेल शोधक कारखाने का विस्तार कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड का बरौनी रिफाइनरी की क्षमता को 1803 करोड़ रुपए की लागत पर, 4.2 से बढ़ाकर 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष करने का प्रस्ताव है।

(ग) परियोजना एकमुश्त स्वचालित (एल एस टी के) आधार पर निष्पादित की जा रही है। इसे चार एल एस टी के संविदाओं में बांटा गया है जिनमें से 3 को अंतिम रूप दिया जा चुका है तथा चौथी अंतिम रूप दिए जाने के अधीन है।

(घ) परियोजना को फरवरी, 2002 तक यांत्रिक रूप से पूरा कर लेने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन-बिल भुगतान सुविधा

1659. श्री रामशेठ ठाकुर :

श्री अशोक मा. मोहोल :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन उपभोक्ताओं को उनके टेलीफोन–बिलों का नकद भुगतान करने के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय डाकघरों द्वारा टेलीफोन बिलों के भुगतान के लिए चेक स्वीकार नहीं किए जाते;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा, ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों द्वारा चेकों का स्वीकार करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या ऐसे चेकों के भुगतान के लिए किसी सरकारी प्राधिकरण की अनुमति आवश्यक है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में उक्त कार्य के लिए सही प्रक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन बिलों के भुगतान के लिए नकद राशि विभागीय डाक घरों में मंजूर की जाती है।

(ख) जी नहीं। टेलीफोन बिलों के भुगतान के लिए चैक भी लिए जाते हैं।

(ग) से (च) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

वन्य जीव संरक्षण

1660. डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डे : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश द्वारा वन्य जीव से संबंधित भेजे गये कितने मामले मंजूरी के लिये लंबित पड़े हैं;

(ख) इन मामलों को कब तक मंजूरी मिल जायेगी;

(ग) क्या सरकार वन्य जीव संरक्षण के लिये राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देगी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उक्त अवधि के दौरान राज्यवार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) "बाघ परियोजना स्कीम" के अंतर्गत

सहायता के अनुमोदन के लिए मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण विकास स्कीम के अंतर्गत वर्ष 1999–2000 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से 14.21 करोड़ रुपये मूल्य का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जो कि इस स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय को उपलब्ध कुल आबंटन से अधिक है। पिछले वर्षों की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। विभिन्न राज्यों को आबंटन संरक्षित क्षेत्रों की संख्या और संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्र, जैव–विविधता की प्रचुरता, शामिल विविध प्रजातियां, राज्य सरकारों का पिछला कार्य निष्पादन, पिछले वर्षों के दौरान उपलब्ध करवाई गई राशि की उपयोगिता और इस स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय को अनुमोदित आबंटन के आधार पर किया जाता है। बाघ परियोजना स्कीमों और राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारणों के विकास के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है।

विवरण-I

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत "राष्ट्रीय पार्कों और अभयारणों के विकास" के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई राशियों का राज्यवार विवरण।

क्र.सं.	राज्य	1997–98	1998–99	1999–2000
1.	आंध्र प्रदेश	43.39	50.72	87.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.953	57.91	50.983
3.	असम	54.62	58.05	53.44
4.	बिहार	6.00	–	27.85
5.	गोवा	शून्य	11.07	21.30
6.	गुजरात	17.005	13.80	22.10
7.	हरियाणा	14.57	37.20	21.50
8.	हिमाचल प्रदेश	61.50	49.80	47.46
9.	जम्मू और कश्मीर	124.70	7.00	5.50
10.	कर्नाटक	78.17	84.12	99.201
11.	केरल	49.29	49.35	59.975
12.	मध्य प्रदेश	195.67	35.93	151.75
13.	महाराष्ट्र	48.845	27.783	123.43
14.	मणिपुर	13.50	19.64	13.28
15.	मेघालय	–	–	–
16.	मिजोरम	13.48	8.45	12.30
17.	नागालैंड	15.29	9.00	9.70
18.	उड़ीसा	34.22	68.73	95.54
19.	पंजाब	14.03	8.65	11.57
20.	राजस्थान	82.34	89.52	66.89
21.	सिक्किम	12.51	11.00	12.00
22.	तमिलनाडु	61.284	74.63	61.18
23.	त्रिपुरा	29.81	–	19.97
24.	उत्तर प्रदेश	112.11	89.57	118.01
25.	पश्चिम बंगाल	69.69	72.96	55.21
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	22.00
27.	चंडीगढ़	12.00	शून्य	20.00
	कुल	1211.93	934.883	1289.679

विवरण-II

स्कीम-बाघ परियोजना

क्र.स.	बाघ रिजर्व राज्य का नाम	जारी की गई राशि (1997-98)	जारी की गई राशि (1998-99)	जारी की गई राशि (1999-2000)
1.	आंध्र प्रदेश	10.700	18.010	18.495
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.000	47.660	30.590
3.	असम	45.060	35.000	87.290
4.	बिहार	38.750	153.990	109.900
5.	कर्नाटक	25.000	69.340	126.169
6.	केरल	34.950	39.190	42.665
7.	मध्य प्रदेश	133.778	225.125	278.785
8.	महाराष्ट्र	60.530	110.740	114.435
9.	मिजोरम	12.450	9.650	21.430
10.	उड़ीसा	49.300	67.650	72.450
11.	राजस्थान	149.885	472.265	211.095
12.	तमिलनाडु	45.600	32.500	58.780
13.	उत्तर प्रदेश	125.012	199.750	212.950
14.	पश्चिम बंगाल	58.950	179.965	137.140
	कुल	807.985	1660.875	1516.174

तेल की खोज

1661. डॉ. वी. सरोजा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में दिए गए खंडों में तेल की खोज का कार्य अब शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) बाकी बचे तेल की खोज वाले खंडों की संविदाएं देने के कार्य हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) और (ख) जी नहीं। नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन ई एल पी) के प्रथम दौर के तहत प्रदान किए गए ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं जिनमें विस्तृत निबंधन तथा शर्तें सम्मिलित हैं।

(ग) देश में अन्वेषण कार्य जिनमें नए आंकड़े एकत्र करना, वर्तमान आंकड़ों का पुर्नसंसाधन/पुनर्निवचन तथा ब्लाकों के लिए प्रस्ताव का कार्य शामिल है, एक लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

बिहार में टावर टेलीफोन कनेक्शन

1662. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के मुंगेर, गोड्डा, देवघर तथा दुमका जिलों के गांवों में टावर टेलीफोन कनेक्शन लगाए जाने की मांग है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग को पूरा नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त जिलों में टावर टेलीफोन कनेक्शन कब तक लगा दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन सिकदर) : (क) से (ग) बिहार के मुंगेर, गोड्डा, देवघर तथा दुमका जिलों के गांवों में

सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा की मांग हैं इन जिलों में टावर टेलीफोन, भूमिगत केबलों तथा ओवर हैड लाइनों के माध्यम से ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान किये जा रहे हैं। शेष बच रहे गांवों में मार्च, 2000 तक क्रमिक रूप से यह सुविधा प्रदान कर दी जाएगी, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

टेलीफोन की सुविधा

1663. श्री अमर राय प्रधान : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनप्रतिनिधियों से मेखलीगंज के बजाय जलपाइगुड़ी टेलीफोन एक्सचेंज से हल्दीबाड़ी के उपभोक्ताओं के लिए टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

1998 में, श्री अमर राय प्रधान, संसद सदस्य (लोक सभा) ने अपने दिनांक 17.6.98 के पत्र में तत्कालीन संचार मंत्री को हल्दीबाड़ी और जलपाईगुड़ी के बीच सीधी केनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए अभ्यावेदन दिया।

(ग) 180 सै. पल्स रेट पर मेखलीगंज एस डी सीए (हल्दीबाड़ी सहित) और जलपाईगुड़ी एस डी सी ए के उपभोक्ताओं के बीच लोकल काल सुविधा (अर्थात् एस टी डी कोड के बिना इन्टर डायलिंग) उपलब्ध कराई गई है। हल्दीबाड़ी एक्सचेंज भी एस टी डी सेवा के लिए 120 चैनल डिजीटल यू एच एफ के माध्यम से जलपाईगुड़ी टैक्स से सीधे जोड़ा गया है।

बौद्धिक संपदा अधिकार पर संगोष्ठी

1664. श्री आर. एस. पाटिल :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री शिवाजी माने :

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में राजधानी में बौद्धिक संपदा अधिकार पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रैक्टिस के बराबर लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संगोष्ठी में भाग लेने वालों द्वारा क्या सुझाव रखे गए; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री रामजेठमलानी) : (क), (ख), (ङ) और (च) बौद्धिक संपदा नीति संबंधी मुद्दों पर नई सहस्राब्दी में एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय मंच, औद्योगिक विकास विभाग तथा भारतीय वाणिज्य और उद्योग चैम्बर परिसंघ के सहयोग से विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा तारीख 7 जुलाई से 8 जुलाई 1999 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। मंच में, बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में विकास की नीति से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए एशिया के 20 देशों के तथा प्रशान्त क्षेत्र से आए बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी नीतियों तथा उनके प्रशासन के लिए जिम्मेदार ज्येष्ठ पदधारियों ने भाग लिया था।

इसके अतिरिक्त, एशियाई पेटेंट अटर्नी एसोसिशएन (ए. पी. ए.ए.) और फेडरेशन इन्टरनेशनल डि कांसिलस इन प्रोप्राइटी इन्डस्ट्रियल (एफ. आई. सी. पी. आई.) ने, विश्व में विद्यमान बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति पर विचार करने के लिए 11 से 12 फरवरी, 2000 तक नई दिल्ली में निजी रूप से एक संयुक्त मंच आयोजित किया था। एशियाई पेटेंट अटर्नी एसोसिएशन एशियाई देशों में व्यवसाय कर रहे वकीलों का एक संगम है। फेडरेशन इन्टरनेशनल डि कॉसिलस एन प्रोप्राइटी (एफ.आई.सी. पी.आई.) समस्त विश्व के वकीलों का एक अन्तरराष्ट्रीय संगम है।

(ग) और (घ) जहां तक इन मुददों का संबंध है इन पर औद्योगिक विकास विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही थी जिसमें विश्व व्यापार संघ करार के ट्रिप्स (टी.आर.आई.पी.एस.) में अंतर्विष्ट बाध्यताओं के अनुपालन विधान वर्ष 1999 के शीतकालीन सत्र में पुरःस्थापित किया गया था। ये व्यापार चिह्न और भौगोलिक उपदर्शनों, डिजाइनों और पेटेंटों से संबंधित थे। जबकि व्यापार चिन्ह और भौगोलिक उपदर्शनों से संबंधित विधान को संसद द्वारा पारित कर दिया गया है और डिजाइन विधेयक पर लोक सभा द्वारा विचार किया जाना है। संसद की एक संयुक्त समिति पेटेंट विधेयक की समीक्षा कर रही है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के लिए एक समान नियम

1665. श्री पी. डी. एलानगोवन :

श्री नरेश पुगलिया :

श्री अधीर चौधरी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने नियम और विनियम बना रहे हैं और उन्हें लागू कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक समान सहमति आधारित प्रक्रिया के संबंध में दिशा–निर्देश देने के लिए एक समिति गठित करने का निश्चय किया है जिसका राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और समितियां पालन कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो कब तक उक्त एक समान नियम बना लिए जाएंगे और राज्यों को इन नियमों के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण संबंधित नियमों को लागू करने के लिए निर्देश दे दिया जायेगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों के अध्यक्षों और सदस्य–सचिवों के 14 जुलाई, 1998 को नई दिल्ली में हुए 46वें सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसरण में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा अपनायी जाने वाली एकरूप स्वीकृति पद्धति के बारे में प्रस्ताव तैयार करने के लिए समिति का गठन किया था। समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली एकरूप प्रक्रिया के लिए मसौदा नियमों की एक अधिसूचना 20.12.1999 को जारी की जा चुकी है जिसमें इसको अंतिम रूप दिए जाने से पहले इससे प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों से इस बारे में सुझाव/आपत्तियां मांगी गई हैं।

[हिन्दी]

जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देना

1666. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 फरवरी, 2000 के "नवभारत टाइम्स" में "एनटीपीसी को पनबिजली पर काम करने के लिए हरी झंडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है,;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इन जल विद्युत परियोजनाओं के कब तक काम शुरू करने की संभावना है और उनसे कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन का प्रस्ताव है; और

(घ) इससे देश में बिजली की कमी किस सीमा तक दूर हो जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने 1997 में ही नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन को जल विद्युत परियोजना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। पिछले तीन दशकों से निरंतर कम हो रहे जल विद्युत के हिस्से को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने अगस्त, 1998 में जल विद्युत विकास नीति की घोषणा की जिससे कि जल विद्युत के हिस्से को बनाए रखा जा सके। एनटीपीसी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के साथ हिमाचल प्रदेश में कोल बांध जल विद्युत परियोजना (800 मे. वा.) के क्रियान्वयन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। परियोजना के 11वीं योजना के दौरान चालू हो जाने की आशा है।

राज्यों को राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों हेतु धनराशि

1667. श्री राजो सिंह : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार केन्द्र सरकार द्वारा बाघ परियोजना, राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों के विकास के लिए राज्य सरकार को कितने पैसे की स्वीकृति दी गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार के पास कुल कितनी धनराशि के प्रस्ताव भेजे गए थे;

(ग) इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल कितनी राशि जारी की है; और

(घ) इसके अंतर्गत राज्यों को धन उपलब्ध कराने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) राज्य सरकारों से "राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों का विकास" तथा "बाघ परियोजना" स्कीमों के तहत केन्द्रीय सहायता के लिए की गई बजट मांग उपलब्ध आबंटन से सामान्यता कई गुणा अधिक होती है। विभिन्न राज्यों को बजट आबंटन सुरक्षित क्षेत्रों की संख्या और क्षेत्र, जैव–विविधता में संपन्नता, सम्मिलित प्रजातियों की किस्मों, राज्य सरकार के विगत समय का कार्य निष्पादन, पिछले वर्षों के दौरान प्रदान की गई धनराशि की खपत और स्कीम के तहत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आबंटन के आधार पर किया जाता है। सरकार द्वारा इन स्कीमों के तहत विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों का विकास स्कीम के तहत जारी की गई धनराशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1997–98	1998–99	1999–2000
1.	आंध्र प्रदेश	43.39	50.72	87.54
2.	अरुणाचल प्रदेश	27.953	57.91	50.983
3.	असम	54.62	58.05	53.44
4.	बिहार	6.00	शून्य	27.85
5.	गोवा	शून्य	11.07	21.30
6.	गुजरात	17.005	13.80	22.10
7.	हरियाणा	14.57	37.20	21.50
8.	हिमाचल प्रदेश	61.50	49.80	47.46
9.	जम्मू और कश्मीर	124.70	7.00	5.50
10.	कर्नाटक	78.17	84.12	99.201
11.	केरल	49.29	49.35	59.975
12.	मध्य प्रदेश	195.67	35.93	151.75
13.	महाराष्ट्र	48.845	27.783	123.43
14.	मणिपुर	13.50	19.64	13.28
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	13.48	8.45	12.30
17.	नागालैंड	15.29	9.00	9.70
18.	उड़ीसा	34.22	68.73	95.54
19.	पंजाब	14.03	8.65	11.57
20.	राजस्थान	82.34	89.52	66.89
21.	सिक्किम	12.51	11.00	12.00
22.	तमिलनाडु	61.284	74.63	61.18
23.	त्रिपुरा	29.81	शून्य	19.97
24.	उत्तर प्रदेश	112.11	89.57	118.01
25.	पश्चिम बंगाल	69.69	72.96	55.21
26.	अंडमान और निकोबर दीपसमूह	20.56	शून्य	22.00
27.	चंडीगढ़	12.00	शून्य	20.00
	कुल	1211.93	934.883	1289.679

विवरण-II

बाघ परियोजना स्कीम के तहत जारी की गई धनराशि (लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	1997–98	1998–99	1999–2000
1.	आंध्र प्रदेश	10.70	18.01	18.495
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.00	47.68	305.90
3.	असम	45.08	35.00	87.29
4.	बिहार	36.75	153.99	109.90
5.	कर्नाटक	25.00	69.34	128.169
6.	केरल	34.95	39.19	42.665
7.	मध्य प्रदेश	137.778	225.125	278.785
8.	महाराष्ट्र	60.53	110.74	114.435
9.	मिजोरम	12.45	9.65	21.43
10.	उड़ीसा	49.30	67.65	72.45
11.	राजस्थान	149.885	472.265	211.095
12.	तमिलनाडु	45.60	32.50	58.78
13.	उत्तर प्रदेश	125.012	199.75	212.95
14.	पश्चिम बंगाल	58.95	178.985	137.14
	कुल	807.985	1660.875	1516.174

[अनुवाद]

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन

1668. श्री वैको :

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के कारण कतिपय पर्वतीय जिलों और वन्य/जनजातीय क्षेत्रों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो या सरकार का विचार इन अड़चनों को दूर करने हेतु उक्त अधिनियम में उचित रूप से संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अनुसार, कोई भी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना वन भूमि के आरक्षण को समाप्त करने तथा या इसका वनेतर प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के आदेश नहीं दे सकते हैं। वनों के संरक्षण के द्वारा यह अधिनियम उन आदिवासियों एवं अन्य स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करता है तो अपनी आजीविका के लिए वन संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर करते हैं।

इसके अलावा, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों से स्थानीय लोगों तथा विशेषकर आदिवासियों के बुनियादी घरेलू इस्तेमाल के लिए रिकार्डेड अधिकारों/रियायतों के उपभोग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए मंत्रालय ने विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए हैं तथा इनमें समय-समय पर संशोधन किया गया है ताकि इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके। इसमें 5 हेक्टेयर तक के वन क्षेत्र (खनन तथा अवैध कब्जों के नियमितीकरण को छोड़कर) की विकास परियोजनाओं पर निर्णय लेने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को शक्तियां प्रत्यायोजित करना, राज्य सरकारों, आदि के प्रतिनिधियों वाले राज्य सलाहकार दलों का गठन करना भी शामिल है।

पहाड़ी जिलों तथा अन्य जिलों, जिनमें कुल भौगोलिक क्षेत्र 50 प्रतिशत से भी अधिक क्षेत्र में वन हैं, में 20 हैक्टेयर तक वन क्षेत्र को उपयोग में आने वाली कतिपय विकासात्मक परियोजनाओं के लिए भी प्रतिशत वनीकरण के संबंध में ढील दी गई है बशर्ते कि उपयोग में लाई जा रही वन भूमि के दुगने अवक्रमित वन क्षेत्र में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाए। इसके अलावा, एक हैक्टेयर तक की वन भूमि के उपयोग करने वाली जन उपयोगिता की परियोजनाओं के लिए प्रतिपूरक वनीकरण पर जोर नहीं दिया जाता है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है।

कर्नाटक में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करना

1669. श्री एस. डी. एन. आर. बाडिवार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में विदेशी कम्पनियों के सहयोग से कितनी विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन परियोजनाओं में कौन–कौन सी कम्पनियां शामिल हैं;

(ग) इन परियोजनाओं की अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और ये कहां–कहां स्थित है; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सहायता से कर्नाटक में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने निम्नलिखित स्कीमों को तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दी है।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट में)	प्रवर्तक
1.	तोरागंगुल्लू थर्मल पावर प्रोजेक्ट	260 (पूर्ण तरह से चालू)	मैसर्स जिंदल टैक्टेबल पावर कम्पनी लि.
2.	मंगलौर थर्मल पावर प्रोजेक्ट	1013.2	मैसर्स मंगलौर पावर कम्पनी
3.	नागार्जुन थर्मल पावर प्रोजेक्ट	1015	मैसर्स नागार्जुन पावर कारपोरेशन लि.
4.	कन्नीमिनखे आधारित साइकिल	107.6	मैसर्स पिनिया पावर कम्पनी

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सहायता से कर्नाटक में उन विद्युत परियोजनाओं का एवं आवश्यक स्पष्टीकरण/ब्यौरा प्रस्तुत करने पर तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन प्रवर्तकों द्वारा अपेक्षित सांविधिक/गैर सांविधिक निवेशों लिंकेजों को सुनिश्चित करने के बाद किया जाएगा।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट में)	प्रवर्तक
1.	अलमठ्ठी एचईपी	1107	मैसर्स चामुंडी पावर कारपोरेशन लिमिटेड
2.	बंगलौर टीपीपी	500	मैसर्स पुलाकेशी पावर कम्पनी
3.	बिजापुर टीपीपी	350	मैसर्स केईएल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
4.	नंजनगुड़ सीसीजीटी	110	मैसर्स आईपीएस पावर कम्पनी
5.	हासन सीसीजीटी	189	मैसर्स हासन पावर सप्लाई रेशन कम्पनी लिमिटेड
6.	माण्डया सीसीपीपी	164.4	मैसर्स माण्डया पावर पार्टनर प्राईवेट लिमिटेड
7.	शिवापुर कन्नूर एलएनजी आधारित सीसीपीपी	500	मैसर्स विस्को पावर जनरेशन लिमिटेड

[हिन्दी]

तेल और गैस संबंधी भारत-कजाकिस्तान संयुक्त आयोग

1670. श्री शिवराज सिंह चौहान :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और कजाकिस्तान के संयुक्त आयोग ने तेल और गैस के क्षेत्र में सहयोग का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश को इससे किस तरह लाभ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सहित दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए अंतर–सरकार भारत कजाकस्तान संयुक्त व्यापार आयोग, आर्थिक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग की मार्च, 1999 में आयोजित तीसरी बैठक में नवाचारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

नए डाकघर

1671. श्री बृज लाल खाबरी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए डाकघर तथा उप डाकघर खोलने हेतु राज्य वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) उक्त योजना अवधि के दौरान आज की स्थिति के अनुसार ऐसे कितने डाकघर तथा उप डाकघर खोले गये हैं जिन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पिलोदिया) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 500 उप डाकघर और 2500 शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) अब तक उक्त योजना अवधि के दौरान 123 उप डाकघर और 1260 शाखा डाकघर खोले गए और उन डाकघरों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है।

विवरण

9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डाकघर और उप डाकघर खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा।

क्रम सं.	सर्किल	1997–98		1998–99		1999–2000	
		शाखा डाकघर	उपडाकघर	शाखा डाकघर	उपडाकघर	शाखा डाकघर	उपडाकघर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	10	2	10	2	15	2
2.	असम	25	2	54	5	50	5
3.	बिहार	40	5	72	2	50	3
4.	दिल्ली	5	2	4	2	4	2
5.	गुजरात	25	2	31	2	30	3
6.	हरियाणा	15	2	13	3	15	2
7.	हिमाचल प्रदेश	10	2	7	1	10	1
8.	जम्मू और कश्मीर	15	1	23	1	15	1
9.	कर्नाटक	30	5	12	4	21	3
10.	केरल	10	2	12	3	4	2
11.	मध्य प्रदेश	37	2	50	5	40	4
12.	महाराष्ट्र	35	3	69	3	50	3

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	उत्तर पूर्व	25	3	54	3	40	3
14.	उड़ीसा	27	2	10	2	14	2
15.	पंजाब	17	2	12	2	10	1
16.	राजस्थान	33	2	30	1	27	2
17.	तमिलनाडु	21	2	10	2	15	2
18.	उत्तर प्रदेश	70	6	82	3	50	3
19.	पश्चिम बंगाल	50	3	43	4	40	6
	कुल	500	50	598	50	500	50

नोट : वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के लिए सर्किलवार लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप दिया जाना शेष है।

[अनुवाद]

कुबेर लिमिटेड द्वारा निवेशकों को पैसा लौटाना

1672. श्री अशोक ना. मोहोल : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 फरवरी, 2000 के "नवभारत टाइम्स" में "कम्पनी लॉ बोर्ड ने कुबेर को लोगों के पैसे ब्याज समेत लौटाने को कहा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या कंपनी लॉ बोर्ड के उक्त निर्देश कुबेर प्लांटर्स लिमिटेड पर भी लागू है;

(घ) यदि हां, तो कुबेर प्लांटर्स लिमिटेड के निवेशकों को कब तक उनका पैसा वापस मिल जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) जी, हां। कम्पनी विधि बोर्ड ने मैसर्स कुबेर म्युचूअल बेनिफिट्स लिमिटेड के संबंध में 31.12.99 को एक आदेश पारित किया है। जिसमें आदेश में दी गई जमाराशि के प्रतिसंदाय की अनुसूची के अनुसार कम्पनी को जमाराशि को वापिस किए जाने का निर्देश दिया गया है।

(ग) से (ङ) कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश मैसर्स कुबेर प्लांटर्स लिमिटेड पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक अलग किस्म की कानूनी कम्पनी है।

दूरसंचार अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

1673. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महानगरों में कार्यरत टेलीफोन विभाग के लाइनमैनों/कनिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध टेलीफोन उपभोक्ताओं से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष से आज की तारीख तक किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) देश में ओ. बी. जारी होने के बाद जल्दी से जल्दी टेलीफोन लगाना/स्थानांतरित करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) महानगरों में टेलीफोन विभाग के लाइनमैनों/कनिष्क अधिकारियों सहित विभिन्न पदाधिकारियों के विरुद्ध टेलीफोन उपभोक्ताओं से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये सिफारिशें सामान्यतः नये टेलीफोन कनेक्शनों की संस्थापना, टेलीफोनों के स्थानांतरण, खराबियों को ठीक करने इत्यादि कार्यों में विलम्ब करने के बारे में हैं।

(ग) शिकायतों की निरपवाद रूप से जांच की जाती है और जिन मामलों में आरोप सिद्ध हो जाते हैं। उनमें उपयुक्त विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। घूस मांगने/गैर कानूनी पारितोषिक के मामलों, जिनमें उपभोक्ताओं का सहयोग मिलता है के दोषियों को रंगे हाथ पकड़ने के लिए सीबीआई के सहयोग से जाल बिछाये जाते हैं।

(घ) टेलीफोनों की त्वरित संस्थापना/स्थानांतरण सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :

(1) ओबी निष्पादन से संबंधित प्रगति की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

(2) तकनीकी रूप से अव्यवहार्य क्षेत्र को शीघ्रातिशीघ्र व्यवहार्य बनाया जाता है।

[हिन्दी]

विद्युत संयंत्रों की स्थापना

1674. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किन–किन स्थानों पर कितने विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं तथा इन संयंत्रों से कितनी विद्युत आवश्यकता पूरी किए जाने की संभावना है; और

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों यानि 1996–97, 1997–98 एवं 1998–99 के दौरान स्थापित किए गए 1436 मेगावाट क्षमता वाले जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या 40 तथा 7716.7 मेगावाट क्षमता वाले ताप विद्युत परियोजनाओं की संख्या 68 है। इस प्रकार इन संयंत्रों से 9152.7 मेगावाट क्षमता की वृद्धि हुई है। इन संयंत्रों से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
1996-97 के दौरान क्षमता अभिवृद्धि			
तप विद्युत			
1.	उरी यू 1 से 4 (एनएचपीसी)	जम्मू और कश्मीर	4 x 120
2.	कोपिली एक्सटेन यू 1 और 2 (नीपको)	असम	2 x 50
3.	गाज यू -1, 2 और 3	हिमाचल प्रदेश	3 x 3.5
4.	डिम्भे	महाराष्ट्र	5
5.	लोअर पेरियार यू 3	केरल	60
6.	पूर्वी गंडक यू-2	बिहार	5
ताप विद्युत			
1.	जेगुरूपाडु जीटी-1 से 3 जीवीके इंडस्ट्री	आंध्र प्रदेश	3 x 52.8
2.	तेनुघाट-II टीवीएनएल	बिहार	210
3.	काथालगुडी जीटी-6 नीपको	असम	33.5
4.	गोदावरी जीटी-2 और 3 स्पेक्ट्रन	आंध्र प्रदेश	2 x 47
5.	रोखिया पीएच-II जीटी-5	त्रिपुरा	8
6.	मेजिया यू-2 डीवीसी	पश्चिम बंगाल	210
7.	कोठागुडम यू-9	आंध्र प्रदेश	250
1997-98 के दौरान क्षमता अभिवृद्धि			
जल विद्युत			
1.	वार्ना यू-1	महाराष्ट्र	8
2.	कालीनदी II यू-1	कर्नाटक	50
3.	लोअर पेरियार यू-2 और 3	केरल	2 x 60
4.	लोअर भवानी डेम आरबीसी यू-1 और 2	तमिलनाडु	2 x 4

1	2	3	4
5.	पूर्वी गंडक यू-3	बिहार	5
6.	तिस्ता कैनल फाल्स पीएच-I यू-1, 2 और 3	पश्चिम बंगाल	3 x 7.5
	पीएच-II	पश्चिम बंगाल	7.5
7.	नूरांग यू-1, 2 और 3	अरुणाचल प्रदेश	3 x 2
8.	भदरा आरबीसी यू-1*	कर्नाटक	6
* 1998-99 के बाद अग्रेषित कार्यक्रम			
ताप विद्युत			
1.	कच्छ लिगनाइट III	गुजरात	75
2.	ब्रह्मपुत्र डीजी-1 से 4	केरल	4 x 20
3.	हजीरा एसटी/ईस्सार	गुजरात	185
4.	जेगुरूपाडु एसटी/जीवीके इंडस्ट्री	आंध्र प्रदेश	77
5.	गोदावरी जीटी–1 स्पेक्ट्रम	आंध्र प्रदेश	47
6.	रोखिया जीटी-6	त्रिपुरा	8
7.	बज–बज सीईएससी	पश्चिम बंगाल	250
8.	चन्द्रपुर यू-7	महाराष्ट्र	500
9.	जीएचटीपी भटिंडा-1	पंजाब	210
10.	अगरतला जीटी-1 से 3 नीपको	त्रिपुरा	3 x 21
11.	टांडा यू-4	उत्तर प्रदेश	110
12.	काथालगुड़ी एसटी-1 और 2 नीपको	असम	2 x 30
13.	गांधीनगर यू -5 / जीएसईसीएल/जीईबी	गुजरात	210
14.	मेजिया यू-3 /डीवीसी	पश्चिम बंगाल	210
15.	गोदावरी एसीटी/स्पेक्ट्रम	आंध्र प्रदेश	67
16.	पेगुथ जीटी 1 से 3/गुजरात टोरेन्ट	गुजरात	3 x135
17.	विज्जेश्वरम एसटी/एपी गैस	आंध्र प्रदेश	59.8
18.	आदमटीला/डीएलएफ पावर जीटी-1, जीटी-II और एसटी	असम	3 x 3
19.	बासखंडी डीएलएफ पावर जीटी 1 से 3	असम	3 x 3.5
20.	बडौदा जीआईपीसीएल-1 और एसटी	गुजरात	167
21.	कोठागुडम यू-10	आंध्र प्रदेश	250
1998-99 के दौरान क्षमता अभिवृद्धि			
1.	वार्ना यू-2	महाराष्ट्र	8
2.	कदाना पीएसएस यू-2	गुजरात	60

1	2	3	4
3.	कालिंदी II यू 1 और 2 (कोडासल्ली)	कर्नाटक	2 x 40
4.	कालिंदी II (कादरा) यू-2 और 3	कर्नाटक	2 x 50
5.	तिस्ता कैनल फाल्स फेज-II यू-2 और 3	पश्चिम बंगाल	2 x 7.5
6.	सोबला यू-1 और 2	उत्तर प्रदेश	2 x 3.0
7.	पोरीगंलकुथु एल बी एक्सटेन	केरल	16
8.	सतनूर डैम	तमिल नाडु	7.5
9.	कोयना चरण IV यू-4	महाराष्ट्र	250
			(1999-2000 के लिए अप्रेषित)

ताप विद्युत

1.	सूरतगढ़ यू-1	राजस्थान	250
2.	बनासकांडी एसटी	असम	5
3.	अगरतला जीटी-4 नीपको	त्रिपुरा	21
4.	काथालगुडी एसटी-3 नीपको	असम	30
5.	पगुथन एस टी गुजरात टौरेन्ट	गुजरात	250
6.	जीएचपीटी भंटिडा यू-2	पंजाब	210
7.	कराईकल जीटी/पीपीसीएल	पांडिचेरी	22.9
8.	ब्रह्मपुत्र डीजी-5	केरल	20
9.	कायमकुलम जीटी-I, एनटीपीसी	केरल	115.3
10.	डाभोल [illegible] I, जीटी-2 और एसटी डाभोल [illegible] कम्पनी	महाराष्ट्र	740
11.	वानकोबरी [illegible]जीएस यू-7	गुजरात	210
12.	बसीन ब्रिज डीजी-1 से 4 जीएमआर वासावी	तमिलनाडु	4 x 50.0
13.	तोरांगल्लु यू-1/जिंदल	कर्नाटक	130
14.	बज–बज यू-2, सीईएससी	पश्चिम बंगाल	250
15.	ऊंचाहार यू-3 एनटीपीसी	उत्तर प्रदेश	210
16.	रायचूर यू-5/केपीसीएल	कर्नाटक	210
17.	बीरसींगपुर यू-3 (संजय गांधी टीपीपी)	मध्य प्रदेश	210
18.	कायमकुलम जीटी-2, एनटीपीसी	केरल	115.3
19.	विन्ध्याचल यू-7, एनटीपीसी	मध्य प्रदेश	500

समुद्री मार्ग से माल का आयात-निर्यात

1675. श्री सुकदेव पासवान :

डॉ. सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समुद्री मार्ग से भारी मात्रा में माल का आयात और निर्यात होता है;

(ख) यदि हां, तो देश में समुद्रतट पर कौन से स्थलों पर जहाजों में माल की लदाई और उतराई का कार्य होता है;

(ग) क्या बड़े मालवाही पोतों को तट पर समुद्र के कम गहरे होने के कारण मीलों दूर समुद्र में ही खड़ा रहना पड़ता है जहां से छोटे जहाजों और नौकाओं के जरिए उन पर लदा माल तट पर लाया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इन बंदरगाहों पर तटों के निकट समुद्र की गहराई कितनी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) वर्ष 1998–99 के दौरान देश में समुद्र मार्ग से 189 मिलियन टन माल का निर्यात अथवा आयात किया गया।

(ख) देश में विभिन्न महा/लघु/मध्यम पत्तनों पर जलयानों पर लाने/ले जाने के लिए माल का लदान/उतराई की जाती है। देश में महापत्तनों के नाम इस प्रकार हैं :–

कलकत्ता, पारादीप, विशाखापत्तनम, चैन्नै, तूतीकोरिन, कोचीन, नव मंगलूर, मुरगांव, जवाहर लाल नेहरु, मुंबई और कांडला।

देश के लघु/मध्यम पत्तन निम्नलिखित तटवर्ती राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं :–

गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप।

(ग) और (घ) डुबाव की कमी के कारण बड़े जलयानों को कुछ पत्तनों पर बर्थ पर नहीं लगाया जा सकता। ऐसी स्थिति में ऐसे जलयानों से कार्गो का लदान/उतराई गहन समुद्र में की जाती है। तट से कार्गो लाने/ले जाने के लिए छोटे जलयानों/बाजों की सहायता ली जाती हैं।

विभिन्न महापत्तनों के लिए प्रवेश चैनल की न्यूनतम गहराई इस प्रकार है :–

	मीटर
कलकत्ता	6.7
हल्दिया	
पारादीप	12.8
विशाखापत्तनम	
भीतरी बंदरगाह	10.7
बाहरी बंदरगाह	17.5
चेन्नई	
भीतरी बंदरगाह	18.6
बाहरी बंदरगाह	19.2
तूतीकोरिन	10.4
कोचीन	11.8
नव मंगलूर	15.4
मुरगांव	13.7
जवाहर लाल नेहरू	11.0
मुम्बई	10.9
कांडला	4.3
वाडीनार	23.5

[अनुवाद]

सड़क क्षेत्र का निजीकरण

1676. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सड़क क्षेत्र का निजीकरण करने का है तथा "बनाओ, चलाओ तथा हस्तांतरण करो" (बी.ओ.टी) के आधार पर परियोजनाओं को दिया जा रहा है/दिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार देश में सड़क क्षेत्र में निर्माण संबंधी निजी क्षेत्र की भागीदारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यात्रियों से पथ कर संग्रह करने हेतु इन निजी क्षेत्रों की कोई मार्ग निर्देश जारी किया है;

(घ) क्या इस संबंध में आवश्यक विधायी संशोधन कर लिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्तमान में देश में निजी क्षेत्र द्वारा क्रियान्वित की जा रही 100 करोड़ से अधिक तथा 100 करोड़ से कम के निवेश वाली बड़ी तथा छोटी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां। सड़क परियोजनाएं बी ओ टी आधार पर सौंपी जा रही हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में गैर–सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में पहले ही विस्तृत तथा समुचित मार्ग निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) रा. रा. परियोजनाओं में गैर–सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 संशोधित कर दिया गया है।

(च) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण में ब्यौरे दिए गए हैं।

विवरण

1.7.1999 की स्थिति के अनुसार सौंपी गई बी ओ टी परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	रा.रा. संख्या	राज्य	लम्बाई (कि.मी.)	लागत (करोड़ रु.)	हस्ताक्षर की तारीख	पूरा करने की वास्तविक/ संभावित तारीख	एजेंसी	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	थाने-भिवंडी बाइपास*	3 और 4	महाराष्ट्र	24	103	12.9.95	31.12.2001	ज.भू.प.मं.	प्रगति पर
2.	चाल्टन रोड ओवरब्रिज **	8	गुजरात	14 आरओबी	10	19.9.96	15.7.1998	ज.भू.प.मं.	पूरा हो चुका
3.	उदयपुर बाइपास **	8	राजस्थान	11 पुल	24	जुलाई 96	22.4.1998	ज.भू.प.मं.	पूरा हो चुका
4.	6 पुलों का निर्माण	3	आंध्र प्रदेश	6	50	9.4.97	8.6.2001	ज.भू.प.मं.	प्रगति पर
5.	कोयम्बटूर बाइपास	47	तमिलनाडु	33	90	3.10.97	3.12.1999	ज.भू.प.मं.	प्रगति पर
6.	दुर्ग बाइपास	6	मध्य प्रदेश	18.4	68	5.11.97	5.5.2000	एनएचइआई	प्रगति पर
7.	नर्मदा ब्रिज	8	गुजरात	6	113	21.11.97	21.12.2000	ज.भू.प.मं.	प्रगति पर
8.	नरधान आरओबी **	3	महाराष्ट्र	13	34.21	25.11.97	22.7.1999	ज.भू.प.मं.	पूरा हो चुका
9.	पटेलगंगा ब्रिज और आरओबी **	17	महाराष्ट्र	1	33.3	29.11.97	20.7.1999	ज.भू.प.मं.	पूरा हो चुका
10.	हुबली–धारवार बाइपास	4	कर्नाटक	30.35	68	5.2.98	5.11.2001	ज.भू.प.मं.	प्रगति पर
11.	नैल्लोर बाइपास	5	आंध्र प्रदेश	18	73	17.2.98	अक्तू. 2000	एनएचएआई	रियायत करार हस्ताक्षरित। निर्माण कार्य शुरू होना है।
12.	कोरातलैयार ब्रिज	5	तमिलनाडु		30	28.10.98	नव. 2000	ज.भू.प.मं.	प्रगति पर
13.	कम्बाटकी घाट टनेल रोड	4	महाराष्ट्र	8	37.8	16.11.98	नव. 1999	ज.भू.प.मं.	प्रगति पर
14.	नसीराबाद आरओबी	6	महाराष्ट्र	36मी	10.45	16.11.98	मई 2001	ज.भू.प.मं.	प्रगति पर
15.	वेनगंगा ब्रिज	6	महाराष्ट्र	530मी	32.6	16.11.98	जुलाई,2000	ज.भू.प.मं.	प्रगति पर
16.	माही ब्रिज	8	गुजरात		42	16.11.98	25.4.2000	ज.भू.प.मं.	प्रगति पर
17.	किशनगढ़ बाइपास में आरओबी	8	राजस्थान	किमी	16.66	27.11.98	31.12.2009	एनएचएआई	रियायत करार हस्ताक्षरित। निर्माण कार्य शुरू होना है।
18.	बत्रक नदी पर पुल	8	गुजरात		48.2	1.3.99		ज.भू.प.मं.	प्रगति पर
19.	मुरादाबाद बाइपास	24	उत्तर प्रदेश	18	100			एनएचएआई	एसपीवी के जरिए कार्य चालू
20.	डेराबसी पर आरओबी	22	पंजाब	आरओबी	36.11	8.9.99		ज.भू.प.मं.	रियायत करार हस्ताक्षरित निर्माण कार्य शुरू होना है।

* मूल कार्य पूरा करने के बाद सड़क यातायात के लिए खोल दी गई है। चार लेन कार्य प्रगति पर है।

** कार्य पूरा होने के बाद यातायात के लिए खोल दिया गया।

मुम्बई और मंगलौर के बीच जहाज सेवा

1677. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई और मंगलौर के बीच जहाज सेवा शुरू करने का एक प्रस्ताव लंबे समय से संघ सरकार के पास मंजूरी के लिए लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं। तथापि भारतीय नौवहन निगम को नव मंगलौर और मुंबई को जोड़ते हुए भारत के पश्चिमी तट पर फीडर सेवा शुरू करने के लिए नव मंगलूर पत्तन से अनुरोध प्राप्त हुआ है। इस समय प्रस्ताव की व्यावहारिकता और अन्य ब्यौरे प्रमाणित करने के लिए साध्यता अध्ययन उन्नत अवस्था में है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

छोटे नगरों और गांवों में पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण

1678. श्री अनंत गुडे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे नगरों और गांवों में रसोई गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण के संबंध में उपभोक्ता हितों का ध्यान रखने के लिए नई नीतियां तैयार करने के संबंध में कोई नई पहल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र हेतु प्रतिवर्ष निर्धारित और प्राप्त वास्तविक लक्ष्य क्या है;

(ग) चालू वर्ष और आगामी तीन वर्षों के लिए उत्पादवार क्या कार्य योजना है; और

(घ) महाराष्ट्र में रसोई गैस हेतु प्रतीक्षा सूची और अगले तीन वर्षों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों हेतु मांग आपूर्ति संबंधी अनुमान क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) विद्यमान नीति के अनुसार छोटे नगरों तथा गांवों समेत देश के विभिन्न भागों में आर्थिक रूप से व्यवहार्य एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए निम्नांकित मानदंड अपनाये जाते हैं :–

(1) 15 किलो मीटर के अर्द्धव्यास के अंतर्गत पड़ने वाले समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को शामिल करते हुए 10000 और उससे अधिक आबादी वाले सभी शहरी स्थान।

(2) 15 किलोमीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत पड़ने वाले समीपवर्ती गांवों की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए 5000 और इससे अधिक आबादी वाले शहरी स्थान।

(3) ऐसे मुख्य गांवों, जिनकी आबादी 10000 और इससे अधिक है, के 15 किलोमीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत आने वाले गांवो का समूह।

(4) ऐसे नगर, जिनकी आबादी 1 लाख और इससे अधिक है, के चारों ओर 15 किलोमीटर अर्द्धव्यास के अंतर्गत अवस्थित गांव।

खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपें स्थापित करने से संबंधित मानदंड दूरी मात्रा मानकों पर आधारित है।

तदनुसार, वर्तमान विपणन योजना, 1996–98 में 2078 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं। इनमें से, ऐसे स्थानों जोकि शहरी क्षेत्रों में शामिल है, को छोड़कर 540 स्थान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चिन्हित हैं तथा 1429 स्थान शहरी–ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चिन्हित हैं, इनमें महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र से 39 तथा ग्रामीण शहरी क्षेत्रों से 82 स्थान शामिल हैं।

वर्तमान खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1996–98 के अंतर्गत, देशभर में शामिल किए गए 927 स्थानों में से 84 स्थान महाराष्ट्र से शामिल किए गए हैं जिनमें इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से 11 खुदरा बिक्री केन्द्र शामिल है।

जहां तक एस के ओ–एल डी ओ का संबंध है, विपणन योजना 1996–98 के अंतर्गत 155 एस के ओ एल डी ओ डीलरशिपें शामिल की गई हैं। इनमें से 30 एस के ओ/एल डी ओ डीलरशिपें महाराष्ट्र के लिए चिन्हित की गई हैं, जो 29 तालुका मुख्यालयों पर तथा एक इस राज्य के एक जिला मुख्यालय पर स्थापित होनी है।

डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का चयन एक अनवरत प्रक्रिया है तथा डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को चालू करने के लिए कोई लक्ष्य नियत नहीं किए जाते हैं।

(घ) 1 दिसंबर, 1999 को पूरे देश में एल पी जी कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची 9326336 थी जिसमें महाराष्ट्र के अंतर्गत 837248 शामिल थे। महाराष्ट्र समेत पश्चिमी क्षेत्र के संबंध में वर्ष 1999–2000, 2000–2001 तथा 2001–2002 के लिए एम एस/एच एस डी, एल पी जी तथा मिट्टी तेल की मांग का अनुमान नीचे दिया गया है :

उत्पाद	मांग अनुमान (टी एम टी में)		
	1999–2000	2000–2001	2001–2002
एम एस	1931	2088	2252
एच एस डी	11136	12039	12986
एस के ओ	3592	3699	3810
एल पी जी	2079	2304	2490

उपर्युक्त मांग को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

तमिलनाडु में लंबित परियोजनाएं

1679. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु की कितनी परियोजनाएं पर्यावरणीय मंजूरी हेतु लंबित है,;

(ख) एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान पहले नामंजूर की गई परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए उन्हें मंजूरी दे दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) पर्यावरणीय मंजूरी के लिए 18 परियोजनाएं और वानिकी मंजूरी के लिए 9 परियोजनाएं लंबित हैं।

(ख) और (ग) एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़ी परियोजनओं की सूची कारणों सहित संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन परियोजनाओं को पहले अस्वीकृत किया गया था, लेकिन बाद में उन पर पुनः विचार करके मंजूरी दे दी गई, उन परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

तमिलनाडु के लंबित पड़े प्रस्तावों की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम	लंबित पड़े रहने के कारण
1	2	3
1.	येलीकराडु बिट–1, सेलम में तमिल द्वारा खनन कार्य	प्रस्ताव पर [illegible] सलाहकार ग्रुप की बैठक में चर्चा की गई थी और [illegible] निर्णय लिया गया था कि येलीकराडु बिट–II की 6.60 हैक्टेयर अतिक्रमण क्षेत्र के लिए अतिरिक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद इस प्रस्ताव पर विचार किया जाए क्योंकि दोनों खनन पट्टों के लिए पहुंच रोड इस 6.60 हैक्टेयर से होकर गुजरती है।
2.	तमिलनाडु विद्युत बोर्ड द्वारा नीलगिरि व कोयम्बतूर में पायकारा अल्टीमेज स्टेज एच ई पी से 220 के वी लाईन	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को परियोजना की तकनीकी संभाव्यता पर टिप्पणी देने के लिए लिखा गया है कि क्या इस लाइन को अपग्रेड करके उपयोग में लाया जा सकता है।
3.	कोडियाकाडु आर एफ नागपट्टनम में मुहलिम समुदाय द्वारा प्रार्थना स्थल का निर्माण	वन क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्य में आता है और आई बी डब्ल्यू एल से सहमति प्राप्त करने के लिए 24.1.2000 को उस राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है। सहमति के पश्चात इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।
4.	थेनी मंडल, मदुराई में लिंक रोड	मूल प्रस्ताव 21.9.89 को अस्वीकृत किया गया था। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधित प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है।
5.	मैसर्स नागार्जुन आयल कार्पोरेशन लि. का कुड्डालूर में 6.5 एम एम टी पी ए का तेल शोधक कारखाना	प्रस्ताव की 18.2.99 को हुई ई सी (I) की बैठक में जांच की गई और सल्फर डायआक्साइड उत्सर्जन आदि पर अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगे गए थे। एक उप समिति ने मार्च, 1999 में स्थल का निरीक्षण

1	2	3
		किया। अप्रैल, 1999 में ई सी (I) द्वारा इस प्रस्ताव पर पुनः विचार किया गया था। ई सी (I) ने इस परियोजना की सिफारिश की। चूंकि लिंक एस पी एम/जेट्ठी परियोजनाएं और [illegible] के संबंध में सी आर जेड से मंजूरी अपेक्षित होती है, मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई थी। इसलिए तेल शोधक कारखाने के प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं की गई। लिंक्ड एस पी एम/जेटी परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है और तेल शोधक कारखाने के प्रस्ताव के पहलुओं से संबंधित जोखिम मूल्यांकन के बारे में भी प्रस्तावकों के साथ चर्चा की गई।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन प्रस्तावों को पहले अस्वीकृत किया गया था लेकिन बाद में उन पर पुनः विचार करके मंजूरी दे दी गई उन प्रस्तावों की सूची

सं.	परियोजना का नाम	मंजूरी की तारीख के साथ विवरण
1.	कमन्डलर नदी तिरूवन्नमलाई पर शेनबागाथोपे जलाशय का निर्माण	पहले यह प्रस्ताव 25.7.99 को अस्वीकृत कर दिया गया था। संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ और वानिकी सलाहकार समिति में इस पर चर्चा की गई। तदनुसार 23.2.2000 को इसे सिद्धांत रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।
2.	हनुमान नदी नलाए कट्टाबोम्मन पर अलाविमैनार कायल जलाशय का निर्माण	पहले यह प्रस्ताव 16.9.98 को अस्वीकृत हो गया था तत्पश्चात राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने पर इस पर पुनः विचार किया गया 9.11.99 को इसे अनुमोदन प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क विकास परियोजना के अन्तर्गत रख-रखाव

1680. श्री [illegible] पटेल : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क विकास परियोजना (एन. एच. आर. डी. पी.) के अंतर्गत रखरखाव हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन. एच. ए. आई) को सौंपने के संबंध में दिसम्बर, 1998 में कोई निर्णय लिया गया था;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अभी तक नहीं सौंपा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु भा. रा. रा. प्रा. द्वारा मांगे गए राष्ट्रीय राजमार्ग खंड प्राधिकरण को पहले ही सौंपे जा चुके हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत उत्पादन

1681. डॉ. एस. वेणुगोपाल : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत उत्पादन को बढ़ाने पर बल देने का विचार है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में अधिक विद्युत उत्पादन के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ग) भारत सरकार उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम में विद्युत क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त ध्यान दे रही है। 1998 से अब तक उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के विद्युत मंत्रियों के चार सम्मेलन हो चुके हैं और आपसी विचार विमर्श के उपरांत निष्पादन हेतु विभिन्न विद्युत उत्पादन स्कीमों की पहचान की गई है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम में केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के क्षमता संवर्धन कार्यक्रम की संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गई है :

केन्द्रीय क्षेत्र

वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता	= 730	मे.वा.
1. कोपिली एचईपी, असम	250	मे.वा.
2. असम गैस आधारित सीसीपीपी	291	मे.वा.
3. अगरतला गैस आधारित पीपी	84	मे.वा.
4. लोकतक एचईपी	105	मे.वा.

क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम

9वीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम

दोयांग एचईपी (नागालैंड)	75	मे.वा.
रंगानदी चरण–I एचईपी, अरुणाचल प्रदेश	405	मे.वा.
रंगित एचईपी (सिक्किम)	60	मे.वा.
कुल	540	मे.वा.

10वीं पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम

तुरियल एचईपी (मिजोरम)	60	मे.वा.
कामेंग एचईपी (अरुणाचल प्रदेश)	600	मे.वा.
तुईवई एचईपी (मिजोरम)	210	मे.वा.
लोकतक डी/एस परियोजना (मणिपुर)	90	मे.वा.
कोपिली चरण–II एचईपी (असम)	25	मे.वा.
तीस्ता–5 (सिक्किम)	510	मे.वा.
कुल	1495	मे.वा.

11वीं योजनावधि और उससे आगे क्षमता अभिवृद्धि के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को अभिज्ञात किया गया है :

रंगानदी चरण–II एचईपी (अरुणाचल प्रदेश)	100	मे.वा.
दिकरोंग एचईपी (अरुणाचल प्रदेश)	100	मे.वा.
लोअर कोपिली एचईपी (असम)	150	मे.वा.
तिपाईमुख एचईपी (मणिपुर)	1500	मे.वा.
सुबनसिरी एवं दिहांग बेसिन (अरुणाचल प्रदेश)	20700	मे.वा.
कुल	22550	मे.वा.

मणिपुर में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1682. श्री भीम दाहाल :

श्री होलखीमांग हौकिप :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मणिपुर में "लोकटल डाऊन स्ट्रीम हाइड्रो–इलैक्टिक प्रोजेक्ट" को स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राज्य में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित नई विद्युत परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(घ) वर्ष 1999–2000 के दौरान योजना आयोग द्वारा उक्त राज्य के लिए कितनी परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं;

(ङ) उक्त प्रस्ताव किन–किन स्तरों पर लंबित पड़े हैं; और

(च) इन परियोजनाओं को शीघ्र अनुमोदित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (च) लोकतक डाऊनस्ट्रीम जल विद्युत परियोजना (3.30 मे.वा.) मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के लीमाटेक नदी पर अवस्थित है। परियोजना को नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन द्वारा क्रियान्वित किए जाने के लिए सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। परियोजना की अनुमानित लागत (अप्रैल, 1999 के मूल्य स्तर पर) 578.62 करोड़ रुपये है और इसे साढ़े छह वर्ष में पूरा किया जाना है। परियोजना के लिए ढांचागत सुविधाओं का विकास कार्य चल रहा है। इसके लिए दिसम्बर, 1999 तक 5.89 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

नार्थ–इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (नीपको) द्वारा मणिपुर में तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना (1500 मे.वा.) को क्रियान्वयन हेतु अभिज्ञात किया गया है। मणिपुर सरकार के साथ अपेक्षित समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद नीपको द्वारा सरकार से निवेश संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी प्रकार की स्वीकृति लेने हेतु कार्रवाई प्रस्तावित है।

नौवहन कंपनियों को ऋण और अग्रिम

1683. श्री आर. एल. भाटिया : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा निजी नौवहन कंपनियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार ऋण और अग्रिम के रूप में कोई धनराशि दी गई;

(ख) यदि हां, तो यह धन–राशि किस उद्देश्य हेतु दी गई थी;

(ग) 31 मार्च, 1999 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक कंपनी पर कितना ऋण और अग्रिम बकाया था; और

(घ) प्रत्येक कंपनी द्वारा इस वित्तीय सहायता का किस प्रकार उपयोग किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) सरकार निजी नौवहन कंपनी को ऋण और अग्रिम राशि स्वीकृत नहीं करती है। तथापि, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की नौवहन कंपनी, भारतीय नौवहन निगम को पिछले तीन वर्षों के दौरान नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार रुपया ऋण दिया है :–

वर्ष	ऋण की राशि (करोड़ रु.)
1996–97	30.00
1997–98	20.00
1998–99	20.00

(ख) भारतीय नौवहन निगम को उपर्युक्त ऋण भा.नौ.नि. द्वारा अधिगृहीत जलयानों के संबंध में आस्थगित यार्ड उधार किस्तों के भुगतान के लिए रूपया बैक–अप' ऋण हेतु स्वीकृत किये गये थे।

(ग) भारतीय नौवहन निगम का कुल बकाया ऋण, जिसमें तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत किया गया ऋण भी शामिल है, 451.89 करोड़ रुपये है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय नौवहन निगम को स्वीकृत किए गए ऋण ऊपर भाग (ख) के उत्तर में यथाउल्लिखित प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए हैं।

ईस्ट कोस्ट रोड प्रोजेक्ट

1684. श्री पी. कुमारासामी : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कन्याकुमारी तक 'ईस्ट कोस्ट रोड प्रोजेक्ट' हेतु 1200 करोड़ रुपये की स्वीकृति शीघ्र देने का है ताकि दक्षिण में इस अति महत्वपूर्ण सड़क के कार्य को जल्दी पूरा कराया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बरास्ता तूतीकोरिन कन्याकुमारी पहुंचने के लिए बकाया क्षेत्रों में कार्य को पूरा करने में अनावश्यक विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं। यह मंत्रालय मुख्य रूप से केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं और अन्य सभी सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र के भीतर आती हैं। चूंकि पूर्व तटीय सड़क रा. रा. नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, अतः यह तमिलनाडु राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र के भीतर आती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सांध्य कालेजों का बन्द किया जाना

1685. श्री कृष्णमराजू : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 6 नवम्बर, 1999 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में दिए गए समाचार के अनुसार बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया ने जून, 2000 से सायंकालीन कालेजों को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विद्यार्थियों और अध्यापक वर्ग के लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

विधि, न्याय, और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने, स्नातक के पश्चात् तीन वर्षीय विधि पाठ्यक्रम से संबद्ध नियम (अर्थात, भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के भाग 2 के खंड–ख में नियम 2 (1) को यह उपबंध करने के लिए हाल ही में संशोधित किया कि ऐसे विधि महाविद्यालय, जो विशेषकर सांयकालीन कक्षाएं चला रहे हैं, शैक्षणिक वर्ष 2000–2001 के दौरान दिन की कक्षाएं आरंभ कर देंगे ऐसा न करने पर वे परिषद् द्वारा संबद्ध किए जाने के अनुमोदन के लिए हकदार नहीं होंगे। इसका मुख्य कारण विधि शिक्षा में सुधार लाना है जो सभी आवश्यक अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित पूर्णकालिक महाविद्यालयों के माध्यम से ही संभव है। इसके ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश राज्य में कुछ महाविद्यालयों के प्रबंध मंडल ने इसका कुछ प्रतिरोध किया है जिन्होंने भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा सायंकालीन महाविद्यालयों से संबद्ध अनुमोदन के लिए इंकार किया है। इनमें से कुछ महाविद्यालय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चले गए हैं और उन्होंने रोक आदेश प्राप्त कर लिया है। न्यायालय के विनिश्चय के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

(i) भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा हाल ही में किए गए पाठयक्रम के पुनरीक्षण को देखते हुए, भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों के अधीन यथाविहित सायंकालीन

विधि महाविद्यालय शिक्षा नहीं दे सकते हैं। एल एल बी पाठ्यक्रम में पुनरीक्षित पाठ्यक्रम 21 अनिवार्य विषय, तीन वैकल्पिक विषय और व्यावहारिक प्रशिक्षण में चार प्रश्नपत्रों सहित कुल 28 विषय विहित करता है। सायंकालीन महाविद्यालय मुश्किल से दिन में दो या ढाई घंटे ही कार्य करते हैं जो कि भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा उसके नियमों के अधीन विहित विधि शिक्षा देने के लिए कतई अपर्याप्त है।

(ii) सायंकालीन विधि महाविद्यालय प्रबंध अधिकतर अंशकालिक शिक्षकों द्वारा किया जाता है जो विधि व्यवसायी वकील होते हैं। इन महाविद्यालयों के पास पर्याप्त संख्या में अर्हित पूर्णकालिक शिक्षक नहीं है। एल एल बी जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम केवल अंशकालिक शिक्षकों द्वारा ही नहीं पढ़ाए जा सकते हैं।

(iii) सायंकालीन विधि महाविद्यालय ऐसे महाविद्यालयों में ही संचालित किए जाते हैं जो अन्य विद्या शाखाओं में पाठ्यक्रम चला रहे हैं और पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित विधि महाविद्यालयों के पास स्वतंत्र भवन उपलब्ध नहीं हैं।

(iv) चूंकि व्यावहारिक प्रशिक्षण पुनरीक्षित किया जा चुका है इसके अंतर्गत न्यायालय–प्रशिक्षण और व्यावहारिक प्रशिक्षण के अन्य पहलू भी हैं, इसलिए सायंकालीन महाविद्यालय भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा यथा परिकल्पित ऐसे प्रशिक्षण के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं।

(v) सायंकालीन महाविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले अधिकांश छात्र नियोजित व्यक्ति होते हैं जो कैरियर में अग्रसर होने के लिए अपनी अर्हताओं में वृद्धि करना चाहते हैं और सेवानिवृति के पश्चात् अधिवक्ता के रूप में अभ्यावेशित होना चाहते हैं। ऐसे छात्र अपने अध्ययन के प्रति गंभीर नहीं होते हैं और इससे विधि शिक्षा के स्तर में गिरावट आती है। ये ऐसे कुछ कारण हैं जिनसे भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने सायंकालीन विधि महाविद्यालयों को पूर्णकालिक महाविद्यालयों में परिवर्तित करने के लिए कहा है।

(vi) सायंकालीन विधि महाविद्यालयों में उपस्थिति की आवश्यकता का यदा–कदा ही पालन किया जाता है क्योंकि अधिकांश छात्र नियोजित होते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विश्राम स्थलों के लिए व्यय की गई धनराशि

1686. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1998–99 और चालू वर्ष के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा देश में विशेषतः उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमर्गों पर विश्राम स्थलों पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) चालू वर्ष के दौरान इस हेतु कितना बजट निर्धारण किया गया है;

(ग) क्या सड़क सुरक्षा के संबंध में कोई डिजाइन तैयार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो देश भर में इस डिजाइन का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) शून्य

(ख) शून्य।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय ने सड़क डिजाइन में सुरक्षा के लिए एक मैनुअल प्रकाशित किया है। इंडियन रोड कांग्रेस ने भी सड़कों और पुलों की डिजाइन, निर्माण और अनुरक्षण में सुरक्षा से संबंधित कई मानक प्रकाशित किए हैं। उन्हें देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में दूरभाष केन्द्र

1687. **श्री दिनेश चन्द्र यादव :**

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक बिहार में कितने दूरभाष केन्द्र काम कर रहे हैं और उनकी केन्द्र वार क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 2000–2001 के दौरान मौजूदा दूरभाष केन्द्रों की वर्तमान क्षमता को बढ़ाने और कुछ नए दूरभाष केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थलवार और केन्द्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय राज्य के टेलीफोन कनेक्शनों के लिए केन्द्रवार कितने लोग प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य में प्रतीक्षा सूची को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) जी, हां मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि के बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण–I और II में दिए गए हैं। वर्ष 2000–2001 के दौरान 75 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का भी प्रस्ताव है। स्थान का निर्णय अभी किया जाना है।

(ङ) प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

1. मौजूदा एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करना।
2. नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलना।
3. भूमिगत केबल बिछाना।
4. अव्यवहार्य क्षेत्रों में डिजिटल पेयर गेन प्रणालियों को शामिल करना।

विवरण-I

वर्ष 2000–2001 के दौरान बड़े एक्सचेंजों के लिए स्विचन क्षमता का विस्तार करना।

क्रम सं.	एक्सचेंज का नाम	क्षमता में लाइनों से वृद्धि
1	2	3
1.	आरा	1500
2.	बक्सर	1000
3.	भागलपुर	2000
4.	सबौर	1000
5.	सुल्तानगंज	1000
6.	कहालगांव	3000
7.	बांका	3000
8.	सिवान	4000
9.	बडहरिया	1000
10.	हासनपुरा	1000
11.	गोपालगंज	500
12.	सासामुसा	1000
13.	थावे	1000
14.	डाल्टनगंज	2000
15.	गढ़वा	2000
16.	दरभंगा	12000
17.	मधुबनी	1000
18.	सकारी	1000
19.	राजनगर	1000
20.	समस्तीपुर	2000
21.	बेगूसराय	1000
22.	लखमिनिया	2000
23.	धनबाद	5000
24.	झरिया	4000
25.	सिन्दरी	1000
26.	कटरास	2500
27.	लोयाबाद	[illegible]
28.	बोकारो स्टील सिटी	6000
29.	[illegible]	3000
30.	बलिडीह	2000
31.	बेरमी	2000
32.	दुमका	1500
33.	देवघर	3000
34.	जसडीह	1000
35.	साहिबगंज	2000
36.	गोड्डा	1000
37.	गया	8000
38.	मानपुर	3000
39.	नई गोडाउन	2000
40.	अनमाच	2000
41.	नवादा	3500
42.	हसुआ	1000
43.	वारसालीगंज	1000
44.	जहानाबाद	2500
45.	हजारीबाग	2000
46.	घरही	1000
47.	गिड्डी	1000
48.	झुमरी तलैया	1000
49.	गिरीडीह	500
50.	जमशेदपुर	13000

1	2	3
51.	चाईबासा	2000
52.	चक्रधरपुर	1500
53.	कटिहार	2500
54.	मणिहारी	1000
55.	मिरचाई	1000
56.	पूर्णिया	3000
57.	गुलाबबाग	3000
58.	किशनगंज	1000
59.	अररिया	1000
60.	फारबिसगंज	1000
61.	मोतीहारी	500
62.	सुगौली	1000
63.	तुरकौलिया	1000
64.	बेतिया	1500
65.	चनपटिया	1000
66.	रक्सौल	500
67.	अदापुर	1000
68.	रामगढ़वा	1000
69.	लखीसराय	2000
70.	बरहिया	1000
71.	सूरजगढ़	1000
72.	जमुई	3000
73.	मुज्जफरपुर	11500
74.	रतवारा	3000
75.	मोट	3000
76.	धोली	1000
77.	सीतामढ़ी	3000
78.	बैरागनिया	1500
79.	हाजीपुर	2000
80.	महुआ	2000
81.	पटना	19000
82.	दानापुर	6000
83.	मनेर	1000
84.	बिहता	2000
85.	बरह	3000
86.	बख्तियारपुर	1000
87.	बिहारशरीफ	4000
88.	रांची	7000
89.	कांके	2000
90.	गुमला	500
91.	खूंटी	2000
92.	सहरसा	2000
93.	मधेपुरा	1000
94.	मुरलीगंज	1000
95.	सिंघवरस्थान	1000
96.	सासाराम	3000
97.	तिलौथ	1000
98.	डालमियानगर	1000

विवरण-II

कम क्षमता के एक्सचेंज

क्रम सं.	एक्सचेंज का नाम	उन लाइनों की संख्या जिनसे क्षमता में वृद्धि की गई
1	2	3
1.	जगदीशपुर	512 लाइनें
2.	अकबरनगर	"
3.	भेलदी	"
4.	बसंतपुर	"
5.	बनियापुर	"
6.	विरौल	"
7.	राजमहल	"
8.	बेनीपुर	"
9.	महेशपुर	"
10.	बकरीबारवान	"

1	2	3
11.	सरमारी	"
12.	गुरुबाजार	"
13.	नारायणपुर	"
14.	सेवतार	"
15.	थोराशाहान	"
16.	मनेर	"
17.	पालीगंज	"
18.	बुद्ध	"
19.	मूरी	"
20.	बनगांव	"
21.	बीहेअर	1000 लाइनें
22.	इसुआपुर	"
23.	बेहात	"
24.	पाकुर	"
25.	झाझा	"
26.	भदैया	"
27.	बरगाइनिया	"
28.	नौबतपुर	"
29.	बरहाट	सी–डाट 512 से 1000 लाइनों तक विस्तार
30.	कटोरिया	"
31.	बीरपैनती	"
32.	बेलागंज	"
33.	रफीगंज	"
34.	वजीरगंज	"
35.	धमादहा	"
36.	बारसोई	"
37.	बहादुरगंज	"
38.	ठाकुरगंज	"
39.	बख्तियारपुर	"
40.	हाथीडाह	"
41.	एकनगरसराय	"
42.	सिमडेगा	"
43.	उटाकिशनगंज	"
44.	कांटी	"
45.	विदुपुर	"
46.	मोसाबानी	"
47.	बेहरागौरा	"
48.	हथुआ	1000 से 1400 लाइनों तक विस्तार
49.	मैरवा	"
50.	महाराजगंज	"
51.	जैनगर	"
52.	मुस्कीपुर	"
53.	जामतारा	"
54.	जमुई	"
55.	जनकपुर रोड	"
56.	फटुआ	"
57.	मोकामा	"
58.	कांके	"
59.	खूंटी	"
60.	बीरपुर	"
61.	सिमरी बख्तियारपुर	"

स्मारकों हेतु भारतीय तेल निगम द्वारा अंशदान

1688. श्री रामदास आठवले :

श्री मोइनुल हसन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम लि. ने देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का एक ऐतिहासिक स्मारक अपनाने के लिए कोई योजना तैयार की है ताकि उनके संरक्षण और अनुरक्षण में अपना अंशदान कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय तेल निगम द्वारा अब तक इस उद्देश्य हेतु प्रदान किए गए अनुदानों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड का 25 करोड़ रुपये के प्रारंभिक संग्रह तथा 10 करोड़ रुपये के आवर्ती वार्षिक अंशदान सहित "द इंडियन आयल फाउन्डेशन" (आई ओ एफ) के नाम और अभिनाम से एक गैर लाभ ट्रस्ट का गठन करने का प्रस्ताव है जिसके निम्न उद्देश्य होंगे :

(1) भारत सरकार के भारतीय सर्वेक्षण विभाग (ए एस आई) तथा राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन सी एफ) के सहयोग से भारतीय विरासत की रक्षा उसका अनुरक्षण तथा संवर्धन करना।

(2) सरकार तथा ख्यातिप्राप्त गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से हमारी राष्ट्रीय विरासत तथा संस्कृति के बारे में ज्ञान, जानकारी तथा संबद्धता को बढ़ावा देना, और

(3) उद्देश्यों से जुड़ा हुआ तथा इनके अनुरूप कोई अन्य कार्य करना।

शुरू में एलिफेन्टा गुफाओं (महाराष्ट्र), हम्पी (कर्नाटक), सारनाथ (उत्तर प्रदेश) वट्टाकोट्टाई (तमिलनाडु), कुतुब मीनार (दिल्ली), नालन्दा (बिहार), खजुराहो (मध्य प्रदेश) तथा रानी की बाव (गुजरात) नामक आठ स्थानों की पहचान की जा चुकी है। बाद में प्रत्येक शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कम से कम एक विरासत स्थल विकसित किया जाएगा। इंडियन आयल फाउन्डेशन न्यास के पंजीकरण के बाद अनुदान जारी किया जाएगा।

[अनुवाद]

पेट्रोल/डीजल/रसोई गैस की बिक्री केन्द्र

1689. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने हेतु तेल उद्योग द्वारा उपयुक्त स्थानों पर पेट्रोल/डीजल के और अधिक बिक्री केन्द्र तथा रसोई गैस के वितरकों के संबंध में वर्ष 1998 के शुरू में प्रस्ताव किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या तत्कालीन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने संसद सदस्यों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने तथा वे जिन स्थानों पर अतिरिक्त बिक्री केन्द्र खोलने की मांग करते है, उनका ब्यौरा भेजने हेतु कहा था;

(ग) यदि हां, तो जिन-जिन संसद सदस्यों द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में रसोई गैस की एजेंसियों और पेट्रोल/डीजल के बिक्री केन्द्रों की आवश्यकताओं के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया है उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) नए खुदरा बिक्री केन्द्र तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए माननीय संसद सदस्यों तथा अन्य स्रोतों के समय-समय पर सुझाव प्राप्त होते हैं। ऐसे सुझाव, संबंधित स्थानों के विषय में व्यवहार्यता सर्वेक्षण करने के लिए तेल कंपनियों को भेजे जाते हैं। व्यवहार्य पाए जाने वाले स्थान, विपणन योजनाओं में शामिल किए जाते है। तदनुसार, वर्तमान विपणन योजना 1996-98 के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों से 927 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें तथा 2078 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं। विपणन योजना में सम्मिलित स्थानों के विषय में डीलर चयन बोर्ड के माध्यम से डीलरों/वितरकों के चयन हेतु तेल कंपनियों के द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार तथा छः लेनों वाला बनाना

1690. श्री रतन लाल कटारिया :

श्री धावरचन्द गेहलोत :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार वे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-कौन से हैं जिनकी चार तथा छः लेनों में परिवर्तित किए जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार परिवर्तन का कार्य निजी क्षेत्र को सौंपने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों को कब तक चार तथा छः लेनों वाला बना दिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) संभवत माननीय सदस्य राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) का उल्लेख कर रहे हैं, जिसके तहत स्वर्णिम चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम कारिडोर को 4/6 लेन का बनाया जाएगा। एन एच डी पी पर पड़ने वाले रा.रा. इस प्रकार हैं:-

(i) स्वर्णिम चतुर्भुज

रा.रा. संख्या-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 46 दिल्ली - कलकत्ता-चेन्नै-मुम्बई-दिल्ली को जोड़ते हुए।

(ii) उत्तर-दक्षिण कारिडोर

रा.रा. संख्या– 1,1 क, 3, 7, 26 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक।

(iii) पूर्व–पश्चिम कारिडोर

रा.रा संख्या–8 क, 8ख, 14 15, 25, 28, 31, 31ग, 36, 54, 57, 76 सिलचर से पोरबन्दर तक।

(iv) रा.रा.–47 के सलेम–कोचीन खंड पर "स्पर"

(ख) और (ग) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछेक खंड, जहां निजी क्षेत्र की भागीदारी आकर्षित करने के लिए पर्याप्त यातायात है, बी ओ टी आधार पर विकसित किए जाएंगे।

(घ) एन एच डी पी को 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

लालपुर में टेलीफोन केबल बिछाना

1691. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में जामनगर/पोरबंदर जिलों के अंतर्गत लालपुर शहर में टेलीफोन केबल बिछाने के लिए खुदाई कार्य अब बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के टेलीफोन अक्सर खराब हो जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो टेलीफोन के उचित रूप से कार्य करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है और खुदाई कार्य दोबारा कब तक शुरू किया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जामनगर सैकन्डरी स्विचिंग एरिया के लालपुर शहर में योजना के अनुसार लालपुर–भानवाद रोड़ पर पिपली गांव के लिए एक रास्ते को छोड़कर केबल्स बिछाए गए हैं। इस रास्ते के लिए भी रेलवे क्रासिंग को छोड़कर केबल बिछाई गई है। योजनाबद्ध 3678 कंडक्टर किलोमीटर को योजनाबद्ध केबल में से कुल 3600 कन्डक्टर किलोमीटर केबल बिछाई गई है।

(ख) पिपली के लिए एक रेलवे क्रासिंग बीच में आती है जिसके लिए अभी रेलवे से अनुमति की प्रतीक्षा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आप्टिकल फाइबर केबल्स

1692. श्री नरेश पुगलिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में सभी टेलीफोन केबल्स की भूमिगत ऑप्टिकल केबल्स में बदलने का कोई प्रस्ताव दूरसंचार विभाग के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) सभी टेलीफोन केबलों को भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबलों से बदलने का प्रस्ताव है। तथापि, ये केबल लंबी दूरी पारेषण के लिए विभिन्न नगरों को आपस में जोड़ने तथा एक ही शहर में विभिन्न एक्सचेंजों को जोड़ने के लिए बिछाये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

राज्य पुनर्गठन अधिनियम का संशोधन

1693. श्री रामशकल : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 (2) के संशोधन का कोई प्रस्ताव लंबित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम,1956 की धारा 51 (2) के संशोधन के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

न्यायपालिका पर बोझ

1694. डॉ. संजय पासवान : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 दिसंबर 1999 के 'दी इकॉनामिक टाइम्स' में "ओवरबर्डन जूडीसियरी स्ट्रगल्स विद क्राइसिस आफ क्रेडिबिलिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार मद, न्यायालयों में भारी संख्या में लंबित मामले और मामलों के निपटान में विलंब से संबंधित है।

(ग) सरकार ने सिविल और दांडिक, दोनों मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। जिनमें सिविल

प्रक्रिया संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता का संशोधन, न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के पदों की संख्या में वृद्धि, विशेष न्यायालयों/अधिकरणों की स्थापना, विशेष न्यायिक/मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और विवादों के समाधान के लिए माध्यस्थम या सुलह जैसी आनुकल्पिक पद्धतियों को अपनाया जाना भी सम्मिलित है। लोक अदालतों को, विवादों के समाधान के लिए अनुपूरक मंच के रूप में कानूनी आधार प्रदान किया गया है।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की संख्या का सरकार द्वारा नियतकालिक पुनर्विलोकन तीन वर्ष में एक बार किया जाता है। 1998 के पुनर्विलोकन के आधार पर, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के अधिक पद सृजित करने का विनिश्च किया गया है।

न्यायपालिका अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम 1993–94 से भी कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत न्यायालय भवनों तथा न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों, जिसमें उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय भी हैं, के लिए निवास स्थान का संनिर्माण सम्मिलित है। 1998–99 तक इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा 619 करोड़ रुपये की कुल निधि खर्च की गई है।

राज्य सरकारों से उनके नियंत्रणाधीन उच्च न्यायालयों और न्यायालयों को वित्तीय स्वायत्तता के संबंध में तथा अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार

1695. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में कनिहा स्थित ताप विद्युत संयंत्र के विस्तार हेतु कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के पूरा होने के बाद इससे कुल कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन किये जाने का अनुमान है; और

(ग) उक्त परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम उड़ीसा में कनिहा में तालचेर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का विस्तार कर रहा है। प्रथम यूनिट को नवम्बर, 2003 में चालू और उसके बाद नौ–नौ माह के अंतराल पर अन्य तीनों यूनिटों को चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

राष्ट्रीय विद्युत विकास कोष

1696. श्री सुबोध मोहिते : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में उत्पादित विद्युत पर प्रत्येक इकाई 10 पैसे के उपकर की उगाही से राष्ट्रीय ऊर्जा विकास कोष को स्थापित करने का है,;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले पर राज्य सरकारों के विचारों का पता लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस कोष के उपयोग हेतु प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) सरकार द्वारा अगस्त, 1998 में घोषित जल विद्युत विकास संबंधी नीति में देश में खपत हो रही बिजली पर प्रति कि.वा.घं. 10 पैसे का उपकर लगाकर राष्ट्रीय विद्युत विकास निधि की स्थापना की व्यवस्था है। बाद में उत्पादित विद्युत के लिए 5 पैसे प्रति कि. वा.घं. उपकर लेने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ रखा गया पर इसे स्थगित कर दिया गया।

[हिन्दी]

ट्रक उद्योग हेतु नियामक प्राधिकरण का गठन

1697. श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री अरुण कुमार :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ट्रक उद्योग के लिए एक नियामक प्राधिकरण का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्राधिकरण का गठन कब तक कर लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

असम में कच्चा तेल और गैस भंडार

1698. श्री पवन सिंह घाटोवार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में कच्चे तेल और गैस भंडारों के संबंध में हाल ही में कराए गए विशेषज्ञ अध्ययन/मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषज्ञों द्वारा अन्वेषण विकास कार्यों हेतु कुल कितने कुओ की खुदाई की सिफारिश की गई है; और

(ग) कब तक वास्तव में इस प्रकार के कितने कुएं खोदे गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) डा. ए. डब्ल्यू. वाली को आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) द्वारा "भारत की तृतीयक वलित पट्टियां और अग्रस्थ भूमि बेसिन–अन्वेषण अवसरों का एक श्रेणीकरण" पर परामर्श परियोजना दी गई थी। इस परामर्श परियोजना ने न तो असम के कच्चे तेल और गैस के भंडारों का कोई आकलन किया था और न ही कूपों के बेधन की सिफारिश की थी। ओ एन जी सी और आयल इंडिया लि. (ओ आई एल) द्वारा असम में आकलन किए गए स्थानिक भंडारों में 1.4.99 की स्थिति के अनुसार लगभग 1053 मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल और 310 बिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस है।

तटवर्ती क्षेत्रों को राष्ट्रीय और एक्सप्रेस राजमार्गों में शामिल किया जाना

1699. श्री पी. सी. थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम, केरल से बम्बई तक तटवर्ती क्षेत्रों को राष्ट्रीय और एक्सप्रैस राजमार्गों में शामिल करने के लिए बारे में संबंधित राज्यों और जन प्रतिनिधियों द्वारा कई प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी हां।

(ख) रा.रा.–47 के सलेम कोचीन खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) में शामिल कर लिया गया है।

ओ एन जी सी द्वारा खोदे गए कुएं

1700. श्री ए. नरेन्द्र : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न स्थानों पर समुद्र में खोदे गए कुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनसे प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में ओ एन जी सी द्वारा और खोज किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 1 अप्रैल, 1998 से 31 मार्च, 1999 तक की अवधि के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओ एन जी सी) ने पश्चिमी अपतट में 64 अन्वेषी कूपों तथा पूर्वी अपतट में 9 अन्वेषी कूपों का वेधन किया था। इन कूपों के वैधन से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण ने विभिन्न अपतट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया है। पश्चिमी अपतट में ग्यारह कूप तेल वाले साबित हुए तथा ग्यारह कूप गैस वाले साबित हुए थे। इसके अलावा सात कूपों में हाइड्रोकार्बन के संकेत मिले। पूर्वी अपतट में एक कूप तेल वाला साबित हुआ था तथा तीन कूपों में तेल होने के संकेत मिले।

खोजे गए क्षेत्रों के उत्पादन का विस्तार करने के लिए इसी अवधि के दौरान अपतटीय क्षेत्रों में नब्बे विकास कूपों का भी वेधन किया गया था।

(ग) और (घ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन के द्वारा गहन जल क्षेत्रों समेत पश्चिमी तथा पूर्वी अपतट क्षेत्रों में अन्वेषण प्रयास वर्तमान में भूकंपीय आंकड़ा अर्जन तथा कूपों के वेधन के रूप में प्रगति में है। द्विआयामी एवं त्रिआयामी, दोनों भूकंपीय सर्वेक्षण कार्यक्रम, तथा कूप वेधन को इन क्षेत्रों के अंतर्गत वर्ष 2000–2002 के दौरान जारी रखने की इरादा किया गया है।

राज्यों द्वारा बिजली की खरीद

1701. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने बिजली की खरीद के लिए गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आशय के किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दिए जाने की संभावना है तथा आन्ध्र प्रदेश को कितने मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) (1) महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश को रात–दिन 200 मे.वा. विद्युत की आपूर्ति करने पर सहमत हो गयी है। विद्युत की दर गैर–व्यस्ततमकालीन घंटों (22.00 से 6.00 बजे तक) के लिए 2.45 रुपये प्रति कि.वा. घंटा तथा व्यस्ततमकालीन घंटों (6.00 से 10.00 बजे तक) के लिए 2.80 रुपए प्रति घंटा होगी।

(2) गुजरात तीन माह की अवधि के लिए 3.00 रुपये प्रति कि.वा.घंटा की दर पर आंध्र प्रदेश को 100 मेवा से 200 मे.वा. तक की विद्युत की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

06.00 बजे से 21.30 बजे तक 100 मे.वा.

21.30 बजे से 06.00 बजे तक 200 मे.वा.

बाघों की संख्या

1702. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान नवीनतम आकलन के अनुसार बाघों की संख्या कितनी है साथ ही इसमें किस दर से वृद्धि दर्ज की गई;

(ख) उक्तावधि के दौरान व्यापक संरक्षण उपायों के जरिए बाघों की घटती संख्या को रोकने और उनकी सुरक्षा करने के लिए चलाई गई परियोजनाओं का राज्य–वार विवरण क्या है और इसमें क्या उपलब्धियां हासिल की गईं;

(ग) इस अवधि के दौरान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के राज्य–वार कुल कितने प्रकरण दर्ज/रिपोर्ट किए गए और 31 दिसम्बर, 1999 की स्थितिनुसार कितने प्रकरण लम्बित थे; और

(घ) बाघों की संख्या को संरक्षण के लिए व्यापक कार्य–नीति तैयार करने के वास्ते की गई/प्रस्तावित नवीन पहलों का विवरण क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) वर्ष 1997 में की गई हाल ही की गणना के आधार पर बाघों की संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) वर्ष 1973 के दौरान शुरू की गई बाघ परियोजना के अतिरिक्त राष्ट्रीय पार्कों और अभ्यारणयों में एवं उनके आसपास बाघ रिजर्वों सहित अन्य परिविकास स्कीमें शुरू की गई थी और इस स्कीम का एक बाह्य सहायता प्राप्त घटक शुरू किया गया था। आदिवासियों का राष्ट्रीय पार्कों के बाहर पुनर्वास करने तथा राष्ट्रीय पार्कों को बाधा मुक्त बनाने के लिए लाभोन्मुख स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एक स्वैच्छिक रिलोकेशन कार्यक्रम चलाया गया था। इसके साथ–साथ अन्यत्र बसाए गए लोगों को राष्ट्रीय पार्कों के बाहर स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के अंतर्गत रिलीज की गई राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

(घ) शुरू किए गए उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण–IV में दिया गया है।

विवरण-I

राज्यों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	1972	1979	1984	1989	1993	1997
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	तमिलनाडु	33	65	97	95	97	62
2.	महाराष्ट्र	160	174	301	417	276	257
3.	पश्चिम बंगाल	73	296	352	353	335	361
4.	हरियाणा	102	156	202	257	305	350
5.	बिहार	85	110	138	157	137	103
6.	असम	147	300	376	376	325	458
7.	राजस्थान	74	79	96	99	64	58
8.	मध्य प्रदेश	457	529	786	985	912	927
9.	उत्तर प्रदेश	262	487	698	735	465	475
10.	आंध्र प्रदेश	35	148	164	235	197	171
11.	मिजोरम	–	65	33	18	28	12
12.	गुजरात	8	7	9	9	5	1

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	गोवा, दमन और दीव	–	–	–	2	3	6
14.	उड़ीसा	142	173	202	243	226	194
	योग	1578	2589	3454	3981	3375	3435
15.	केरल	60	134	89	45	57	N.R.
16.	मेघालय	32	35	125	34	53	N.R.
17.	मणिपुर	1	10	6	31	–	N.R.
18.	त्रिपुरा	7	6	5	–	–	N.R.
19.	नागालैंड	80	102	104	104	83	N.R.
20.	अरुणाचल प्रदेश	69	139	219	135	180	N.R.
21.	सिक्किम	–	–	2	4	2	N.R.
22.	हरियाणा	–	–	1	–	–	N.R.
	योग	249	426	551	353	375	N.R.

N.R. - राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

विवरण-II

स्कीम : बाघ परियोजना

(लाख में)

क्र.सं.	बाघ रिजर्व का नाम	रिलीज निधियां 1997–98	रिलीज निधियां 1998–99	रिलीज निधियां 1999–2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10.700	18.010	18.495
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.000	47.680	30.590
3.	असम	45.080	35.000	87.290
4.	बिहार	36.750	153.990	109.900
5.	कर्नाटक	25.000	69.340	128.169
6.	केरल	34.950	39.190	42.665
7.	मध्य प्रदेश	133.778	225.125	278.785
8.	महाराष्ट्र	60.530	110.740	114.435
9.	मिजोरम	12.450	9.650	21.430
10.	उड़ीसा	49.300	67.650	72.450
11.	राजस्थान	149.885	472.265	211.095
12.	तमिलनाडु	45.600	32.500	58.780
13.	उत्तर प्रदेश	125.012	199.750	212.950
14.	पश्चिम बंगाल	58.950	179.985	137.140
	योग	807.985	1660.875	1516.174

स्कीम : बाघ रिजर्व सहित राष्ट्रीय पार्कों तथा अभ्यारण्यों में तथा उनके आस–पास पारि–विकास

(लाख में)

क्र.सं.	बाघ रिजर्व का नाम	रिलीज की गई निधियां 1997–98	रिलीज की गई निधियां 1998–99	रिलीज की गई निधियां 1999–2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	25.399	40.020	44.534
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.998	15.229	13.820
3.	असम	10.250	42.34	20.000
4.	बिहार	–	15.000	38.39
5.	कर्नाटक	34.650	20.350	62.250
6.	केरल	–	70.550	36.450

1	2	3	4	5
7.	मध्य प्रदेश	51.330	65.890	54.200
8.	महाराष्ट्र	7.435	41.880	86.675
9.	मिजोरम	10.500	2.000	45.500
10.	उड़ीसा	45.775	22.600	12.000
11.	राजस्थान	36.930	53.440	16.740
12.	तमिलनाडु	4.120	18.100	31.960
13.	उत्तर प्रदेश	41.453	101.860	51.510
14.	पश्चिम बंगाल	66.525	44.390	48.873
15.	गुजरात	–	–	9.64
16.	हिमाचल प्रदेश	58.400	–	86.84
17.	जम्मू और कश्मीर	22.490	–	13.700
18.	मणिपुर	4.750	10.400	10.110
19.	नागालैंड	–	10.000	8.000
20.	पंजाब	9.140	10.200	–
21.	सिक्किम	–	5.850	26.000
22.	त्रिपुरा	–	44.40	–
	योग	434.145	634.499	729.208

स्कीम : केन्द्रीय प्रायोजित लाभोन्मुख आदिवासी विकास स्कीम

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	रिलीज निधियां 1997–98	रिलीज निधियां 1998–99	रिलीज निधियां 1999–2000
1.	कर्नाटक	25,000	–	68.500
2.	मध्य प्रदेश	45.000	350.000	201.080
3.	उड़ीसा	40.000	–	–
	योग	110.000	350.000	269.580

स्कीम : बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय पार्कों तथा अभ्यारण्यों में और उनके आस–पास पारि–विकास विदेशी सहायता घटक

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	रिलीज निधियां 1997–98	रिलीज निधियां 1998–99	रिलीज निधियां 1999–2000
1.	कर्नाटक	50.000	432.000	655.150
2.	मध्य प्रदेश	50.000	365.870	217.720
3.	राजस्थान	50.000	158.000	150.000
4.	पश्चिम बंगाल	377.000	457.700	300.000
5.	बिहार	50.000	89.985	200.000
6.	गुजरात	360.000	161.000	689.200
7.	केरल	449.500	378.950	102.570
	योग	1386.500	2043.505	2314.640

विवरण-III

राज्य का नाम	वर्ष	पता लगाए गए मामले	न्यायालय में दायर मामले	जिन मामलों की जांच की जा रही है	कंपाउंड किए गए मामले	वे मामले जिनके संबंध में अंतिम निर्णय किया गया/ जिन्हें बंद किया गया
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	1997-98	6	5	1	–	–
	1998-99	10	6	3	–	1
बिहार	1996-97	4	–	–	–	4
	1997-98	7	–	–	–	7
	1998-99	1	–	–	–	1
दिल्ली	1996-97	35	20	3	4	8
	1997-98	26	10	10	2	4
	1998-99	31	13	12	–	6

1	2	3	4	5	6	7
गोवा	1996-97	8	–	4	–	4
	1997-98	14	–	5	–	9
गुजरात	1996-97	38	14	3	21	–
	1997-98	36	6	3	27	–
	1998-99	43	14	6	23	–
हरियाणा	1996-97	307	72	81	154	–
	1997-98	350	112	117	121	–
कर्नाटक	1996-97	58	–	58	–	–
	1997-98	81	–	81	–	–
	1998-99	22	–	22	–	–
मध्य प्रदेश	1996-97	312	234	–	–	78
	1997-98	109	130	–	–	60
	1998-99	135	83	–	–	52
महाराष्ट्र	1996-97	7430	1347	5950	120	13
	1997-98	8578	1648	6815	101	14
	1998-99	3978	745	3168	54	11
मेघालय	1996-97	6	5	–	–	1
	1997-98	10	10	–	–	–
	1998-99	6	4	–	–	2
मिजोरम	1996-97	8	–	–	4	4
	1997-98	4	–	2	–	2
	1998-99	8	–	3	5	–
उड़ीसा	1996-97	53	22	–	–	31
	1997-98	35	12	–	–	23
	1998-99	83	35	–	–	48
पंजाब	1996-97	215	174	28	13	–
	1997-98	235	199	31	5	–
	1998-99	214	194	20	–	–
उत्तर प्रदेश	1996-97	407	31	231	–	145
	1997-98	861	50	599	–	212
	1998-99	709	61	457	–	191
सिक्किम	1996-97	3	–	–	1	2
	1997-98	3	–	–	2	1
	1998-99	4	–	1	1	2
तमिलनाडु	1996-97	86	17	9	–	60
	1997-98	51	17	5	–	29
	1998-99	38	12	1	–	25

विवरण-IV

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

राष्ट्रीय स्तर पर

1. वन्यजीवों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को रोकने के लिए सीमा शुल्क, राजस्व आसूचना, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, तट–रक्षक, राज्य पुलिस, उप–निदेशक, वन्यजीव संरक्षण और वैज्ञानिक संगठन यथा भारतीय प्राणी और वनस्पति सर्वेक्षण जैसी प्रवर्तन एजेंसियों से राष्ट्रीय समन्वय समिति गठित करना।

2. वन्यजीव उत्पादों का व्यापार और तस्करी को रोकने में उपर्युक्त विभागों को पहले से सक्रिय व सजग रहने हेतु जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

3. वन्यजीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए किए गए प्रयासों में बेहतर समन्वय को सुनिश्चित करने हेतु सचिव (पर्यावरण और वन) विशेष सचिव (गृह), निदेशक, सीबीआई और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के प्रतिनिधि को मिलाकर एक विशेष समन्वय समिति का सृजन किया गया है।

4. सशस्त्र बलों, वाहनों, संचार नेटवर्क की सुविधाओं सहित सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा पार्क प्रबंधकों के बीच समन्वय के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

5. उत्कृष्ट व शौर्यपूर्ण कार्य करने के लिए अवार्ड व पुरस्कार दिए जाने की एक स्कीम शुरू की गई है। इससे अवैध शिकार और व्यापार आदि घटनाओं का पता लगाकर उसको सूचना देने को प्रोत्साहन मिलेगा।

6. राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सतर्कता और लगातार गश्त लगाने के कार्य में तेजी लाएं।

7. वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बल प्रदान करने में गैर–सरकारी संगठनों तथा अन्य लोगों को शामिल करने के लिए जन–जागरूकता कार्यक्रम चलाना।

8. बाघ व्यापार वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों में सहायता देना तथा बाघ और उसके उत्पादों के लिए न्यायिक पहचान संदर्भ मैनुअल तैयार करना।

9. क्षेत्रों में पारि–विकास और उन पर जैविक दबाव को कम करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है।

10. बाघ परियोजना क्षेत्रों में विशेष स्थलीय दल।

11. व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पूरे देश में विशेष प्रहार बल।

12. वन्यजीव व्यापार नियंत्रण ब्यूरो का सृजन।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर

1. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुददों के लिए बाघ रेंज देशों हेतु एक फोरम अर्थात् ग्लोबल फोरम को गठित करना।

2. बाघ संरक्षण के लिए सीमा पार व्यापार को नियंत्रित करने और आपसी सहयोग हेतु :

   1. चीन गणराज्य के साथ एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए।

   2. नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

   3. बंगला देश के साथ बातचीत चल रही है।

3. बाघ के अंगों और उसके उत्पादों का अवैध व्यापार रोकने के लिए भारत के प्रस्ताव पर सी आई टी ई एस में कई प्रस्तावों को अंगीकृत किया गया।

4. मार्च, 1999 में सहस्राब्दी बाघ सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन के घोषणा पत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाघों के संरक्षण के लिए कई कार्य बिन्दुओं का सुझाव दिया गया।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा मंजूर की गई परियोजनाएं

1703. श्री जी. एस. बसवराज :

श्री तूफानी सरोज :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने हाल ही में देश में कुछ विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन–कौन से राज्य हैं जिनकी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई और उन राज्यों में किन–किन स्थानों पर इन्हें चलाया जाएगा और साथ ही इस प्रयोजनार्थ राज्य–वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) आठवीं कार्यावधि के दौरान और आज की तारीख तक कर्नाटक में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा हाल ही में स्वीकृत चार लघु उत्पादन परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	परियोजना का नाम	राज्य	उत्पादन स्रोत	क्षमता (मे.वा.)	लागत (करोड़ रुपये में)	ऋण
1998–99	लेह	जम्मू–कश्मीर	डीजल	2.00	3.590	3.231
	कारगिल	जम्मू–कश्मीर	डीजल	2.00	4.250	3.285
	कोरबा	मध्य प्रदेश	हाइड्रो	1.00	4.040	3.636
	मलंकारा	केरल	हाइड्रो	10.50	30.000	21.900
उप जोड़				15.50	41.880	32.592

(ग) 1981 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक ने मार्च, 1989 के अन्त तक गांवों का शत–प्रतिशत विद्युतीकरण कर लिया है। 1991 की जनगणना के अनुसार कुल 27066 गांवों में से 26678 गाँवों को अक्टूबर, 1999 के अन्त तक विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने 287 गाँवों को विद्युतीकरण की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया है।

बाघ संरक्षण

1704. श्री नामदेव हरबाजी दिवाथे :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री उत्तमराव डिकले :

श्री विजय हान्दिक :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुप्तप्राय वन्य प्रजातियों के व्यापार संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों के दल ने बाघ संरक्षण की रणनीति पर चर्चा करने के लिए भारत की यात्रा की;

(ख) यदि हां, तो जिन कार्यनीतियों पर चर्चा हुई और जो निर्णय लिये गये, उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) बाघ परियोजना की राज्य–वार अद्यतन समीक्षा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अभी तक लुप्तप्राय वन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिये प्रतीक्षित अन्तर्राष्ट्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है और भविष्य की कार्ययोजना क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) जी, हां।

(ख) उन्होंने क्षेत्र में संरक्षण उपायों के साथ–साथ वन से बाहर व्यापार पर नियंत्रण, फील्ड संरक्षण यूनिटों को मजबूत बनाने और व्यापार पर नियंत्रण के लिए प्रहार बल के सृजन पर चर्चा की।

(ग) बाघ रिजर्व परियोजना के विशेषज्ञों और बाघ परियोजना के लिए संचालन समिति के सदस्यों द्वारा पुनरीक्षण किया गया जिसका विवरण इस प्रकार है :

राज्य का नाम	जिन बाघ रिजर्वों की पुनरीक्षा की गई
असम	मानस
बिहार	पलामू
कर्नाटक	बांदीपुर
केरल	पेरियार
महाराष्ट्र	मेलघाट
उड़ीसा	शिमलीपाल
राजस्थान	रणथम्बोर
	सरिस्का
उत्तर प्रदेश	कार्बेट
	दूधवा

अन्य बातों के साथ–साथ पुनरीक्षा की मुख्य टिप्पणियों में निम्नलिखित शामिल हैं :–

1. बाघ रिजर्व में फील्ड स्टाफ की अपर्याप्त संख्या
2. कुछ क्षेत्रों में विद्रोह एवं आतंकवाद
3. प्रवर्तन के लिए संसाधनों की कमी
4. प्रबंध योजनाओं की आवश्यकता
5. बाघ रिजर्व के क्षेत्र में विस्तार की आवश्यकता
6. चराहगाह दबाव वाले स्थानों को बदलना

(घ) भारत सरकार राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों के भीतर एवं आसपास पारिविकास की स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। इस कार्य में 67 मिलियन अमरीकी डालर की बाह्य सहायता भी शामिल है। यह राशि निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है :–

1. चुने हुए संरक्षित क्षेत्रों में प्रवर्तन संरचना को सुदृढ़ बनाना।
2. संरक्षित क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों का पारिविकास।
3. चरागाह के संरक्षण, नियंत्रण और अग्नि नियंत्रण में स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करना।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि

1705. श्री अजय सिंह चौटाला :

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री ए. नरेन्द्र :

श्री किरीट सोमैया :

श्री पी. सी. थामस :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 6 माह में तेल पूल घाटे में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस घाटे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन उत्पादों पर राजसहायता कम करने के लिए डीजल, पेट्रोलियम और रसोई गैस के मूल्यों में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) तेल पूल खाते से तेल कंपनियो का बकाया 31.3.1999 को 3408 करोड़ रुपये की तुलना में 31.3.2000 को लगभग 6000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ख) तेल पूल घाटे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि के कारण है।

(ग) तेल पूल खाते में घाटे को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में आवधिक संशोधन किया है।

(घ) और (ङ) एल पी जी (घरेलू) मिट्टी तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली), डीजल, पेट्रोल और उड्डयन इंजिन ईंधन के भंडारण स्थल पर मूल्य प्रशासित मूल्य है जबकि अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य नियंत्रणमुक्त हैं। सरकार ने सितंबर, 1997 में निर्णय लिया था कि डीजल का मूल्य भंडारण केन्द्र के स्तर तक आयात समता मूल्य निर्धारण के सिद्धांत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने नवंबर, 1997 में निर्णय लिया कि एल पी जी (घरेलू) और मिट्टी तेल (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) पर राजसहायता, 2000–01 और 2001–02 तक आयात समता मूल्य के क्रमशः 15 प्रतिशत और 33.33 प्रतिशत के स्तर तक लाने के लिए चरणों में कम की जाएगी। वर्ष 2002 से आगे राजसहायता राजकोषीय बजट में अंतरित कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में रसोई गैस उपभोक्ता

1706. श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में विभिन्न तेल निगमों में घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या राज्य में विभिन्न तेल निगमों, विशेषकर इंडेन के उपभोक्ताओं को गैस भराई में असमान्य विलंब का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में उपभोक्ताओं को घरेलू रसोई गैस सिलिंडरों की त्वरित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) तमिलनाडु राज्य में 1.1.2000 की तारीख के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों के एल पी जी ग्राहकों की संख्या निम्नानुसार है:–

कंपनियों का नाम	आँकड़े लाख में
आई ओ सी	23.7
बी पी सी	8.05
एच पी सी	4.45
आई बी पी	0.13

(ख) और (ग) फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों द्वारा तमिलनाडु राज्य में एल.पी जी की आपूर्ति में कोई कमी सूचित नहीं की गई है। तथापि, जब कभी एल.पी जी का बैकलाग उत्पन्न होता है, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियां प्रभावित बाजारों में मांग पूरी करने के लिए अधिकतम आयात करने, वर्धित घंटों/रविवारों तथा अवकाश के दिनों आदि को भरण संयंत्रों का प्रचालन करने सहित विभिन्न उपाय करती हैं।

कम्पनियों के परिसमापन अथवा बंद करने का कार्य पूरा होने में विलम्ब

1707. डॉ. नीतिश सेनगुप्ता : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों के परिसमापन अथवा बंद करने का कार्य पूरा होने में अनुचित विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने कि ऐसी कार्रवाइयां तेजी से पूरी की जाएं, के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) और (ख) सामान्यतः कंपनियों के परिसमापन या बंद करने की कार्रवाई पूरी करने में कंपनियों के पूर्व–निदेशकों के विरुद्ध अपकरण के लिए लंबित कार्रवाइयों, वसूली के लिए लम्बित डिक्री तथा विभिन्न जिला अदालतों में लम्बित विभिन्न अदालती मुकदमों के कारण और कंपनियों (परिसमापनाधीन) के नाम पर भूमि के शीर्ष विलेख के संबंध में लम्बित मुकदमों के कारण भी होता है। परिसमापन या बंद करने की कार्रवाहियां राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय के निर्देश और नियंत्रण के अधीन शासकीय समापक के द्वारा पूरी की जाती हैं तथा उच्च न्यायालय परिसमापन या बंद करने की कार्यवाहियों को पूरा करने के लिए शासकीय समापक को निर्देश जारी करता है।

(ग) हाल ही में, सरकार ने कम्पनियों को बन्द करने संबंधी कार्यवाहियों से संबंधित मौजूदा कानून की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है ताकि बंद करने की कार्यवाहियों में तेजी लाने के लिए इसे नया रूप दिया जा सके।

भारतीय पंजीकरण अधिनियम में संशोधन

1708. श्री वी. एस. शिवकुमार : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 28 में एक संशोधन किया है जिसके अनुसार तमिलनाडु और केरल के सीमावर्ती क्षेत्रों की वह संपति जिसका तमिलनाडु राज्य के बाहर पंजीकरण कराया गया है ऐसे पंजीकरण के दस्तावेज रद्द और अमान्य करार दिए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु और केरल राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों तथा उनकी सम्पत्ति दोनों राज्यों में है उन्हें इस संशोधन से अकथनीय परेशानियों का सामना करना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे लोगों की परेशानियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) चूंकि, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 28, हर दस्तावेज को उपरजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण के लिए पेश करने का उपबंध करती है जिसके उपजिले में वह समस्त संपत्ति या उसका भाग अवस्थित है जिससे ऐसा दस्तावेज संबंधित है। स्टांप शुल्क की निम्नतर दर पर पड़ोसी राज्यों में संपत्ति को रजिस्ट्रीकृत कराने के स्पष्ट कारण से उक्त पड़ोसी राज्यों में अवस्थित स्थावर संपति के छोटे टुकड़े को दस्तावेज में सम्मिलित करके तमिलनाडु में संपत्तियों पर प्रभाव डालने वाले दस्तावेल का बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रीकरण पड़ोसी राज्यों के उप–रजिस्ट्रारों के कार्यालय में किया जाता है। यह चलन तमिलनाडु राज्य में स्टांप शुल्क के अपवंचन के लिए कपटपूर्ण आशय से अपनाया जाता है। इस खामी को दूर करने के लिए तमिलनाडु की सरकार ने, रजिस्ट्रीकरण (तमिलनाडु संशोधन) विधेयक, 1997, तारीख 21.2.1997 को गृह मंत्रालय को भेजा। उक्त विधेयक पर 27.3.1997 को राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति दे दी है। तमिलनाडु सरकार ने, उसे 29.3.1997 को 1997 के अधिनियम सं. 19 के रूप में प्रकाशित कर दिया है।

असम गैस क्रैकर परियोजना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सौंपना

1709. श्री राजेन गोहेन :

श्री एम. के. सुब्बा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1995 में असम गैस क्रैकर परियोजना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सौंप दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी लागत सहित अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) परियोजना को स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है और इसमे हुए विलंब, यदि कोई हो तो, के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त परियोजना को क्षेत्र में कार्यरत भारतीय तेल निगम, तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम या आयल इंडिया लिमिटेड को सौपनें का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) असम राज्य सरकार के एक उपक्रम असम औद्योगिक विकास कार्पोरेशन ने प्रतिवर्ष 3 लाख टन एथीलीन की उत्पादन क्षमता वाली असम गैस क्रैकर परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए 1995 में मैसर्स रिलायंस असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाया। रिलायंस असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन, संक्रिया अनुज्ञप्ति–दाताओं और प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं के साथ विचार–विमर्श आदि जैसे आरंभिक उपाय किए हैं। असम सरकार और मैसर्स रिलायंस असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड उक्त परियोजना की अवस्थापना के स्थल को अंतिम रूप देने में संलग्न है। आयल इंडिया लि. और रिलायंस असम पेट्रोकेमिकल्स लि. के बीच फीडस्टाक आपूर्ति करार का परिसमाप्त क्षतियों से संबंधित मामलों के अलावा सभी मामलों में अंतिम रूप दे दिया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 3600 करोड़ रुपये है और फीडस्टाक आपूर्ति करार (रों) को अंतिम रूप दिए जाने एवं जमीन के अधिग्रहण के बाद इस परियोजना के 44 महीनों में चालू हो जाने की आशा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्री-ट्रायल बारगेन

1710. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 फरवरी, 2000 को 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'पेनल मूट्स प्री–ट्रायल बारगेन टू कट बैकलॉग' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) लंबित दांडिक मामलों के बड़ी संख्या में बैकलॉग के संदर्भ में, अभिवाक् सौदेबाजी से संबंधित विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से संबद्ध समाचार मद विचारण प्रक्रम पर है। विधि आयोग की सिफारिशें संवीक्षाधीन हैं।

[हिन्दी]

गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन

1711. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

श्री एस के सुब्बा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की बहुत सी ग्राम पंचायतों तथा गुजरात के अहमदाबाद और भावनगर जिलों की ग्राम पंचायतों में अभी तक टेलीफोन कनेक्शन नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्यों और जिलों में ऐसे कितने गांव और पंचायतें हैं;

(ग) ऐसे राज्यों और जिलों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(घ) देश में और उक्त राज्यों और जिलों में नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने गांवों को टेलीफोन कनैक्शन से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और अभी तक राज्यवार इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) जी, हां। असम में तथा अन्य उत्तरी–पूर्वी राज्यों में तथा गुजरात में अहमदाबाद और भावनगर जिलों में कुछ ग्राम पंचायतों में टेलीफोन कनेक्शन नहीं हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं। इन राज्यों के सभी गांवों में तथा जिलों में 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों। देश में तथा असम, उत्तर पूर्वी राज्यों में और अहमदाबाद और भावनगर जिलों के लिए वार्षिक लक्ष्य उपलब्धियां संलग्न विवरण–II में दी गई हैं।

विवरण-I

टेलीफोन कनेक्शनों के बिना गांवों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या एवं प्रतिशतता

राज्य/जिला	कुल गांव	वीपीटी रहित गांव	वीपीटी रहित गांवों की प्रतिशतता	कुल ग्राम पंचायतें	वीपीटी रहित ग्राम पंचायतें	वीपीटी रहित ग्राम पंचायतों की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
असम	22,224	8,371	37.7	2,485	391	15.7
अरुणाचल प्रदेश	3,599	3,011	83.7	944	558	59.1

1	2	3	4	5	6	7
मणिपुर	2,394	1,710	71.4	429	70	16.3
मेघालय	5,629	4,443	78.9	450	45	10.0
मिजोरम	770	152	19.7	613	184	30.0
नागालैंड	11,192	632	53.0	1,001	595	59.4
त्रिपुरा	862	232	26.9	910	363	39.9
उत्तर पूर्व के लिए कुल	14,446	10,180	70.5	4,347	1,815	41.8
अहमदाबाद (गुजरात)	645	51	7.9	640	27	4.2
भावनगर (गुजरात)	865	114	13.2	853	113	13.2

विवरण-II

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए लक्ष्य एवं उपलब्धियां

वर्ष	1997–98		1998–99		1999–2000		2000–2001	2001–2002
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	31.1.2000 तक उपलब्धि	लक्ष्य	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान निकोबार	181	30	53	56	63	35	0	0
आंध्र प्रदेश	3000	1566	400	526	0	0	0	0
असम	4000	2484	2900	2907	3000	498	4744	1125
बिहार	12000	2615	6000	2137	8000	2213	17700	33187
गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0
हरियाणा	508	195	20	0	26	0	17	0
हिमाचल प्रदेश	2500	1504	1000	1208	2500	1811	3000	3710
जम्मू और कश्मीर	1200	437	1000	763	1500	273	900	1019
कर्नाटक	3000	3389	2500	2521	2000	1757	1000	720
केरल	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	5500	3878	4000	3707	5000	1104	3000	1406
महाराष्ट्र	4940	2725	2670	2462	0	0	0	0
गोवा	60	36	30	10	0	0	0	
अरुणाचल प्रदेश	362	50	171	21	750	10	1000	1000
मणिपुर	232	115	232	48	300	44	500	954
मेघालय	812	180	232	233	300	111	1500	3025
मिजोरम	122	15	52	30	79	13	46	40
नागालैंड	214	44	232	21	307	23	226	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9
त्रिपुरा	258	70	81	51	264	32	0	0
उड़ीसा	8819	2402	2400	2242	3000	716	10000	13163
पंजाब	1245	1327	345	173	0	0	0	0
राजस्थान	5000	3269	2540	2585	0	302	0	0
तमिलनाडु	1000	2530	142	196	0	6	157	0
उत्तर प्रदेश (पूर्व)	14000	8618	7500	8219	7000	5498	15500	15009
उत्तर प्रदेश (प.)	8000	2197	5500	2937	6000	2911	3650	10810
पश्चिम बंगाल	7800	3153	4930	3955	4826	531	7000	9870
सिक्किम	200	4	70	50	174	10	0	0
कलकत्ता टेलीकाम	47	22	0	0	47	0	0	0
जोड़	83000	42855	45000	37058	45136	17898	70000	95100

टिप्पणी : दूरसंचार सेवा विभाग द्वारा गुजरात में अहमदाबाद तथा भावनगर जिलों के लिए टेलीफोन देने संबंधी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं क्योंकि गुजरात में शेष सभी गांवों में स्थिर सेवा प्रदाताओं द्वारा उक्त सुविधा प्रदान की जानी है।

[अनुवाद]

ऊर्जा संरक्षण अभियान

1712. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत संरक्षण के मार्गोपाय के संवर्धन के लिए ऊर्जा संरक्षण अभियान आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या लागत आयी है;

(ग) अभी तक उक्त अभियान को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) आगामी वर्ष के लिए इस संबंध में क्या लक्ष्य नियत किये गये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) विद्युत मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बड़े पैमाने पर उद्योगों और आम जनता को ऊर्जा संवर्धन के प्रकरण से अवगत कराने के लिए वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक माध्यम से राष्ट्रीय ऊर्जा संवर्धन जागरूकता अभियान संयुक्त रूप में चलाने के लिए सहमत हो गए हैं। विद्युत क्षेत्र की पुर्नसंरचना सुधार तथा ऊर्जा संवर्धन संबंधी अभियान के लिए 6.00 करोड़ रूपये की धनराशि उदिदष्ट की गई है। इसी बीच विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 24.2. 2000 को लोक सभा में ऊर्जा संवर्धन विधेयक, 2000 प्रस्तुत किया है। यह विधेयक ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया है। ऊर्जा संवर्धन विधेयक 2000 की मुख्य विशेषताएं इसके साथ विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

(i) केन्द्रीय सरकार बीईई के साथ परामर्श करके ऊर्जा का उपयोग करने वाले, उत्पादन करने वाले ऊर्जा का अंतरण या आपूर्ति करने वाले प्रत्येक उपस्कर या उपकरण के लिए ऊर्जा संवर्धन संबंधी मानक निर्धारित करेगी।

(ii) केन्द्रीय सरकार निर्माण, आयात, आपूर्ति, वितरण, बिक्री या व्यापार की अवस्थाओं में ही अधिसूचित उपकरणों एवं उपस्करों पर अनिवार्य रूप से लेबल लगाने की स्कीम चालू करेगी ताकि इन उपकरणों एवं उपस्करों की ऊर्जा खपत की दर स्पष्ट रूप में और पठनीय तरीके में इंगित हो सके।

(iii) केन्द्रीय सरकार बीईई के साथ परामर्श करके ऊर्जा के उपयोग की मात्रा के संबंध में उद्योगों, अधिष्ठापनाओं और ऊर्जा के उपयोगकर्त्ता या उपयोगकर्त्ता वर्ग तथा भवन परिसर को नामोदिदष्ट उपभोक्ताओं के रूप में अधिसूचित करेगी। नामोदिदष्ट ऊर्जा खपत के मानक और मानदंडों का अनुसरण करेंगे।

(iv) केन्द्रीय सरकार के रूप में नामोदिदष्ट एजेंसी द्वारा अधिसूचित किए जाने पर उद्योगों और अधिष्ठापनाओं में सभी सभी नामोदिदष्ट उपभोक्ताओं के लिए प्राधिकृत लेखा परीक्षक द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा करना अनिवार्य होगा। ऐसे उपभोक्ताओं के प्राधिकृत ऊर्जा लेखा परीक्षक की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई और उपयोग में लाई गई ऊर्जा के संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर तथा निर्धारित पद्धति से रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। लेखा परीक्षा की अवधि बीईई द्वारा अधिसूचित होगी। नामोदिदष्ट उपभोक्ताओं को निर्धारित अर्हता वाले ऊर्जा प्रबंधक नियुक्त करने अपेक्षित होंगे। ऐसे नामोदिदष्ट उपभोक्ताओं को बीईई/राज्य को ऊर्जा संवर्धन की स्थिति संबंधी रिपोर्ट वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी।

(v) प्रत्येक नामोदिदष्ट उपभोक्ता के लिए निर्धारित ऊर्जा संरक्षण मानदंडों का अनुपालन अपेक्षित है। विभिन्न तथ्यों जैसे टैक्नालॉजी/अपनाई गई प्रक्रिया, संयंत्र/भवन की क्रियाशील अवधि, प्रयुक्त ऊर्जा के रूप, प्रयुक्त कच्चा माल आदि के मद्देनजर विभिन्न नामोदिदष्ट उपभोक्ताओं के लिए भिन्न-भिन्न मानक एवं मानदंड निर्धारित किए जा सकते हैं।

(vi) नामोदिदष्ट उपभोक्ता ऊर्जा संरक्षण के लिए इस प्रकार से स्कीम/स्कीमें तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार हों। इन स्कीमों को वह केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही क्रियान्वित करेगा।

(vii) ऊर्जा क्षमता ब्यूरो ऊर्जा संरक्षण के लिए कोड बनाने हेतु दिशा-निर्देश तैयार करेगा और राज्य सरकार इसे अधिसूचित करेगी। ये कोड स्थानीय वातावरण एवं अन्य अपरिहार्य तथ्यों के अनुरूप ही बनाए जा सकते हैं।

(viii) कानून के कार्यान्वयन से जुड़े मामलों के समन्वय, लागू करने एवं विनियमन के लिए राज्य सरकार राज्य के भीतर किसी भी एजेंसी को नामोदिदष्ट करेगी। राज्य सरकार, राज्य विद्युत विनियामक आयोग को निर्णय संबंधी कार्य के लिए नामोदिदष्ट करेगी। जहां पर एसईआरसी नहीं है, वहां राज्य सरकार विधि सचिव या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, जिसे उस राज्य/संघ शासित क्षेत्र में निर्णय अधिकारी के रूप में कानूनी अनुभव हो, को नियुक्त करेगी। उसके इस पद की मान्यता राज्य में राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना के तुरन्त बाद समाप्त हो जाएगी।

(ix) केन्द्र एवं राज्य सरकार ऊर्जा संरक्षण, उपभोक्ता शिक्षा एवं उपभोक्ता के लिए दिशा-निर्देश के लिए जन-जागरूकता का संवर्धन करेंगे तथा ऐसे कदम भी उठायेंगे जिनसे ऊर्जा सक्षम उपस्कर/यंत्र एवं उपकरणों के लिए बेहतर उपायों को प्रोत्साहित करेंगे।

(x) कानूनी दृष्टि से ऊर्जा को इस प्रकार परिभाषित किया जाएगा कि वह जीवाश्म ईधनों, जल विद्युत जिसमें ग्रिड से प्राप्त विद्युत ऊर्जा भी शामिल है, से प्राप्त है। इसे वह विद्युत भी शामिल है जो पुनःप्रयोग में लाए जाने लायक ऊर्जा स्रोत एवं ग्रिड से जुड़े बायोगैस से प्राप्त किया जाता है। हालांकि विधायी दृष्टि से इस परिभाषा के अंतर्गत वह ऊर्जा शामिल नहीं जो ग्रिड से अलग रूप से उपयोग किया जाए एवं पुनःप्रयोग लायक हो।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल पंप की स्थापना

1713. श्री सुरेश चन्देल : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों में पेट्रोल और डीजल पंपों की पर्याप्त सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या पेट्रोल पंपों की सुविधा सिर्फ कुछ शहरों में ही उपलब्ध है जबकि पहाड़ी लोग दूरदराज क्षेत्रों में रहते है;

(ग) क्या सरकार को राज्य के दूरदराज क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों की स्थापना हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हिमाचल प्रदेश के किन-किन स्थानों में पेट्रोल और डीजल पंपों की स्थापना हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है और इन पंपों को कब तक स्थापित कर दिया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) हिमाचल प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय तथा अन्य क्षेत्रों सहित पूरे देश में तेल उद्योग के मात्रा दूरी मानकों के अनुसार स्थापित की जाती है। 1.10.1999 की तारीख के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 98 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें थी। इसके अलावा बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश में 28 और खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें स्थापित की जानी हैं।

[अनुवाद]

मुंबई हाई के तेल क्षेत्रों की पुनःस्थापना

1714. श्री ए. ब्रहमनैया :

प्रो. उम्मारेड्डी वैंकटेस्वरलु :

श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुबंई हाई के तेल क्षेत्रों ने कुप्रबंधन के कारण अपनी क्षमता खो दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल के उत्खनन में सुधार हेतु कोई प्रयास किए हैं;

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय हित में मुंबई हाई के तेल क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु पुनः स्थापना संबंधी क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने मुबई हाई तेल क्षेत्र पर एक संभाव्यता अध्ययन के परीक्षण हेतु "जिलेफी की और क्लाइन" को नियुक्त किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) तेल क्षेत्र के उत्पादन के ह्रासमान चरण में प्रवेश कर जाने, जो किसी उत्पादक तेल क्षेत्र के अवधि चक्र में होता है, के कारण मुंबई हाई में तेल उत्पादन की दरों में ह्रास हुआ है।

तेल उत्पादन में कमी के विस्तृत अध्ययन के आधार पर लघु अवधि तथा दीर्घ अवधि के विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए हैं। ह्रासमान प्रवृत्ति में कमी करने तथा कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :

(1) इनफिल कूपों, क्षैतिज कूपों तथा वर्धित पहुंच वेधन कूपों का वेधन।

(2) नालिका छिद्र प्रौद्योगिकी तथा पपड़ी हटाने के कार्य अपनाना।

(3) साइड ट्रेकिंग के साथ कम उत्पादन कर रहे कूपों को पुनः पूर्ण करना।

(4) रिजर्वायर का दबाव बनाए रखने गैस उठान सुविधाओं के इस्टतमीकरण के लिए वर्कओवर कार्य, जल अंतःक्षेपणन का पुनर्वितरण।

(5) मुंबई हाई क्षेत्र की पुनर्विकास योजना तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के परामर्शदाताओं की सेवाएं किराए पर लेना।

(6) भविष्य की विकास योजनाओं के लिए रिजर्वायर की बेहतर समझ हेतु त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़े एकत्र करना।

(7) अधिक गैस तथा जल उत्पादन के नियंत्रण के लिए मुंबई हाई क्षेत्र में "जेल प्रौद्योगिकी" नाम की नई प्रौद्योगिकी का परीक्षण।

(घ) से (च) सरकार ने इस क्षेत्र के लिए कोई परामर्शदाता एजेंसी नियुक्त नहीं की है। तथापि, ओ एन जी सी ने मुंबई हाई की लागत कुशल अतिरिक्त विकास योजना तैयार करने के लिए परामर्शदाता के रूप में जैफनी क्लाइन एंड एसोसिएट्स (जी सी ए) को नियुक्त किया है।

विद्युत परियोजनाओं के लिए सुरक्षा प्रदान किया जाना

1715. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत परियोजनाओं को सुरक्षा प्रदान करने और बिजली के वितरण और पारेषण में राज्यों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल में विद्युत मंत्रियों की बैठक में ऐसे मुद्दे पर चर्चा हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस स्थिति के सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) कई राज्यों में निजी क्षेत्र में नियोजित परियोजनाओ की कुल संख्या साथ ही राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा स्वयं अथवा केन्द्रीय विद्युत उत्पादक कम्पनियों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं की संयुक्त क्षमता इन परियोजनाओं को एस्क्रो कवर देने के लिए राज्यों की क्षमता से अधिक है। तथापि, राज्य विद्युत बोर्डों की कमजोर वित्तीय हालत प्रतिस्पर्धा का अभाव तथा टैरिफ युक्तिकरण नहीं किए जाने से निजी विद्युत उत्पादक केन्द्रों में पूंजी लगाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) इन विषयों पर दिनांक 28.2.2000 को हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में विचार–विमर्श किया गया और सभी उपभोक्ताओं को मांग के आधार पर बिजली आपूर्ति की प्रतिबद्धता दोहराई गई। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि सुधार संबंधी कार्य दृढ़ निश्चय, शक्ति एवं आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए। सुधार कार्य नीति के मुख्य उद्देश्य बिजली चोरी में कमी/उन्मूलन, ऊर्जा संबंधी ऑडिट तथा उप–पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और राज्य विद्युत बोर्डों का विकेन्द्रीकरण होगा।

विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में इन उपायों जैसे विद्युत वितरण के क्षेत्र में निगमीकरण/निजीकरण, सभी उपभोक्ताओं की शत–प्रतिशत मीटरिंग पर विचार किया गया है जिनसे राज्यों में टैरिफ संरचना का युक्तिकरण हो सकेगा। इससे वे विद्युत संबंधी लागत की वसूली कर सकेंगे एवं क्षमता वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जा रही बिजली संबंधी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक संसाधन जुटा सकेंगे।

एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ

1716. श्री रमेश चेन्नितला :

श्री कृष्णमराजू :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल और आंध्र प्रदेश के जिलों में अलग–अलग जिलेवार कितने एसटीडी/आईएसडी/पीसीओ बूथ स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन दोनों राज्यों में अलग–अलग इस प्रकार के बूथ स्थापित करने के लिए कितने आवेदन–पत्र लंबित पड़े हैं;

(ग) इस विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन आवेदनों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 31.12.1999 की स्थिति के अनुसार केरल और आंध्र प्रदेश सर्किलों में क्रमशः कुल 18861 और 18064 आवेदन लंबित हैं।

(ग) आवेदन विभिन्न कारणों से लंबित हैं, जैसे एक्सचेंज में अतिरिक्त क्षमता की कमी, क्षेत्र की अव्यवहार्यता, विश्वसनीय माध्यम की अनुपलब्धता होना आदि।

(घ) लंबित आवेदनों का निपटान उत्तरोत्तर रूप से किया जाना है बशर्ते कि तकनीकी व्यवहार्यता हो और आवेदक अन्य शर्तें पूरी करते हों।

विवरण

एसएसए का नाम दूरसंचार जिले	वर्ष के दौरान संस्थापित पीसीओ		
	1996–97	1997–98	1998–99
1	2	3	4
केरल दूरसंचार सर्किल			
त्रिवेन्द्रम	747	1070	1358
कोल्लम	606	704	755
अलेप्पी	481	571	743
पठानमथिट्टा	690	838	1053
कोट्टायम	764	960	1149
एर्नाकुलम	2403	2898	3255
थ्रिसूर	1058	1203	1414
पालघाट	634	830	874
कालीकट	1626	1847	1978
कन्नूर	834	1364	1469
आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल			
अदीलाबाद	0	20	39
अनन्तपुर	10	534	246
चित्तूर	52	10	603
कुड्डापा	10	54	400
पूर्वी गोदावरी	174	142	373
गुन्टूर	113	339	264
हैदराबाद	802	492	858
करीमंनगर	40	318	177
खम्माम	73	30	196
कृष्णा	9	299	929
कुरनूल	87	65	467
महबूबनगर	11	88	64
मेडक	34	35	145
नालगोंडा	9	60	213
नेल्लौर	58	63	133
निजामाबाद	0	1	338
प्रकाशम	148	31	205

1	2	3	4
श्रीकाकुलम	9	22	161
विशाखापट्टनम	99	172	344
विजयनगर	0	51	237
वारंगल	0	0	1
पश्चिमी गोदावरी	36	92	734

पन विद्युत परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि

1717. श्री अकबर अली खांदोकर :

श्री दिन्शा पटेल :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन विद्युत परियोजनाएं आठवीं योजना अवधि के दौरान क्षमता वृद्धि के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अभी तक कितनी पन विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है;

(घ) क्या सरकार देश में धनाभाव के कारण पन विद्युत संभावनाओं का भरपूर दोहन करने में असफल रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(च) क्या सरकार द्वारा नौंवी योजना अवधि के दौरान उक्त स्थिति में सुधार करने के लिए कोई दीर्घकालीन योजना बनाई गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्षमता वृद्धि में केन्द्रीय क्षेत्र, राज्य और निजी क्षेत्रों का हिस्सा राज्यवार कितना–कितना होगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) आठवीं योजना के दौरान 9282.2 मे.वा. की जल विद्युत क्षमता की अधिष्ठापना का कार्यक्रम बनाया गया था जिसे कि मध्यवर्ती मूल्यांकन करने के पश्चात संशोधित करके 3796.70 मे.वा. कर दिया गया था। 2427.65 मे.वा. की जल विद्युत क्षमता की अधिष्ठापना वस्तुतः आठवीं योजना अवधि के दौरान प्राप्त की गई थी।

(ख) आठवीं योजना के दौरान सुनियोजित जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि में चूक मुख्यतः निम्न समस्याओं के कारण हुई है – पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास, कानून व्यवस्था, निधियों की कमी, ठेकेदार की समस्या, कार्य की धीमी प्रगति, कार्य सौंपने में विलंब, प्राकृतिक अपदाएं, अन्तर्क्षेत्रीय विवाद और कुछ राज्य सरकारों द्वारा कम प्राथमिकता प्रदान करना आदि।

(ग) 29.2.2000 की स्थितिनुसार 29 जल विद्युत परियोजनाओं (5 निजी क्षेत्र में और 24 सार्वजनिक क्षेत्र में, सिवाय उनके जिन्हें निवेश स्वीकृति मिल गई है) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

(घ) और (ङ) वर्ष 1978–87 के दौरान देश में की गए जल विद्युत शक्यता के पुर्नमूल्यांकन में बड़ी/मझौली स्कीमों से 84044 मे.वा. की जल विद्युत शक्यता (60 प्रतिशत भार घटक पर) इंगित की गई है। 1.2.2000 की स्थितिनुसार इस मूल्यांकित शक्यता में से 16.13 प्रतिशत शक्यता वाले जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जा चुका है। 6.25 प्रतिशत निर्माणाधीन हैं और 3.34 प्रतिशत को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसलिए देश की 74.28 प्रतिशत जल विद्युत शक्यता का अभी दोहन किया जाना है। जल विद्युत शक्यता के धीमे विकास के कारण अन्तर्राज्यीय पहलुओं और उत्तर–पूर्वी क्षेत्र की धीमी प्रगति के अतिरिक्त पुनर्स्थापना, अच्छे ठेकेदारों की उपलब्धता, पर्यावरण एवं वन स्वीकृति, कानून एवं व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण, भौगोलिक घटनाएं आदि की समस्याएं रही हैं।

(च) और (छ) योजना आयोग ने नौवीं योजना के दौरान निम्न क्षेत्र से 40245.2 मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम तैयार किया था। क्षेत्रवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

केन्द्रीय क्षेत्र	11909.0 मेगावाट
राज्य क्षेत्र	10747.7 मेगावाट
निजी क्षेत्र	17588.5 मेगावाट

कार्यक्रम का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसमें 6000 मे.वा. की तरल ईंधन क्षमता शामिल नहीं है जिसके लिए अभी राज्यवार परियोजनाओं को अभिज्ञात नहीं किया गया है। जुलाई, 1999 में किये गये मध्यवर्ती मूल्यांकन में 28097.2 मे. वा. व्यवहार्य क्षमता अभिवृद्धि इंगित की गई है।

विवरण

योजना आयोग अनुसार परियोजना वार क्षमता अभिवृद्धि का ब्यौरा

परियोजना का नाम	राज्य	9वीं योजना के दौरान लाभ (मे.वा.)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
राज्य क्षेत्र/निजी क्षेत्र परियोजनाएं		
पानीपत यू-6	हरियाणा	210.0
दादूपुर	हरियाणा	6.0

1	2	3
डब्ल्यू वाई सी-2	हरियाणा	16.0
गास्पा-2	हिमाचल प्रदेश	300.0
घानवी	हिमाचल प्रदेश	22.5
उहल-3	हिमाचल प्रदेश	100.0
धानवाडी सूंडा	हिमाचल प्रदेश	70.0
गुरुनानक भटिंडा	पंजाब	420.0
थीन बांध एसपीपी	पंजाब	600.0
राजघाट (50%)	उत्तर प्रदेश	22.5
सोबला	उत्तर प्रदेश	6.0
टांडा टीपीएस	उत्तर प्रदेश	110.0
कटा पतपार एचई	उत्तर प्रदेश	19.0
सूरतगढ़	राजस्थान	500.0
झाकम	राजस्थान	5.0
अपर सिंध 2	जम्मू और कश्मीर	70.0
अपर सिंध 3	जम्मू और कश्मीर	35.0
सेवा- 3	जम्मू और कश्मीर	6.0
चेनानी	जम्मू और कश्मीर	6.0
पहलगांव	जम्मू और कश्मीर	3.0
केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाएं		
नाथपा झाकरी	हिमाचल प्रदेश	1500.0
दुलहस्ती	जम्मू और कश्मीर	390.0
आरएपीपी विस्तर यू-3 व 4	राजस्थान	440.0
टिहरी चरण-I	उत्तर प्रदेश	1000.0
ऊंचाहार-2	उत्तर प्रदेश	420.0
फरीदाबाद सीसीजीटीए	हरियाणा	260.0
फरीदाबाद सीसीजीटीबी एनटीपीसी	हरियाणा	140.0
औरेया सीसीजीटी-2	उत्तर प्रदेश	257.0
औरेया सीसीजीटी-2	उत्तर प्रदेश	393.0
अन्ता सीसीजीटी-2	राजस्थान	393.0
अन्ता सीसीजीटी-2	राजस्थान	257.0
कुल		7977.0

1	2	3
पश्चिमी क्षेत्र		
राज्य क्षेत्र/निजी क्षेत्र परियोजनाएं		
कडाना- 2 यू-3 व 4	गुजरात	60.0
कच्छ लिग्नाइट यू-3	गुजरात	75.0
सरदार सरोवर (16%)	गुजरात	64.0
सरदार सरोवर (16%)	गुजरात	40.0
गांधी नगर यू -5	गुजरात	210.0
हजीरा सीसीएसटी	गुजरात	185.0
मंगरोल लिग्नाइट	गुजरात	250.0
साबरमती जे. टीपीएस	गुजरात	120.0
वनाकबोरी यू-7	गुजरात	210.0
पाइगुथन सीसीजीटी	गुजरात	413.7
पाइगुथन सीसीएसटी	गुजरात	241.0
बाणसागर-4	मध्य प्रदेश	20.0
बाणसागर टोंस	मध्य प्रदेश	60.0
बाणसागर टोंस	मध्य प्रदेश	30.0
बीरसिंहपुर	मध्य प्रदेश	420.0
राजघाट (50%)	मध्य प्रदेश	22.5
सरदार सरोवर	मध्य प्रदेश	370.5
कोरबा ईस्ट	मध्य प्रदेश	1000.0
महेश्वर	मध्य प्रदेश	80.0
चन्द्रपुर यू-7	महाराष्ट्र	550.0
दूधगंगा	महाराष्ट्र	24.0
कोयना चरण-4	महाराष्ट्र	1000.0
सरदार सरोवर (27%)	महाराष्ट्र	175.5
वारना	महाराष्ट्र	16.0
डाभोल सीसीजीटी-I	महाराष्ट्र	740.0
भद्रावती टीपीएस	महाराष्ट्र	1072.0
घाटघर पीएसएस	महाराष्ट्र	250.0
डाभोल सीसीजीटी–2	महाराष्ट्र	1275.0
केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाएं		
विंध्याचल-2	मध्य प्रदेश	1000.0
कवास सीसीजीटी-2	गुजरात	393.0
कवास सीसीजीटी-2	गुजरात	257.0
जोड़		10574.0

1	2	3
दक्षिणी क्षेत्र		
राज्य क्षेत्र/निजी क्षेत्र परियोजनाएं		
कोठागुडम-4	आंध्र प्रदेश	250.0
सिंगुर जल विद्युत	आंध्र प्रदेश	15.0
श्रीसेलम एलबीपीएच	आंध्र प्रदेश	900.0
विजाग	आंध्र प्रदेश	1040.0
गोदावरी सीसीएसटी	आंध्र प्रदेश	114.3
जेगरूपाडु सीसीएसटी	आंध्र प्रदेश	77.0
भद्रा आरबीसी	कर्नाटक	6.0
काली नदी-2	कर्नाटक	150.0
काली नदी-2	कर्नाटक	120.0
शरावती टी आर	कर्नाटक	240.0
मंगलौर टीपीएस	कर्नाटक	1000.0
रायचूर यू-5 व 6	कर्नाटक	420.0
तोरांगल्लू टीपीएस	कर्नाटक	260.0
वृन्दावन	कर्नाटक	12.0
शरावती एचई	कर्नाटक	90.0
ब्रह्मपुरम डीजी	केरल	100.0
काक्कड़	केरल	50.0
कोझीकोड	केरल	120.0
लोअर पेरियार	केरल	120.0
पोरिंगलकुथू	केरल	16.0
कुटियाडी विस्तार	केरल	50.0
मालनकारा	केरल	7.0
पिप्पारी एचई	केरल	3.0
बेसिन ब्रिज डब्लयू. एच	तमिलनाडु	30.0
कुंडा-5 विस्तार	तमिलनाडु	30.0
लोअर भवानी एलबीसी	तमिलनाडु	8.0
सतनूर बांध	तमिलनाडु	7.5
नार्थ मद्रास-2	तमिलनाडु	1050.0
पीपी नल्लूर सीसीजीटी	तमिलनाडु	220.5
पीपी नल्लूर सीसीएसटी	तमिलनाडु	110.0
एनएलसी 2 विस्तार यू-0	तमिलनाडु	250.0
बेसिन ब्रिज डीजी	तमिलनाडु	200.0
कराईकल सीसीजीटी	पांडिचेरी	7.5
कराईकल सीसीएसटी	पांडिचेरी	15.0
केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाएं		
सिम्हाद्री टीपीएस	आंध्र प्रदेश	1000.0
कैगा	कर्नाटक	440.0
कायमकुलम सीसीजीटी		
एनटीपीसी	केरल	350.0
नैवेली एफएससी, विस्तार	तमिलनाडु	420.0
हैदराबाद सीसीजीटी	आंध्र प्रदेश	393.0
हैदराबाद सीसीजीटी	आंध्र प्रदेश	257.0
कुल		9948.8
पूर्वी क्षेत्र		
राज्य क्षेत्र/निजी क्षेत्र परियोजनाएं		
चांदिल जल विद्युत	बिहार	8.0
पूर्वी गण्डक	बिहार	5.0
उत्तरी कोयल	बिहार	24.0
तेनुघाट विस्तार 3-5	बिहार	630.0
पोत्तेरू	उड़ीसा	6.0
लोअर इन्द्रावती	उड़ीसा	600.0
इब वैली 3 व 4	उड़ीसा	420.0
बालीमेला चरण 2	उड़ीसा	120.0
बारगढ़	उड़ीसा	9.0
रथोंग्चू	सिक्किम	10.0
रोलेप	सिक्किम	9.0
मेजिया टीपीएस	डीवीसी	210.0
मैथान आरबीसी	डीवीसी	500.0
तीस्ता नहर प्रपात	पश्चिम बंगाल	45.0
तीस्ता नहर प्रपात	पश्चिम बंगाल	22.5
बक्रेश्वर 1-3	पश्चिम बंगाल	630.0
बालागढ़ टीपीएस	पश्चिम बंगाल	500.0

1	2	3
बज–बज	पश्चिम बंगाल	500.0
केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाएं		
रंगित	सिक्किम	60.0
तालचेर	उड़ीसा	500.0
कुल		4808.5
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
राज्य क्षेत्र/निजी क्षेत्र परियोजनाएं		
लकवा डब्लयू एच यू-1	असम	22.5
लकवा डब्लयू एच यू-2	असम	25.0
धनश्री एचईपी	असम	20.0
कारबी लांगपी बीरपानी	असम	100.0
नूरांग	अरुणाचल प्रदेश	6.0
उमियम यूएमटी एचई-5	मेघालय	18.0
लिकिमरो	नागालैंड	24.0
सेरलुई बी	मिजोरम	9.0
रोखिया पीएच-2 यू-2	त्रिपुरा	8.0
केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाएं		
रंगानदी	अरुणाचल प्रदेश	405.0
कैथालगुडी बी	असम	90.0
दोयांग	नागालैंड	75.0
अगरतला जीपीपी	त्रिपुरा	84.0
कोपिली विस्तार	असम	25.0
कुल		911.5

[हिन्दी]

राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंज

1718. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विशेषकर जोधपुर जिले में, जिलेवार इस समय कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार 2000–2001 और नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में कुछ नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ अनुमानतः कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) इस समय राजस्थान में 1856 टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं इसमें से 80 टेलीफोन एक्सचेंज जोधपुर जिले में काम कर रहे हैं जिलावार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) यह प्रस्ताव किया गया है कि 2000–2001 के दौरान 100 तथा 2001–2002 में 100 और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाएं।

(घ) दूरसंचार सेवा विभाग से संबंधित वर्ष 2000–2001 की अनुदान मांग अभी तक संसद द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है। राज्य वर निधियों का आबंटन केवल संसद द्वारा दूरसंचार सेवा विभाग की अनुदान मांग को अनुमोदन मिलने के बाद किया जाएगा।

विवरण

31.1.2000 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	एक्सचेंजों की संख्या
1	2	3
1.	अजमेर	80
2.	अलवर	99
3.	भरतपुर	45
4.	धौलपुर	13
5.	बाड़मेर	58
6.	जैसलमेर	20
7.	भीलवाड़ा	65
8.	बीकानेर	57
9.	बूंदी	36
10.	कोटा	41
11.	चित्तौड़गढ़	54
12.	चुरू	71
13.	जयपुर	146
14.	दौसा	40
15.	झालावाड़	32
16.	जोधपुर	80

1	2	3
17.	नागौर	89
18.	सिरोही	57
19.	जालौर	46
20.	पाली	124
21.	सवाईमाधोपुर	31
22.	करौली	24
23.	सीकर	81
24.	श्रीगंगानगर	94
25.	हनुमानगढ़	50
26.	टोंक	43
27.	उदयपुर	78
28.	बांसवाड़ा	33
29.	डूंगरपुर	32
30.	राजसमंद	48
31.	झुंझुनू	68
32.	बैरन	21

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में दूरसंचार की सुविधाएं

1719. वैद्य विष्णु दत्त शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में इस समय कार्यरत आईएसडी/एसटीडी/पीसीओ बूथों की संख्या कितनी है;

(ख) राज्य में उक्त बूथों को लगाने के लिए जिलावार कितने आवेदन लंबित पड़े हुए हैं;

(ग) इसके कारण क्या हैं और राज्य में विशेषतः जम्मू जिले में इन आवेदनों को कब तक प्रक्रिया में लाए जाने और इनकी मंजूरी दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार राज्य में दूरसंचार की सुविधाओं में सुधार लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सचिन पिलगांवकर) : (क) इस समय जम्मू और कश्मीर में 2062 पी सी ओ कार्यरत हैं।

(ख) इस समय पी सी ओ बूथों के आबंटन के लिए 7041 आवेदन लम्बित हैं। अलग-अलग दूरसंचार जिलावार सूचना इस प्रकार है :-

दूरसंचार जिले का नाम	लम्बित आवेदन
जम्मू	5488
राजौरी	452
लेह	92
श्रीनगर	748
उधमपुर	621

(ग) आवेदन, विभिन्न निम्नलिखित कारणों से लम्बित हैं जैसे कि एक्सचेंजों में अतिरिक्त क्षमता की कमी, क्षेत्र की अव्यहार्यता, विश्वसनीय माध्यम की अनुपलब्धता, कोर्ट मामले इत्यादि। जम्मू सहित सभी दूरसंचार जिलों में उत्तरोत्तर रूप से लम्बित आवेदनों का निपटान किया जाना है बशर्ते कि वे तकनीकी रूप से व्यवहार्य हों तथा आवेदनकर्ता अन्य शर्तें पूरी करता हो।

(घ) जी, हां।

(ङ) दूरसंचार सुविधाओं को सुधारने के लिए सारे राज्य में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रदान किए गए हैं। ऑप्टीकल फाइबर केबलों पर विश्वसनीय माध्यम तथा विद्युत संकट से निपटने के लिए एक्सचेंजों में इंजिन आल्टनेटर्स प्रदान किए गए हैं।

टेलीफोन डायरेक्टरी

1720. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठेके संबंधी असफलता के कारण गत तीन वर्षों के दौरान किन राज्यों में टेलीफोन डायरेक्टरी समय पर नहीं छपाई जा सकी;

(ख) क्या सरकार ने टेलीफोन डायरेक्टरी की समय पर छपाई सुनिश्चित करने के लिए छपाई संबंधी नीति की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली में सरकार द्वारा छपाई गई टेलीफोन डायरेक्टरी बिल्कुल पढ़े जाने योग्य नहीं है और टेलीफोन नम्बर ढूंढने या व्यक्ति का नाम पढ़ने में काफी कठिनाई होती है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्पष्ट और पढ़े जाने लायक टेलीफोन डायरेक्टरियां छपाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) विभाग की वर्तमान नीति के अनुसार हर दूसरे वर्ष में प्रत्येक दूरसंचार जिले के लिए एक टेलीफोन डायरेक्टरी और बीच में आने वाले वर्ष में एक सप्लीमैन्ट्री डायरेक्टरी का मुद्रण करना है। बहुत से राज्यों में, एक से अधिक दूरसंचार जिले हैं। जबकि प्रत्येक राज्य के कुछ दूरसंचार जिलों में, टेलीफोन डायरेक्टरियों का मुद्रण समय पर पूरा कर लिया गया था, कुछ स्थानों पर इसमें विभिन्न कारणों से विलम्ब हो गया जैसे कि क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण संविदा, करारों का उपलब्ध न होना, कान्ट्रेक्टुअल असफलता आदि के कारण मुकदमेबाजी।

(ख) जी, हां। पहले टेलीफोन डायरेक्टरियां सकारात्मक रॉयल्टी आधार पर मुद्रित की गई थीं। जब कभी भी इन्हें सकारात्मक रॉयल्टी पर मुद्रित नहीं किया जा सका था तो ऐसे मामले सर्किलों द्वारा दूरसंचार विभाग के मुख्यालय को, शर्तों में छूट देने के लिए भेजे गए थे। इस प्रक्रिया से डायरेक्टरियां छापने में कुछ विलम्ब हो गया। हाल ही में, टेलीफोन डायरेक्टरी की मुद्रण नीति की पुनरीक्षा की गई है और नकारात्मक रायल्टी पर अथवा कोस्ट शेयरिंग आधार पर डायरेक्टरियां छापने का निर्णय लिया गया है। दूरसंचार सर्किलों के मुख्य महाप्रबंधकों को समय पर डायरेक्टरियां छापने के लिए लगभग पूरे अधिकार सौंप दिए गए हैं। इस पुनरीक्षा में, यह संशोधन किया गया है कि प्रत्येक वर्ष पूरी डायरेक्टरी उपलब्ध कराने के पूर्व प्रबंध के स्थान पर हर दूसरे वर्ष पूरी डायरेक्टरी छापी जाए और बीच में आने वाले वर्ष में सप्लीमेंटरी छापी जाए। इससे डायरेक्टरियों को समय पर छापने में भी सहायता मिलेगी।

(ग) इस विषय पर दूरसंचार मार्गदर्शनों के अनुसार, 6 प्वाइंट प्रिंटिंग के साथ दिल्ली यूनिट में टेलीफोन डायरेक्टरियां छापी गई थीं। किन्तु अपठनीयता के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं।

(घ) शिकायत दूर करने के लिए 8 प्वाइंट प्रिंटिंग और संशोधित पेपर क्वालिटी का उपयोग करते हुए नई डायरेक्टरी निकालने का प्रस्ताव है।

पुराने टेलीफोन उपकरणों का लगाया जाना

1721. श्री अनन्त नायक : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य और महानगरों में भी बहुत सारे पुराने टेलीफोन उपकरण लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पुराने टेलीफोन उपकरणों को बदलने का है;

(ग) यदि हां, तो सभी पुराने उपकरणों के स्थान पर नए उपकरण कब तक लगाए जाने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (घ) नए टेलीफोन कनैक्शन प्रदान करने के लिए अधिकांशतः पुश–बटन डायल वाले नए टेलीफोन उपकरण दिए जाते हैं। तथापि, रोटरी डायल वाले पुरानी किस्म के टेलीफोन उपकरण मौजूद हैं, इनकी "मिशन बेहतर संचार स्कीम" के अंतर्गत नए पुश बटन टेलीफोन उपकरणों से बदला जा रहा है। इस प्रकार के सभी पुराने टेलीफोन उपकरणों को नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक बदलने का प्रस्ताव है।

विद्युत उत्पादन

1722. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में जल विद्युत और ताप विद्युत क्षेत्र में अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में कुल कितना विद्युत उत्पादन हुआ;

(ख) औद्योगिक, कृषि और घरेलू क्षेत्रों में विद्युत की मांग तथा उपभोग का तुलनात्मक अनुपात क्या है;

(ग) विद्युत उत्पादन लागत में तुलनात्मक वृद्धि कितनी हुई है तथा इसके परिणामस्वरूप देश में विद्युत शुल्क दर में कितनी वृद्धि हुई;

(घ) नौवीं योजना अवधि हेतु ताप विद्युत और जल विद्युत उत्पादन के क्या अनुमानित योजनागत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ङ) औद्योगिक, कृषि और घरेलू क्षेत्रों में विद्युत उपलब्धता का तुलनात्मक अनुपात क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) 8वीं पंचवर्षीय योजना, अर्थात् 1996–97 के अंत तक देश में जल विद्युत एवं ताप विद्युत क्षेत्रों की अधिष्ठापित क्षमता एवं उर्जा उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है :

अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.) 31.3.1997 के अनुसार		ऊर्जा उत्पादन (मि.यू.) 1996–97	
जल विद्युत	ताप विद्युत	जल विद्युत	ताप विद्युत
21658.08	61010.28	68900.80	317041.87

(ख) 15वीं विद्युत सर्वेक्षण कमेटी की रिपोर्ट में वास्तविक खपत (प्रतिबंधित) के अनुसार औद्योगिक, कृषि एवं घरेलू क्षेत्रों में क्रमशः 82 प्रतिशत, 99 प्रतिशत एवं 87 प्रतिशत रहा।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण–I, II क, ख, ग और III में दिया गया है।

(घ) मध्यावधि समीक्षा के अनुसार 9वीं योजना में व्यवहार्य क्षमता अभिवृद्धि 28097.2 मेगावाट है जिसमें जल विद्युत से 8399.2 मे.वा. ताप विद्युत से 18818 तथा न्यूक्लीय से 880 मे.वा. शामिल है।

(ङ) वर्ष 1995–96, 1996–97 एवं 1997–98 के दौरान औद्योगिक, कृषि एवं घरेलू क्षेत्रों में उपलब्ध वास्तविक बिजली के तुलनात्मक अनुपात का ब्यौरा संलग्न विवरण–IV में दिया गया है।

विवरण-I

1996–97, 1997–98 के दौरान विभिन्न रा. वि. बोर्डों की विद्युत उत्पादन की औसत लागत (ताप/जल विद्युत)

क्र.सं.	रा.वि.बो. का नाम	उत्पादन की लागत			
		औसत ताप विद्युत (पैसे/कि.वा.घं)		औसत जल विद्युत (पैसे/कि.वा.घं)	
		1996-97	1997-98	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6
1.	एपीएसईबी	113.48	117.71	18.11	19.92
2.	एमएसईबी	113.61	124.10	27.24	31.95
3.	हरियाणा विद्युत पा.नि.	198.89	212.56	23.17	28.34
4.	जीईबी	144.32	162.02	32.98	22.69
5.	एमपीईबी	111.29	122.59	72.60	75.64
6.	टीएनईबी	155.79	175.60	19.57	22.84
7.	यूपीएसईबी	134.36	160.14	24.84	36.89
8.	डब्ल्यूबीएसईबी	119.92	135.10	92.89	151.23
9.	पीएसईबी	152.52	164.11	24.45	32.30
10.	आरएसईबी	162.83	169.60	27.80	27.73
11.	एचपीएसईबी	–	–	28.60	31.19
12.	मेघालय एसईबी	–	–	102.49	80.84
13.	कर्नाटक एसईबी	238.50	259.12	–	–

* कर्नाटक रा.वि.बो. के पास डीजी सेट्स है।
** ताप और गैस की औसत लागत।

विवरण-II क

1.4.1997 की स्थितिनुसार विद्युत की अनुमानित औसत दर (पैसे/माह) दर्शाने वाला विवरण

क्रसं.	राज्य/यूटिलिटी का नाम	निम्न तिथि से प्रभावी टैरिफ	घरेलू			वाणिज्यिक		
			2 कि.वा (100 के. डब्लयू. एच)	5 कि.वा (400 के. डब्लयू. एच)	10 कि.वा (1000 के. डब्लयू. एच)	5 कि.वा (200 के. डब्लयू. एच)	10 कि.वा (1000 के. डब्लयू. एच)	20 कि.वा (2000 के. डब्लयू. एच)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1.8.1996	136.00	248.50	272.00	386.00	382.00	381.50
2.	असम	8.9.1994	105.00	230.00	230.00	315.40	363.90	363.90
3.	बिहार	1.7.1993	139.00 U	150.75	161.10	451.00	287.80	289.90
			46.00 R	–				–
4.	गुजरात	22.10.1996	181.25	302.72 U	335.53 U	398.14	412.99	414.84
			165.69	272.27 R	300.91 R			–
5.	हरियाणा	1.7.1996	240.00	262.00	267.00	345.00	345.00	345.00
6.	हिमाचल प्रदेश	10.2.1997	61.00	71.00	74.00	195.00	235.5	245.25
7.	जम्मू और कश्मीर	1.4.1988	54.9	54.9	54.9	91.5	91.5	91.5
8.	कर्नाटक	1.7.1996	121.25	203.75	296.5	478.75	471.25	473.13
9.	केरल	1.2.1997	110.00	286.00	286.00	480.7	443.3	443.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	मध्य प्रदेश	1.7.1996	92.2	179.35	208.87	363.76	419.68	425.37
11.	महाराष्ट्र	1.7.1996	133.5	260.00	342.5	412.9	481.10	418.1
12.	मेघालय	1.9.1996	85.00	103.75	107.5	176.00	184.00	185.00
13.	उड़ीसा (ग्रिडको)	1.4.1997	111.25	180.31	201.13	295.00	325.00	325.00
14.	पंजाब	11.7.1996	135.25	168.06	194.63	269.00	269.00	269.00
15.	राजस्थान	1.10.1996	132.5	158.88	168.55	273.5	295.5	298.25
16.	तमिलनाडु	15.2.1997	100.00	177.5	221.00			
	चैन्नई मैट्रो क्षेत्र					378.00	394.8	396.9
	गैर–मेट्रो क्षेत्र					367.5	384.3	386.4
17.	उत्तर प्रदेश	3.1.1997	145.00 U	190.25	198.50	378.27	378.27	378.27
			42.00 R					
18.	पश्चिम बंगाल	19.11.1996	147.68 U	277.33 U	340.85 U	302.04 U	405.38 U	405.38
			143.01 R	270.22 R	330.10 R	296.21 R	399.75 R	399.75
19.	अरुणाचल प्रदेश	1.3.1993	95.00	135.00	135.00	210.00	235.00	235.00
20.	गोवा	1.3.1997	85.00	112.5	144.00	216.25	262.25	273.63
21.	मणिपुर	30.10.1992	87.2	177.2	162.2	252.2	162.2	162.2
22.	मिजोरम	1.3.1992	85.00	90.00	93.00	100.00	116.00	118.00
23.	नागालैंड	1.12.1995	200.00	275.00	275.00	300.00	350.00	350.00
24.	सिक्किम	1.4.1995	80.00	110.00	116.00	155.00	163.00	164.00
25.	त्रिपुरा	1.6.1992	100.00	100.00	100.00	140.00	140.00	140.00
26.	अंडमान निकोबार	1.12.1995	85.00	158.75	183.5	200.00	250.00	290.00
27.	चंडीगढ़	1.11.1996	112.5	154.88	180.85	246.00	246.00	246.00
28.	दादरा नगर हवेली	1.2.1987	72.5	85.63	88.25	122.00	124.4	124.7
29.	दमन एवं दीव	1.10.1994	87.5	106.88	152.75	125.00	165.00	182.5
30.	दिल्ली							
	डीवीबी	1.4.1997	105.00	203.44	270.38	535.09	325.09	325.09
	एनडीएमसी	1.4.1997	105.00	203.75	270.5	510.59	325.59	430.59
31.	लक्षद्वीप	1.4.1997	150.00	200.00	200.00	250.00	250.00	250.00
32.	पांडिचेरी	1.4.1997	55.00	77.50	97.00	189.80	239.72	247.26
33.	ए.ई. कम्पनी	18.12.1996	234.08	305.48	342.24	443.66	499.37	503.81
34.	सीईएससी	20.11.1996	145.68	279.36	338.85	300.04	403.38	403.38
35.	डीवीसी	1.1.1996						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(a) बिहार क्षेत्र							
	(b) पश्चिम बंगाल क्षेत्र							
36.	डीपीएल	10.2.1995	92.43	255.1	255.1	239.9	311.5	311.5
37.	मुम्बई							
	बेस्ट	1.8.1994	82.5	236.27	330.83	487.38	591.88	627.63
	बीएसईएस	1.3.1997	151.8	416.8	425.8	572.6	604.17	615.34
	टाटा	1.11.1996	–	369.41	369.41	382.61	369.41	369.41

ए. ई. कम्पनी = अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी।
सीईएससी = कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कार्पोरेशन।
डीपीएल = दुर्गापुर प्रोजेक्टस लि.।
यू = शहरी।
आर = ग्रामीण।
एन = गैर सतत् प्रक्रिया वाले उद्योग।
पी = सतत् प्रक्रिया वाले उद्योग।

विवरण-II ख

1.4.1997 की स्थितिनुसार विद्युत की अनुमानित औसत दर (पैसे/माह) दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/यूटिलिटी का नाम	निम्न तिथि से प्रभावी टैरिफ	कृषि		उद्योग	
			5 एचपी, 15% एलएफ (408 केडब्ल्यूएच)	10एचपी, 20% एलएफ (1089 केडब्ल्यूएच)	स्माल 10एचपी, 25%एलएफ 11361 केडब्ल्यूएच	मीडियम 50 केडब्ल्यूएच, 40% एलएफ 14600 केडब्ल्यूएच
1	2	3	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	1.8.1996	27.98	20.05	308.52	333.63
2.	असम	8.9.1994	90.00	150.00	178.60 U 81.60 R	227.10
3.	बिहार	1.7.1993	40.15	31.09	157.09	140.54
4.	गुजरात	22.10.1996	51.06	61.22	233.87	262.44
5.	हरियाणा	1.7.1996	55.15	50.00	345.00	345.00
6.	हिमाचल प्रदेश	10.2.1997	65.00	65.00	140.00	185.00
7.	जम्मू और कश्मीर	1.4.1988	12.2	12.2	48.8	48.8
8.	कर्नाटक	1.7.1996	10.21	7.65	206.02	221.48
9.	केरल	1.2.1997	60.39	59.04	161.44	156.04
10.	मध्य प्रदेश	1.7.1996	61.27	45.91	186.4	315.57
11.	महाराष्ट्र	1.7.1996	40.85	38.26	219.3	418.12

1	2	3	10	11	12	13
12.	मेघालय	1.9.1996	56.00	56.00	149.49	168.43
13.	उड़ीसा (ग्रिडको)	1.4.1997	85.00	85.00	215.00	285.00
14.	पंजाब	11.7.1996	53.68	52.75	195.00	210.00
15.	राजस्थान	1.10.1996	47.31	41.46	240.00	280.00
16.	तमिलनाडु	15.2.1997	25.53	19.13	221.52	
	चैन्नई मैट्रो क्षेत्र					344.02
	गैर मैट्रो क्षेत्र					333.52
17.	उत्तर प्रदेश	3.1.1997	52.7	38.11	333.84	343.63 N
						361.22 P
18.	पश्चिम बंगाल	19.11.1996	41.67	85.00	296.09 U	354.14
					282.80 R	
19.	अरुणाचल प्रदेश	1.3.1993	–	–	185.00	195.00
20.	गोवा	1.3.1997	50.00	50.00	150.00	192.33
21.	मणिपुर	30.10.1992	72.2	72.2	91.18	100.14
22.	मिजोरम	1.3.1992	45.00	45.00	95.00	95.00
23.	नागालैंड	1.12.1995	150.00	150.00	250.00	275.00
24.	सिक्किम	1.4.1995	120.00	122.04	126.63	186.44
25.	त्रिपुरा	1.6.1992	50.00	60.00	100.00	140.00
26.	अंडमान निकोबार	1.12.1995	50.00	50.00	180.00	180.00
27.	चंडीगढ़	1.11.1996	39.18	38.25	176.00	196.00
28.	दादरा नगर हवेली	1.2.1987	50.00	50.00	170.10	170.36
29.	दमन और दीव	1.10.1994	50.00	50.00	120.00	151.89
30.	दिल्ली					
	डीवीबी	1.4.1997	52.50	52.50	325.09	325.09
	एनडीएमसी	1.4.1997	–	–	325.59	325.59
31.	लक्षद्वीप	1.4.1997	–	–	150.00	150.00
32.	पांडिचेरी	1.4.1997	11.74	7.27	143.92	149.97
33.	ए. ई. कम्पनी	18.12.1996	233.79	233.23	282.00	300.41
34.	सीईएससी	20.11.1996	–	–	294.09	342.08
35.	डीवीसी	1.1.1996				
	(a) बिहार क्षेत्र		–	–	–	–
	(b) पश्चिम बंगाल क्षेत्र		–	–	–	–
36.	डीपीएल	10.2.1995	120.00	199.00	223.93	273.38

1	2	3	10	11	12	13
37.	मुंबई					
	बेस्ट	1.8.1994	–	–	472.59	502.32
	बीएसईएस	1.3.1997	50.00	50.00	543.41	505.23
	टाटा	1.11.1996	–	–	355.34	346.94

ए. ई. कम्पनी = अहमदाबाद इलेक्ट्रीसिटी कंपनी।
डीवीसी = दामोदर वैली कार्पोरेशन।
डीपीएल = दुर्गापुर प्रोजेक्टस लि.।
यू = शहरी।
आर = ग्रामीण।
एन = गैर सतत् प्रक्रिया वाले उद्योग।
पी = सतत् प्रक्रिया वाले उद्योग।

विवरण-II ग

1.4.1997 की स्थितिनुसार विद्युत की अनुमानित औसत दर (पैसे/माह) दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/यूटिलिटी का नाम	निम्न तिथि से प्रभावी टैरिफ	उद्योग			रेलवे कर्षण
			से बड़ा 1000 केडब्ल्यू, 65% एलएफ 474500 केडब्ल्यूएफ	से भारी 10000 केडब्ल्यू, 60% एलएफ 4380000 केडब्ल्यूएफ	से भारी 15000 केडब्ल्यू, 50% एलएफ 5475000 केडब्ल्यूएफ	12500 केडब्ल्यू, 30% एलएफ 2737500 केडब्ल्यूएफ
1	2	3	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	1.8.1996	355.99	410.28	419.14	364.99 at 132/220 के.वी.
2.	असम	8.9.1994	214.18	227.87	232.29	–
3.	बिहार	1.7.1993	211.99	214.58	202.07	275.21 at 25 के.वी.
4.	गुजरात	22.10.1996	349.23	380.48	–	395.53
5.	हरियाणा	1.7.1996	345.00	345.00	336.00	367.23 66 के.वी.
6.	हिमाचल प्रदेश	10.2.1997	210.00	210.00	207.08	–
7.	जम्मू और कश्मीर	1.4.1988	48.80	48.80	–	–
8.	कर्नाटक	1.7.1996	370.37	388.09	394.44	293.72 at 11 के.वी.
9.	केरल	1.2.1997	167.48	170.22	–	–
10.	मध्य प्रदेश	1.7.1996	371.31	374.08	365.17	421.63 at 132/220 के.वी.
11.	महाराष्ट्र	1.7.1996	384.61	388.29	–	361.00
12.	मेघालय	1.9.1996	156.07	157.83	–	–
13.	उड़ीसा (ग्रिडको)	1.4.1997	334.57	354.09	358.04	384.25 at 25 के.वी.
14.	पंजाब	11.7.1996	233.00	233.00	226.58	275.00
15.	राजस्थान	1.10.1996	301.00	301.00	297.92	291.00

1	2	3	14	15	16	17
16.	तमिलनाडु	15.2.1997				
	चैन्नई मैट्रो क्षेत्र		337.04	350.26	346.80	357.15
	गैर–मैट्रो क्षेत्र		326.54	339.76	336.30	347.15
17.	उत्तर प्रदेश	3.1.1997	369.26 N	371.85 N	364.55 N	451.75 at 25 के.वी.
			395.46 P	398.56 P	391.20 P	–
18.	पश्चिम बंगाल	19.11.1996	333.31	333.95	326.11	347.15 at 25 के.वी.
19.	अरुणाचल प्रदेश	1.3.1993	250.00	250.00	–	–
20.	गोवा	1.3.1997	228.69	237.03	241.76	–
21.	मणिपुर	30.10.1992	78.64	79.62	82.16	–
22.	मिजोरम	1.3.1992	105.00	105.00	105.00	–
23.	नागालैंड	1.12.1995	275.00	275.00	–	–
24.	सिक्किम	1.4.1995	113.85	115.42	–	–
25.	त्रिपुरा	1.6.1992	–	–	–	–
26.	अंडमान निकोबार	1.12.1995	–	–	–	–
27.	चंडीगढ़	1.11.1996	225.00	225.00	218.58	–
28.	दादरा नगर हवेली	1.2.1987	180.86	181.85	–	–
29.	दमन और दीव	1.10.1994	160.29	163.20	–	–
30.	दिल्ली					
	डीवीबी	1.4.1997	364.14	367.39	366.71	392.91
	एनडीएमसी	1.4.1997	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	1.4.1997	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	1.4.1997	186.37	193.92	–	–
33.	ए. ई. कम्पनी	18.12.1996	334.15	336.82	–	–
34.	सीईएससी	20.11.1996	350.75	352.64	346.56	353.66
35.	डीवीसी	1.1.1996				
	(a) बिहार क्षेत्र		207.92	212.89	216.26	251.47 at 132 के.वी.
	(b) पश्चिम बंगाल क्षेत्र		219.61	224.95	228.57	251.47 at 132 के.वी.
36.	डीपीएल	10.2.1995	262.40	264.62	–	–
37.	मुंबई					
	बेस्ट	1.8.1994	309.48	312.15	–	–
	बीएसईएस	1.3.1997	389.03	380.87	–	–
	टाटा	1.11.1996	308.60	312.24	321.73	345.44 6.6 के.वी. to 33के.वी.

ए. ई. कम्पनी = अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी।
सीईएससी = कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कार्पोरेशन।
डीपीएल = दुर्गापुर प्रोजेक्टस लि.।
यू = शहरी। आर = ग्रामीण।
एन = गैर सतत् प्रक्रिया वाले उद्योग।
पी = सतत् प्रक्रिया वाले उद्योग।

विवरण-III

1.4.1998 की स्थितिनुसार विद्युत की अनुमानित औसत दर (पैसे/माह) दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/यूटिलिटी का नाम	निम्न तिथि से प्रभावी टैरिफ	उद्योग			रेलवे कर्षण
			से बड़ी 1000 कि.वा., 65% एलएफ 474500 कि.वा.घं	से भारी 10000 कि.वा., 60% एलएफ 4380000 कि.वा.घं	से भारी 15000 कि.वा., 50% एलएफ 5475000 कि.वा.घं	12500 कि.वा., 30% एलएफ 2737500 कि.वा.घं
1	2	3	14	15	16	17
1.	आंध्र प्रदेश	1.8.1996	369.02	423.31	431.17	378.02 at 132/220 के.वी.
2.	असम	8.9.1994	214.18	227.87	232.19	–
3.	बिहार - यू आर	1.7.1993	211.99	214.58	221.97	275.21 at 25 के.वी.
4.	गुजरात - यू आर	22.10.1996	382.98	414.23	–	429.28
5.	हरियाणा	15.10.1997	351.00	351.00	341.00	414.23 at 66 के.वी. से ऊपर
6.	हिमाचल प्रदेश	10.2.1997	210.00	210.00	207.08	–
7.	जम्मू और कश्मीर	24.11.1987	71.98	71.98	–	–
8.	कर्नाटक	1.7.1997	397.48	417.43	425.74	330.70
9.	केरल	1.2.1998	182.97	186.00	–	–
10.	मध्य प्रदेश	1.7.1996	371.31	374.08	365.27	421.63
11.	महाराष्ट्र	1.7.1996	390.61	394.29	–	367.00
12.	मेघालय	1.9.1996	156.07	157.83	–	–
13.	उड़ीसा (ग्रिडको)	1.4.1997	334.57	354.09	358.14	384.25 at 25 के.वी.
14.	पंजाब	11.7.1996	248.00	248.00	241.56	290.00
15.	राजस्थान	1.06.1997	330.00	330.00	328.31	320.00
16.	तमिलनाडु	15.2.1997				
	चैन्नई मैट्रो क्षेत्र		337.04	350.26	348.80	357.15 at 25 के.वी.
	गैर मैट्रो क्षेत्रे		326.54	339.76	336.33	347.15
17.	उत्तर प्रदेश	3.1.1997 U R	415.72 N 441.92 P	418.31 N 445.02 P	418.31 N 437.88 P	498.21
18.	पश्चिम बंगाल यू आर	19.11.1996	333.31	333.95	328.11	347.15
19.	अरुणाचल प्रदेश	1.3.1993	250.00	250.00	–	–

1	2	3	14	15	16	17
20.	गोवा	1.3.1997	297.79	308.52	314.64	–
21.	मणिपुर	30.10.1992	78.64	79.62	82.16	–
22.	मिजोरम	1.3.1992	105.00	105.00	105.00	–
23.	नागालैंड	1.12.1995	275.00	275.00	–	–
24.	सिक्किम	1.12.1997	132.85	134.42	–	–
25.	त्रिपुरा	1.6.1992	–	–	–	–
26.	अंडमान निकोबार	1.4.1998	–	–	–	–
27.	चंडीगढ़	20.11.1997	301.00	301.00	292.31	–
28.	दादरा नगर हवेली	1.2.1987	180.86	191.85	–	–
29.	दमन और दीव	1.4.1998	234.15	236.06	–	–
30.	दिल्ली					
	डीवीबी	1.4.1997	384.20	387.53	384.55	413.05
	एनडीएमसी	1.4.1997	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	1.4.1997	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	1.4.1997	186.37	193.92	–	–
33.	ए. ई. कम्पनी	26.2.1998	370.54	373.87	–	–
34.	सीईएससी	20.11.1996	350.75	352.64	348.56	353.66
35.	डीवीसी	1.5.1997				
	(a) बिहार क्षेत्र		237.72	244.00	248.79	294.42 at 132 के.वी.
	(b) पश्चिम बंगाल क्षेत्र		252.22	259.00	264.56	294.42 at 132 के.वी.
36.	डीपीएल	10.2.1995	262.40	264.62	–	–
37.	मुंबई					
	बेस्ट	15.7.1997	319.99	323.60	–	–
	बीएसईएस	1.3.1997	364.03	355.87	–	–
	टाटा	1.11.1996	308.60	312.24	321.73	345.44 6.6 के.वी. to33 के.वी.

ए. ई. कम्पनी = अहमदाबाद इलेक्ट्रिसिटी कंपनी।
सीईएससी = कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कार्पोरेशन।
डीपीएल = दुर्गापुर प्रोजेक्टस लि.।
यू = शहरी।
आर = ग्रामीण।
एन = गैर सतत् प्रक्रिया वाले उद्योग।
पी = सतत् प्रक्रिया वाले उद्योग।

विवरण-IV

1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान क्षेत्रवार अखिल भारत ऊर्जा उपभोग (केवल यूटिलिटी)

	1995-96		1996-97		1997-98*	
	ऊर्जा उपभोग (जीडब्ल्यूएच)	कुल प्रतिशत	ऊर्जा उपभोग (जीडब्ल्यूएच)	कुल प्रतिशत	ऊर्जा उपभोग (जीडब्ल्यूएच)	कुल प्रतिशत
क. घरेलू	51733.25	21.36	55266.54	22.70	61697.71	23.82
ख. औद्योगिक विद्युत	104693.13	43.23	104164.65	42.79	106003.98	40.93
ग. कृषि	85732.15	35.41	84018.95	34.51	91276.93	35.25
कुल (क+ख+ग)	242158.53	100.00	243450.14	100.00	258978.62	100.00

* अनंतिम

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की इकाईयों की बिक्री

1723. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 नवम्बर, 1999 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "मूव टू सेल आफ पावर प्लांटस विल ब्रिंग इन मच नीडेड इनवेस्टमेंट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं; और

(ग) ऐसी इकाईयों की बिक्री हेतु अपनाई गई प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयंवती मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए, सरकार योजना में प्रदान किए जाने वाली निधियों की पूर्ति करने हेतु संसाधन जुटाने तथा विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की शक्ति को एकत्रित करने हेतु विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। विभिन्न सीपीएसयू की वित्तीय और तकनीकी शक्तियों को एकत्रित करने हेतु विभिन्न विकल्पों को सुझाने के लिए जिसमें उनकी पुनर्संरचना भी शामिल है, मैसर्स स्टेट बैंक आफ इंडिया कैपिटल मार्किट्स और मैसर्स आईसीआईसीआई को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि वे विद्युत स्कीमों को बृहत तौर पर आरंभ करने के योग्य हो सकें। विभिन्न सीपीएसयू की वित्तीय शक्ति को एकत्रित करने की रूपात्मकता के बारे में निर्णय परामर्शदाता की सिफारिशों का विश्लेषण किए जाने तथा संबंधित मंत्रालयों और योजना आयोग के विचारों पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् लिया जाएगा। परामर्शदाताओं द्वारा अभी सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) की विद्युत परियोजनाओं का प्लांट लोड

1724. श्री अधीर चौधरी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं का प्लांट लोड फैक्टर क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान ऐसे संयंत्रों की कार्य कुशलता में कोई सुधार किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का संयंत्रवार बिजली की प्रति यूनिट औसत लागत क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (घ) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (एनटीपीसी) के अधीन कोयले पर आधारित विद्युत केन्द्र पिछले तीन वर्षों के दौरान 75 प्रतिशत से अधिक उच्च औसत संयंत्र भार अनुपात पर कार्य कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय अनुपात से काफी अधिक है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों में देखा जा सकता है :

वर्ष	एनटीपीसी पीएलएफ (%)	अखिल भारत पीएलएफ (%)
1998–99	76.6	64.6
1997–98	75.2	64.7
1996–97	77.0	64.4

समी विद्युत केन्द्र उच्च कार्यक्षमता से उत्पादन कर रहे हैं जबकि पूर्वी केन्द्रों में निम्न क्षेत्रीय मांग के कारण क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों/भार प्रेषण केन्द्र द्वारा कम विद्युत उत्पादन किया गया है। यहां विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कम उत्पादन वाले राज्यों को अंतःक्षेत्रीय पारेषण लिंकों की उपलब्धता से एनटीपीसी विद्युत का निर्यात कर इसकी वर्तमान उत्पादन क्षमता लगभग 1000 मे.वा. कर दी गई है। निर्यात को पुनः बढ़ाने हेतु प्रयास जारी है। गैस केन्द्रों को गैस की उपलब्धता के अनुसार चलाया जाता है।

पूर्वी क्षेत्र में संयंत्र भार अनुपात एवं एनटीपीसी संयंत्रों की प्रति यूनिट को उपलब्ध कराई गई ऊर्जा का संयंत्र–वार औसत लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी केन्द्रों की पीएलएफ/औसत लागत

केन्द्र	1999-जन. 2000 (%)	1998-99 (%)	1997-98 (%)	1996-97 (%)	पैसे/प्रति कि.वा.घं अंतरित की गई औसत लागत 1998-99
पूर्वी क्षेत्र					
फरक्का एसटीपीएस (1600 मे.वा.) पश्चिम बंगाल	45.70	39.10	43.10	46.10	284.23
कहलगांव एसटीपीएस (840 मे.वा.) बिहार	55.90	54.20	46.50	48.20	206.42
तालचेर एसटीपीएस (कनिहा) (1000मे.वा) उड़ीसा	58.40	52.40	49.70	37.10	198.12
तालचेर टीपीएस (460 मे.वा.) उड़ीसा	58.70	55.80	52.00	38.40	133.97

पाद टिप्पणी :
एसटीपीएस : सुपर थर्मल पावर परियोजना।
पीएलएफ : प्लांट लोड फैक्टर।

राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण

1725. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार वर्ष 2001–2002 के दौरान राज्य विद्युत बोर्डों को संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से ऋण देने का है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के वित्त पोषण हेतु नई व्यवस्था का विकल्प चुनने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परिवर्तन से चालू योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री तथा खान और खनिज मंत्री (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्षेत्रीय चयन बोर्डों के कार्य निष्पादन

1726. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों के डीलरों के चयन हेतु क्षेत्रीय चयन बोर्डों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उनके कार्यकरण विशेषकर डीलरों के चयन में रिपोर्ट किए गए भ्रष्टाचार में पाई गई कमियों का ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम उत्पादों के लिए एजेंटों के निष्पक्ष और उचित चयन को सुनिश्चित करने के लिए की गई नई पहलों अथवा जारी दिशा–निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में चालू वर्ष और 2000–2001 के लिए पेट्रोलियम उत्पादों हेतु विपणन योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) से (ग) डीलर चयन बोर्डों की कार्य प्रणाली के विरुद्ध समय–समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं तथा विभिन्न न्यायालयों में चयन के विरुद्ध न्यायालय मामले दाखिल किए गए हैं। तेल चयन बोर्डों/डीलर चयन बोर्डों की कार्यप्रणाली की समय–समय पर समीक्षा की जाती है। तदनुसार पिछली बार गठित डीलर चयन बोर्डों को हाल में भंग कर दिया गया है। चुनाव उचित तथा पक्षपातरहित तरीके से सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 1.4.1997 को विस्तृत डीलर चयन दिशानिर्देश निर्धारित किया है।

(घ) 1996-98 की विपणन योजना में 927 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों तथा 2078 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों व 155 एस के ओ–एल डी ओ डीलरशिपों को सम्मिलित किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर उपमार्ग हेतु प्रस्ताव

1727. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग–6 पर उपमार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनका निर्माण 'बिल्ट आपरेट एंड ट्रांसपोर्ट' सिस्टम के अंतर्गत किया जा रहा है;

(ग) क्या महाराष्ट्र में अकोला शहर के लिए उपमार्ग को इसी वर्ष बनाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसे किस योजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ङ) जी हां। महाराष्ट्र राज्य में रा.रा.–6 पर अमरावती और पालधी में बाइपासों का निर्माण कार्य सरकारी वित्त पोषण से किया गया है। तथापि, इस राजमार्ग पर अकोला बाइपास बी ओ टी (निर्माण–प्रचालन–हस्तांतरण) आधार पर बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन चालू वित्त वर्ष में नहीं।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दो-तरफा प्रणाली परियोजना

1728. श्री सुनील खां : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दो तरफा प्रणाली परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के निर्माण कार्य पर कुल कितनी लागत आएगी; और

(ग) उक्त परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) जी हां। बाराकर–रानीगंज और रानीगंज–पानागढ़ के बीच पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को चार लेन में चौड़ा करने की दो परियोजनाएं प्रगति पर है जिनके लिए 231.62 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इन परियोजनाओं को क्रमशः अक्तूबर 2000 और जनवरी, 2001 में पूरा करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

दूरसंचार सुविधाएं

1729. श्री बाबू भाई के. कटारा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात के गोधरा जिले के दाहोद में टीडीएम का एक अलग कार्यालय स्थापित करने हेतु जन प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दाहोद में टी डी एम कार्यालय कब तक स्थापित कर दिया जाएगा;

(घ) गुजरात में दाहोद क्षेत्र में टेलीफोन कनेक्शन पाने की प्रतीक्षा सूची में कितने लोग हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं; और

(च) वर्ष 2000–2001 के दौरान वहां कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। गोधरा दूरसंचार जिले को दाहोद तथा गोधरा नाम दो दूरसंचार जिलों में विभाजित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। एक दूरसंचार जिला (गौण स्विचन क्षेत्र एसएसए) प्रशासन, प्रभारण, रूटिंग तथा नम्बरिंग प्लान के प्रयोजनार्थ प्रचालन का बुनियादी यूनिट होता है। एसएसए को सामान्यतः प्रचालनात्मक तथा प्रशासनिक कारणों के कारण विभाजित नहीं किया जाता है।

(ग) दाहोद, गोधरा एसएसए का एक भाग है, इसलिए उसमें अलग से टीडीएम कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु दाहोद में एक डी ई की तैनाती कर दी गयी है।

(घ) 29.2.2000 की स्थिति के अनुसार दाहोद की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 771 है।

(ङ) दाहोद क्षेत्र में प्रदान किये गये टेलीफोन कनैक्शनों का ब्यौरा :–

वर्ष	प्रदान किये गये नये टेलीफोन कनैक्शन
1996–97	1384
1997–98	1655
1998–99	1685

वर्ष 1999–2000 के दौरान फरवरी, 2000 तक 1442 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं। मार्च, 2000 में 100 और टेलीफोन कनैक्शन प्रदान किये जाने की संभावना है।

(च) दाहोद क्षेत्र में वर्ष 2000–2001 के दौरान लगभग 3000 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किये जाने की योजना है।

[अनुवाद]

दूरसंचार विवादों के लिए पैनल का गठन

1730. श्री विलास मुत्तेमवार :

डॉ. एस. जगतरक्षकन :

श्री रामपाल सिंह :

श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार संबंधी शिकायतों और विवादों के निपटान हेतु न्यायालय के बाहर विवादों के शीघ्र निपटान के लिए लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकरणों और लाइसेंस धारकों के बीच विवादों को सुलझाने हेतु लोक अदालत की तरह एक नए पैनल के गठन का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके प्रस्तावित अधिकारों तथा अधिकार क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कालिंग पार्टी पे रोजीम के विवादों के निपटान हेतु दूरसंचार विभाग, महानगर टेलीफोन निगम लि. और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के बीच बैठक बुलाने की व्यवस्था की है;

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसी कोई बैठक आयोजित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है;

(च) क्या इस समस्या के समाधान हेतु कोई अंतिम समाधान मिल गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) 24 जनवरी, 2000 को प्रख्यापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 के माध्यम से टीआरएआई अधिनियम, 1997 में संशोधन से पूर्व इसमें अन्य बातों के साथ–साथ टीआरएआई द्वारा निष्पादित किए जाने वाले सीमित न्यायनिर्णायक कार्यों का प्रावधान भी था, इसके अंतर्गत लाइसेंसदाता और लाइसेंसधारक के बीच विवादों का निपटान शामिल नहीं था।

दूरसंचार क्षेत्र में विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने की दृष्टि से सरकार ने 24 जनवरी, 2000 को ऊपर उल्लिखित अध्यादेश प्रख्यापित किया। परिणाम स्वरूप, टीआरएआई अधिनियम, 1997 में किए गए संशोधनों से विवाद निपटान तंत्र को पुनर्गठित और सुदृढ़ बनाया गया है। टीआरएआई अधिनियम, 1997 के अध्याय IV के अंतर्गत टी आर ए आई को सीमित न्यायनिर्णायक शक्तियां दी गई हैं। इस अध्याय को बदलकर, अन्य बातों के साथ–साथ लाइसेंससदाता तथा किसी लाइसेंस धारक के बीच किसी विवाद पर न्यायनिर्णय करने के लिए "दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण" नामक एक अलग विवाद निपटान इकाई की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उक्त न्यायाधिकरण के विरुद्ध अपीलें उच्चतम न्यायालय को भेजी जाएंगी, जैसा कि टीआरएआई अधिनियम, 1997 के संगत प्रावधानों में विनिर्दिष्ट है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) कालिंग पार्टी पेज (सीपीपी) व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप 17 जनवरी, 2000 के दिल्ली उच्च न्यायालय के डिवीजन पीठ के निर्णय से निरस्त हो गया है। माननीय न्यायाधीशों ने यह भी स्पष्ट किया कि टी आर ए आई यह विचार कर सकता है कि क्या सी पी पी व्यवस्था अथवा मुफ्त आवक कॉल व्यवस्था, मौजूदा लाइसेंस शर्तों और सरकार द्वारा तैयार नीति के अंतर्गत शुरू की जा सकती है अथवा नहीं।

[हिन्दी]

शिवाडी-न्हवा-शेवा लिंक रोड और एक्सप्रेस राजमार्ग परियोजना को मंजूरी

1731. श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या शिवाडी–नहवा–शेवा लिंक रोड और पश्चिम एक्सप्रेस राजमार्ग परियोजनाएं मंत्रालय के पास विचार और मंजूरी हेतु लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इन्हें कब तक मंजूरी दे दिये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) जी नहीं। पर्यावरणीय मंजूरी के लिए शिवाडी–न्हावा–शेवा लिंक रोड का प्रस्ताव मई, 1998 में प्राप्त हुआ था। वर्ली नरीमन प्वांइट समुद्र लिंक परियोजना का प्रस्ताव अगस्त, 1999 में प्राप्त हुआ था। अपर्याप्त सूचना के कारण इन प्रस्तावों पर विचार नहीं किया गया और प्रस्तावकों से पूर्ण ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था कि जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

इस्तेमाल की गई बैटरियों का निपटान

1732. श्री के. येरननायडू :

श्रीमती डी. एम. विजया कुमारी :

श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री जी. एस. बसवराज :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस्तेमाल किये गये सीसे तेजाब वाली बैटरियों के निपटान को नियंत्रित करने वाली कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माताओं और वितरकों द्वारा बैटरियों के निपटान/गैर कानूनी प्रसंस्करण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय देश में इस्तेमल किए गए सीसा तेजाब बैटरियों के प्रबंध एवं हैंडलिंग के संबंध में आपत्तियां/सुझाव मंगाने के लिए एक प्रारंभिक अधिसूचना को अंतिम रूप देने के लिए कार्रवाई कर रहा है। प्रस्तावित प्रारंभिक अधिसूचना के अनुसार, सभी विनिर्मता, आयातक, रि–कंडिशनर्स, एसेम्बलर्स तथा डीलर बेची गई नई बैटरियों के बदले में इस्तेमल की गई पुरानी बैटरियां कलैक्ट करेंगे। चरणबद्ध तरीके से शत–प्रतिशत कलेक्शन करने का प्रस्ताव है। पर्यावरण के अनुकूल रि–प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने के लिए कलेक्ट की गई बैटरियों को उन्हीं रिसाइक्लरों को बेचा जायेगा जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में पंजीकृत हैं। उपभोगताओं से अपेक्षा है कि वे इस्तेमाल की गई पुरानी बैटरियों को अधिकृत एजेंटों को ही लौटाएं। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति मनीटरिंग एजेंसी होगी। विनिर्माताओं से अपेक्षा है कि वे कलैक्शन के बारे में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति को तिमाही विवरणियां भेजें।

[हिन्दी]

बिहार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता

1733. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं बिहार में पुलों और सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन वित्तीय संस्थाओं के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक संस्था द्वारा प्रदान की जा रही सहायता की धनराशि कितनी है;

(ग) इस सहायता राशि से बनने वाले सड़को और पुलों के नाम क्या हैं और उनकी सीमा क्या है; और

(घ) उक्त सड़को और पुलों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गयी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार मुख्यतः देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं और अन्य सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकार अनिवार्यतः जिम्मेदार होती है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता के तहत 127.89 करोड रुपये की लागत से रा.रा.–2 के बरबा अड्डा–बडाकर खंड (लम्बाई 42.69 कि.मी.) को चार लेन बनाने का कार्य फिलहाल चल रहा है। इस कार्य को जून, 2000 तक पूरा करने का लक्ष्य हैं।

[अनुवाद]

इंटरनेट सेवाएं

1734. श्री पी.डी. एलानगोवन :

श्री कोडीकुनील सुरेश :

श्री तुकानी सरोज :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वालों (आई.पी.एस) को विदेशी उपग्रहों से "बैंडविड्थ" प्राप्त करने की अनुमति है;

(ख) क्या सरकार इस मामले पर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग के साथ चर्चा कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के प्रत्येक जिला मुख्यालयों मे "इंटरनेट नोड्स" स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2000 की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा क्या है;

(छ) उसमें सरकारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी का अलग–अलग अनुपात क्या है;

(ज) इस समय देश में कार्यरत इंटरनेट और आईएसडीएन केन्द्रों की राज्य–वार और स्थान–वार संख्या कितनी है;

(झ) देश में अधिकृत इंटरनेट सेवा प्रदानकर्ताओं के नाम क्या हैं;

(ञ) क्या सरकार का विचार 2000–2001 के दौरान देश में और "इंटरनेट नोड्स" मोबाइल सेवा केन्द्र और आई एस डी एन केंद्र खोलने का है; और

(ट) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) जी, हां। इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं (आई एस पी) को विदेशी उपग्रहों से बैंडविड्थ प्राप्त करने की अनुकमति दी गई है, जिन्हें भारत के ऊपर से निर्देशांकित किया जाता है। नीति को अंतरिक्ष विभाग तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से विचार करने के उपरांत अंतिम रूप दिया गया है। अंतरिक्ष विभाग की अध्यक्षता तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार सेवा विभाग तथा बेतार आयोजना एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी) के प्रतिनिधियों सहित एक स्थायी सीमिति भी गठित की गई है जो प्रस्तावों का निपटान करेगी।

(घ) और (ङ) दूरसंचार सेवा विभाग ने देश भर में प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र में कम से कम एक इंटर नोड स्थापित करने की योजना बनाई है। इसकी सूची संलग्न विवरण–I पर दी गई है।

(च) नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान–2000 (एन एफ ए पी–2000) विकसित की गई है जो रेडियो संचार सेवाओं के विभिन्न प्रकारों के लिए आबंटित विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंड्स का ब्यौरा देता है। उन फ्रिक्वेंसी बैंड्स को भी दर्शाया जाता है जिन्हें विभिन्न प्रकार के प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाता है। एनएफएपी–2000 देश में विकास, निर्माण तथा स्पैक्ट्रम उपयोग संबंधी क्रियाकलापों के लिए आधार निर्मित करेगा।

(छ) यह योजना सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों से व्यापक भागीदारी के साथ विकसित की गई है तथा फ्रीक्वेंसी बैंड्स सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बीच आपस में बांटे जा सकेंगे।

(ज) देश में कार्यरत इन्टरनेट तथा एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क (आई एस डी एन) केन्द्रों की राज्यवार तथा स्थलवार सूची संलग्न विवरण–II और III में दी गई है।

(झ) देश में प्राधिकृत इन्टरनेट सेवा प्रदाताओं के नाम संलग्न विवरण–IV में दिए गए हैं।

(ञ) जी, हां। वर्ष 2000–2001 के दौरान सरकार का अधिकाधिक इंटरनेट नोड्स, मोबाइल सेवा केंद्र तथा आई एस डी एन केंद्रों को संस्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ट) दूरसंचार सेवा विभाग ने प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र (एसएसए) में कम से कम एक इन्टरनेट स्थापित करने की योजना बनाई है जिसके लिए उपस्करों की खरीद की जा रही है। इन नोडों को दिसंबर, 2000 तक क्रमिक रूप से संस्थापित करने की योजना बनाई गई है।

विभाग ने देश के 18 शहरों में पायलट परियोजना के रूप में सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया है तथा इसके 2000–2001 के दौरान क्रियान्वित किए जाने की प्रत्याशा हैं। सूची संलग्न विवरण–V में दी गई है।

देश में आई एन डी एन सेवाएं शुरू करने के लिए पर्याप्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन सभी जिला मुख्यालयों तथा अन्य केंद्रों में आई एस डी एन सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है जहां:–

(1) ऐसी सेवाओं के लिए मांग है।

(2) स्थानीय स्विचन (नई प्रौद्योगिकी एवं टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र सी–डॉट) आई एस डी एन सुविधा प्रदान करने में समर्थ हैं।

विवरण-I

प्रस्तावित इंटरनेट नोडों की सूची

क्र.सं.	सर्किल स्टेशन	इंटरनेट नोडों की सूची
1	2	3
I	अंडमान निकोबार	
1.	अंडमान और निकोबार	पोर्टब्लेयर
II	आंध्र प्रदेश	
1.		हैदराबाद
2.		विजयवाड़ा
3.		विशाखापटनम

1	2	3
4.		तिरूपति
5.		राजामुंदरी
6.		गुंटूर
7.		इलूरू
8.		वारंगल
9.		आदिलाबाद
10.		अनंतपुर
11.	आंध्र प्रदेश	कुडप्पहा
12.		करीमनगर
13.		खम्माम
14.		कुरूनूल
15.		संगारेड्डी
16.		नेल्लोर
17.		श्रीकाकुलम
18.		महबूबनगर
19.		नालगोंडा
20.		अंगोले
21.		विजियानगरम
III	असम	
1.		गुवाहाटी
2.		जोरहाट
3.		सिलघर
4.		बोगाईगांव
5.		बारपेटा
6.		धुबरी
7.	असम	डिबरूगढ़
8.		गोलाघाट
9.		करीमगंज
10.		नगांव
11.		उत्तर लखीमपुर
12.		शिवसागर
13.		तेजपुर
14.		तिनसुकिया
IV	बिहार	
1.		पटना
2.		जमशेदपुर
3.		रांची
4.		भागलपुर
5.		बोकारो
6.		धनबाद
7.		दरभंगा
8.		गया
9.	बिहार	मुजफ्फरनगर
10.		आरा
11.		छपरा
12.		डाल्टनगंज
13.		दुमका
14.		हजारीबाग
15.		कालीहाट
16.		मोतीहारी
17		मुंगेर
18.		सासाराम
V	गुजरात	
1.		अहमदाबाद
2.		सूरत
3.		वडोदरा
4.		राजकोट
5.		भावनगर

1	2	3
6.		जामनगर
7.		गांधीनगर
8.		भड़ुच
9.		भुज
10.		जूनागढ़
11.	गुजरात	मेहसाणा
12.		सुरेन्द्रनगर
13.		वलसाड
14.		पालमपुर
15.		हिम्मतनगर
16.		गोधरा
17.		दमन
18.		अमरेली
19.		सिलवासा
20.		दिव
21.		आनंद
22.		नवसारी
VI	हिमाचल प्रदेश	
1.		शिमला
2.		सोलन
3.	हिमाचल प्रदेश	मंडी
4.		धर्मशाला
5.		हमीरपुर
6.		कुल्लू
VII	हरियाणा	
1.		फरीदाबाद
2.		गुड़गांव
3.		अम्बाला
4.		पानीपत
5.		हिसार
6.		रोहतक
7.		सोनीपत
8.		वाई. नगर
9.	हरियाणा	करनाल
10.		के.के.आर
11.		सिरसा
12.		भिवानी
13.		बहादुरगढ़
14.		जींद
15.		रिवाड़ी
16.		कैथल
17.		फतेहाबाद
18.		करनाल
VIII	जम्मू और कश्मीर	
1.		जम्मू
2.		श्रीनगर
3.		राजौरी
4.		उधमपुर
5.		लेह
IX	कर्नाटक	
1.		बंगलौर
2.		मैसूर
3.		धारवाड़
4.		बेलगाम
5.		बेल्लारी
6.		दावनगेरे
7.		गुलबर्गा
8.		शिमोगा
9.		तुमकुर
10.		बागलकोट

1	2	3
11.		बीडर
12.		बीजापुर
13.		चित्रदुर्ग
14.		गडाग
15.		हवेरी
16.		कोलार
17.		कोपल
18.		रायचूर
X.	केरल	
1.		एर्नाकुलम
2.		त्रिवेन्द्रम
3.		कन्नानूर
4.		कोजीकोड
5.		त्रिचूर
6.		कोल्लम
7.		कोट्टायम
8.		पालघाट
9.		पथनामथिट्टा
10.		अलेपी
11.		कासारगोड
12.		माल्लापपुरम
13.		कलपेट्टा
14.		इडुकी
15.		कवारथी
XI	मध्य प्रदेश	
1.		इंदौर
2.		भोपाल
3.		ग्वालियर
4.		जबलपुर
5.		रायपुर
6.		दुर्ग
7.		उज्जैन
8.		बिलासपुर
9.		रतलाम
10.		सागर
11.		देवास
12.		सतना
13.		रीवा
14.		खंडवा
15.		मंदसौर
16.		छिंदवाड़
17.		गुना
18.		कटनी
19.		विदिशा
20.		धार
21.		छत्तरपुर
22.		रायगढ़
23.		खारगांव
24.		शिवपुरी
25.		मुरैना
26.		भिंड
27.		बेतुल
28.		राजनंदगांव
29.		जगदलपुर
30.		सिवनी
31.		कोरबा
32.		होशंगाबाद
33.		बालाघाट
34.		दामोह
35.		सरगुजा (अम्बिकापुर)
36.		टीकमगढ़
37.		सिहोर
38.		शहडोल
39.		नरसिंहपुर
40.		शाजापुर

1	2	3
41.		शिवपुरकलां
42.		दतिया
43.		मांडला
44.		झबुआ
45.		बरवानी
46.		पन्ना
47.		सिधी
48.		रायसेन
49.		राजगढ़
50.		कांकेर
51.		जांजगीर
52.		जशपुरनगर
53.		दमोह
54.		दातेंवाड़ा
55.		कोड़िया (महेन्द्रगढ़)
XII	महाराष्ट्र	
1.		पुणे
2.		नासिक
3.		नागपुर
4.		कल्याण
5.		अहमदनगर
6.		पंजिम
7.		मगांव (गोवा)
8.		अकोला
9.		लातूर
10.		चन्द्रपुर
11.		अमरावती
12.		धुले
13.		सतारा
14.		रतनागिरी
15.		जालना
16.		वर्धा
17.		परभनी
18.		यवतमाल
19.		पेन
20.		बीड
21.		धन्डवा
22.		उस्मानाबाद
23.		खामगांव (बुलढाना)
24.		गढ़चिरोली
XIII	उत्तर पूर्व	
1.		शिलॉंग
2.		अगरतला
3.		अजिवाल
4.		इम्फाल
5.		इटानगर
6.		कोहिमा
XIV	उड़ीसा	
1.		भुवनेश्वर
2.		कटक
3.		बेरहामपुर
4.		राउरकेला
5.		सम्बलपुर
6.		बालासोर
7.		बीरपाडा
8.		धनकेनाल
9.		क्योंझर
10.		कोरापुट
11.		फूलबनी
12.		बोलनगीर
13.		भवानीपटना
XV	पंजाब	
1.		लुधियाना
2.		चंडीगढ़
3.		जालंधर
4.		अमृतसर
5.		पटियाला

1	2	3
6.		होशियारपुर
7.		भटिंडा
8.		कपूरथला
9.		संगरूर
10.		फिरोजपुर
11.		फरीदकोट
12.		मुक्तसर
13.		मनसा
14.		गुरदासपुर
15.		नवा शहर
16.		रोपड़
17.		मोगा
18.		फतेहगढ़ साहिब (मंडी गोविन्दगढ़ में संस्थापना की जाए)
XVI	राजस्थान	
1.		जयपुर
2.		जोधपुर
3.		उदयपुर
4.		कोटा
5.		अजमेर
6.		भीलवाड़ा
7.		बीकानेर
8.		अलवर
9.		श्रीगंगानगर
10.		सिकर
11.		पाली
12.		भरतपुर
13.		चित्तौड़गढ़
14.		बांसवाड़ा
15.		हनुमानगढ़
16.		झुंझुनू
17.		सवाईमाधोपुर
18.		बूंदी
19.		नागौर
20.		बाडमेर
21.		चुरू
22.		दौसा
23.		टोंक
24.		राजसमंद (कंकरोली)
25.		डूंगरपुर
26.		जैसलमेर
27.		धौलपुर
28.		वरान
29.		झालावाड़
30.		सिरोही
31.		जालोर
32.		करौली
XVII	तमिलनाडु	
1.		कोयम्बटूर
2.		मदुरई
3.		कुड्डालोरे
4.		डिंडीगल
5.		इरोडे
6.		होसर
7.		कांचीपुरम
8.		करूर
9.		कराईकुडी
10.		नागरकोइल
11.		नामक्कल
12.		पांडिचेरी
13.		सलेम
14.		तंजौर
15.		तिरूनेलवेली
16.		त्रिची
17.		तूतीकोरिन
18.		वेल्लौर
19.		शिवकाशी

1	2	3
20.		कुम्बाकोनम
21.		नागपट्टनम
22.		पुडुकोटाई
23.		ऊटी
24.		थाईस्वरूर
25.		तिरूवन्नामलाई
26.		तिरूवेल्लोरे
27.		तिरूपुर
28.		विल्लूपुरम
29.		रामानाथपुरम
XVIII	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	
1.		लखनऊ
2.		कानपुर
3.		वाराणसी
4.		इलाहाबाद
5.		गोरखपुर
6.		झांसी
7.		फर्रूखाबाद
8.		मऊ
9.		शाहजहांपुर
10.		फैजाबाद
11.		इटावा
12.		सीतापुर
13.		उन्नाव
14.		रायबेरली
15.		मिर्जापुर
16.		सुलतानपुर
17.		आजमगढ़
18.		जौनपुर
19.		ललितपुर
20.		प्रतापगढ़
21.		बस्ती
22.		बाराबंकी
23.		बांदा
24.		देवरिया
25.		बलिया
26.		गोंडा
27.		लखीमपुर
28.		भदोही
29.		गाजीपुर
30.		मैनपुरी
31.		बहराइच
32.		फतेहपुर
33.		कन्नौज
34.		औरिया
35.		हरदोई
36.		पडरौना
37.		बलरामपुर
38.		अम्बेडकर नगर (अकबरपुर)
39.		हमीरपुर
40.		सिद्धार्थनगर
41.		सोनभद्र (राबर्टगंज)
42.		संत कबीरदास (खलीलाबाद)
43.		महाराजगंज
44.		कारवी
45.		महोबा
46.		जालौन
47.		कानपुर देहात
48.		चंदौली
49.		मनझनपुर (कौशाम्बी)
50.		भिंगा (श्रावस्ती)
XIX	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	
1.		गाजियाबाद
2.		गौतमबुद्ध नगर

1	2	3
3.		आगरा
4.		मेरठ
5.		देहरादून
6.		सहारनपुर
7.		अलीगढ़
8.		बरेली
9.		मुरादाबाद
10.		मुजफ्फरपुर
11.		मथुरा
12.		हरिद्वार
13.		फिरोजाबाद
14.		बुलंदशहर
15.		रामपुर
16.		उधमसिंह नगर (रूद्रपुर)
17.		अलमोड़ा
18.		महामाया नगर (हाथरस)
19.		जोती बा फूले नगर (अमरोहा)
20.		एटा
21.		नैनीताल
22.		बिजनौर
23.		पीलीभीत
24.		पिथौरागढ़
25.		बदांयू
26.		पौड़ी
27.		चमोली (गोपेश्वर)
28.		बगपत
29.		उत्तरकाशी
XX	पश्चिम बंगाल	
1.		सिलीगुड़ी
2.		दुर्गापुर
3.		खडगपुर
4.		बर्दवान
5.		बांकुरा
6.		बेरहामपुर
7.		कूचबिहार
8.		गंगटोक
9.		जलपाईगुड़ी
10.		कृशनगर
11.		मालडा
12.		रायगंज
13.		सूरी

विवरण-II

दूरसंचार विभाग (एलआर सेल)

इंटरनेट केन्द्रों की शहरवार/राज्यवार सूची

दूरसंचार सर्किल	नगर	आईएसपी का नाम
1	2	3
दिल्ली	दिल्ली	मै. वी एस एन एल
		मै. भारती बी टी
		मै. एम टी एन एल
		मै. सिगमा इनपुट आउटपुट टेक इंडिया लि.
		मै. ट्रेक पालीमर्स (नैट–4)
		मै. ग्लोबल इलैक्ट्रानिक कामर्स सर्विस लि.
		मै. डिशनेट लि.

1	2	3
		मै. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू कम्यूनिकेशन्स लि.
		मै. सी जी फेफीमेल लि.
		मै. विप्रो
		मै. मणीपाल कंट्रोल डाटा इलेक्ट्रानिक कॉमर्स लि.
		दिल्ली में कुल इंटरनेट नोड-11
तमिलनाडु	चेन्नई	मै. वीएसएनएल
		मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि. चेन्नै
		मै. डिशनेट लि.
		मै. मिलै कारपागम्बल इन्फामेंशन सिस्टम प्रा. लि.
		मै. कम्पूवेयर इंटरनेक्टिव टेलीविजन प्रा. लि.
		मै. ग्लोबल इलैक्ट्रानिक कामर्स सर्विस लि.
		मै. सी जी फेफीमेल लि.
		मै. सिगमा इनपुट आउटपुट टेक इंडिया लि.
		मै. विप्रो
		मै. मणीपाल कंट्रोल डाटा इलेक्ट्रानिक कॉमर्स लि.
		चेन्नई में इंटरनेट नोड-10
	कोयम्बटूर	मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि. चेन्नै
		डीटीएस
		कोयम्बटूर में इंटरनेट नोड-2
	मदुरै	मै. सी एस प्रोसोफटेक इन्फामेटिक्स
		डीटीएस
		मदुरै में इंटरनेट-2
	सेलम	मै. विंतामास नेटवर्क प्रा. लि.
	पांडिचेरी	मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि.
		डी टी एस
		पांडिचेरी में इंटरनेट नोड–2
	कांचीपुरम	डी टी एस
	त्रिची	डी टी एस
	शिवाकाशी	डी टी एस
	तमिलनाडु में कुल इंटरनोड्स	20
महाराष्ट्र	मुम्बई	मै. वी एस एन एल
		मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि.
		डी टी एस

1	2	3
		मै. रोलटा इंडिया लि.
		मै. डिशनेट लि.
		मै. ग्लोबल इलैक्ट्रानिक कामर्स सर्विस लि.
		मै. सी जी फेफीमेल लि.
		मै. विप्रो
		मै. मणीपाल कंट्रोल डाटा इलेक्ट्रानिक कॉमर्स लि.
	पुणे	मै. वी एस एन एल
		मै. डिशनेट लि.
		मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि. चेन्नै
		मै. वीकफील्ड मफीयोमिक्स इन्फोनेटवकर्स प्रा. लि.
		मै. सिगमा इनपुट आउटपुट टेक इंडिया लि.
		मै. ग्लोबल इलैक्ट्रानिक कामर्स सर्विस प्रा. लि.
		मै. विप्रो
		मै. मणीपाल कंट्रोल डाटा इलेक्ट्रानिक कॉमर्स लि.
	नागपुर	मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि.
		मै. आटो टैड्स प्रा. लि.
		डी टी एस
	कल्याण	मै. वेबसर्फ
	सतारा	मै. सुचिम कम्यूनिकेशन प्रा. लि.
	नासिक	डीटीएस
	कोल्हापुर	डीटीएस
	सांगली	डीटीएस
	सावंत वाड़ी	डीटीएस
	सोलापुर	डीटीएस
	औरंगाबाद	डीटीएस
	पणजी	डीटीएस
	नांदेड़	डीटीएस
	जलगांव	डीटीएस
	महाराष्ट्र में कुल नोड्स	32
कर्नाटक	बंगलौर	मै. वी एस एन एल
		मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि.
		मै. भारती बी टी
		मै. मणीपाल कंट्रोल डाटा इलेक्ट्रानिक कॉमर्स लि.
		मै. ग्लोबल इलैक्ट्रानिक कामर्स सर्विस लि.

1	2	3
		जी टेलीफिल्म लि.
		मै. सिगमा इनपुट आउटपुट टेक इंडिया लि.
		मै. सी जी फेफीमेल लि.
		मै. विप्रो
	हुबली	मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि. चेन्नै
		डीटीएस
	बेलगांव	मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि. चेन्नै
		डीटीएस
	दावनगेरे	मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि. चेन्नै
		डीटीएस
	शिमोगा	मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि. चेन्नै
	मंगलौर	मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि. चेन्नै
		मै. मणीपाल कंट्रोल डाटा इलेक्ट्रानिक कॉमर्स लि.
		डी टी एस
	बेल्लारी	डीटीएस
	हसन	डीटीएस
	मैसूर	डीटीएस
	कर्नाटक में कुल इंटरनेटनोड्स 22	
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि. चेन्नै
		मै. पायनियर आनलाइन सर्विस
		मै. सउदर्न आन लाइन सर्विस लि.
		मै. सिगमा इनपुट आउटपुट टेक इंडिया लि.
		मै. ग्लोबल इलैक्ट्रानिक कामर्स सर्विस लि.
		मै. नामस इंटरनेट सिस्टम्स बड़ौदा
		मै. ग्लोबल ऑनलाइन सर्विससस प्रा. लि.
		मै. विप्रो
		डीटीएस
	खम्माम	मै. सउदर्न आन लाइन सर्विस लि.
	गुन्टुर	मै. पायनियर आनलाइन सर्विस
		डीटीएस
	काकीनाडा	मै. सर्उदन आन लाइन सर्विस लि.
	करीमनगर	मै. सर्उदन आन लाइन सर्विस लि.
	विजयनगर	मै. सउदर्न आन लाइन सर्विस लि.
	विजयवाड़ा	मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि. चेन्नै

1	2	3
		डीटीएस
	विशाखापट्टनम	मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि.
		डीटीएस
		मै. पायनियर आनलाइन सर्विस
	आंध्र प्रदेश में कुल इंटरनेट नोड्स	21
गुजरात	अहमदाबाद	मै. डाटा लिंक इम्पैक्स प्रा. लि.
		मै. इलेक्प्लिस नेटवर्क प्रा. लि.
		मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि. चेन्नै
		मै. विलनेट कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.
		मै. ब्लेजनेट प्रा. लि.
		मै. ग्लोबल इलैक्ट्रानिक कामर्स सर्विस लि.
		मै. जिन्दल इन्फार्मेशन टैक्नालाजी लि.
		मै. स्वास्तिक नेटविजन टेलीकाम प्रा. लि.
		मै. विप्रो
		डीटीएस
	बड़ौदा	मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि. चेन्नै
		मै. विलनेट कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.
	सूरत	मै. विलनेट कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.
		डीटीएस
	राजकोट	मै. विलनेट कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.
	जामनगर	मै. विलनेट कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.
	गांधीनगर	मै. विलनेट कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.
	भरूच	मै. नर्मदा साइबर जोन प्रा. लि.
		मै. स्वास्तिक नेटविजन टेलीकाम प्रा. लि.
	वी वी नगर	मै. प्लेनैट इंटरनेट सेटेलाइट गुजरात
	वलसाड	मै. बाइटस इंटरनेट सर्विसेज प्रा. लि.
	भावनगर	मै. बलदेव शिपब्रेकर्स लि.
	गुजरात में कुल इंटरनोड्स	22
मध्य प्रदेश	भोपाल	मै. भारती टेलीनेट
		डीटीएस
	इंदौर	मै. भारती टेलीनेट
		डीटीएस
	ग्वालियर	मै. भारती टेलीनेट

1	2	3
		डीटीएस
	रायपुर	मै. भारती टेलीनेट
		डीटीएस
	जबलपुर	मै. भारती टेलीनेट
		डीटीएस
	मध्य प्रदेश में कुल नोड्स	10
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	मै. वी एस एन एल
		मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि. चैन्नै
		मै. पेट्रियाट आटोमेशन प्रोजेक्ट प्रा. लि.
		मै. ग्लोबल इलैक्ट्रानिक कामर्स सर्विस लि.
		मै. सी जी फेफीमेल लि.
		मै. विप्रो
	सिलीगुड़ी	डीटीएस
	दुर्गापुर	डीटीएस
	खड़गपुर	डीटीएस
	पश्चिम बंगाल में कुल इंटरनेट नोड्स	9
राजस्थान	जयपुर	मै. डाटा इनफायस लि.
		मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि.
		मै. वरटेक कॉम लि.
		डीटीएस
	कोटा	मै. कप्पा इनफोटेक प्रा. लि.
	उदयपुर	मै. बोहरा प्रतिष्ठान प्रा. लि.
	राजस्थान में कुल इंटरनेट नोड	6
उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	गाजियाबाद	मै. शेओर विन कंसलटेंट्स प्रा. लि.
	आगरा	डीटीएस
	देहरादून	डीटीएस
	उ.प्र. (पश्चिमी) में कुल इंटरनेट नोड	3
उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	लखनऊ	मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि.
		डीटीएस
	वाराणसी	मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि.
	इलाहाबाद	डीटीएस

1	2	3
	कानपुर	डीटीएस
	उ.प्र. पूर्वी में कुल इंटरनेट नोड	5
पंजाब	लुधियाना	मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि.
	चंडीगढ़	मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि.
		डीटीएस
		मै. सेब इनफोटेक लि.
		मै. आई–91 इंटरकनैक्ट
	पंजाब में कुल इंटरनेट नोड	5
केरल	कोचीन	मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि.
	तिरूवनंतपुरम	मै. सृष्टि ओपन प्रा. लि.
		डीटीएस
	अलेप्पी	डीटीएस
	एर्नाकुलम	डीटीएस
	इदुकी	डीटीएस
	कोल्लम	डीटीएस
	कोट्टायम	डीटीएस
	कालीकट	डीटीएस
	पालघाट	डीटीएस
	त्रिचूर	डीटीएस
	कन्नूर	डीटीएस
	तिरूवल्ला	मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि.
	केरल में कुल इंटरनेट नोड	13
उड़ीसा	भुवनेश्वर	मै. आरटेल कम्यूनिकेशन लि.
		डीटीएस
	उड़ीसा में कुल इंटरनेट नोड	2
बिहार	जमशेदपुर	मै. सत्यम इन्फोवे प्रा. लि. चेन्नै
		डीटीएस
	पटना	डीटीएस
	धनबाद	डीटीएस
	रांची	डीटीएस
	बिहार में कुल इंटरनेट नोड	5

1	2	3
हरियाणा	पानीपत	मै. पालीवाली फानिश्यिंल सर्विसेज प्रा. लि.
	अम्बाला	डीटीएस
	हरियाणा में कुल इंटरनेट नोड	2
असम	गुवाहाटी	डीटीएस
	सिलचर	डीटीएस
	असम में कुल इंटरनेट नोड	2
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	डीटीएस
उत्तर–पूर्व	शिलॉग	डीटीएस
	अगरतला	डीटीएस
	उत्तर–पूर्व में कुल इंटरनेट नोड	2

विवरण-III

आईएसडीएन स्टेशन तथा कार्यरत कनेक्शन

क्रम सं.	स्टेशन का नाम	सर्किल का नाम	कार्यरत कनैक्शन		प्रतीक्षा सूची
			बीआरए	पीआरए	
1	2	3	4	5	6
1.	पोर्ट ब्लेयर	अंडमान निकोबार	0	–	0
2.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	602	–	0
3.	गंटूर	"	3	–	0
4.	विजयवाड़ा	"	20	–	0
5.	विशाखापट्टनम	"	13	–	9
6.	राजमुंदै	"	1	–	1
7.	तिरूपति	"	0	–	1
8.	एलूरू	"	0	–	0
9.	अनंतापुर	"	0	–	0
10.	वारंगल	"	0	–	0
11.	नेल्लूर	"	0	–	0
12.	गुवाहाटी	असम	1	–	0
13.	रांची	बिहार	2	–	0
14.	जमशेदपुर	"	3	–	0
15.	अहमदाबाद	गुजरात	107	1	1
16.	बड़ौदा	"	55	2	0

1	2	3	4	5	6
17.	मेहसाना	"	0	–	25
18.	नडियाड	"	1	–	1
19.	राजकोट	"	13	0	0
20.	सूरत	"	10	0	0
21.	फरीदाबाद	हरियाणा	24	–	0
22.	गुडगांव	"	194	–	0
23.	पानीपत	"	0	–	0
24.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	2	–	0
25.	धर्मशाला	"	0	–	0
26.	मंडी	"	0	–	0
27.	सोलन	"	0	–	0
28.	श्रीनगर	जम्मू और कश्मीर	2	–	0
29.	बंगलौर	कर्नाटक	1297	–	0
30.	बेलगांम	"	3	–	0
31.	देवनगिरी	"	2	–	0
32.	गुलबर्गा	"	1	–	0
33.	हुबली	"	2	–	0
34.	करवाड़	"	1	–	0
35.	कोलार	"	1	–	0
36.	मांडया	"	1	–	0
37.	मंगलूर	"	6	–	0
38.	मैसूर	"	13	–	0
39.	शिमोगा	"	2	–	1
40.	तुमकूर	"	1	–	0
41.	एर्नाकुलम	केरल	42	1	5
42.	कन्नूर	"	0	0	0
43.	कोट्टायम	"	3	–	0
44.	कोजीकोडे	"	5	0	0
45.	त्रिचूर	"	2	0	1
46.	त्रिवेन्द्रम	"	35	0	2
47.	गोवा	महाराष्ट्र	20	–	0
48.	कल्याण	"	13	–	0
49.	नागपुर	"	24	–	0
50.	नासिक	"	50	–	0

1	2	3	4	5	6
51.	पुणे	"	451	–	0
52.	भोपाल	मध्य प्रदेश	49	–	0
53.	ग्वालियर	"	3	–	0
54.	इंदौर	"	15	–	0
55.	जबलपुर	"	8	–	0
56.	रायपुर	"	3	–	0
57.	अमृतसर	पंजाब	0	–	0
58.	लुधियाना	"	0	–	10
59.	जालंधर	"	3	–	7
60.	पटियाला	"	0	–	2
61.	चंडीगढ़	"	33	–	0
62.	जयपुर	राजस्थान	46	4	6
63.	जोधपुर	"	7	–	1
64.	उदयपुर	"	2	2	2
65.	बीकानेर	"	1	0	0
66.	कोटा	"	2	0	0
67.	अजमेर	"	0	0	0
68.	भीलवाडा	"	0	0	0
69.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु	90	5	25
70.	एम एम नगर	"	9	–	1
71.	मेवालूर कुप्पम	"	8	–	0
72.	मदुरै	"	40	–	0
73.	पांडिचेरी	"	21	–	9
74.	सेलम	"	5	–	3
75.	सिवाकासी	"	3	–	0
76.	सोमानूर	"	1	–	0
77.	तंजावर	"	1	–	1
78.	तिरूपूर	"	12	–	0
79.	तिरूनेलवेलि	"	7	–	1
80.	त्रिची	"	8	–	3
81.	तूतीकोरिन	"	14	–	7
82.	वेल्लूर	"	3	–	0
83.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	31	–	0

1	2	3	4	5	6
84.	कानपुर	"	31	–	0
85.	गोरखपुर	"	3	–	0
86.	वाराणसी	"	11	–	0
87.	इलाहाबाद	"	5	–	0
88.	फैजाबाद	"	0	–	0
89.	बाराबंकी	"	0	–	0
90.	झांसी	"	3	–	0
91.	इटावा	"	0	–	0
92.	मैनपुरी	"	0	–	0
93.	बस्ती	"	0	–	0
94.	खलीलाबाद	"	0	–	0
95.	फर्रूखाबाद	"	0	–	0
96.	आगरा	उत्तर प्रदेश (प.)	52	–	0
97.	देहरादून	"	21	–	0
98.	गाजियाबाद	"	9	–	0
99.	नोयडा	"	211	–	0
100.	मेरठ	"	5	–	0
101.	मुरादाबाद	"	4	–	1
102.	कलकत्ता	कलकत्ता	613	–	0
103.	चेन्नई	चेन्नई टीडी	1461	10	0
104.	दिल्ली	एमटीएनएल	1977	47	247
105.	मुम्बई	एमटीएनएल	3803	–	0
	कुल		11662	80	373

विवरण-IV

जारी किए गए आईएसपी लाइसेंसों की सूची

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	श्रेणी	सेवा क्षेत्र
1	2	3	4
1.	एमटीएनएल	'ख'	दिल्ली
2.	एमटीएनएल	'ख'	मुंबई
3.	मै. आरटेल कम्युनिकेशन लि.	'ग'	भुवनेश्वर
4.	मै. रोलटा इंडिया	'ख'	मुंबई
5.	मै. शोरविन कन्सलटैंटस प्रा. लि.	'ग'	गाजियाबाद
6.	मै. युनाइटेड इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रा. लि. मुंबई	'ग'	जयपुर
7.	मै. बरेली कम्युनिकेशन प्रा. लि.	'ग'	बरेली

1	2	3	4	
8.	मै. पालीवाल फाइनेंशियल सर्विसेस प्रा. लि. पानीपत	'ग'	करनाल	
9.	मै. सोमानी ओवरसीज लि. सूरत	'ग'	सूरत	
10.	मै. अरुण गिरिजा कम्युनिकेशन प्रा. लि. पटना	'ग'	पटना	
11.	मै. कन्जारू एप्लाइसेंस (प्रा.) अहमदाबाद	'ग'	राजकोट	
12.	मै. इलैकलिप्स नेटवर्क प्रा. लि.	'ख'	अहमदाबाद	
13.	मै. वीकफील्ड मेनमोमिक्स इन्फोनेटवकर्स प्रा. लि.	'ख'	पुणे	
14.	मै. एसएनसी इन्फोटेक प्रा. लि. गाजियाबाद	'ग'	गाजियाबाद	
15.	मै. जेवरचन्द साइबर इन्फोटेक (प्रा.) लि.	'ग'	बडोदरा	
16.	मै. सृष्टि ओपन सिस्टम (प्रा.) लि. टीवीएम	'ग'	त्रिवेन्द्रम	
17.	मै. सुखकर्ता कं. ट्रेड प्रा. लि. मुंबई	'क'	आल इंडिया	
18.	मै. टिकोन इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि. मुंबई	'ख'	मुंबई	
19.	मै. सुचिम कम्युनिकेशन प्रा. लि. सतारा, मध्य प्रदेश	'ग'	सतारा	
20.	मै. सत्यम इन्फोवे (प्रा.) लि. चेन्नै	'क'	आल इंडिया	
21.	मै. एस के डिजिटल टैक्नोलाजी प्रा. लि. दुर्गापुर (प. बंगाल)	'ग'	दुर्गापुर	
22.	मै. सी एस प्रोसोफ टैक इन्फोमेटिक्स प्रा. लि. मदुरै	'ग'	मदुरई	
23.	मै. इंसिंध केबल टेलीविजन लि. मुंबई	'ख'	मुंबई	
24.	मै. इन्दुसिंध डिस्ट्रीब्यूशन लि. मुंबई	'क'	आल इंडिया	
25.	मै. कासमास लिंक नेटवक (प्रा.) लि. सूरत	'ग'	बडौदा	
26.	मै. कासमास लिंक नेटवक (प्रा.) लि. सूरत	'ग'	सूरत	
27.	मै. विप्रो लि. बंगलौर	'क'	आल इंडिया	
28.	मै. मणीपाल कंट्रोल डाटा इलेक्ट्रानिक कॉमर्स लि. बंगलौर (1.10.99 कार्य छोड़ दिया गया)	'ख'	कर्नाटक	
29.	मै. जी टेलीफिल्मस लि. नई दिल्ली	'क'	आल इंडिया	
30.	मै. ग्लोबल इलैक्ट्रानिक कामर्स सर्विस लि. नई दिल्ली	'क'	आल इंडिया	
31.	मै. सउदर्न आनलाइन सर्विस (प्रा.) लि. हैदराबाद	'ख'	आंध्र प्रदेश	
32.	मै. पंजाब कम्यूनिकेशन लि. मोहाली	'ख'	पंजाब	
33.	मै. इंटर प्रोमोटर्स इंडिया लि. मुंबई	'ख'	दिल्ली	
34.	मै. अपरवनैट इन्फोरमेशन प्रा. लि. मुंबई	'ख'	मुंबई	
35.	मै. जैन स्टूडियोज लि. नई दिल्ली	'ग'	गाजियाबाद	
36.	मै. स्वास्तिक नेटविजन टेलीकाम प्रा. लि. अहमदाबाद	'ख'	गुजरात	079 - 6406575
37.	मै. गेटवे इंटरनेट सर्विस प्रा. लि. काकीनाडा	'ग'	राजामुंदरी	0884 - 67323
38.	मै. योगक्षेम कम्युनिकेशन प्रा. लि. ग्वालियर	'ग'	इंदौर	0751 - 331982
39.	मै. योगक्षेम कम्युनिकेशन प्रा. लि. ग्वालियर	'ग'	भोपाल	
40.	मै. भारती कम्यूनिकेशन्स (इंडिया) प्रा. लि. वलसाड	'ग'	वलसाड	02638 - 64089
41.	मै. डिशनेट लि. चेन्नई	'क'	आल ईंडिया	044 - 8284322

1	2	3	4	
42.	मै. विलनेट कम्यूनिकेशंस प्रा. लि. अहमदाबाद	'ख'	गुजरात	079 - 6562615
43.	मै. वासनेट कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.	'ग'	मंगलौर	0824 - 456840
44.	मै. ए–टीम इन्फोरमेशन टेक्नालाजी प्रा. लि. एरोड	'ग'	एरोड	0424 - 215843
45.	मै. इरकोन इंटरनेशनल लि. आर. के. पुरम	'क'	आल इंडिया	011 - 6869361
46.	मै. सीजी फैक्समेल लि. नई दिल्ली	'क'	आल इंडिया	011 - 6924281
47.	मै. बोहरा प्रतिष्ठान प्रा. लि. राजस्थान	'ग'	उदयपुर	0294 - 410433
48.	मै. कम्पयूवेव इंटरेक्टिव टेलीविजन प्रा. लि.	'ख'	चेन्नई	044 - 4344707
49.	मै. सीजार ओलियरेसिन (प्रा.) लि.	'ग'	गुलबर्गा	08472 - 585102
50.	मै. सीजार ओलियरेसिन प्रा. लि.	'ग'	मंगलौर	
51.	मै. मास्टर चिप इंटरनेट सर्विसेज	'ग'	निजामाबाद	08462 - 23536
52.	मै. सीएमस	'क'	आल इंडिया	011 - 46231111
53.	मै. एसटीपीआई	'क'	आल इंडिया	011 - 4364034
54.	मै. ईआरएनईटी	'क'	आल इंडिया	011 - 4363081
55.	मै. विंतामास नेटवर्क प्रा. लि.	'ग'	सेलम	04288 - 61723
56.	मै. बाइटस इंटरनेट सर्विसेस प्रा. लि.	'ग'	वलसाड	02638 - 43095
57.	मै. डाटा सिक्यूरिटीज लि.	'ग'	जयपुर	0141 - 51339
58.	मै. मिलै कारपागमबल इन्फार्मेशन सिस्टम प्रा. लि.	'ख'	चैन्नई	044 - 4937189
59.	मै. किर्लोस्कर कम्प्यूटर सर्विसिस लि.	'ख'	कर्नाटक	080 - 3322082
60.	मै. ग्रोथ कम्पयूसोफट एक्सपोर्ट लि.	'ख'	गुजरात	079 - 6561621
61.	मै. ब्लेजनेट प्रा. लि.	'ख'	गुजरात	079 - 403618
62.	मै. बलदेव शिपब्रेकर्स लि.	'ग'	भावनगर	0278 - 411816
63.	मै. वारडा इलेक्ट्रानिक्स प्रा. लि.	'ग'	नागपुर	0712 - 545328
64.	मै. आईएन टैकनेट लि.	'ख'	आंध्र प्रदेश	040 - 216863
65.	मै. पायनियर आनलाइन सर्विस प्रा. लि.	'ख'	आध्र प्रदेश	040 - 3220299
66.	मै. ग्लोबल आनलाइन सर्विसेज प्रा. लि.	'ख'	हैदराबाद	040 - 3744233
67.	मै. विदेश संचार निगम	'ख'	–	022 - 2624100
68.	मै. पंजाब वायरलेस सिस्टम लि.	'क'	आल इंडिया	0172 - 670867
69.	मै. नोमस इंटरनेट सिस्टम	'ख'	आंध्र प्रदेश	0265 - 3127340
70.	मै. वाइटल कन्टीन्यूटी इलै. (प्रा.) लि.	'ग'	रांची	0651 - 2011046
71.	मै. स्प्रिंग आरपीजी इंडिया लि.	'क'	आल इंडिया	011 - 6863172
72.	मै. बैव सर्फ प्रा. लि. थाणे	'ग'	कल्याण	0251 - 434373
73.	मै. वासवी साल्यूशन (प्रा.) लि.	'ग'	विशाखाट्टनम	0891 - 568483
74.	मै. बीएसईएस टेलीकॉम लि.	'ख'	मुंबई	080 - 5521792
75.	मै. विलनेट कम्यूनिकेशंस प्रा. लि. अहमदाबाद	'ख'	दिल्ली	079 - 6562615

1	2	3	4	
76.	मै. विलनेट कम्यूनिकेशंस प्रा. लि. अहमदाबाद	'ख'	राजस्थान	079 - 6562615
77.	मै. स्पेक्ट्रम सोफटेक साल्यूशन	'ग'	एर्नाकुलम	0484 - 317530
78.	मै. ई–कॉम ओपरच्यूनिटीस प्रा. लि.	'ख'	गुजरात	
79.	मै. भारती बीटी इंटरनेट लि.	'क'	आल इंडिया	
80.	मै. भारती टेलीनेट लि.	'ख'	मध्य प्रदेश	
81.	मै. ओप्टो हेल्थकेयर प्रा. लि.	'ग'	गाजियाबाद	
82.	मै. वेल्यू हेल्थकेयर प्रा. लि.	'ख'	मुंबई	
83.	मै. ई–कनेक्ट साल्यूशन्स प्रा. लि.	'ग'	उदयपुर	
84.	मै. वारी इन्स्ट्रूमेंट प्रा. लि.	'ग'	वलसाड	
85.	मै. जिन्दल इन्फारमेशन टेक्नालोजी लि.	'ख'	गुजरात	
86.	मै. जैमिनी कॉम लि.	'ग'	कोयम्बटूर	
87.	मै. स्वर्णनन्दरा टैक्नालाजी प्रा. लि.	'ग'	विजयवाड़ा	
88.	मै. वरटैक्स कॉम लि.	'ग'	जयपुर	
89.	मै. डाटलिंक इम्पैक्स प्रा. लि.	'ख'	गुजरात	
90.	मै. नानो टेक्नालाजीस प्रा. लि.	'क'	आल इंडिया	
91.	मै. शाहनेट टैक्नोलाजीस प्रा. लि.	'ग'	नाडियाड	
92.	मै. एआरएम लि. हैदराबाद	'ख'	आंध्र प्रदेश	
93.	मै. अग्रवाल इंटरनेट सर्विसेज प्रा. लि.	'ग'	इंदौर	
94.	मै. जे एंड के स्टेट इंडस्ट्रीय डेव कार्पो लि.	'ग'	श्रीनगर	
95.	मै. टांसपोर्ट कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	'ग'	फरीदाबाद	
96.	मै. टांसपोर्ट कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	'ग'	कल्याण	
97.	मै. बीपीएल टेलीकॉम लि.	'क'	आल इंडिया	
98.	मै. डाटा इन्फोसिस लि.	'ख'	राजस्थान	
99.	मै. सिगमा इनपुट आउटपुट टेक इंडिया लि.	'क'	आल इंडिया	
100.	मै. वर्ल्ड गेट नेटवर्क्स प्रा. लि.	'ग'	सूरत	
101.	मै. फ्यूचर कन्सलटेंट्स लि.	'ग'	कानपुर	
102.	मै. फ्यूचर कन्सलटेंट्स लि.	'ग'	लखनऊ	
103.	मै. सागरसोफ्ट इंटरनेशनल लि.	'ख'	आंध्र प्रदेश	
104.	मै. सत्यासांई आनलाइन प्रा. लि.	'ग'	विशाखापट्टनम	
105.	मै. राइजिंग सन इन्फोनेट प्रा. लि.	'ख'	गुजरात	
106.	मै. नर्मदा साइबर जोन प्रा. लि.	'ग'	भरूच	
107.	मै. चिमन ट्रेडलिंक प्रा. लि.	'ग'	नाडियाड	
108.	मै. आटो ट्रेड (आई) प्रा. लि.	'ग'	नागपुर	
109.	मै. टीसीआई भेरूका प्रोजेक्टस लि.	'ग'	जयपुर	

1	2	3	4
110.	मै. एससीएडी कन्सलटैंट्स प्रा. लि.	'ग'	बड़ौदा
111.	मै. डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू कम्यूनिकेशन लि.	'ख'	दिल्ली
112.	मै. आई नाइनटी वन इंटरनेक्ट लि.	'ग'	चंडीगढ़
113.	मै जीनेसिस एजुकेशन प्रा. लि.	'ख'	आंध्र प्रदेश
114.	मै. प्लैनेट इंटरनेट सेटेलाइट (वीवीएन) प्रा. लि.	'ग'	नाडियाड
115.	मै. सोलसटिस नेटवर्क्स प्रा. लि.	'ख'	आंध्र प्रदेश
116.	मै. कम्प्यूकाम आई प्रा. लि.	'ग'	जयपुर
117.	मै. महाऋषि ग्लोबल लिंक प्रा. लि.	'क'	आल इंडिया
118.	मै. ट्रैक पॉलीमर्स प्रा. लि.	'ख'	दिल्ली
119.	मै. एस्टेल कम्यूनिकेशन्स प्रा. लि.	'ग'	गुडगांव
120.	मै. सैब इन्फोटेक लि.	'ग'	चंडीगढ़
121.	मै. पुष्या साल्यूशंस प्रा. लि.	'ख'	गुजरात
122.	मै. चन्द्रनेट प्रा. लि.	'ख'	गुजरात
123.	मै. बड़ौदा नेटवर्क प्रा. लि.	'ग'	बड़ौदा
124.	मै. मणीपाल कंट्रोल डाटा इलेक्ट्रानिक कॉमर्स लि.	'क'	आल इंडिया
125.	मै. बीपीएल नेट डॉट कॉम प्रा. लि. (4.11.99 से पूर्व पुराना नाम मै. इंडिया इंटरनेट एक्सेस सर्विस प्रा. लि.)	'क'	आल इंडिया
126.	मै. पेसिफिक इंटरनेट (आई) प्रा. लि.	'क'	आल इंडिया
127.	मै. डीलक्स टेलीकॉम प्रा. लि.	'ग'	मेहसाना
128.	मै. एशियानेट सेटेलाइट कॉम लि.	'ग'	तिरूवनन्तपुरम
129.	मै. एशियानेट सेटेलाइट कॉम लि.	'ग'	एर्नाकुलम
130.	मै. राजकोनेट प्रा. लि.	'ग'	राजकोट
131.	मै. कप्पा इन्फोटेक प्रा. लि.	'ग'	कोटा
132.	मै. डाटा एक्सेस (आई) प्रा. लि.	'ख'	दिल्ली
133.	मै. एनएस नेट सोर्स (आई) प्रा. लि.	'ग'	विशाखाट्टनम
134.	मै. सी एंड नी सोफ्टवेयर (एक्सपोटर्स) लि.	'ग'	भुवनेश्वर
135.	मै. गुजरात स्टेट पेट्रोलियम	'ख'	गुजरात
136.	मै. इंडियन कोटेशन सिस्टम्स	'ख'	मुंबई
137.	मै. स्पेक्ट्रा नेट प्रा. लि.	'ख'	दिल्ली
138.	मै. स्पेक्ट्रा नेट प्रा. लि. गाजियाबाद	'ग'	गाजियाबाद
139.	मै. स्पेक्ट्रा नेट प्रा. लि. गाजियाबाद	'ग'	गुडगांव
140.	मै. मेग्नाकॉम इंडिया लि.	'ख'	दिल्ली
141.	मै. मिलैनियम सर्विसेज आनलाइन प्रा. लि.	'ग'	अमृतसर

1	2	3	4
142.	मै. इन्फोनेट सर्विसेज आई प्रा. लि.	'ग'	अमृतसर
143.	मै. नंदा नेट कॉम प्रा. लि.	'ख'	मुंबई
144.	मै. पेट्रियाट आटोमेशन प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	'ख'	कलकत्ता
145.	मै. इनडिपेन्डेट विजिनेस मशीन्स (प्रा.) लि.	'ग'	चंडीगढ़
146.	मै. रीडा कम्युनिकेशन्स प्रा. लि.	'ग'	अलीगढ़
147.	मै. हरिता फाइनेंस लि.	'क'	आल इंडिया
148.	मै. अमोएबा टेलीकॉम प्रा. लि.	'ग'	कोयम्बटूर
149.	मै. आनॅलाइन इंटरनेट सर्विसेज प्रा. लि.	'ग'	चंडीगढ़
150.	मै. हैतवे केबल एंड डाटा कॉम प्रा. लि.	'ख'	मुंबई
151.	मै. हैतवे केबल एंड डाटा कॉम प्रा. लि.	'ख'	चेन्नई
152.	मै. हैतवे केबल एंड डाटा कॉम प्रा. लि.	'ख'	महाराष्ट्र
153.	मै. केलनेट कम्यूनिकेशंस सर्विसेज प्रा. लि.	'ग'	त्रिवेन्द्रम
154.	मै. केलनेट कम्यूनिकेशंस सर्विसेज प्रा. लि.	'ग'	एर्नाकुलम
155.	मै. विलनेट कम्यूनिकेशंस सर्विसेज प्रा. लि.	'ख'	अहमदाबाद
156.	मै. सिटी आनॅलाइन सर्विसेज प्रा. लि.	'ख'	आंध्र प्रदेश
157.	मै. कार्वी कन्सलटेंस लि.	'ख'	आंध्र प्रदेश
158.	मै. खुशाग्रा टेलीकाम प्रा. लि.	'ग'	भोपाल
159.	मै. एशोयरड वेब टैक्नालाजी प्रा. लि.	'ग'	भोपाल
160.	मै. भास्कर मल्टीनेट प्रा. लि.	'ग'	जयपुर
161.	मै. डाटाकेयर इंटरनेट वर्क प्रा. लि.	'ख'	केरल
162.	मै. कोमेट टैक्नालाजी प्रा. लि.	'ग'	शिमोगा
163.	मै. एमटीसी इंजीनियरिंग लि.	'ग'	नाडियाड
164.	मै. डायरेक्ट इंटरनेट प्रा. लि.	'ख'	दिल्ली
165.	मै. मैक्सवैल ट्रेडलिंक प्रा. लि.	'ग'	कल्याण
166.	मै. जैन इनफोनेट प्रा. लि.	'ख'	राजस्थान
167.	मै. शहजानन्द इंटरनेट सर्विस प्रा. लि.	'ग'	सूरत
168.	मै. माई–नेट सर्विसेज इंडिया प्रा. लि.	'ग'	सेलम
169.	मै. एक्सेल मीडिया प्रा. लि.	'ग'	विशाखापट्टनम
170.	मै. इलेक्लिप्स इंडिया प्रा. लि.	'ख'	गुजरात सर्किल
171.	मै. आईएसपी इंडिया प्रा. लि.	'क'	आल इंडिया
172.	मै. स्विफ्ट मेल कम्यूनिकेशन लि.	'क'	आल इंडिया
173.	मै. सीएस प्रोसोफ्टैक इंफरमेटिक्स प्रा. लि.	'ग'	त्रिरूनेवेल्ली
174.	मै. शिवम डाटा टेक प्रा. लि.	'ख'	दिल्ली

1	2	3	4
175.	मै. कोलावेंटी इनोटैक्स प्रा. लि.	'ग'	विशाखाट्टनम
176.	मै. ट्राइडेन्ट नेटकाम सोल्यूशन प्रा. लि.	'क'	आल इंडिया
177.	मै. एसएबी इन्फोटैक लि.	'ख'	पंजाब
178.	मै. सत्यसांई ऑनलाइन प्रा. लि.	'ग'	राजामुंदरी
179.	मै. डायलनेट कम्यूनिकेशन लि.	'ख'	नई दिल्ली
180.	मै. नेटकनेक्ट (इंडिया) लि.	'ग'	मैसूर
181.	मै. आब्रटेल कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.	'क'	आल इंडिया
182.	मै. फासेलह लि.	'ख'	गुजरात
183.	मै. गुजरात नर्मदा वैल्ली फर्टिलाइजर्स क. लि. जीएनएफसी	'ख'	गुजरात
184.	मै. आलनेट सिस्टम प्रा. लि.	'ख'	चेन्नई
185.	मै. शिवम इन्फोवेस प्रा. लि.	'ग'	जोधुपर
186.	मै. जम्प इंडिया प्रा. लि.	'क'	आल इंडिया
187.	मै. वर्टेक कम्यूनिकेशंस लि.	'ख'	राजस्थान
188.	मै. केमिकल एंड मैटार्लिजकल	'ख'	दिल्ली
189.	मै. एचसीएल कामनेट सिस्टम्स एंड सर्विस लि.	'क'	आल इंडिया
190.	मै. क्वेस्ट कन्सलटेंसी प्रा. लि.	'ग'	वलसाड
191.	मै. कॉडोर इन्फोटेक प्रा. लि.	'ख'	कर्नाटक
192.	मै. टंडेम इन्फोटेक प्रा. लि.	'ग'	त्रिवेन्द्रम
193.	मै. स्पेक्ट्रा इन्फोटेक प्रा. लि.	'क'	आल इंडिया
194.	मै. सीजे आनलाइन प्रा. लि.	'ग'	गाजियाबाद
195.	मै. आई लिंक कम्यूकिनेशंस प्रा. लि.	'ग'	गुड़गांव
196.	मै. पालीवाली फानिश्यिंल सर्विसेज (प्रा.) लि.	'ख'	दिल्ली
197.	मै. इआर एण्ड डीसी टैक्नालाजी प्रमोशन सेंटर	'ख'	केरल
198.	मै. तवी ई.कॉम प्रा. लि.	'ग'	जम्मू तवी
199.	मै. गुजरात इन्फोर्मेशन लि.	'ख'	गुजरात
200.	मै. येन्की नेटवर्क प्रा. लि.	'ग'	बेल्लारी
201.	मै. ब्ल्यूवेब इन्फोसिस्टम प्रा. लि.	'ख'	मुंबई
202.	मै. कामसाट मैक्स लि.	'क'	आल इंडिया
203.	मै. मार्वल इंडेंटींग प्रा. लि.	'ग'	बडोदरा
204.	मै. आरगोसी इन्फोटैक प्रा. लि.	'ग'	रायगढ़
205.	मै. मिलैनियम इंटरनेट सर्विस ऑनलाइन प्रा. लि.	'ग'	जालंधर
206.	मै. बुरगुंडी ट्रेडिंग्स प्रा. लि.	'ख'	दिल्ली
207.	मै. एसएस नेटकॉम प्रा. लि.	'ख'	उत्तर पूर्व

1	2	3	4
208.	मै. एमएक्स साल्यूशंस प्रा. लि.	'ख'	केरल
209.	मै. एमएक्स साल्यूशंस प्रा. लि.	'ख'	चेन्नई
210.	मै. नेप्च्यून साइबरवलर्ड प्रा. लि.	'ग'	राजकोट
211.	मै. आस्ट्रो नेटवर्क इंडिया प्रा. लि.	'क'	आल इंडिया
212.	मै. डायरेक्ट इंटरनेट प्रा. लि.	'ग'	गुडगांव
213.	मै. डायरेक्ट इंटरनेट प्रा. लि.	'ग'	गाजियाबाद
214.	मै. वर्ल्ड टेल तमिलनाडु प्रा. लि.	'ख'	चेन्नई
215.	मै. वर्ल्ड टेल तमिलनाडु प्रा. लि.	'ख'	तमिलनाडु
216.	मै. आल इंडिया आनलाइन प्रा. लि.	'ग'	भुवनेश्वर
217.	मै. एल एंड टी नेटकाम लि.	'क'	आल इंडिया
218.	मै. पैट्रीअट आटोमेशन प्रोजेक्टस प्रा. लि.	'ग'	जमशेदपुर
219.	मै. पैट्रीअट आटोमेशन प्रोजेक्टस प्रा. लि.	'ख'	मुंबई
220.	मै. पैट्रीअट आटोमेशन प्रोजेक्टस प्रा. लि.	'ग'	गुवाहाटी
221.	मै. पैट्रीअट आटोमेशन प्रोजेक्टस प्रा. लि.	'ख'	कर्नाटक
222.	मै. पैट्रीअट आटोमेशन प्रोजेक्टस प्रा. लि.	'ग'	सिलीगुड़ी
223.	मै. इंटेरा ग्लोबल लि.	'क'	आल इंडिया
224.	मै. भारती कामटेल लि.	'ख'	हरियाणा
225.	मै. मीडिया वीडियो लि.	'ख'	दिल्ली
226.	मै. महावीर लीपिंग एंड होल्डिंगस् लि.	'ख'	कर्नाटक
227.	मै. मल्टीटेक कम्प्यूटर प्रा. लि.	'ग'	गुडगांव
228.	मै. विलनेट कम्यूनिकेशंस प्रा. लि.	'क'	आल इंडिया
229.	मै. ट्रैक पालीमर्स लि.	'क'	आल इंडिया
230.	मै. एस–फोर माइक्रोसिस्टम प्रा. लि.	'ग'	इलूरू
231.	मै. शेल इनफोरेमेशन टेक्नालाजी प्रा. लि.	'ग'	अहमदनगर
232.	मै. कृष्णा राघव आनलाइन प्रा. लि.	'ग'	इलूरू
233.	मै. नर्मदा साइबर जोन प्रा. लि.	'ख'	गुजरात
234.	मै. इनफोरमेटिक सर्विसेज प्रा. लि.	'ख'	मुंबई
235.	मै. नेटवेयर इनफोवेस प्रा. लि.	'ख'	दिल्ली
236.	मै. मेगाबाइर्ट इनफोवेस प्रा. लि.	'ख'	कर्नाटक
237.	मै. इन्फोरमेशन टैक्नालाजिस इंडिया लि.	'क'	आल इंडिया
238.	मै. कापाबेले डाटा कंसल्टैट्स लि.	'ग'	कानपुर
239.	मै. वेटवेयर इन्फोवेस प्रा. लि.	'ख'	आंध्र प्रदेश

क	ख	ग	कुल
37	88	114	239

विवरण-V

प्रस्तावित मोबाइल सेवा केन्द्र

सर्किल	शहर
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
	विजयवाड़ा
	तिरूपति
	गुन्टूर
	विशाखापट्टनम
	आमलापुरम
	काकीनाडा
बिहार	पटना
	बिहारशरीफ
	हाजीपुर
	बघ
	अराह
	राजगीर
तमिलनाडु	चेन्नई
	मदुरई
	कोयम्बटूर
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
	हल्दिया

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धन का आबंटन

1735. श्री राजो सिंह :

श्री ए. नरेन्द्र :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिए अलग–अलग केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) अब तक इस मद से कितनी राशि का आबंटन और उपयोग किया जा चुका है और शेष राशि को कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है;

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया जा चुका है और कितनी राशि का उपयोग किया जाना बाकी है;

(घ) राज्यवार आबंटित राशि के उपयोग न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन के आबंटन हेतु केन्द्र सरकार से आग्रह किया है;

(च) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (घ) 1999–2000 के लिए आबंटन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। 2000–2001 के लिए इसी प्रकार के आबंटन पर निर्णय बजट पारित होने के बाद किया जाएगा।

राज्य सरकारों द्वारा निधियों के उपयोग के पूरे ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। तथापि, सभी राज्यों द्वारा 31.3.2000 तक समस्त राशि का उपयोग कर लेने की संभावना है।

(ङ) से (छ) जी हां। मध्य प्रदेश सरकार ने अरिरिक्त आबंटन के लिए अनुरोध किया है। मामला विचाराधीन है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	एनएच (ओ) 99-2000 1/2000 तक	एम एंड आर 99-2000 1/2000 तक	एसआरपी 99-2000 1/2000 तक	ईएपी 99-2000 1/2000 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5045.00	3440.260	3657.00	50.00
2.	असम	2186.83	3199.440	2500.00	0.00

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	6000.00	5367.640	6100.00	0.00
4.	चंडीगढ़	100.00	66.000	50.00	0.00
5.	दिल्ली	1200.00	139.840	160.00	0.00
6.	गोवा	1500.02	627.690	700.00	0.00
7.	गुजरात	10451.43	2103.170	2068.00	0.00
8.	हरियाणा	4500.00	1611.700	400.00	4700.00
9.	हिमाचल प्रदेश	4500.00	1692.250	664.00	0.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	135.00	290.000	100.00	0.00
11.	कर्नाटक	4600.08	3410.900	4850.00	1224.00
12.	केरल	10468.12	1984.000	1500.00	1300.00
13.	मध्य प्रदेश	3226.75	5254.493	3000.00	6500.00
14.	महाराष्ट्र	10354.31	3844.630	4000.00	6000.00
15.	मणिपुर	1010.75	826.080	0.00	0.00
16.	मेघालय	1730.28	805.890	400.00	0.00
17.	मिजोरम	300.00	355.000	500.00	0.00
18.	नागालैंड	750.00	426.630	423.00	0.00
19.	उड़ीसा	4350.00	2922.240	2516.00	5500.00
20.	पांडिचेरी	319.46	87.000	164.00	0.00
21.	पंजाब	2000.00	1883.860	400.00	4000.00
22.	राजस्थान	5778.17	3520.000	4967.00	200.00
23.	तमिलनाडु	6500.00	4179.660	8000.00	0.00
24.	त्रिपुरा	50.00	185.000	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	11005.35	5575.490	4793.62	3500.00
26.	पश्चिम बंगाल	5738.02	3000.00	1530.00	3500.00
27.	मंत्रालय	100.00	0.00	0.00	726.00
28.	बीआरडीबी	11230.00	0.00	93.72	0.00
29.	एनएचएआई	0.00	0.00	0.00	49160.00
	कुल	115129.57	56798.86	53536.34	86360.00

[अनुवाद]

खाड़ी देशों में तेल कंपनियों द्वारा संयुक्त उद्यम

1736. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के लिए खाड़ी देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु भारी संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन संभावनाओं का पता लगाया गया है और इस उद्देश्य हेतु सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है और उसका क्या परिणाम निकला?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियां खाड़ी देशों समेत विदेश में कार्यव्यापार अवसरों की संभावनाओं का अनवरत रूप से पता लगाती रही हैं। खाड़ी देशों के संबंध में अब प्राप्त किए गए परिणाम संक्षेप में नीचे निर्दिष्ट किए जा रहे हैं –

- बामर लारी लि. प्लास्टिक तथा मैटल केन पैकेजिंग की आपूर्ति करते हुए तेल क्षेत्र की सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु खाड़ी के देशों में पहले ही एक सफल संयुक्त उद्यम का प्रचालन कर रही है। यह कंपनी ग्रीसो, ल्यूब सम्मिश्रण जैसे क्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाएं भी निष्पादित करती रही है तथा संयुक्त उद्यम से संबंधित आधारभूत सुविधाओं एवं सूचना प्रौद्योगिकी का भी पता लगाती रही है।

- आयल इंडिया लि. ने ओमान सल्तनत के अंतर्गत तटवर्ती क्षेत्र में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण एवं उत्पादन के विषय में मैसर्स टोटल एक्सप्लोरेशन, ओमान के साथ एक फार्म आउट करार किया है।

- ओ एन जी सी विदेश लि. एक खोजे गए क्षेत्र के विकास कार्य के अंतर्गत प्रतिभागिता के लिए इराक में मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के साथ साझेदारी में अवसर की तलाश कर रही है।

- पेट्रोनेट एल एन जी लि. के कतर से एल एन जी के आयात के लिए संविदा की है तथा इसकी कतर में द्रवीकरण सुविधाओं के अंतर्गत प्रतिभागिता की भी संभावना है।

[हिन्दी]

चामरी नाला पुल का पुनः निर्माण

1737. श्री बृजलाल खाबरी : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस उद्देश्य के लिए क्या प्रावधान किया गया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–25 पर झांसी और कानपुर के बीच स्थित चामरी नाला पुल जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त पुल के पुनर्निर्माण का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण–I और II में दिए गए हैं।

(ख) योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 8862.02 करोड़ रुपये (1996 के मूल्य स्तर पर) की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त, पेट्रोल और डीजल पर उपकर में से भी राशि उपलब्ध होगी।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में रा. रा. संख्या–25 के शिवपुरी भोगनीपुर खंड के 222 कि.मी. में चामरी नाला पर पुल का पुनर्निर्माण के लिए 31.3.99 को 323.80 लाख रुपये के अनुमान की स्वीकृति दी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

ज.भू.प. मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वास्तविक लक्ष्य/उपलब्धियां

क्र. सं.	स्कीम	यूनिट	नौवीं योजनागत लक्ष्य (1997-2002)
1.	दो लेन में चौड़ा करना	कि.मी.	1194
2.	चार लेन में चौड़ा करना	कि.मी.	202
3.	कमजोर 2 लेन को सुदृढ़ करना	कि.मी.	2908
4.	बाइपास	सं.	20
5.	बड़े पुल	सं.	40
6.	आर ओ बी सहित छोटे पुल	सं.	226

विवरण-II

भा. रा. रा. प्रा. द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना और अन्य कार्य

चार लेन में चौड़ा करना	लम्बाई	शामिल की जाने वाली कुल लम्बाई	लम्बाई जिसमें पहले ही चार लेन बना दी गई हैं/कार्यान्वयन के अधीन है।	चार लेन बनाए जाने के लिए शेष लम्बाई	पूर्ति की निर्धारित तारीख	चल रहे कार्य*	2002 तक सौंपे जाने के लिए जोड़
स्वर्णिम चतुर्भज	कि.मी.	5952	504	5448	2003	434	4716
उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम कारिडोर	कि.मी.	7300	628	6672	2009	264	386
अन्य	कि.मी.	1000	0	1000	2009	214	794

* ज. भू. प. मंत्रालय के जरिए अतिरिक्त 298 कि.मी.

इंटरनेट सुविधा

1738. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मध्य प्रदेश के छतरपुर और टीकमगढ़ जिलों में संचार नीति की दयनीय स्थिति के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उक्त जिलों में इंटरनेट सुविधा की उपेक्षा की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई और इसके क्या परिणाम निकले?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अगस्त, 1998 में भोपाल में इंटरनेट नोड संस्थापित किया गया। 29.2.2000 की स्थिति के अनुसार, डायल अप आधार पर, छतरपुर तथा टीकमगढ़ से 41 इंटरनेट कनेक्शन कार्यरत हैं।

विभाग में छतरपुर में इंटरनेट नोड संस्थापित करने की योजना बनाई है जिसके इस वर्ष के मध्य तक प्रचालित होने की प्रत्याशा है।

[अनुवाद]

बंदरगाहों पर लदाई और उतराई की वैज्ञानिक प्रणाली

1739. श्री सुकदेव पासवान :

श्री नवल किशोर राय :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बंदरगाहों पर लदाई और उतराई की वैज्ञानिक प्रणाली उपलब्ध नहीं होने के कारण लदाई और उतराई की प्रक्रिया से विलंब होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या माल मालिकों को उक्त विलंब के परिणामस्वरूप नौवहन कंपनियों को विलंब शुल्क देना होता है;

(ग) क्या देश में बंदरगाहों पर माल की लदाई और उतराई में विलंब अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों में विलंब की तुलना से बहुत ज्यादा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस विलंब को दूर करने हेतु सरकार की क्या योजना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) पत्तनों में लदान और उतराई दरें उपलब्ध उपस्करों और श्रमिक उत्पादकता के अनुरूप हैं। तथापि, पत्तनों में कार्गो के लदान/उतराई की प्रणाली की आधुनिक बनाकर कार्गो हैंडलिंग में लगने वाले समय में कमी लाने की गुंजाइश है।

(ख) लदान/उतराई के दौरान चाहे कितना भी समय लगे, पोत वणिकों को विलम्ब प्रभार नहीं देना पड़ता।

(ग) और (घ) भारतीय पत्तनों में अन्तरराष्ट्रीय पत्तनों की तुलना में मशीन के उपयोग, श्रमिक उत्पादकता और प्रबंधन प्रथाओं में अन्तर है। भारतीय पत्तनों पर कार्गो के लदान और उतराई में विलम्ब की अन्तर–राष्ट्रीय पत्तनों से सीधे तुलना करना संगत हो सकता है, क्योंकि अन्तर–राष्ट्रीय पत्तनों पर आने वाले पोत, हैंडलिंग की विधि, इस्तेमाल में लाए जा रहे उपस्कर और

कार्गो की किस्म में काफी भिन्नता होती है। विलम्ब न्यूनतम होने देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं :

1. कार्गो हैंडलिंग उपस्करों का यांत्रिकीकरण तथा आधुनिकीकरण।
2. पुराने उपस्करों को बदलना।
3. मैनिंग स्केल्ज के युक्तिसंगत करना।
4. पत्तन सैक्टर में विभिन्न क्षेत्रों का निजीकरण।
5. कार्गो हैंडलिंग के तरीकों का सरलीकरण तथा परिवर्तन।
6. इलैक्ट्रोनिक डाटा इंटरचैंज लागू करना।

सेल्यूलर टेलीफोन

1740. श्री अनंत गुढ़े :

श्री पी. डी. एलानगोवन :

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सेल्यूलर टेलीफोन उपभोक्ताओं की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) उक्त टेलीफोनों के लिए वर्तमान प्रभार क्या है;

(ग) देश में कितने शहरों में आज तक राज्यवार सेल्यूलर टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है;

(घ) वर्ष 2000–2001 के दौरान उक्त सुविधा राज्यवार कितने शहरों में प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त सुविधा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मोतीहारी, सहरसा, पुर्णिया और बेतिया शहरों में प्रदान करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सुविधा कब तक उन शहरों में प्रदान किए जाने की संभावना है जहां यह सुविधा नहीं है; और

(छ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विशेषकर महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार में आम आदमी को सेल्यूलर टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) देश में सेल्यूलर टेलीफोन उपभोक्ताओं की लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) इस समय, सेल्यूलर आपरेटर महानगरों में 475/– रुपये के मासिक किराए तथा 4/- रुपये प्रति मिनट के एयर टाइम प्रभार तथा सर्किलों में क्रमशः 500/- रुपये तथा 4.50 रुपये के मासिक किराए तथा एयर टाइम प्रभार वाले मानक टैरिफ पैकेज की पेशकश कर रहे हैं।

(ग) से (घ) पूरे देश में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने हेतु लाइसेंसों की मंजूरी के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं। दो दूरसंचार सर्किलों (नामतः जम्मू और कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार) को छोड़कर, जहां कोई बोलियां नहीं थी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा बिहार दूरसंचार सर्किलों सहित पूरे देश में विभिन्न निजी आपरेटरों को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

देश में सेल्यूलर सेवा प्रदान करने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) तथा दूरसंचार सेवा विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों को भी लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।

निजी सेल्युलर आपरेटरों को मंजूर किए गए लाइसेंस करार के अनुसार, कम से कम 10 प्रतिशत मुख्यालय लाइसेंस लागू होने की तारीख से एक वर्ष में शामिल किए जाएंगे तथा 50 प्रतिशत जिला मुख्यालय लाइसेंस लागू होने की तारीख से तीन वर्षों के भीतर शामिल किए जाएंगे। लाइसेंसधारकों को जिला मुख्यालयों के बदले में जिले के किसी अन्य शहर को शामिल करने की भी अनुमति दी गई है। शमिल किए जाने वाले जिला मुख्यालयों/शहरों का चुनाव तथा 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों/शहरों से आगे विस्तार, लाइसेंसधारक कंपनी पर उनके व्यापार संबंधी निर्णय के आधार पर निर्भर करता है। मंजूर किए गए लाइसेंसों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। सेल्युलर आपरेटर एसोसिशएन आफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत की गई उन शहरों की सेवा क्षेत्र वार सूची, जहां निजी कंपनियों द्वारा सेल्युलर सेवा प्रदान की जा रही है संलग्न विवरण–II में दी गई है।

दूरसंचार सेवा विभाग तथा एम टी एन एल भी देश के विभिन्न भागों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करेंगे। दूरसचांर सेवा विभाग ने प्रारंभ में एक पायलट परियोजना के रूप में देश के कुछ शहरों में सेल्यूलर मोबाइल सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। पायलट परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित शहरों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण–III में दी गई है। प्रस्तावित सेल्यूलर सेवा की वर्ष 2000–2001 में शुरूआत किए जाने की संभावना है। प्राप्त किए गए अनुभव तथा पायलट परियोजना के सफल कार्यान्वयन के आधार पर, देश के अन्य भागों में बड़े पैमाने पर सेल्यूलर मोबाइल सेवा की शुरूआत करने के मामले पर विचार किया जाएगा।

विवरण-I

जिन सेवा क्षेत्रों के लिए लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं वहां देश में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के उपभोक्ताओं की क्षेत्रवार संख्या

(जैसाकि भारत की सेल्यूलर आपरेटर एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत की गई)

क्रम सं.	लाइसेंस सेवा क्षेत्र (मैट्रो शहर/ दूरसंचार सर्किल)*	उपभोक्ताओं की संख्या (दिसम्बर 99)
1	2	3
1.	दिल्ली	279552
2.	मुंबई	298744
3.	कलकत्ता	68030
4.	चेन्नई	47004
5.	महाराष्ट्र	102367
6.	गुजरात	107528
7.	आंध्र प्रदेश	87949
8.	कर्नाटक	104787
9.	तमिलनाडु	71153
10.	केरल	80781
11.	पंजाब	79672
12.	हरियाणा	20172
13.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	48897
14.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	99696
15.	राजस्थान	15462
16.	मध्य प्रदेश	30167
17.	पश्चिम बंगाल	4674
18.	हिमाचल प्रदेश	4761
19.	बिहार	17419
20.	उड़ीसा	8403
21.	असम	5590
22.	उत्तर पूर्व	803
	संपूर्ण भारत जोड़	1583611

टिप्पणी : कुछ अपवादों को छोड़कर राज्य की सीमाओं के साथ दूरसंचार सर्किल सामान्यतः जुड़े हुए हैं।

विवरण-II

भारत के उन शहरों/कस्बों के नाम जहां सेल्यूलर सेवा प्रदान की जा चुकी है (जनवरी, 2000 के अनुसार स्थिति)
(जैसा कि भारत को सेल्यूलर आपरेटर एसोसिएशन द्वारा दी गई)

क्र.सं.	दूरसंचार सर्किल/ मैट्रो शहर	आपरेटर का नाम	जिन क्षेत्रों में सेवा प्रदन की गई है	प्रत्येक आपरेटर द्वारा शामिल किए गए शहरों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	जे. टी. मोबाइल लि.	हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापटट्नम, नेल्लौर, तिरूपति, विजाग, उप्पल, कट्टेडन, हयातनगर, पट्टनचेरू, रंगारेड्डी, कृष्णा, गन्नावरम, कांकीपडु, अडाविनेकाला, तेनाली, बुडामपडु, वेजेनडला, पोन्नूरू, चेब्रोलू, डागडरथी, कोवूर, कोडर, मईपडु, मथुकुर, बुचिरेड्डी, पलेम, चितूर, चंद्रागिरी, वडामालापेटा, गजूला, मंडयाम, गजूवाक, अगनामपुडी	33
	आंध्र प्रदेश	टाटा सेल्यूलर कम्यूनिकेशन लि.	हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापटटनम, रंगारेड्डी, कृष्णा, प. गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, मचिलीपट्टनम, काकीनाडा, इलूरू, सांगारेड्डी, लिंगमपल्ली, कुकटपल्ली, उप्पल, वनस्थलीपुरम, शौमाबाद, मेडचल, जीडीमेफल, कापरा, हयातनगर, गनपावरम, हनुमान जे. टोलापरोलू,	

1	2	3	4	5
			इब्राहिमपटनम, मंगलागेरी, अंकापाले, गजूवाक, जेल्लामंचिली, पायकारोपेटा, राजामुंद्ररी, रंजनाग्राम, रावूलापलेम, टुनी, प्रार्थीपडु, भीमाडोले, भेब्रोले, टाडेपल्लीगुडम, टनुकू, कावूरे, बटलूरू, पटनचेरू, बोलारेउम, अरनावाड़ा, नालगोंडा, नेल्लौर, काकीनाडा, चितूर, तिरूपति	49
2.	असम	रिलायंस टेलीकाम लि.	गुवाहाटी	1
3.	बिहार	रिलायंस टेलीकाम लि.	पटना, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, झरिया, हाजीपुर	6
		उषा मार्टिन टेलीकॉम लि.	–वही–	
4.	कलकत्ता	मोदी टेलेस्ट्रा प्रा. लि.	पूरी तरह शामिल (मैट्रो)	1
5.	चेन्नई	आरपीजी सेल्यूलर लि.	पूरी तरह शामिल (मैट्रो) मराई मलाई नगर एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, मिंजर, महाबलीपुरम	4
		स्काई सैल कम्यूनिकेशन लि.	पूरी तरह शामिल (मैट्रो)	1
6.	दिल्ली	भारती सेल्यूलर लि.	पूरी तरह शामिल (मैट्रो) गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुडगांव	5
		स्टरलिंग सेल्यूलर लि.	पूरी तरह शामिल (मैट्रो) गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुडगांव	5
7.	गुजरात	बिरला एंडी एंड टी कम्यूनिकेशंस लि.	अहमदाबाद, गांधीनगर, खेड़ा, बडोदरा, भडुच, सूरत, वलसाड, राजकोट, मेहसाना, जामनगर, बरेजा, पार, करजन, किम, उधना, पिपोडरा, गडेची, चिकली, परदी, उडवाडा, डूंगर, नडियाड, आनंद, अकलेश्वर, नवसारी सिलवासा, वापी, अडलाज, कुडासान, काबा, शेरथा, सोला, गोटा, चिलोडा, सरखेज, खोडियार, असलाली, जेटलपुर, उरसडी, बीरिया, मटर, विद्यानगर, वडातल, कारमसड, भयाली, जसपुर, फर्टीलाइजर नगर, काशीपुरा, पालेज, अमोद, डीवा, अधिडिया, कबीरवाड, पनौली, कोसम्बी, मगरौल, सायन, कामरेज, कटोर, अमरौली, उटरान, डमस, सओनपालसांगा, अतुल, डाडरा, धवेल, लिंच, धिनोज, पंचोट, खेरवा, मगरोडा	71
		फास्सेल इंडिया लि.	गांधीनगर, अहमदाबाद, खेडा, आनंद, नडियाड, वडोदरा, भंच, सूरत, सचिन, नवसारी, विलीमोरा, परदी, वलसाड, वापी, दीवी नगर, छतराल, मेहसाणा, कलोल, राजकोट, भावनगर, सानंद, पडरा, वघोडिया, वरिसाड, अंकलेश्वर, किम, पालसांणा, गणदेवी, चिरवाली, दमन, सिलवासा, गांधीधाम	32

1	2	3	4	5
8.	हरियाणा	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशन लि.	अम्बाला, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, शाहबाद, कुंडली, रोहतक, हिसार, जगाधरी, भिवानी, कालका, कैथल, रोहतक, रिवाड़ी, सिरसा, यमुनानगर, बहादुरगढ़	19
9.	हिमाचल प्रदेश	भारती टेलीनेट लि.	शिमला, सोलन, परवानु, बुददी, बारोटीवाला, बरौग, डल्ली सागो, थ्योग, भुनेटार, नलधेरा, कुफरी, कसौली, चैल, कंडाघाट, भंटूर, कुल्लू–मनाली, सोलन, नाला	19
		रिलायंस टेलीकाम लि.	शिमला	1
10.	कर्नाटक	जेटी मोबाइल्स लि.	बंगलौर, मैसूर, मंगलूर, अतीबेले, चन्द्रापुरा नेलममंगला, नंजगुगुडु, श्री रंगापट्टना, उल्लाल पन्नम्बुरू, काकानाडी, मैक्कमपाडे, कोल्लूर, कावूर, कोट्टड, उर्वा, सुरातकल, दक्षिणी कन्नड़	18
		स्पाइस कम्यूनिकेशंस लि.	बंगलौर, मंगलूर, मैसूर, तुमकुर, चित्रदुर्ग, देवेंगडे, धरवाड, बेलगम, हुबली, हस्सन, शिमोगा, चिकमंगलूर, गदाग, रेनेबेनूर, सागर, हरीहर, उदूपी, मनीपाल, भट्टकल, तिपतूर, भद्रावती, नेलमंगला, सकलेशपुर, कुंदापुर, गोमीकोयाल, नन्नजंनगुड, हासपैट, गोदावरी, होसपेटे, मंडया; बेलारी, गुलबर्गा, बिदारी	33
11.	केरल	बीपीएल सेल्यूलर लि.	एलीपी, अरूर, कालीकट, चडकड़, चेरटाला, चेनंनगनूर, चेनंगनासेरी, कोचीन, गुरूवायूर, करूनगापल्ली, कन्नूर, कोडनंगलूर, कोलाम, कोट्टायाम, कुब्लामेकुल्लम, मेल्लापुरम, मंजेरी, मुव्वातुपुज्जा, पल्लकाड, पल्ली, शालासरी, त्रिशूर, तिरूवल्ला, त्रिवेन्द्रम, वरकाला, अल्लुबा, फिरोख, मालेलिकाडा, चलाकुडी, इरिंजलकुडा, पेरूमबावर, अंगामली, कालामेसेरी, त्रिपुनीपूरा, कोजीकोड, कोडौती, वल्लायट्टनम, भीडूपुज्हा, कांजीकोडे	39
		एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशंस लि.	अल्लापुज्हा, अलुवा, अंगामली, अत्तोंगल, चल्लाकुडी, चन्नंगनसैरी, चैगनूर, चिंगावन्नम, चेरथाला, चव्वाकड, अरुणाकलम, एतम्मनूर, फेरोक, कालामासरो, कोट्टायम, कालम, कोजीकोड, कन्नूर, मल्लापुरम, मंजरी, पल्लामुक्कु, शक्ती, कुल्लवाडी, त्रिवेन्द्रम, त्रिचूर, तिरूवल्ला, त्रिपुरनथुरा, थालेसरी, तिरूर, कोट्टाचक्कल, पैरिनथाल्मीना, कुन्नामकुलम, केसरकोड, कजनेहाड, काजीकुड, कोडूगाल्लूर, कच्चमकुल्लम, मन्वातुपुज्हा, पैरूमबवूर, पल्लकाड, थोडुपुज्हा	40
12.	मध्य प्रदेश	रिलायंस टेलीकाम लि.	इंदौर, देवास, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, मंडीदीप, पीथमपुर, रायपुर	8
		आरपीजी सेलकाम लि.	इंदौर, भोपाल, देवास, सिहोर, उज्जैन, मंडीदीप, पीथमपुर, धर, बेतमा, सागीर, रायसेन	11

1	2	3	4	5
13.	महाराष्ट्र	बिरला एंटी एंड टी कम्यूनिकेशंस लि.	पुणे, नासिक, अहमदनगर, पंजिम, मारगावो, सतारा, कोटलापुर, सांगली, औरंगाबाद, अलीबाग, जालना, अमरावती, अकोला, वर्धा, जलगांव, भिवाणी, उल्लसनगर, करात, इच्यकरंजी, लोनावाला, पिम्परी, छिन्छवाडा, मपुसा, पोंडा, चक्कल, तालेगांव, पेन, खोयोली, खंडाला, सिरूर, मुपै, नैवासा, नरसापुर, शिरवाल, इस्लामपुर, जयसिंहपुर, राजगुरूनगर, मंचार, सिन्नर, शाहपुर, रजनगांव, चिक्कलमथाना, तिविम, पोखोरिम, बेतिम, रायबंदर, पुराना गोवा, वनस्तारिम, कुडैम, गोवा, वेल्हा, अगासैन, कोर्टलिम, वर्ना, न्यूवैम, माजीरदा, नवेतिम, वर्का, कावेलीसिम, मोवूर, बेतूल, चपौराकोई, वांगीतोर, बीच, अड़नाबीच, बागाबीच, कलैगूर, कंडोलिम, अगुआडा, कोर्ट, मीरासारबीच, काबो, रोना पंअला, मुरमुगांव, वास्को, डाबोलिम, बांगमालाबीच, कोलवा, बेनाडलिम।	77
		बीपीएल सेल्यूलर लि.	पुणे, नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, गोवा, सतारा, औरंगाबाद, इच्यलकंरजी, सांगली, मिराज, जलगांव, मालेगांव, धूले, जालना, भूसावल, अहमदनगर, अमरावती, अकोला, करात, अलीतारा, पंजिम, मधगांव, लोनावाला	23
14.	मुंबई	बीपीएल मोबाइल कम्यूनिकेशंस लि.	(महानगर) को पूर्णतः कवर करता है, नवी, मुम्बई, कल्याण	3
		हचिसन मैक्स टैलीकाम लि.	(महानगर) को पूर्णतः कवर करता है,	1
15.	उत्तर–पूर्व	हैक्साकाम इंडिया लि.	कोई नहीं।	कुछ नहीं
		रिलायंस टेलीकाम लि.	शिलांग	1
16.	उड़ीसा	रिलायंस टेलीकाम लि.	भुवनेश्वर, कटक, पुरी	3
17.	पंजाब	स्पाइस कम्यूनिकेशंस लि.	चंडीगढ़, जांलधर, लुधियाना, अमृतसर, भटिंडा, पटियाला, खन्ना, होशियारपुर, जलरांव, मोगा, संगरूर, फरीदकोट, कपूरथला, नवाशहर, मुक्तसर, मोहाली, पुचकूला, मंडी गोविन्दगढ़, राजपुरा, गोरामा, फगवाड़ा, व्यास, बटाला, कोटकपुरा, नामा, बरनाला, रामपुरफूल, मलोट, अबोहर, धुरी, मलेरकटला, बंगा, महालपुर, डेरबस्सी, जिरकापुर, धनौला, फिलौला, खरार, करतारपुर, बहादुरगढ़, शम्भू, बनूर, राय, घिलवां, सहनेवाल, साइलखुर्द, अबुल, खराना, गोनियाना, मंडी रूपनगर, पठानकोट।	51
18.	राजस्थान	हैक्साकॉम इंडिया लिमिटेड	जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, ब्यावर, किशनगढ़, मकराना, भीलवाड़ा	9

1	2	3	4	5
19.	तमिलनाडु	बीपीएल सेल्यूलर लिमिटेड	भवानी, कोयम्बटूर, कुड्डालोर, इरोड, गोवीचेट्टी पलायम, करूर, कांचीपुरम, मदुरई, मेटूपलायम, नामक्कल, ऊटी, पांडिचेरी, पोलाची, राजापलायम, सलेम, शिवकाशी, तिरूपुर, तिरूचिरापल्ली, तिरूनलवेली, तंजावुर, उडामलपेटाई वेल्लौर, विल्लुपुरम, विरुद्धनगर, अविनासी, कूनुर, त्रिभुवनाई, उडुमलपेट, रानीपेट, अरासूर	30
		एयरसेल लिमिटेड	कोयम्बटूर, थूडियालूर, तिरूपुर, पेरियानाइकेनपलायम, करमाडाई, मेटटूपलायम, ऊटी, अन्नूर, अविनाशी, सुलूर पल्लाडम, पोलाची, उडुमलेपट, कूनूर, कोटागिरि, सलेम, पालीपलायम, इरोडे, भवानी, कोमारपलायम, संकागिरि, पेरूडुराई, नामक्कल, थिरूचेनगोड, मदुरई, पलानी, त्रिची श्रीरंगम, मानचनालूर, तिरूवेरामवूर, तंजावूर, कुलीथलाई	32
20.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	एयरसेल डिजिलिंक लिमिटेड	लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और भदोही	5
		कोशिका टेलीकॉम लिमिटेड	लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, भदोही, उन्नाव सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, नवाबगंज, मिर्जापुर, शुक्लागंज, फैजाबाद, मुगलसराय, जौनपुर, बाराबंकी, जगदीशपुर, गौरखपुर	17
21.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	एस्कोटेल मोबाइल कम्यूनिकेशंस लिमिटेड	मेरठ, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बुलंदशहर, देहरादून, मथुरा, फिरोजाबाद, हापुड़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हल्द्वानी, रूद्रपुर, बिलासपुर, बाजपुर, काशीपुर, हरिद्वार, रूड़की, खतौली, मसूरी, बिजनौर, चंदौसी, हाथरस, खुर्जा, किचा, मोदीनगर, पीलीभीत, ऋषिकेश, सम्भल, शामली, वृंदावन, सिलीगुड़ी दार्जीलिंग, दुर्गापुर, आसनसोल, रानीगंज	37
22.	पश्चिम बंगाल	रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड	सिलीगुड़ी, दार्जीलिंग, दुर्गापुर, आसनसोल, रानीगंज	5

विवरण-III

प्रस्तावित मोबाइल सेवा केन्द्र

सर्किल	शहर
1	2
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
	विजयवाड़ा
	तिरूपति
	गुन्टूर
	विशाखापट्टनम
	आमलापुरम
	काकीनाडा
बिहार	पटना
	बिहारशरीफ
	हाजीपुर
	बाढ़
	अराह
	राजगीर
तमिलनाडु	चेन्नई
	मदुरई
	कोयम्बटूर
पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
	हल्दिया

राज्य विद्युत बोर्डों का निगमों में विभाजन

1741. श्री सी. श्रीनिवासन : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विद्युत बोर्डों का विभाजन करके अलग निगम बनाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो सभी राज्यों में इस विभाजन का समान रूप से कार्यान्वयन किस प्रकार सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विद्युत उत्पादन और वितरण में अपनी परिचालानात्मक कुशलता बढ़ाने के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को क्या नए मार्ग निर्देश जारी किए गए है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1998 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में हुई सहमति में अन्य बातों के साथ–साथ विद्युत क्षेत्र में सुधारों के लिए एक कदम के रूप में राज्य बिजली बोर्डों के पृथक्कीकरण/निगमीकरण की परिकल्पना की गई थी। अभी तक पांच राज्यों, नामशः उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश ने राज्य बिजली बोर्डों का पृथक्कीकरण/निगमीकरण किया है।

(ग) से (ङ) विद्युत क्षेत्र में सुधार प्रक्रिया के संवर्धन हेतु सरकार ने पहल की। सुधार संबंधी जरूरतों एवं संरचना पर आम सहमति बनाने के लिए सम्मिलित प्रयास शुरू किए गए। भारत सरकार ने परामर्शदाताओं को नियुक्त कर विभिन्न अध्ययन शुरू करवाए। श्रीमती वी. एस. रेखा, कानूनी परामर्शदाता को विद्यमान केन्द्रीय विद्युत अधिनियमों की समीक्षा कर एक संशोधित एवं समेकित केन्द्रीय कानून सुलझाने के लिए कहा गया जो विद्युत क्षेत्र के उदारीकरण संबंधी जरूरतों को पूरा कर सके। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया ने भारतीय विद्युत क्षेत्र की नियामक प्रणाली के पुनर्गठन संबंधी अध्ययन किया। श्री एस. जे. कोल्हो, गुजरात विद्युत बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व वाली एक सदस्यीय समिति ने वितरण क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन किया। भारत सरकार ने विद्युत क्षेत्र संबंधी सुधारों पर आम सहमति बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन का भी आयोजन किया।

हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने एक सलाहकार के रूप में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) से कहा कि वो ऐसे वैधानिक परिवर्तन सुझाए जो सुधार प्रक्रिया को बनाने में सहायक हों।

एन सी ए ई आर ने विद्यमान विद्युत कानूनों (भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998) को प्रति स्थापित करने के लिए एक विद्युत बिल प्रारूप प्रस्तुत किया है। प्रारूप बिल में राज्य विद्युत बोर्डों के निगमीकरण एवं विभिन्न इकाईयों में पुनर्संरचना जिससे लाभ केन्द्रों पर, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, जिम्मेदारी निर्धारित की जा सके। यह बिल इस उद्देश्य हेतु राज्यों को बिना पृथक विधेयक लागू किए ही राज्य बिजली बोर्डों का पृथक्कीकरण करने के लिए सक्षम बनाता है।

इंटरनेट टेलीफोन

1742. श्री भीम दाहाल : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साफ्टवेयर इंडस्ट्री एसोसिएशन ने सरकार से देश में इंटरनेट टेलीफोनों की अनुमति देने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) इंटरनेट सेवा प्रदाता संघ ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे इंटरनेट टेलीफोनी की अनुमति प्रदान करने पर विचार करें।

(ग) नई दूरसंचार नीति, 1999 के अनुसार इस स्तर पर इंटरनेट टेलीफोनी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तथापि, सरकार प्रौद्योगिकी नवीनताओं तथा राष्ट्रीय विकास पर उनके प्रभाव की निगरानी करना जारी रखेगी और उपयुक्त समय पर इस मामले की पुनरीक्षा करेगी।

चुनाव सुधार

1743. श्री आर. एल. भाटिया : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग ने चुनाव सुधार के संबंध में राज्य सरकारों की राय मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनसुपा झील का संरक्षण

1744. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के कटक जिले में अनसुपा झील के परिस्थितिकीय और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ या अमेरिका अथवा किन्हीं अन्य विदेशी राष्ट्रों या अभिकरणों की पर्यावरण–एजेंसियों से कोई अनुदान या सहायता लेने का कोई प्रावधान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबू लाल मरांडी) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत अनसुपा झील को कुल 10.80 करोड़ रुपए की लागत से संरक्षण करने के लिए उड़ीसा सरकार से मार्च, 1998 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। अनसुपा झील उन 10 अभिनिर्धारित झीलों में से नहीं है जिनका प्रस्ताव राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत भेजा गया था जिसे सरकार द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डाक जीवन बीमा सुविधा

1745. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग के मधुमेह रोगियों को डाक जीवन बीमा के लाभ नहीं दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार डाक जीवन बीमा के अंतर्गत मधुमेह रोगियों को लाभ प्रदान करने हेतु प्रावधान करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां। मधुमेह के रोगियों को संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग द्वारा डाक जीवन बीमा का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) डाक जीवन बीमा द्वारा स्वस्थ व्यक्तियों का बीमा किया जाता है। मधुमेह के रोगियों के जीवन को जोखिम की अधिक संभावना होने के कारण यह उनका बीमा नहीं करता है।

[अनुवाद]

हरियाणा में तेल शोधक कारखाना

1746. श्री रतन लाल कटारिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) फिलहाल हरियाणा में पानीपत में एक रिफाइनरी है। हरियाणा राज्य में किसी अन्य तेल रिफाइनरी की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

खराब पड़े टेलीफोन

1747. श्री चन्द्रेश पटेल :

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर बिहार और गुजरात में जामनगर के लालपुर क्षेत्र में अनियमित टेलीफोन सेवाओं और खराब पड़ी टेलीफोन और एस टी डी लाइनों के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में और आज तक इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने देश में विशेषकर उक्त राज्य और क्षेत्र में अबाधित टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए है,

(घ) क्या सरकार का विचार संचार ढांचे को बेहतर बनाने हेतु बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में आधुनिक उपकरण स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां। इस प्रकार के अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं और जो कमियां पायी जाती हैं उन्हें तत्काल ठीक किया जाता है। पिछले दो वर्षों के दौरान गुजरात के जामनगर जिले के लालपुर क्षेत्र तथा बिहार में प्राप्त हुई इस प्रकार की शिकायतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

1.	बिहार	–	153
2.	गुजरात (लालपुर क्षेत्र के संबंध में)	–	5

(ग) उल्लिखित राज्य एवं क्षेत्र को शामिल करते हुए देश में बाधारहित सेवाएं तथा टेलीफोनों को बेहतर अनुरक्षण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:–

(1) बाह्य संयंत्र का उन्नयन एवं पुनः स्थापना

(2) इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की स्थापना।

(3) नालियों में भूमिगत केबल बिछाना।

(4) ओ एफ सी/डिजिटल यूएचएफ का विश्वसनीय माध्यम प्रदान करना।

(5) उपभोक्ता निवास स्थानों तक 5 पेयर पी आई जे एफ केबल बिछाने की शुरूआत।

(6) खराबी ठीक करने तथा ग्राहक सेवाओं का कम्प्यूटरी–करण।

(7) शिकायतों की बुकिंग के लिए आईबीआरएस प्रणाली शुरू करना।

(8) बहु–मंजिला भवनों में आन्तरिक डीपी खोलना।

(9) लाइन स्टाफ को पेजर फोन प्रदान करना।

(10) बिहार में बिजली की भारी कमी के कारण उच्च क्षमता की बैटरी, विद्युत संयंत्र तथा इंजिन आल्टरनेटर प्रदान किये जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में आधुनिक एक्सजेंज उपकरण कार्य कर रहे हैं। तथापि, वर्ष 2000–2001 के दौरान बिहार में 18 स्थानों में इन्टरनेट नोड स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा एस डी एच डब्ल्यू एल एल, टी डी एम ए – पी एम पी प्रणालियां जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के उपकरण भी संस्थापित किये जाने की योजना है।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में सुधार

1748. श्री सुबोध मोहिते : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा स्वीकृत विद्युत क्षेत्र में सुधारों को किन–किन राज्यों ने अपनाया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत के क्षेत्र में सुधारों को अपनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को प्रदान किये गये अनुदानों और ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन राज्यों में विद्युत क्षेत्र के कार्यकलाप की समीक्षा की है जहां से सुधार हुए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) विगत कुछ वर्षों के दौरान, विभिन्न राज्यों ने सुधार आरंभ किए। उड़ीसा विद्युत सुधार अधिनियम, 1975 को लागू करने, एसईआरसी की स्थापना तथा राज्य विद्युत बोर्ड विकेन्द्रीकरण के जरिए उड़ीसा व्यापक सुधार करने वाला प्रथम राज्य था। हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश राज्यों ने भी अपने राज्य विद्युत बोर्डों का विकेन्द्रीकरण/निगमीकरण कर दिया है और नियामक आयोगों की स्थापना की है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, मध्यप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान जैसे अन्य राज्यों ने एसईआरसी का गठन कर दिया है या अधिसूचित कर दिया है।

(ख) विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) राज्यों में पारेषण तथा वितरण कार्यकलापों में सुधार के लिए राज्य विद्युत बोर्डों को निधियां प्रदान करता है। विश्व बैंक, डीएफआईडी, सीआईडीए आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएँ भी राज्यों के सुधार प्रयासों को सहायता दे रही हैं, बशर्ते कि वे सुधारों की सफलता की कतिपय शर्तों को पूरा करती हो।

(ग) और (घ) उड़ीसा में सुधारों की स्थिति की समीक्षा की गई है। थर्मल पावर स्टेशनों के पीएलएफ में पर्याप्त सुधार हुआ है और टैरिफ को युक्तिसंगत बनाया गया है। संक्रमण के दौर में ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा (ग्रिडको) वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है। उड़ीसा सरकार/ग्रिडको समस्या के निदान के लिए वित्तीय पुनर्गठन योजना तैयार की है। आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जैसे अन्य राज्यों के मामले में सुधारों की प्रगति को निकट से निगरानी की जाती है। हाल ही में, विद्युत मंत्रालय ने राज्य विद्युत क्षेत्र के सुधारों के लिए समयबद्ध कार्रवाई हेतु कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ करार/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

अन्तर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में निजी कम्पनियों द्वारा निवेश

1749. श्री ए. नरेन्द्र :

श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी कम्पनियों को अन्तर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र में निवेश करने हेतु आकृष्ट करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) से (ग) जी हां। जल्द से जल्द एक व्यापक नीति बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है

जिसमें निजी क्षेत्र के निवेश और अ.ज.प. क्षेत्र के विकास में उनकी भागीदारी आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहनों की भी परिकल्पना की गई है। इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने के लिए कोई समय–सीमा नियम नहीं की जा सकी।

दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी निवेश

1750. श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए विदेशी निवेश के लिए बड़े पूंजीधारियों की तलाश कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय देश में संचार–क्रांति लाने के मामले में गंभीर है;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्व–बैंक और अन्य विदेशी निवेशक इस क्षेत्र में निवेश करने को तैयार हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस प्रस्ताव किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) विभिन्न देशों द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में किए गए निवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

अगस्त, 91 से दिसंबर, 99 तक दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की आई हुई वास्तविक राशि।

(राष्ट्र–वार)

क्र.सं.	राष्ट्र का नाम	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	प्रतिशत
1	2	3	4
1.	अर्जेंटाइना	0.01	0.00
2.	आस्ट्रेलिया	423.50	0.81
3.	आस्ट्रिया	9.50	0.02
4.	बहरीन	8.00	0.02
5.	कनाडा	411.60	0.98
6.	डेनमार्क	72.50	0.17
7.	फिनलैंड	355.80	0.84
8.	फ्रांस	834.90	1.98
9.	जर्मनी	12.70	0.03
10.	हांगकांग	683.70	1.62
11.	इजराइल	560.00	1.33
12.	जापान	539.80	1.28
13.	कुवैत	0.50	0.00
14.	लक्सम्बर्ग	101.60	0.24
15.	मलेशिया	599.90	1.42
16.	मारशिस	28243.30	66.91
17.	नीदरलैंड	2143.30	5.08
18.	एनआरआई	756.70	1.79
19.	फिलिपिन्स	73.50	0.17
20.	सिंगापुर	54.20	0.13
21.	दक्षिण कोरिया	196.70	0.47
22.	स्वीडन	881.90	2.09
23.	स्विटजरलैंड	2.30	0.01
24.	थाईलैंड	1716.60	4.07
25.	युनाइटेड किंगडम	749.40	1.78
26.	संयुक्त राज्य अमेरिका	2860.10	6.78
	जोड़	42211.51 (मिलियन रूपए)	

विवरण-II

निवेश नीति तथा प्रोत्साहन

दूरसंचार क्षेत्र के लिए विदेशी निवेश संबंधी नीति

– विनिर्माण यूनिटें लगाने के लिए किसी प्रकार के औद्योगिक लाइसेंस की जरूरत नहीं हैं तथा इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र हेतु कोई आरक्षण नहीं है।

– विनिर्माण परियोजनाओं में 100 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी के लिए आटोमेटिक अनुमोदन।

- 2 मिलियन अमरीकी डालरों तक के कर मुक्त प्रौद्योगिकी शुल्क का आटोमेटिक अनुमोदन।
- घरेलू बिक्री पर 5 प्रतिशत तथा निर्यात बिक्री कर 8 प्रतिशत रायल्टी का आटोमेटिक अनुमोदन।
- विशेष अनुमोदन के जरिए उच्चतर, प्रौद्योगिकी शुल्क की संभावना।
- लाइसेंस शर्तों के अनुसार बुनियादी, सेलुलर मोबाइल, पेजिंग अन्यमूल्य, बद्धित सेवाओं तथा सेटेलाइट द्वारा –ग्लोबल मोबाइल पर्सनल टेलीकम्यूनिकेशन नामक दूरसंचार सेवाओं में 49 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी की भागीदारी की आटोमैटिक अनुमति।
- दूरसंचार सेवा के क्षेत्र में निवेश के लिए स्थापित निवेश कंपनियों में 49 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी की भागीदारी की अनुमति (यदि निवेश करने वाली कंपनी प्रबंधन भारतीय मालिकों के हाथ में है तो इन कंपनियों के द्वारा किसी लाइसेंसधारक कंपनी में निवेश का, घरेलू इक्विटी का हिस्सा माना जाएगा और "कुल विदेशी इक्विटी" के प्रति नहीं गिना जाएगा।)
- दूरसंचार सेवा कंपनियों को रायल्टी का भुगतान करने की अनुमति नहीं है।

दूरसंचार सेवा क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन

- दूरसंचार सेवा–प्रदाताओं द्वारा भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क में कर से छूट (आमार्टाइजेशन) होगी।
- लाइसेंसों की अभ्यर्पण की अनुमति होगी।
- बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा (विदेशी मुद्रा का ऋण) को परियोजना की लागत के 50 प्रतिशत तक बढ़ाना।
- दूरसंचार सेवा से जुड़ी कंपनियों में इक्विटी शेयरों तथा डिबेंचरों पर किए गए निवेश पर कर संबंधी छूट मिलेगी।
- व्यवसाय शुरू करने के प्रथम 15 वर्ष के दौरान पांच सालों तक कर की पूर्ण छूट तथा अगले पांच वर्षों में 30 प्रतिशत की कर–छूट मिलेगी।
- विनिर्देशित दूरसंचार उपस्कर पर सीमा–शुल्क की रियायती–दर
- दूरसंचार उपस्करों के निर्माण के लिए जरूरी सभी कैपिटल गुड्स के आयात के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।

दूरसंचार सुविधाएं

1751. श्री शिवाजी विट्ठल राव काम्बले :

श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन लाइन क्षमता और नए टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराने के संबंध में संचार और डाक नेटवर्क के विस्तार, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण में की गई प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में आगामी पांच वर्ष के दौरान कितने नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का प्रस्ताव है और इन कनेक्शनों को प्रदान करने के लिए निर्धारित मानक मापदंड क्या हैं;

(घ) गत तीन वर्ष के दौरान राज्य में प्रतिवर्ष कितने सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए और इनमें से कितने काम कर रहे है; और

(ङ) वर्ष 2000–2001 और नौवी पंचवर्षीय योजना में डाक और दूरसंचार सेवाओं के विस्तार, उन्यन और सुदृढ़ीकरण के संबंध में प्रस्तावित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है और देश के विशेषकर महाराष्ट्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितना निवेश हाल ही में किया गया है और क्या वास्तविक लक्ष्य हासिल किए जाने हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे विवरण–I के रूप में संलग्न हैं।

(ग) नए कनेक्शनों के पंजीकरनण के उपरांत प्रतीक्षा–सूची में स्थिति और पंजीकर्ता की श्रेणी अर्थात् ओ वाई टी, विशिष्ट अथवा सामान्य श्रेणीयों के तहत पंजीकरण पर निर्भर करते हुए टेलीफोन कनेक्शनों को प्रदान करने संबंधी आदेश दिए जाते हैं। आगामी पांच वर्षों के लिए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के प्रबन्ध हेतु प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि, वर्ष 2000–2001 के दौरान महाराष्ट्र में 7.05 लाख टेलीफोन देने का प्रस्ताव है।

(घ) एम टी एन एल, मुम्बई सहित महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जोड़े गए सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की संख्या इस प्रकार है:–

1996–97	–	9208
1997–98	–	12464
1998–99	–	20598

31.1.2000 की स्थिति के अनुसार राज्य में कार्यरत सार्वजनिक टेलीफोन बूथों की कुल संख्या 114943 है।

(ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

दूरसंचार सेवाओं के लिए

एमटीएनएल, मुम्बई सहित महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के लिए जोड़ी गई निवल स्विचन क्षमता तथा नए टेलीफोन कनेक्शनों के संबंध में ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :–

क्र.सं.		1996-97			1997-98			1998-99		
		ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1.	निवल स्विचन क्षमता	14190	472614	486804	102004	377764	479768	96293	531870	628163
2.	नए टेलीफोन कनेक्शन	34357	406403	440760	83442	405705	489147	78101	405404	483505

डाक सेवाओं के लिए

गत तीन वर्षों के दौरान, खोले गए नए शाखा डाकघर, उपडाकघर और महाराष्ट्र में उन्नयन किए गए तथा पंचायत संचार सेवा केन्द्र निम्नानुसार हैं।

वर्ष	खोले गए शाखा डाकघर	खोले गए उपडाकघर	खोले गए पंचायत संचार सेवा केन्द्र
1996-97	31	12	20
1997-98	34	04	20
1998-99	69	03	30

विवरण-II

दूरसंचार सेवाओं के लिए

देश में 2000–2001 के दौरान 52.4 लाख टेलीफोन कनेक्शन देने तथा इसी अवधि के दौरान महाराष्ट्र में 7.05 लाख कनेक्शन देने का प्रस्ताव है। देश के लिए नवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दूरसंचार सेवाओं के विस्ताव, उन्नयन तथा सुदृढ़ीकरण के लिए निवल स्विचन क्षमता में 230 लाख लाइनों को जोड़ने तथा 185 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन देने का अनुमोदित लक्ष्य रखा गया था। इस उद्देश्य के लिए दूरसंचार विभाग के लिए 37995 करोड़ रु. का परिव्यय तथा एमटीएमएल के लिए 5446 करोड़ रु. का परिव्यय किया गया जबकि दूरसंचार विभाग तथा एमटीएनएल के लिए कुल 83250 करोड़ रु. का प्रस्तावित परिव्यय था। तथापि, नवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सारे देश के लिए मध्यावधि मूल्यांकन में लगाए अनुमान के अनुसार दूरसंचार विभाग तथा एमटीएनएल का कुल योजनागत परिव्यय 73619 करोड़ रु. होने की संभावना है तथा दिए जाने वाले नए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या भी 185 लाख के प्रारंभिक लक्ष्य की तुलना में लगभग 200 लाख है।

डाक सेवाओं के लिए

(देश के लिए) डाक नेटवर्कों के विस्तार के लिए नवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय का ब्यौरा :

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रु.)	वास्तविक लक्ष्य
1.	शाखा डाकघरों तथा उप डाकघरों को खोलना	27.68	2500 शाखा डाकघर तथा 250 उपडाकघर
2.	शाखा डाकघरों को अवसंरचना उपस्करों की व्यवस्था	12.00	2400 शाखा डाकघर
3.	पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	3.02	2700 पंचायत संचार सेवा केन्द्र
	कुल	42.70	*

* पंचायत संचार सेवा योजना प्रारंभ में नौवीं पंचवर्षीय योजना का भाग नहीं थी तथा योजना आयोग द्वारा दो वर्षों अर्थात 1998–99 तथा 1999-2000 के लिए लक्ष्यों का अनुमोदन करते समय वार्षिक योजना 1998-99 में शामिल की गई थी।

देश के लिए तथा महाराष्ट्र के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 2000-2001 की वार्षिक योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

एक्सप्रेस राजमार्गों का निर्माण

1752. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ते हुए यातायात और भारी वाहनों को देखते हुए सरकार द्वारा एक्सप्रैस राजमार्गों के निर्माण संबंधी योजना तैयार की गई है या तैयार किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में एक्सप्रैस राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा;

(ग) उन पर यातायात परिचालन की क्या व्यवस्था होगी; और

(घ) योजना कब तक कार्यान्वित कर दी जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. देवेन्द्र प्रधान) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नयी डाक नीति

1753. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **संचार** मंत्री नयी राष्ट्रीय डाक नीति के बारे में 8.3.1999 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1782 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नयी राष्ट्रीय डाक नीति के नीति–पत्र का संशोधित प्रारूप प्राप्त हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसमें क्या परिवर्तन किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस नीति को कब तक अंतिम रूप देने और कार्यान्वित करने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय डाक नीति पर संशोधित मसौदा नीति दस्तावेज तैयार किया जा रहा है और इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

[अनुवाद]

एबीएल का बंद होना

1754. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक के शाहबाद में एबीएल को बनाए रखने से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त कारखाना बंदी के कगार पर है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कारखाने को बनाए रखने हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) जी हां।

(ख) एसीसी बेबकॉक वर्क्स यूनियन, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक से जुलाई, 1999 में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें पर्याप्त आर्डरों की कमी के कारण गुलबर्गा में उनके बॉयलर निर्माण सुविधा के भविष्य के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है। माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) श्री इकबाल अहमद सरडगी ने इस मामले के संबंध में 30.12.99 को विद्युत राज्य मंत्री को भी लिखा था। अभ्यावेदनों में विशेषकर नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन की उड़ीसा में तालचेर ताप विद्युत परियोजना हेतु बॉयलर के आर्डर को सुरक्षित रखने के मुद्दे को उठाया गया है।

(ग) और (घ) मै. एबीबी–एबीएल लि. के प्रर्वतकों ने सूचित किया है कि कर्नाटक में गुलबर्गा स्थित फैक्टरी समेत उनके स्वामित्व वाले दोनों बॉयलरों का निर्माण यूनिटों में कार्य का भार अधिक नहीं है। कम्पनी ने यह भी बताया कि लगातार कार्य के कम भार की स्थिति होने के कारण कम्पनी के रुग्ण होने की संभावना है यदि सुधारात्मक उपाय नहीं कर लिए जाते।

(ङ) जहां तक आर्डर दिए जाने का संबंध है, विश्व व्यापी प्रतिस्पर्धा के युग में केन्द्रीय सरकार के लिए यह न तो संभव है और न ही वांछनीय है कि अन्य की अपेक्षाकृत एबीबी–एबीएल लि. को वरीयता देकर ठेका प्रदान करने के लिए किसी परियोजना विकासकर्ता को कहा जाए। इस प्रकार एबीबी–एबीएल जैसी किसी अन्य अनिर्माता/आपूर्तिकर्त्ता को लेबल प्लेयिंग फील्ड पर आर्डरों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। एनटीपीसी की तालचेर विद्युत परियोजना के लिए बॉयलर पैकेज के ठेके जो कि भेल को प्रदान किया गया है, का संबंध है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने हाल ही के निर्णय में ठेका भेल को दिया जाना उचित ठहराया है। इसी बीच पावर फाइनेंस कार्पोरेशन से वित्त पोषण समेत ताप विद्युत संयंत्रों की नवीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध बहुत से अवसरों का पता लगाने पर विचार करने के लिए कम्पनी को सलाह प्रदान कर दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 7 मार्च, 2000 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.50 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 7 मार्च, 2000/17 फाल्गुन 1921 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
सोमवार, 6 मार्च, 2000/16 फाल्गुन, 1921 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
88	21	पर्याविणीय	पर्यावरणीय
163	नीचे से 2	(घ)	(ङ)
166	32	(क)	(क) से (घ)
236	3	श्री होलखोमांग हौकिप	श्री होलखोमांग हौकिप
272	8	श्री एस के सुब्बा	श्री एम के सुब्बा

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत
प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।